



राजभाषा के संदर्भ में  
हिन्दी-आंदोलन का इतिहास



राजभाषा के संदर्भ में  
हिन्दी-आंदोलन का इतिहास

डा० उदय नारायण दुवे

प्रकाशन संस्थान

प्रकारांक :

प्रकाशन संस्थान,  
216, श्रीरामनगर, शाहदरा,  
दिल्ली-110032

© डा० उदयनारायण दुबे  
प्रथम संस्करण • 1979

मूल्य : 45 00

आवरण : कृत्रिम निधान

मुद्रक :

सम्बन्धित द्वारा प्रगति प्रिंटर्स, दिल्ली-110032 में मुद्रित.



हिंदी की उत्पत्ति और विरासतकारीन परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए उमरे स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला है, तो 'भारत की भाषाएँ और भाषा मन्वही समस्याएँ' में भारतीय भाषाओं की भाषावैज्ञानिक विवेचना के साथ हिंदी की कुछ वास्तविक और कुछ कल्पित समस्याओं एवं उनके समाधान की रूप-रेखा दी है। लेकिन 'परिशिष्ट' में जब वे देवनागरी के समक्ष रोमन लिपि की एवतरफा बकालत करते दिखाई पड़ते हैं, तो उनकी तटस्थता सदिग्ध-भी हो उठती है।

डा० देवेन्द्रनाथ शर्मा की 'राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान' में राजभाषा के स्थान पर राष्ट्रभाषा की समस्या और उसके समाधान के विविध पहलुओं पर विचार किया गया है। किंतु इस महत्वपूर्ण पुस्तक में हिंदी और देवनागरी के विरोध में प्रस्तुत किए गए तर्कों के खडन एवं अंग्रेजी व रोमन व हिमायतियों को दिए गए मुहताब उन्तर में अच्छी सतकंता बरनी गयी है।

हा, 'भाषा' और 'राष्ट्रभाषा की समस्या में कमश डा० लोहिया और डा० रामविलास शर्मा ने वर्तमान भाषा-समस्या को मूल स पकडने की कोशिश की है और उससे प्रति भारतीय जनता को सचेष्ट किया है। किंतु इनकी भी सीमा, समस्या और समाधान ही है। विरोध रूप से डा० लोहिया की स्थापना और भावी कार्यक्रमों में राजनीति की गध भिती है।

आचार्य चन्द्रवली पाडे की 'बचहरी की भाषा और लिपि' तथा 'बिहार में हिंदुस्तानी' जैसी बुलटनों में जहा हिंदी की स्थिति, हिंदी-उर्दू के अतद्वन्द्व आदि पर प्रकाश डाला गया है, वही 'राष्ट्रभाषा से सम्बधित उनके विचार साम्प्रादायिकता के पुट से पुष्ट नजर आते हैं।

'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी' में 'राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी में सबधित गाधी जी की व्यापक और सबधा निष्पक्ष भावनाओं की झलक मिलती है तो डा० रामधारी सिंह 'दिनकर' कृत 'राष्ट्रभाषा-आंदोलन और गाधी जी' में राजभाषा आंदोलन के सदस्य में गाधी जी के योगदान की चर्चा मात्र है।

'हिंदी, उर्दू हिंदुस्तानी' में प० पद्मगिह शर्मा ने इन तीनों की उत्पत्ति, पास्परिक सम्बन्ध, विकास आदि की यथार्थ पृष्ठभूमि पर समालोचना प्रस्तुत की है, तो डा० गितिकठ मिश्र का शोधप्रबन्ध 'खडी बोली का आंदोलन' साहित्यिक क्षेत्र में खडी बोली आंदोलन की विवेचना के उद्देश्य में अनुप्राणित है।

'दक्षिण भारत के हिंदी-प्रचार आंदोलन का समीक्षात्मक इतिहास' में श्री पी० के० केजवन नायर जहा मात्र दक्षिण भारत में हिंदी-प्रचार की गति प्रगति आदि का लेखा जोखा तगाने में व्यस्त हैं वही 'भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा' में प्रबध लेखिका डा० ज्ञानवती दरवार ने अर्धशताधिक सामाजिक व धार्मिक, साहित्यिक एवं राजनीतिक नेताओं की हिंदी सेवा पर प्रकाश डाला है।

हा, इन सदस्य में जो सबग उल्लेखनीय ग्रथ है, वह है डा० रामविलास शर्मा

या 'भाषा और समाज' जिसमें विद्वान् लेखक ने मुख्यतः भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति, विकास एवं महत्त्व आदि पर मौलिक ढंग से विचार किया है और राजभाषा हिंदी की समस्या के तत्तक पहुँच कर उसमें निहित जटिलता और अंतर्विरोध की व्याख्या भी की है। किंतु राजभाषा हिंदी के सर्वांगीण विकास और विवलय में प्रस्तुत हुई राजभाषाओं की स्थिति तथा राजभाषा हिंदी के सर्द्धर्म में किये गये विविध आंदोलनों के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासाओं का समाधान इसके द्वारा भी नहीं हो पाता।

विचार करने या परस्पर विचार-विनिमय के माध्यमों में भाषा का सर्वोपरि स्थान है और साहित्यिक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा आदि भाषा के विविध रूपों के चोतक हैं। कोई भी जनभाषा अर्थात् साक्षरभाषा साहित्य के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने पर साहित्यिक भाषा का रूप धारण करती है। इस प्रकार किसी भी साहित्यिक भाषा की बुनियाद कोई-न-कोई लोकभाषा ही होती है, साहित्यिक भाषा नहीं। प्रियंसन से लेकर आज़ाद की ऐतिहासिक भाषाविज्ञान की परंपरा इसे स्वीकार करती है, किंतु भारतीय आर्यभाषाओं की उत्पत्ति के सर्द्धर्म में सभी भाषा-शास्त्री पूर्ववर्ती साहित्यिक भाषा में परवर्ती साहित्यिक भाषा का विकास मानने की भूल कर बैठते हैं। वे संस्कृत में प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश एवं अपभ्रंश से नव्य भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मानते चले आ रहे हैं। प्रस्तुत शोध प्रबंध में मध्यदेशीय भाषाओं की राजभाषा परंपरा की पृष्ठभूमि में इस मान्यता का मतक खटन किया गया है साथ ही भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती साहित्यिक भाषाओं से नहीं बल्कि उनके समानान्तर गतिशील लोकभाषाओं से सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है।

किन्ती भी देश अथवा राष्ट्र में बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहृत अखिल देशीय सम्पर्क भाषा को राष्ट्रभाषा और शासनिक अथवा शासन प्रबंध की भाषा को राजभाषा की सजा निश्चय दी जा सकती है। यह बयन प्रायः सभी भाषा पंडितों की मान्यताओं में मगुष्ट है। साथ ही यह भी सत्य है कि किन्ती भी स्वाधीन देश अथवा राष्ट्र में अखिलदेशीय सम्पर्क भाषा (राष्ट्रभाषा) ही राजभाषा के पद पर आसीन रहती है और उस स्थिति में एक ही भाषा राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों के दायित्व का निर्वाह करती है। प्राचीन भारत में संस्कृत, पालि, शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश की एक ही साथ अखिलदेशीय सम्पर्क भाषा और राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का यही रहस्य है (विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य दूसरा अध्याय)। फिर भी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को मूलाना नहीं जा सकता। यह अंतर तब जोर स्पष्ट होता है, जब उस देश पर दीर्घकाल तक मुसलमानों एवं अंग्रेजों का शासन चलता है। मुस्लिम शासन के साथ सद्दियों से चली आती हुई मध्यदेशीय भाषाओं की राजभाषा परंपरा खंडित हो जाती है



और फारसी जैसी विदेशी भाषा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित की जाती है। इस प्रकार अपभ्रंश के बाद हिंदी को अपने न्यायोचित अधिकार से वंचित रह जाना पड़ता है। अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजी राजभाषा बनायी जाती है और कोई सत्ता हिंदी को पुनः उपलब्ध नहीं होती। किंतु मुस्लिम एवं ब्रिटिश शासन के मध्य भी मध्यदेशीय भाषाओं की राष्ट्रभाषा पर परावनवरत गति से विकासमान दिखाई पड़ती है।

इस प्रकार पराधीन भारत में शताब्दियों तक अखिल देशीय संपर्क भाषा के क्षेत्र में हिंदी का न तो किसी भाषा के साथ विरोध रहा है और न इस रूप में हिंदी को लेकर कोई उल्लेखनीय सघर्ष अथवा आंदोलन ही चला है। हा, अखिलदेशीय संपर्क भाषा के साथ हिंदी को राजभाषा का पद भी मिलना चाहिए था, जैसा कि उसकी पूर्वजाओं को मिला था। किंतु विदेशी शासकों द्वारा पहले फारसी और बाद में अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया और हिंदी का न्यायोचित अधिकार छीना गया। इसलिए राजभाषा के सदम में समय समय पर हिंदी-आंदोलन होते रहे, जिनका होना स्वाभाविक था। परंतु इस प्रकार के आंदोलनों को 'राष्ट्रभाषा-आंदोलन' या 'राष्ट्रभाषा हिंदी का आंदोलन' की संज्ञा दी गई है, जिसके साथ वैज्ञानिकता का नाता जोड़ने में संकोच होता है। प्रस्तुत शोध प्रबंध के स्वाधीनता सघर्ष और 'राजभाषा का आंदोलन' नामक अध्याय की पृष्ठभूमि में इन तथ्यों की विस्तृत समीक्षा की गई है और राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के सदम में वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें देखा और परखा गया है। कहना न होगा, कि इस प्रकार की नूतन दृष्टि एवं समीक्षा ही इस शोध प्रबंध की आत्मा है, और इसके नामकरण का आधार भी।

राजभाषा से सामान्यतः दो अर्थों की प्रतीति होती है, पहला राजा या शासक की भाषा और दूसरा शासन अथवा राजकाज की भाषा। ऊपर से देखने पर दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, किंतु यदि गहराई से विचार किया जाय तो पहले की अपेक्षा दूसरा सही अर्थ व्यंजित करेगा। 'डेमोक्रेसी' के हिंदी रूपांतर के रूप में प्रयुक्त 'प्रजातंत्र' की अपेक्षा 'जनतंत्र' से जिस अर्थवत्ता का बोध होता है, कुछ बँसी ही गत्यात्मकता राजभाषा के दूसरे अर्थ में सन्निहित है। यदि स्वतंत्रता पूर्व भारत का इतिहास देखा जाय, तो ज्ञात होगा कि चिरकाल से भारत में राजतंत्र चलता रहा है और उससे अनुमोदित यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है, जिसमें स्पष्टतः दो वर्ग होते रहे हैं—एक राज परिवार या शासक वर्ग, दूसरा उसकी प्रजा या शासित वर्ग। किंतु स्वाधीनता के बाद जनतान्त्रिक प्रणाली के साथ प्रथम वर्ग का अस्तित्व समाप्त हुआ और द्वितीय वर्ग ने स्वाधीनता की सास ली। देश की बागडोर देश की जनता के हाथ में आई। इसलिए प्रजातंत्र नहीं, जनतंत्र

सही और सच्चा साबित हुआ, राज्य नहीं प्रदेश कहना उचित समझा जाने लगा, क्योंकि इनसे राजतंत्र की ही बू आती रही। बदलते हुए इस राजनीतिक मानदंड के साथ राजभाषा का द्वितीय अर्थ अधिक समयोपयोगी सिद्ध हुआ। अतः इस शोध प्रबंध में स्वतंत्रता के पहले जहां कहीं भी राजभाषा का प्रयोग हुआ है वहां उसके प्रथम यानी रुढ़िगत अर्थ से मतलब है और जहां स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों के बीच इसकी चर्चा की गई है, वहां इसके प्रगतिशील अर्थ का योग है।

प्रस्तुत शोधप्रबंध के अध्याय एक में राष्ट्रभाषा और राजभाषा को सैद्धांतिक समीक्षा के साथ उनके पारस्परिक संबंध, अंतर आदि की व्याख्या उल्लेखनीय है, तो अध्याय दो में संस्कृत से लेकर अपभ्रंश तक की अलग-अलग राष्ट्रभाषा-राजभाषा परंपरा की विस्तृत विवेचना। किंतु अंतर यह है कि राजभाषा की सैद्धांतिक समीक्षा में जहां राजभाषा संबंधी दोनों अर्थों की समानरूप से अन्विति है, वहीं अलग-अलग राजभाषा-परंपरा राजभाषा के रुढ़िगत अर्थ से अनुप्राणित है। हिंदी की व्यापकता के साथ अध्याय तीन में राजभाषा फारसी के जिस आधिपत्य की चर्चा चली है, वह भी राजभाषा के इसी रुढ़िगत अर्थ का प्रतिपादन करता है, साथ ही अगले अध्याय 'उन्नीसवीं शताब्दी कंपनी की भाषा नीति और हिंदी' में विवेचित सामग्री और निचली अदालतों में हिंदी-उर्दू-विवाद आदि के द्वारा भी इसी परम्परागत अर्थ की ओर संकेत है। अध्याय पांच में ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, पियरीसोपिबल सोसाइटी, अखिल भारतीय कांग्रेस, भारतेन्दु महान, सरस्वती, नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा-प्रचार सभा आदि विविध सामाजिक और धार्मिक तथा राजनीतिक एवं साहित्यिक संस्थाओं के योगदान के साथ-साथ जिस हिंदी-आंदोलन की व्यापक विवेचना हुई है, उसका प्रमुख प्रतिद्वंद्वी (राजभाषा अंग्रेजी का) पक्ष राजभाषा के रुढ़िगत अर्थ का जीना जागना नभूना है, जबकि इस आंदोलन का उद्देश्य प्रगतिशील अर्थ में राजभाषा हिंदी की स्थापना करना रहा है। अंतिम अध्याय के बीच चाहे मविधान सभा के मध्य राजभाषा का प्रश्न रहा हो, चाहे भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी अंग्रेजी में अधिक लंबे-चौड़े अनुच्छेदों एवं धाराओं के अंग्रेजी का अवसर अथवा मंगोघन विधेयक की कहानी कहने का मौका, हर जगह इसी प्रगतिशील अर्थ की झलक दिलाई पड़ती है। यद्यपि यह भी सत्य है कि स्वार्थपरता के परदे से हमेशा इसे छिपाने की कोशिश होती रही है, जिसकी सदाकन प्रतिक्रिया सन् 1967 में हिंदी के व्यापक आंदोलन के रूप में प्रकट हुई। और यह भी सत्य है कि इस आंदोलन की क्रमबद्ध जीवत कहानी की अंतिम मजिल ही प्रस्तुत शोध-प्रबंध के अवमान की मूकच है।

आभार वाणी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष एवं प्राफेसर

नव्य भारतीय आर्य भाषाएँ  
हिंदी प्रदेश और उसकी बोलियाँ  
हिंदी भाषा का विकास और महत्व

मुस्लिम शासन-तंत्र और हिंदी / 67

मुसलमानों का आगमन और तत्कालीन राजनीतिक स्थिति  
तुर्क-अफगान-शासन और हिंदी  
मुगल शासक और हिंदी  
हिंदी की व्यापकता और उसके कारण  
अहिंदी भाषी प्रदेश और हिंदी  
दक्षिण भारत  
पंजाब में हिंदी  
गुजरात और हिंदी  
महाराष्ट्र और हिंदी  
बंगाल और हिंदी

उन्नीसवीं शताब्दी : कम्पनी की भाषा-नीति और हिंदी / 94

पृष्ठभूमि  
ईस्ट इंडिया कम्पनी और ब्रिटिश राज्य  
कम्पनी की भाषा-नीति  
फोर्ट विलियम कालेज  
कम्पनी और राजभाषा  
कम्पनी की शिक्षा-नीति और हिंदी  
ईसाई मिशनरियाँ और हिंदी  
भाषा के क्षेत्र में सांप्रदायिकता  
ब्रिटिश-शासन और हिंदी-उर्दू-विरोध की समस्या  
प्रादेशिक अदालतों और नागरी का आंदोलन  
बिहार की अदालतों में हिंदी का प्रवेश  
संयुक्त प्रांत की अदालतों और हिंदी

स्वाधीनता संघर्ष और निजभाषा का आंदोलन / 129

पृष्ठभूमि  
राष्ट्रीय आंदोलन और स्वदेशी वस्तुओं का स्वागत  
ब्रिटिश-शासनकालीन भारत में भाषा स्थिति

- निजभाषा-आंदोलन, तात्पर्य और क्षेत्र  
 हिंदी आंदोलन के आधार  
 धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएँ  
 ब्रह्म समाज  
 प्रार्थना समाज  
 आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती  
 पियसोफिकल सोसाइटी  
 राजनीतिक संस्थाएँ  
 अखिल भारतीय कांग्रेस  
 कांग्रेस और हिंदी  
 राजनीतिक नेता और हिंदी  
 महात्मा गांधी  
 गांधी जी के राष्ट्रभाषा संबंधी विचार  
 हिंदी का प्रचार-प्रसार और गांधी जी  
 अन्य राजनीतिक नेता और हिंदी  
 साहित्यिक संस्थाएँ  
 भारतेन्दु-मण्डल  
 'सरस्वती' और हिंदी भाषा का परिमार्जन  
 • नागरी प्रचारिणी सभा, काशी  
 • हिंदी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग  
 दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार-सभा, मद्रास  
 राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा  
 अन्य साहित्यिक संस्थाएँ  
 हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी

स्वतंत्र भारत भाषानैति बनाम राजनीति / 193

पृष्ठभूमि

- संविधान सभा की स्थापना और भाषा-समस्या  
 संविधान की राजभाषा-संबंधी अनुच्छेद तथा धाराएँ  
 हिंदी के प्रयोग संबंधी राष्ट्रपति के आदेश  
 राजभाषा-आयोग, सन् 1955  
 संसदीय राजभाषा—समिति  
 सष राजभाषा के मसौदा में राष्ट्रपति का आदेश, सन् 1960

राजभाषा अधिनियम, सन् 1963

राजभाषा (सशोधन) अधिनियम, सन् 1967

राजभाषा (सशोधन) विधेयक, सन् 1967 और हिंदी आंदोलन

दक्षिण भारत और हिंदी

हिंदी अंग्रेजी विरोध समस्या और समाधान

सदर्भ ग्रंथ सूची / 237

## भाषा और राजभाषा

### भाषा की व्यापकता और उसका महत्व

आचार्य दण्डी का कथन है कि "यह सपूर्ण त्रयलोक्य सधन अधिकार मे निमग्न हो जाता, यदि सृष्टि के आरम्भ से शब्द ज्योति (भाषा) का प्रकाशन न हुआ होता।"<sup>1</sup> वस्तुतः मानव-जीवन के लिए भाषा का असाधारण महत्व है। "वह हमारे मन का परिधान या लिबास है। उसके माध्यम से हम अपने विचारों, आदर्शों, सत्य-मिथ्या के भावों तथा अपनी भावनाओं एवं अनुभूतियों को सरलतापूर्वक व्यक्त कर एक दूसरे के मन में बहन करते हैं।"<sup>2</sup>

भाषा ही एक मात्र वह साधन है जो पशुओं से मनुष्य को अलग करती है, प्राणियों का शिरोमणि बनाती है और मानवता की दीक्षा देती है। किंतु मनुष्य के साथ अभिन्न संबंध होने के कारण हम इसे सामान्यतः के समान महज रूप में स्वीकार कर लेते हैं और सामान्यतः इसकी महत्ता की ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। पर, वास्तविकता यह है कि ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन-शास्त्र आदि की शाखाओं-प्रशाखाओं के रूप में मनुष्य आज तक जो कुछ भी प्राप्त कर सका है उन समस्त उपनदियों का एक मात्र आधार भाषा ही है। इसी के सहारे दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता आदि मनुष्य की उदात्त भावनाएँ विकसित हुई हैं। इतना ही नहीं, समाज की सभी विद्याएँ, कलाएँ तथा गिनत्य शब्द शक्ति में बढ़ गई हैं। समस्त वस्तुओं का विभाजन तथा विवेचन भी उन्हीं के आश्रित है।<sup>3</sup> तभी तो पाश्चात्य विद्वान् मैक्समूलर ने भाषा की महत्ता इन शब्दों में व्यक्त की है—"यदि यह प्रकृति की उपज हो तो अवश्य ही यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है और यह रचना प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए गुर्गुक्षा कर रखी थी। यदि यह मानवीय कला की कृति हो तो ऐसा

## 2 राजभाषा के सदर्भ में हिन्दी-आंदोलन का इतिहास

मालूम होता है कि यह कला मानव को दिव्य सिरजन हार के प्रायः बराबरी का कर देगी। यदि यह परमात्मा की देन हो तो यह भगवान् की सत्रमे बड़ी देन है।<sup>4</sup>

आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे वैदिक महर्षियों ने भी भाषा की महत्ता को सहस्रमुखी कोटि का बतलाया है। उन्हें वाक् शक्ति म ब्रह्म जैसी व्यापकता दिखाई पड़ती है।<sup>5</sup> वाक्-शक्त के अतर्गत वाक् ने भी अपने को समस्त तत्वों का धारक कहा है

‘अहं रुद्रेभिर्वसुमिश्वराभ्यहमादित्यै रतविश्वदेवै ।

अहं मित्रावरुणोभाविमर्ष्यमिन्द्राग्नी अहमश्विनोमा ॥ 6

‘अथर्ववेद’ के अनुसार संपूर्ण ब्रह्माण्ड वाक् तत्व से परिव्याप्त है। यही विश्व रूप है सर्व रूप है और ब्रह्म रूप है।<sup>7</sup> ‘शतपथब्राह्मण’ वाक् तत्व को समस्त ज्ञानों का विराट् रूप बतलाता है तो ‘ऐतरेय’ उमें साक्षात् सरस्वती की मजा देता है।<sup>8</sup>

आचार्य भर्तृहरि ने वाक् तत्व की विस्तृत व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘वाक्यपदीय’ में की है। यद्यपि आज उनकी भाषा विषयक संपूर्ण मान्यताएँ शुद्धता की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती, फिर भी आज के भाषाशास्त्रियों को उस महान् भाषा वैज्ञानिक की मान्यताओं का मुख्यापेक्षी होना ही पड़ता है। वाक्यपदीयकार का मत है कि ससार का सारा लौकिक व्यवहार वाक्-शक्ति द्वारा ही चल रहा है। वाक्-शक्ति ही प्राणियों को कार्य में लगती है। यदि वाक्-शक्ति न होती तो समस्त ससार काष्ठ और भित्ति तुल्य दिखायी पड़ता।<sup>9</sup> मानव विवेक का एकमात्र आधार भाषा ही है। लौकिक वर्तव्य-बोध का ज्ञान भाषाश्रित है। ससार में कोई ऐसा प्रत्यय नहीं, जो भाषा की अनुपस्थिति में संभव हो। समस्त ज्ञान भाषा से अनुविद्ध और उन्हीं से प्रवाहित है।<sup>10</sup> छान्दोग्योपनिषद् में महर्षि सनतकुमार का कथन है कि यदि मृष्टि में वाक् शक्ति का प्रादुर्भाव न हुआ होता, तो धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य, उचित-अनुचित, सहृदय-असहृदय, चित्तज्ञ-अचित्तज्ञ की पहचान, निराकरण, विवेचन तथा व्यवस्था न हो पाती। जो ब्रह्म रूप वाणी की उपासना करता है, शक्ति और सिद्धि उसी की अनुगामिनी होती है।<sup>11</sup>

यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व जितना भाषा द्वारा निर्मित होता है, उतना किसी दूसरे तत्व द्वारा नहीं। किसी भी व्यक्ति की आत्म शक्ति, दृढ़ता, निर्बलता, विश्वास, धर्म, क्षमा आदि का ज्ञान उसकी वाणी द्वारा ही विशेष रूप से हो पाता है। जाग्रतावस्था में होने वाले मनुष्य के संपूर्ण कार्य तो भाषा के द्वारा मपन्न होते ही हैं, साथ ही स्वप्नावस्था में भी जो कुछ कार्य व्यापार चलना रहता है, उसमें वाक् शक्ति ही

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रसंग में आचार्य भर्तृहरि की निम्नलिखित उक्ति द्रष्टव्य है

“सैषा ससारिणा सज्ञा बहिरतश्च वर्तते ।

तन्माना मनतिशान्त चैतन्य सर्वजन्तुषु ॥’ वाक्य० 1-126 ।

(शब्द शक्ति ही समस्त प्राणियों में चैतन्य रूप में वर्तमान है और इसकी सत्ता बाह्य एवं आभ्यांतर दोनों जगह है।)

इस प्रकार भाषा यदि बाह्य जगत् में लोक व्यवहार का साधन है, तो अतर्जगत में वह मुखादि के ज्ञान स्वरूप प्रतिष्ठित है। यह स्वतः मोचने व विचार करने का भी साधन है और विचार-विनिमय का भी। भाषा के द्वारा ही समस्त भावों एवं विचारों का विस्तारण एवं उनकी अभिव्यक्ति की जाती है, समाख्येय और असमाख्येय सभी अर्थों का निरूपण किया जाता है। इसी की सहायता में मनुष्य अपने सभी पुरुषार्थों (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) का उपार्जन करता है। इसी के मूल में ही वह अपने समस्त सबंधों के स्थापन एवं संरक्षण तथा मानवीय गुणों के ग्रहण में समर्थ होता है। ससार को एक सूत्र में बांधने की, परस्पर सहयोग की तथा विश्वबधुत्व की भावना जगाने की क्षमता एकमात्र भाषा में ही है।<sup>12</sup> यह मनुष्य की समस्त उपलब्धियों उसके विकास तथा उसकी सम्यक्ता एवं सृष्टि की आधारशिला है, साथ ही समस्त उपलब्धियों में सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि भी है। सृष्टि में यह अनुपमेय है और इसका विकल्प अलभ्य है।

### भाषा और उसके लक्षण

भाषा को आत्मा और बुद्धि से समन्वित मन तथा इन्द्रियों का व्यापार कहा गया है। सामान्य वस्तुओं की तुलना में उसका स्वर कहीं अधिक सूक्ष्म है। इसलिए जाया की परिभाषा देते समय अति व्याप्ति अथवा अव्याप्ति दोष से पूर्ण मुक्त होना कठिन व असंभव दोनों के मितान विदु का परिचायक है। एक दोष से मुक्ति पान के लिए किया गया प्रयास दूसरे दोष की सीमा में प्रवेश कर जाता है। यदि विद्वानों के द्वारा दी गई भाषा संबंधी परिभाषाओं की समीक्षा की जाय, तो उपर्युक्त कथन की प्रामाणिकता में कोई कौर-बसर नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, कुछ विद्वानों ने तो भाषा की एक व्यापक और एक भाषा वैज्ञानिक दो-दो परिभाषाएँ एक ही साथ हैं।<sup>13</sup> इस व्यापक परिभाषा के अन्तर्गत वे विचार संपर्क की समस्त प्रणालियों (नैत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य, स्पर्शग्राह्य या साकेतिक, वाचिक, लिखित एवं यांत्रिक) का भाषा में ही समावेश कर जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार पशु-पक्षियों की ध्वनियाँ भी भाषा-सीमा में आती हैं, तो कुछ लोग परंत, भरना, फूल-पत्तियाँ, न जाने किस किस की भाषा मुना



#### 4 राजभाषा के सदमें में हिन्दी-आदोलन का इतिहास

करते हैं। भाषा वैज्ञानिक परिभाषा के अतर्गत मानव के उच्चारण-अवयवों से उच्चरित ध्वनियों को स्थान दिया गया है, यद्यपि इनकी भी सर्वांग शुद्ध स्थिति नहीं है।

पाश्चात्य विद्वानों में वॉड्रिय,<sup>14</sup> स्वीट,<sup>15</sup> ब्लाक तथा ट्रेगर,<sup>16</sup> एव स्तुर्त्वा,<sup>17</sup> प्रभृति विद्वानों के द्वारा दी गयी परिभाषाओं का विशेष महत्त्व है, तो भारतीय विद्वानों में महर्षि पाणिनि, डा० श्यामसुन्दर दास, आचार्य विश्वरदास वाजपेयी, श्री सुकुमार सेन, डा० मंगलदेव शास्त्री आदि की परिभाषाएँ द्रष्टव्य हैं।

“व्यक्तवाचासम्मुच्चारणे”<sup>18</sup> अर्थात् सम्यक् प्रकार से उच्चरित व्यक्त वाणी ही भाषा है।

“मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिये व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।”<sup>19</sup>

“विभिन्न अर्थों में साकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति सरलता से प्रकट करते हैं।”<sup>20</sup>

“अर्थवान कण्ठोद्गीण ध्वनि-समष्टि ही भाषा है।”<sup>21</sup>

—सुकुमार सेन।

‘भाषा मनुष्यों की उस चेतना या व्यापार को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों में उच्चारण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।’<sup>22</sup>

मान्य विद्वानों की उपर्युक्त परिभाषाओं का भलीभाँति अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि इनमें किसी एक को भी पूर्ण वैज्ञानिक कहना नामुमकिन है। फिर भी थोड़े शब्दों में महर्षि पाणिनि ने जो कुछ कहा है, वह पर्याप्त वैज्ञानिक एवं स्तुत्य है। या तो किसी भी परिभाषा में भाषा के समूचे लक्षण को पाना संभव नहीं, फिर भी यदि सभी परिभाषाओं के सार अंगों को लिया जाय तो भाषा के निम्नलिखित लक्षण ठहरते हैं।

(1) भाषा विचार-संपर्क का साधन है।

(2) यह निश्चित मनोवैज्ञानिक प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण-अवयवों में निःसृत सार्थक ध्वनि समष्टि है।

(3) ये ध्वनि-समष्टियाँ या दृच्छिक एवं अध्ययन-विश्लेषणीय होती हैं।

(4) इन ध्वनि-समष्टियों की अपनी एक व्यवस्था होती है।

1. भाषा विचार-सम्पर्क का साधन इस कथन का तात्पर्य यह है कि भाषा के द्वारा एक समाज के लोग आपसमें विचार-विनिमय अर्थात् विचारों एवं भावों का आदान-प्रदान करते हैं। किंतु भाषा विचार विनिमय के साथ स्वतः

विचार करने का भी साधन है।<sup>23</sup> डा० वाङ्मूराम सक्सेना ने इसका स्पष्टीकरण इन शब्दां म किया है

“भाषा विचार करने का भी साधन है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि यदि कोई भी विचार करने बैठे तो भाषा की मदद के बिना नहीं कर सकते। जिसको सदेह हो वह प्रयत्न करके देख ले।”<sup>24</sup> इसीलिए भाषा को विचार जैसी मानसिक वस्तु का व्यक्त स्वरूप और भावरूपी आत्मा का शरीर कहा गया है।

2 भाषा निश्चित मनोवैज्ञानिक प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उद्धारित सार्थक ध्वनि समष्टि है। इस कथन के द्वारा भाषा की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएँ प्रकाशित होनी हैं प्रथम, यह कि भाषा सार्थक ध्वनि समष्टि है द्वितीय, यह कि यह ध्वनि समष्टि मनुष्य के उच्चारणोपयोगी-अवयवों से निःसृत होती है। और तृतीय यह कि यह निश्चित मनोवैज्ञानिक प्रयत्न के फलस्वरूप निःसृत होती है।

‘ध्वनि-समष्टि’ का तात्पर्य यह है कि इंगित लिपि आदि विचार-संपर्क के उन साधनों को, जो ध्वनि शून्य है अर्थात् जिनमें ध्वनि सञ्चालना का व्यवहार नहीं होता, भाषा-सीमा में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। ‘ध्वनि-समष्टि’ के साथ लगा हुआ ‘सार्थक’ विशेषण यह सूचना देता है कि भाषा के अतर्गत केवल सार्थक ध्वनियाँ ही आ सकती हैं, निरर्थक नहीं।

ध्वनियाँ का मनुष्य के उच्चारण-अवयवों से निःसृत होना, भाषा की वह विशेषता है जो उसे एक ओर विचार-संपर्क के साधन स्वरूप अन्य प्रकार की सार्थक ध्वनियों (जैसे चुटकी बजाना, ताली बजाना, मेज थपथपाना आदि) से पृथक् करती है और दूसरी ओर पशु-पक्षियों के मुख से निकली हुई स्वर लहरियों को भाषा की परिधि से बाहर रखती है।

भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ निश्चित मनोवैज्ञानिक प्रयत्न के फलस्वरूप निःसृत होती हैं, इस कथन का आशय यह है कि भाषा का सिर्फ शरीर-विज्ञान अथवा भौतिक शास्त्र से ही संबंध नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान का भी इससे गहरा संबंध है। ध्वनियाँ का बचना के उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से निःसृत होना, वायु के माध्यम से श्रोता के श्रवण तक पहुँचना और श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाना आदि क्रियाएँ जहाँ भाषा के भौतिक आधार का प्रतिपादन करती हैं, वही बचना के मस्तिष्क में विचारों का उदय होना, तदनुसृत शब्द विषय का बनना तथा श्रोता के श्रवणेन्द्रिय द्वारा गृहीत ध्वनियों के अनुरूप उमके मस्तिष्क में ध्वनिक विषय का निर्माण पुनः उसका विचारों में बदलना आदि क्रियाएँ भाषा के मानसिक पक्ष का उद्घाटन करती हैं। तात्पर्य यह कि भाषा का आन्विक संबंध भाव-मन म है। एक ही शब्द विभिन्न मन

स्थितियों मे भिन्न-भिन्न अर्थों का द्योतक होता है। अतः भाषा के पूर्ण वैशिष्ट्य को रेकाडों में बन्द ध्वनियों में नहीं देखा जा सकता।

3 भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समष्टियाँ यादृच्छिक एवं अध्ययन विश्लेषणीय होती हैं। यहाँ पर अध्ययन विश्लेषणीय का अर्थ उन ध्वनि समष्टियों से है जिनका अध्ययन द्वारा विश्लेषण किया जा सके और जिनकी सहायता से नये शब्दों का निर्माण हो सके। मनुष्य के उच्चारण-अवयव द्वारा ऐसी बहुत-सी ध्वनियाँ निकलती हैं जिनकी सार्थकता बड़ी उच्च कोटि की होती है, जैसे हसी, रोदन, चुम्बन आदि से उत्पन्न ध्वनियाँ या सहानुभूति अथवा करुणा सूचक च् च् च् च् आदि। इन ध्वनियों की सार्थकता असंदिग्ध है, किन्तु इनका अध्ययन एवं विश्लेषण तथा इनके आधार पर नये शब्दों की सृष्टि संभव नहीं अतः इन्हें भाषा के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता।

'यादृच्छिकता' भाषा का वह गुण है जो यह सूचित करता है कि भाषा में प्रयुक्त सार्थक ध्वनि समष्टियों (शब्दों) का भावो या विचारों से कोई महज्जत संबंध नहीं होता। यह संबंध 'यादृच्छिक' अर्थात् 'माना हुआ' होता है। पशु-विशेष को हम 'गाय' कहते हैं, किंतु यदि तर्क की बसोटी पर बसा जाय तो ज्ञात होगा कि गाय शब्द के द्वारा जिस पशु विशेष का बोध होता है उसका जो हम अर्थ लेते हैं उसमें और ग् + आ + य् + अ' ध्वनियों में कोई शाश्वत अथवा नैसर्गिक संबंध नहीं है। यदि कोई नियत-संबंध होता, तो प्रत्येक भाषा में इस जानवर-विशेष को 'गाय ही कहा जाता, हिन्दी में 'गाय' संस्कृत में 'गौ' तमिल में 'पशु' और अंग्रेजी में 'काऊ' कहने की कोई आवश्यकता न होती। वस्तुतः शब्द और अर्थ का यह संबंध परंपरानुमोदित और मूढ होता है, देश-काल-सापेक्ष होता है। जब हम यह कहते हैं कि शब्द और अर्थ का नित्य और अटूट संबंध है, तब इस कथन से मात्र प्रयोजन यह है कि 'प्रत्येक शब्द का कुछ-न-कुछ अर्थ है, चाहे यहाँ चाहे अन्यत्र, चाहे आजकल, चाहे किसी और समय में।'<sup>25</sup>

4 भाषा में एक व्यवस्था (System) होनी है इस पर प्रायः भाषा की सभी परिभाषाओं में काफी जोर दिया गया है। इस कथन का आशय यह है कि प्रत्येक भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ व्यवस्थित एवं नमयद्ध होती हैं। इन ध्वनियों की क्रमबद्धता के आधार पर ही भाषा-विशेष का गठन, उसकी स्वाभाविकता, रूप-रचना, वाक्य-रचना, शब्दार्थ, निर्णय आदि निर्भर रहते हैं। व्यवस्था की इसी आधारशिला पर ससार की भाषाओं का वर्गीकरण एवं विवेचन किया जाता है। ध्वनियों की व्यवस्था पर इतना बल देने का यही रहस्य है।

मारास यह है कि भाषा, निश्चित मनोवैज्ञानिक प्रयत्न के फलस्वरूप

मनुष्य के उच्चारण-अवयवों से निम्न, अध्ययन विश्लेषणीय, यादृच्छिक, व्यक्त ध्वनि-संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग परस्पर विचार-संपर्क एवं चिंतन-मनन करते हैं।

### भाषा के विविध रूप

“भाषा मनुष्य की सतत वर्द्धमान परंपरागत संपत्ति है। यह संपत्ति अन्य संपत्ति की भाँति एकाधिकार की वस्तु नहीं होती, चरन् उस पर सार्वजनिक अधिकार रहता है। भाषा के अमित महार पर सब भाषा-भाषियों का समान अधिकार होता है। उसमें से लोग अपनी रुचि शक्ति और ग्राहता के अनुकूल सामग्री ग्रहण कर लेते हैं और उस पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगाकर उसको शैली का रूप प्रदान करते हैं।”<sup>26</sup> तात्पर्य यह है कि भाषा में सदा दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ कार्य करती हैं पहली सामाजिक और दूसरी वैयक्तिक। व्यक्ति स्वच्छद मनोवृत्ति का होता है, वह प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वाधीनता चाहता है और समाज उसकी उस स्वाधीनता पर नियंत्रण रखने की चेष्टा करता रहता है। इस प्रकार भाषा ही क्या, मनुष्य के हर-एक क्रिया-क्षेत्र में स्वच्छदता और नियंत्रण ये दो बातें ऐसी हैं जिनके घात-प्रतिघात से समूचे समाज का विकास होता है।

“जब हम भाषा पर विचार करते हैं तो वहाँ भी इन दोनों प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं, जिन्हें प्रो० देवेंद्रनाथ शर्मा के शब्दों में केंद्रापगामी और केंद्राभिगामी कह सकते हैं।<sup>27</sup> व्यक्ति की प्रवृत्ति केंद्रापगामी होती है और समाज की केंद्राभिगामी। एक में पृथक्ता की भावना काम करती है और दूसरी में एकता की। भाषा-विकास के लिये इन दोनों का समान महत्व है। फिर भी अपेक्षित यह है कि वैयक्तिक विविधता सामाजिक एकता को पुष्ट करती चले।<sup>28</sup> नहीं तो, भाषा का वास्तविक उद्देश्य (विचार-संपर्क) ही बाधित हो जायेगा और उसकी गर्वोपरि विशेषता (बोधगम्यता) लुप्त हो जायेगी।

मनुष्य की स्वच्छद मनोवृत्ति का ही यह फल है कि एक व्यक्ति की भाषा से दूसरे व्यक्ति की भाषा का अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। भाषा का यह अंतर जहाँ उसकी विविधता का चोकर है, वहीं उसकी बोधगम्यता एकता का दामन पकड़े रहती है। यद्यपि एक समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु उनके बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण प्रक्रिया, शब्दभण्डार, शब्द विन्यास आदि जिसे साहित्यिक शब्दावली में शैली कहते हैं, के आधार पर भाषा में पर्याप्त अंतर आ जाता है। इतना ही नहीं, डा० वावूराम सक्सेना के शब्दों में -

“वस्तु स्थिति तो यह है कि कोई भी ध्वनि किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल एक बार ही उच्चरित हो सकती है, एक ही ध्वनि के एक ही व्यक्ति द्वारा किये गये दो उच्चारण एक से नहीं हो सकते।”<sup>29</sup>

डा० सक्सेना का यह कथन भाषा की वस्तु स्थिति एवं सूक्ष्मतात्त्विक विवेचन का परिचायक है। यदि अपने ही द्वारा किये गये एक ही ध्वनि के विभिन्न उच्चारणों को ध्यानपूर्वक सुना जाय तो उनकी सूक्ष्मतम विभिन्नता का बोध होगा। परंतु वैयक्तिक दृष्टि से जहां भाषा में भेद की इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म संभावनाएं वर्तमान हैं, वहीं सामाजिक दृष्टि से एकता का मार्ग भी प्रशस्त है। कहना न होगा कि एकता के सूत्र में पिरोयी हुई इसी वैयक्तिक विविधता के चलते ही समाज में एक ही भाषा के विविध रूप दिखायी पड़ते हैं।

### विभाषा (Dialect)

किसी उपप्रांत अथवा एक सीमित क्षेत्र के अतर्गत रहने वाले निवासियों के बीच जो भाषा विचार-संपर्क का कार्य करता है तथा जिसमें सामान्य साहित्य व लोक गीतों का सृजन होता है, उसे विभाषा अथवा बोली या उपभाषा कहते हैं। उदाहरणार्थ भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रज, अवधी आदि हिन्दी की बोलियां हैं।<sup>30</sup> कुछ विद्वानों ने बोली और विभाषा को भाषा के दो भिन्न रूपों में स्वीकार किया है। उनके अनुसार साहित्य से कोरी घरेलू बोलचाल की भाषा को बोली तथा किसी प्रांत, उपप्रांत या अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत प्रदेश की बोलचाल एवं साहित्यिक भाषा को विभाषा कहते हैं। डा० श्यामसुन्दर दास ने लिखा है

... से है जो तनिक  
... है।' विभाषा  
बोलचाल तथा

साहित्यिक रचना की भाषा 'विभाषा' कहलाती है।”<sup>31</sup>

“स्थानीय भाषा के लिये 'बोली' प्रांतीय भाषा के लिये 'विभाषा' और राष्ट्रीय तथा टकमाली भाषा के लिये 'भाषा' का प्रयोग ठीक होगा।”<sup>32</sup>

डा० श्यामसुन्दर दास जैसे विद्वानों की बोली और विभाषा संवधी में मान्यताएं ग्राह्य नहीं हैं। यद्यपि यह असंदिग्ध है कि एक व्यक्ति की भाषा दूसरे व्यक्ति की भाषा से भिन्न होती है, फिर भी बोली और विभाषा में इस प्रकार की सीमा-रेखा नहीं सीची जा सकती। यदि बोली को घरेलू बोलचाल तक सीमित रखा जायेगा तो भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि को बोलियां नहीं कहा

जा सकता। क्योंकि इनका उपप्रात बंधन में अपना एक विशेष क्षेत्र है, जहाँ य बोली और समझी जाती है, साथ ही इन बोलियों के पास अपना सामान्य साहित्य और लोकगीत भी हैं। इस दृष्टि से तो ये विभाषा ही सिद्ध होगी, फिर बोली का कौन-सा उदाहरण दिया जायेगा? स्पष्ट है कि बोली और विभाषा को जुदा समझना अब्यावहारिकता का परिचायक होगा।

इतना ही नहीं, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का तो कथन है कि "बोलियों की छान-बीन पर जिन्होंने पोथिया लिखी हैं। उनमें से कुछ ने यह बताया है कि किसी भी बोली के तीन साचे मिलते हैं—भाषा, विभाषा और बोली। हम आपसे पूछते हैं कि भाषा और बोली में भेद क्या हुआ? भाषा संस्कृत-शब्द है बोली उसका अर्थ है, उल्हा है, भाषा का दशो नाम है। यह तो ऐसा ही हुआ कि वादल तीन ढग के होते हैं—एक मेघ, दूसरा जलधर और तीसरा वादल।<sup>33</sup>

स्पष्ट है कि आचार्य सीताराम चतुर्वेदी बोली और विभाषा में ही नहीं, भाषा और बोली में भी कोई अंतर नहीं समझते। वस्तुतः भाषा और बोली एक ही तत्व के दो नाम हैं जो भाषाशास्त्रियों द्वारा भाषा वैज्ञानिक अथवा शास्त्रीय विवेचन के लिये आवश्यक माने गये हैं। शिक्षा के प्रसार, नगरों के विकास, यातायात की सुविधा, साहित्यिक समृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति, रेडियो व सिनेमा के प्रभाव, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना आदि ऐसे कारण हैं, जिनके सहयोग से कोई भी बोली प्रमुखता प्राप्त कर भाषा कहलाने लगती है। इसलिये बोली और भाषा में यदि कोई अंतर है तो सिर्फ मात्रा का है, प्रकार अथवा गुण का नहीं।<sup>34</sup> भाषा और बोली में वैसा ही संबन्ध है, जैसा पुष्प और कली भ या यौवन और केशीय में।

भाषा और बोली की सबसे बड़ी कसौटी बोधगम्यता होती है। स्थानीय विभेद के रहते हुए भी एक भाषा की बोलियों में परस्पर बोधगम्यता बनी रहती है। उदाहरणार्थ

खड़ी बोली—आता हूँ, जाता हूँ।

ब्रजी—आवत हो, जात हा।

भोजपुरी—आवत हई, जात हई।

यहाँ पर स्थान भेद के कारण दो क्रियाओं का भिन्न-भिन्न रूपों में प्रयोग किया गया है। फिर भी एक ही भाषा क्षेत्र के अंतर्गत रहने के कारण इनकी बोधगम्यता बनी हुई है। किंतु यदि इन्हीं के बदले बागिरेन् और पोगिरेन् अथवा 'आई कम' और 'आई गो' का प्रयोग किया जाय तो तमिल अथवा अप्पेजी के जाने बिना इनका अर्थ करना संभव नहीं। तात्पर्य यह है कि भाषा की विभिन्न विभाषाओं में परस्पर बोधगम्यता रहती है और विभिन्न भाषाओं में बोधगम्यता का अभाव रहता है। विभाषा या बोली घरेलू अथवा ग्रामीण बोलचाल की

### राजभाषा (Official Language)

राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात् वह भाषा जिसके द्वारा राजकीय कार्य किया जा सके। दूसरे शब्दों में किसी देश अथवा राष्ट्र में प्रशासनिक व्यवस्था के लिये जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। आचार्य नददुलारे वाजपेयी के अनुसार 'राजभाषा उसे कहते हैं जो केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्रव्यवहार, राजकार्य और सरकारी लिखा-पढ़ी के काम में लायी जाय।'<sup>39</sup> भारत जैसे जनतन्त्रात्मक दुहरे शासन-पद्धति वाले राष्ट्रों में राजभाषा की स्थिति दो प्रकार की है प्रथम केन्द्रीय राजभाषा, जिसे भारतीय संविधान में सभ की राजभाषा (Official Language of the Union) कहा गया और द्वितीय राज्यों की राजभाषा (Official Language of the States) सामान्यतः केन्द्रीय राजभाषा को सिर्फ राजभाषा और राज्यों की राजभाषा कहा जाता है।

### केन्द्रीय भाषा

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों के संपादनार्थ जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे केन्द्रीय राजभाषा या मात्र राजभाषा कहते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से इस भाषा का महत्त्व पूरे राष्ट्र में एक समान रहता है। स्वतंत्र राष्ट्रों में अधिसूचक जनता द्वारा व्यवहृत होने वाली भाषा को राजभाषा का यह गौरवमय पद प्रदान किया जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान में हिन्दी को भारत की राजभाषा का जो सम्मानित पद प्राप्त हुआ है उसका यही रहस्य है। किंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अभी तक हिन्दी भारतीय संविधान के पृष्ठों पर ही राजभाषा घोषित है, व्यावहारिक रूप से अंग्रेजी का सिक्का-मूर्खवत

है  
।य-  
ज-  
तान  
रीर

---

उपयोग है।'<sup>40</sup>

### राज्य भाषा

राज्य सरकार द्वारा राज्य-विशेष के अतर्गत प्रशासनिक कार्यों के लिये जिस भाषा का व्यवहार किया जाता है उसे राज्य भाषा कहते हैं। यह भाषा पूरे राज्य में बहुमूल्य जनता द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है तथा प्रशास-

निक दृष्टि से इसका पूरे राज्य में एक भाषा महत्व होता है। सोवियत संघ की उक्रेनी, उजबेक, जर्जियन आदि इसी प्रकार की राज्य भाषाएँ हैं। स्वतंत्र भारत में बंगाल की बंगला, आसाम की असमिया, उड़ीसा की उड़िया, आंध्र की तेलुगु, मद्रास की तमिल, केरल की मलयालम, मैसूर की कन्नड, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, कश्मीर की कश्मीरी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि की हिंदी ऐसी ही राजभाषाएँ हैं। जनतंत्र का यह तर्क है कि किसी राज्य की सामान्य-व्यवस्था का कामकाज उस राज्य की बहुमत जनता द्वारा व्यवहृत होने वाली भाषा में होना चाहिए। किंतु यह दुःख एव खेद की बात है कि भाषावार राज्यों के निर्माण एव स्वाधीनता प्राप्ति के 25 वर्षों के गुजर जाने के बावजूद इन राज्यों में राज्यभाषा के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को जो महत्व मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया है। अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी से तो मुक्ति मिली, किंतु अंग्रेजों की मानसिक गुलामी से हम पूर्व की अपेक्षा और अधिक जकड़े जा रहे हैं। आज भी भारतीय नागरिक अंग्रेजी की मोह निद्रा में हैं, वहीं-वहीं जागरूकता की निशानी, उसकी क्षीण रेखा, दिखाई पड़ रही है, फिर भी नींद का टूटना मुश्किल नजर आ रहा है। प्रादेशिक भाषाएँ कहने मात्र के लिये राज्य भाषाएँ हैं पर इनके स्थान पर सब-का-सब प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी में ही किया जा रहा है।

### राजभाषा और राष्ट्रभाषा

किसी स्वाधीन देश अथवा राष्ट्र में बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहृत होने वाली भाषा को राजभाषा का पद दिया जाता है और इस रूप में वह भाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है तथा संपूर्ण राष्ट्र में समान आदर की अधिकारिणी सम्पत्ति होती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र-राज्य की ऐसी ही राष्ट्र-जनता

ती है।

भाषा की

भाषा के

निहासन पर बिठाया जाता है, उदाहरणार्थ सोवियत संघ में राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का उत्तरदायित्व इसी पर है। स्वतंत्र भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा की उत्तराधिकारिणी तो है ही, साथ ही साथ भारतीय संविधान के द्वारा उसे राजभाषा का भी पद प्रदान किया गया है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा की इसी एक-रूपता के कारण प्रायः अधिकांश विद्वानों ने दोनों को एक माना है, राष्ट्रभाषा में ही राजभाषा को भी समाविष्ट कर लिया है। किंतु राजभाषा को राष्ट्रभाषा के अतिसंतोषी स्वीकार करना या दोनों को एक मानना अनुपयुक्त है। यदि राजभाषा और राष्ट्रभाषा का स्वल्प विवेचन किया जाय तो ज्ञात होगा कि इन दोनों



## 16 राजभाषा के सदभं मे हिन्दी-आदोलन का इतिहास

मे राजभाषा और राष्ट्रभाषा मे जब भी दूरी रही है, तब देश की स्थिति काफी बिगडी हुई नजर आई है। उदाहरणार्थ प्राचीन भारत की तुलना मे मुस्लिम शासन तत्र व अंग्रेजी शासन काल को देखा जा सकता है। स्वाधीन भारत मे आज प्रत्येक क्षेत्र मे असफलता का जो दृश्य दिखाई पडता है उमका एक कारण राजभाषा व राष्ट्रभाषा का असामंजस्य भी है। राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, किंतु व्यावहारिक रूप मे आज भी राजभाषा का स्थान अंग्रेजी के कब्जे मे है, हिंदी तो नाम मात्र के लिए राजभाषा कही जाती है। भारत के इस स्वतंत्र परिवेश मे हर एक दृष्टि मे राजभाषा-मबधी सभी कार्य हिंदी को सौंपना आवश्यक है, अन्यथा, मस्तिष्क और हृदय के साथ कर्म का गठबंधन नहीं हो सकेगा, इच्छा, क्रिया और ज्ञान बिखरे ही रह जायेंगे, जैसा 'वाग्याप्ती' मे प्रसाद जी ने लिखा है

‘ ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है,  
इच्छा क्यों पूरी हो मन की  
एक दूसरे मे न मिल सके,  
यह बिडबना है जीवन की।’<sup>42</sup>

ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य का अभाव भारतीय जीवन की भी बिडबना न बन जाय, यह देखने की बात है।

### सदभं

- 1 “इदमन्धतम कृत्स्न जायते भुवनत्रयम्।  
यदि शब्दा ह्यय ज्योतिरा मसार न दीप्यते ॥’ —वाग्यादर्श 1-4।
- 2 ‘राष्ट्रभाषा हिन्दी’ (भाषा का प्रश्न) सुमित्रानन्दन पंत, पृ० 199।
- 3 “सा सर्वं विद्याशिल्पाना कलाना जीपबन्धनी।  
तद्वशादपि निष्पन्न सर्वं वस्तु विभज्यते ॥” —वाक्यपदीयम् 1-125।
- 4 ‘भाषा विज्ञान पर भाषण’ मैक्समूलर, पृ० 3।  
अनुवादक डा० हेमचन्द्र जोशी।
- 5 “सहस्रधा महिमान सहस्र यावत् ब्रह्मविष्टित तावती वाक्”  
—ऋग्वेद—10-114-8।
- 6 ऋग्वेद 10 125-1।
- 7 “एतद्देव विश्वरूप, सर्वरूप, गोरूपम् ” अथर्ववेद 9-7-25।
- 8 “वागैवर्थश्च मामानिच। मन एव यजूपि सा यत्रेय वागासीत्सवमव तत्रा-  
क्रियन सर्वं प्राजा यताथ ’  
—शतपथ० 4 6-7-5।

"वाक् तु सरस्वती" — ऐतरेय० 3-1 ।

9 "अर्थक्रियामु वाक् सर्वान् समीहति देहिन ।  
तदुत्क्रान्तो विसर्जो य दृश्यते काष्ठं द्रुड्यवत् ॥" — वाक्य० 1-127 ।

10 "इति कर्तव्यता लीके सर्वा शब्द व्यपाश्रया ।

× × ×

न सो स्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुप्रमाहते ।

अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन मामत ॥" — वाक्य० 1-121 एव 122 ।

11 यद्वैवाङ्नाभविष्यन्न घर्मो नाघर्मो व्यज्ञापयिष्यत् न सत्यं नानृतं न साधु  
नामाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचमुपा" छान्दो०  
7-2-1 एव 7-2-2 ।

12 "शब्देष्वेवाधिता शक्तिं विद्वस्यास्य निवधनम् ।

यन्नेत्र प्रतिभात्माय भेद रूपं प्रतीयते ॥" — वाक्य० 1-118 ।

13 (क) 'एक प्राणी अपने विभी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर जो कुछ व्यक्त  
कर देता है—वही विस्तृत अर्थ मे भाषा है ।'

'जिम ध्वनि-चिह्न द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनियम करता है  
उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं ।'

'सामान्य भाषा विज्ञान' डा० बाबूराम सक्सेना, पृ० 1 और 6 ।

(ख) "भाषा शब्द का प्रयोग कई अर्थों मे होता है । सामान्य रूप से भाषा  
उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनमे भावाभिव्यजन का  
काम लिया जाता है । इस दृष्टि से पशु-पक्षियों की बोली भी भाषा  
है, इंगित भी भाषा है, सड़क की लाइन-हरी बत्ती भी भाषा है और  
मनुष्य जो बोलता है वह भी भाषा है ।'

'जिमनी महायना मे मनुष्य परस्पर विचार-विनियम या सहयोग  
करते हैं, उसयाट्टिचिह्न, स्वर, ध्वनि-मकेत की प्रणाली को भाषा कहते  
'भाषा विज्ञान की भूमिका' प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, पृ० 9 व 11 ।  
है ।'

14 "भाषा एक प्रकार का चिह्न है । चिह्न स तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके  
द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है । ये प्रतीक भी कई  
प्रकार के होते हैं । जैसे—नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य एव स्पर्श ग्राह्य । वस्तुन  
भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है ।'

'भाषानास्त्र की रूपरत्ना' डा० उदयनारायण तिवारी, पृ० 2 से साभार  
उद्धृत ।

15 "ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है ।"

'भाषा विज्ञान' डा० भोत्रनाथ तिवारी, पृ० 2 साभार उद्धृत ।

16 A language is a system of arbitrary vocal symbols by means

18 राजभाषा के सदस्य म हिन्दी-आन्दोलन का इतिहास

of which a social group co operate' 'On वही, पृ० 2 से साभार उद्धृत । *Cutline of linguistics Analysis*'

17. A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which members of a social group co-operate and interact'

वही, से साभार उद्धृत ।

18 'अष्टाध्यायी' महर्षि पाणिनी, 1-3-48 ।

महाभाष्यकार आचार्य पतञ्जलि ने अष्टाध्यायी के इस सूत्र की निम्नलिखित व्याख्या की है—

"व्यक्तवाचास्तत्र प्रकर्षगति विज्ञास्यते । साधीयोये व्यक्तवाच इति । के च साधीय ? यथा वाच्यकारदयो वर्णा व्यज्यन्ते ।

' व्यक्तावाचि वर्णा देया त इमे व्यक्तवाच इति ।' महाभाष्यम् 1-3-48 ।

19 'भाषाविज्ञान' डा० श्यामसुन्दर दास, पृ० 20 ।

'भाषा-रहस्य' डा० श्यामसुन्दर दास और श्री पद्मनारायण आचार्य, पृ० 44 ।

20 'भारतीय भाषा विज्ञान' आचार्य विशोरीदास वाजपेयी पृ० 6 ।

21 'भाषाशास्त्र की रूपरेखा' डा० उदयनारायण तिवारी पृ० 2 से साभार उद्धृत ।

22 'तुलनात्मक भाषाशास्त्र' डा० मगलदेव शास्त्री पृ० 17 ।

23 "यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा मनुष्य के केवल विचार-विनियम का ही माधन नहीं है, विचार का भी साधन है ।"—डा० बाबूराम सक्सेना 'सामान्य भाषा विज्ञान , पृ० 9 ।

24 वही, पृ० 9 ।

25 'सामान्य भाषा-विज्ञान' डा० बाबूराम सक्सेना, पृ० 12 ।

26 'राष्ट्रभाषा हिन्दी' (भाषा और सङ्कृति) डा० गुलाबराय, पृ० 130 ।

27 द्रष्टव्य प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा कृत 'भाषा विज्ञान की भूमिका , पृ० 60, और 'राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्याएँ और समाधान , पृ० 148 ।

28 ' विविधता मनुष्य जीवन का स्वाभाविक अंग है । किन्तु उसमें समाज धारणा का यह परम सिद्धांत है कि विविधता हमेशा एकता को परिपुष्ट करने में ही अपने को कृतकार्य समझे । एकता को शतधा विदीर्ण करने वाली विविधता समाजोपयोगी नहीं है ।"—काका साहब कालेलकर 'राष्ट्रभारती' (हिन्दी का भिन्न) पृ० 188 ।

29 'सामान्य भाषा विज्ञान,' पृ० 220 ।

30 नोट—हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजी तथा अवधी बोलिया साहित्यिक भाषा के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित हो एकपरिनिष्ठित भाषा के

रूप में व्यवहृत होने लगी थी, किंतु खड़ी बोली के स्थानापन्न के कारण अब वे बोली मात्र रह गई हैं।

31 'भाषा रहस्य' (पहला भाग), पृ० 47।

32 वही, पृ० 51।

33 'भाषालोचन', आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, पृ० 134।

34 "ध्वनिग्राम और ध्वनियो में जो अंतर है वही अंतर भाषा और बोली में है।"—डा० बाबूराम सक्सेना। 'सामान्य भाषा विज्ञान', पृ० 135।

35 'कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक निष्ट परिगृहीत विभाषा ही भाषा (राष्ट्रीय भाषा या टक्साली भाषा) कहलाती है।"—डा० श्यामसुंदर दाम 'भाषा-रहस्य', पृ० 47।

36 'भाषा विज्ञान के सिद्धांत', पृ० 51 से साभार उद्धृत।

37 राष्ट्रभाषा पर विचार करते हुए कुछ मान्य विद्वानों ने अपने मूल्यवान् विचार दिए हैं, जो निम्नांकित हैं—

(क) 'उसी भाषा का गौरव सबसे अधिक हो सकता है और वही राष्ट्रभाषा कहना सक्ती है जिसको सब जनता समझती हो और जिसका अस्तित्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो।'

—आचार्य नददुलारे वाजपेयी 'राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएँ', पृ० 54।

(ख) "राष्ट्रभाषा केवल रईसा और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती। उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनाना पड़ेगा।"— मुशी प्रेमचंद। 'राष्ट्रभाषा की समस्या' डा० रामविलास शर्मा, पृ० 305 से साभार उद्धृत।

(ग) "समस्त राष्ट्र के लिए जो भाषा संपर्क करने का कार्य कर सके उसे राष्ट्रभाषा कहने में कोई हानि या आपत्ति नहीं है।"

—प्रो० देवेन्द्र नाथ शर्मा 'राष्ट्रभाषा (हिंदी) समस्याएँ और समाधान', पृ० 45।

(घ) "जो भाषा थोड़ी बहुत सारे राष्ट्र में बोली और समझी जाती है वह अपने इस गुण से राष्ट्रभाषा होती है।"—डा० हरदेव बाहरी 'हिंदी उद्भव, विकास और रूप', पृ० 212।

(ङ) "राष्ट्रभाषा का उद्देश्य राष्ट्रीय व्यवहार की सुविधा है।" राष्ट्रभाषा अहिंसक है, सहिष्णु है। सबका मेल मिलाप कराने वाली है। वह नम्रता के साथ सबकी सेवा करेगी, सबके पोषण के तत्व लेगी और सबकी बोली बन जाएगी।—काका साहब बोनेलकर। 'राष्ट्रभारती' (हिंदी का मिशन) प्रथम पृ० 18 व 28।

- 20 राजभाषा के सदर्भ में हिन्दी-आन्दोलन का इतिहास
- 38 'राष्ट्रभाषा पर विचार', पृ० 32 ।
- 39 'राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएँ', पृ० 54 ।
- 40 'राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्याएँ और समाधान', पृ० 46 ।
- 41 "भारतीय संविधान में हिन्दी के लिए कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । इसे या तो संघ भाषा (Language of the Union) या संघ की राजभाषा (Official Language of the Union) कहा गया है ।"  
'राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्याएँ और समाधान', पृ० 45 ।
- 42 'कामायनी' (रहस्य सर्ग), पृ० 280 ।



यदि भारतीय वाङ्मय के पृष्ठों को उलटा जाय तो दिवायी देगा कि ब्रह्मर्षि देश की भाषा और सस्कृति सदैव परिष्कृत एवं अभिजात मानी गई है। अनुपमेय भाषा-शक्ति एवं विकासीन्मुखी प्रतिभा से रामन्वित आर्यों की सस्कृति ब्रह्मर्षि देश की सीमा में आवद्ध न रह सकी। डा० राजबली पाण्डेय के शब्दों में 'इस ब्रह्मर्षि देश में भाषा और सस्कृति की दृष्टि से पड़ोस के अन्य प्रदेश भी मिलने लगे। पश्चिम में ब्रह्मावतं (सरस्वती तथा दृपद्वती के बीच) तथा पूर्व में पूरे अन्तर्बंद (गंगा-यमुना के बीच) के मिल जाने से 'मध्यदेश' का बनना प्रारंभ हो गया।'<sup>9</sup> इस प्रकार आर्यों की साम्प्रतिक एकाता की आधारशिला पर प्रतिष्ठित तीसरी भौगोलिक इकाई का निर्माण हुआ, जिसे 'मध्यदेश' जमी लोक प्रसिद्ध सजा दी गयी। पूर्ण विकसित मध्यदेश की वास्तविक सीमाएँ मनुस्मृति में इस प्रकार दी गई हैं

'हिमवद् विन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विनशनादपि।

प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशा प्रकीर्तित ॥'—मनु० 2-21

(हिमालय तथा विन्ध्य के मध्य पश्चिम में विनशान (सरस्वती के मरुभूमि में अदृश्य हो जाने का बीकानेर का प्रदेश) से लेकर पूर्व में प्रयाग तक का सम्पूर्ण भू-भाग मध्यदेश कहा जाता है।)

मनुस्मृति द्वारा निर्दिष्ट मध्यदेश की इस सीमा का महत्व आज भी बना हुआ है। प्रायः सभी परवर्ती ग्रन्थकारों के द्वारा इसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध घोषित की गयी है। मध्यदेश के सन्दर्भ में विचार करते समय विद्वानों के द्वारा मनुस्मृति में कथित मध्यदेश की सीमा सम्बन्धी इन मान्यता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चर्चा न की जाय, असंभव है। वस्तुस्थिति तो यह है कि भारतीय वाङ्मय में जहाँ भी मध्यदेश की चर्चा हुई है, वहाँ इस मान्यता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है।<sup>10</sup> किसी वस्तु विशेष के सम्बन्ध में प्रतिपादित मान्यता की महत्ता इससे अधिक और क्या हो सकती है?

मध्यदेश के निर्माणकाल तक आर्यों की सस्कृति सदान्तीरा<sup>9</sup> नदी तक पहुँच चुकी थी। भौगोलिक विकास की दो मजिलें (ब्रह्मावतं, ब्रह्मर्षि देश) पार कर चुकने एवं तीसरी (मध्यदेश) में प्रतिष्ठित होने के बावजूद विकासीन्मुखी यह सस्कृति मध्यदेश तक ही सीमित न हो सकी। यह एक ही छलाग म सदान्तीरा के उस पार पहुँच गयी और क्रमशः उसने मिथिला, अंग और मगध में अपने आगमन का संदेश देती हुई महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त की। अतः सस्कृति के इस भौगोलिक विकास के साथ मध्यदेश की सीमा में भी विकास हुआ, जिसके संकेत बौद्ध साहित्य में देखे जा सकते हैं। महावग्ग के अनुसार पूर्व में कज्जल<sup>10</sup> के आगे महासाल के वन (अर्थात् विहार की पूर्वी सीमा) पूर्व-दक्षिण में सलसवती<sup>11</sup> नदी, दक्षिण में सेत कणिक<sup>12</sup>, पश्चिम में धूण<sup>13</sup> तथा उत्तर में उसीरध्वज<sup>14</sup> पर्वत तक के विस्तृत भू-भाग को मज्जिमदेश (मध्यदेश) माना





देश ब्रह्मावर्त का विखसित रूप है और मध्यदेश ब्रह्मापि देश का, ठीक उसी प्रकार हिन्दी प्रदेश मध्यदेश का विखसित स्वरूप है और इसे इसी रूप में मानना समीचीन है।

### मध्यदेश का महत्त्व

मध्यदेश का महत्त्व

इस प्रदेश में प्रज्वलित हुई उसके प्रवाहमान एवं अग्निक प्रकाश से आज तक भारत भूमि का प्रत्येक प्रान्त, उसका हर एक कण प्रकाशित होता चला आ रहा है, इतना ही नहीं इसने विश्व में भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। यों तो यह प्रदेश प्रत्येक दृष्टि से महानता का मूर्तरूप रहा है किन्तु इसकी महत्ता के प्रमुख आधार दो हैं प्रथम, इसकी अखण्डित सांस्कृतिक परम्परा और द्वितीय, महती भाषा परम्परा।

आर्यों एवं अनार्यों के सम्मिलन से आविर्भूत मध्यदेशीय सस्कृति का सर्वप्रथम प्रसार सम्पूर्ण आर्यावर्त में हुआ। धीरे-धीरे इस सस्कृति ने विन्ध्यमेखला का अतिश्रमण कर अपना प्रचार-प्रसार दक्षिणापथ में प्रारम्भ किया और कालान्तर में यही सस्कृति अपने पूर्ण विखसित स्वरूप (जिसमें आर्योत्तर अनेक जातियों की सस्कृति का समावेश हो गया था) के साथ सम्पूर्ण भारत की एकता को द्योतित करने वाली सिद्ध हुई। इस प्रकार बीज रूप में उत्पन्न इस मध्यदेशीय सस्कृति का सम्पूर्ण भारत में एकछत्र साम्राज्य स्थापित हो गया और इसकी जन्म भूमि मध्यदेश की महानता के संदेश से समस्त उत्तरा एवं दक्षिणापथ मुखरित हो उठा। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था, जब मध्यदेशीय सस्कृति चिरकाल से भिन्न-भिन्न दिशाओं में गतिशील भारतीय जीवन को एकता के सूत्र में बाँधने में पूर्ण समर्थ हुई। सम्पूर्ण भारतवर्ष हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एवं पूर्वी समुद्र तट से लेकर पश्चिमी समुद्र तट तक सांस्कृतिक एकता की भौगोलिक इकाई के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार इस मध्यदेशीय सस्कृति ने अपनी ही नहीं, बल्कि अपनी जन्मभूमि मध्यदेश की महानता एवं उसकी प्रतिष्ठा को सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रतिष्ठित किया। इस संदर्भ में डा० चटर्जी का यह कथन द्रष्टव्य है

‘मध्यदेश वास्तव में भारत का हृदय एवं जीवन संचालन का केन्द्र स्थान था। यहाँ के निवासियों के हाथ में एक तरह से, अखिल भारतीय ब्राह्मणीय सस्कृति का प्राथमिक सूत्रपात था, तथा हिंदू जगत के पवित्रतम देश के रूप में मध्यदेश

की महत्ता सर्वत्र सर्वमान्य थी ।<sup>20</sup>

अपेक्षाकृत काफी परिवर्तित वर्तमान भारतीय जीवन की सामाजिक गति-विधियों का यदि सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया जाय, तो भारतीय सस्कृति की चिरकाल से चली आती हुई वह अखंड परम्परा दिखायी पड़ेगी जो आज भी भारतीय नागरिकों को एकता के रंग में डुबोये हुए है। सारांश यह कि भारतीय सस्कृति, जो मध्यदेशीय सस्कृति का विकसित रूप है, जन्मकाल से लेकर आज तक मध्यदेश की गरिमा एवं उसकी महत्ता का महत्त्वपूर्ण आधार रही है। भारतीय वाङ्मय में मध्यप्रदेश की प्रशस्ति का जो गान समय-समय पर होता रहा है उसका बहुत कुछ भाग उसकी इस सांस्कृतिक परम्परा से अनुप्राणित है।

### मध्यदेशीय भाषा परम्परा

मध्यदेश की रूपाति का आधार किसी माने में सस्कृति से कम महत्त्वपूर्ण उसकी सशक्त भाषा-परम्परा नहीं है। भारतीय वाङ्मय में मध्यदेश के महत्त्व एवं वैभव का समय-समय पर जो उल्लेख हुआ है,<sup>21</sup> उसके प्रकाश में इस कथन की प्रामाणिकता देखी जा सकती है

‘एतदेश प्रसूतस्य सवाशादप्रजन्मन ।

स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्पृथिव्यां सर्वं मानवा ॥’

इस कथन के रूप में मनु के द्वारा की गई इस प्रदेश की प्रशस्ति का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, साथ ही इसमें सत्कालीन सत्य को उद्घाटित करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। आर्यावर्त के केन्द्र में स्थित होने के कारण इस प्रदेश की भाषा को सदैव प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है। प० विनयमोहन शर्मा के शब्दों में ‘राम और वृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण मध्यदेश अखिल भारत का धार्मिक केन्द्र है। अतएव प्रत्येक प्रायः जनता का उससे संपर्क चला आ रहा है। स्वभावतः वहाँ जो भी लोकभाषा प्रचलित रही, वह समस्त राष्ट्र के व्यवहार की भाषा बन गई। धार्मिक कारणों के अतिरिक्त आर्थिक और राजकीय कारणों से भी मध्यदेश की भाषा को सर्वव्यापकता प्राप्त हुई।’<sup>22</sup>

वैदिक युग से लेकर आज तक भाषा-प्रसार की दृष्टि से मध्यदेश का प्रमुख विकासोन्मुख रहा है। मध्यदेश की परिनिष्ठित भाषाएँ—क्रमानुसार सस्कृत, पालि, पौराणी प्राकृत, नागर अपभ्रंश, ब्रज एवं लघी बोली अपने-अपने समय में अखिल भारतीय जन-संपर्क की भाषा के गौरवमय पद की सुनीभित करती रही हैं। सस्कृत भारतीय धर्म भाषाओं में विकास की प्रथम और सर्वसे महत्त्वपूर्ण बड़ी है। मध्यदेश की यह भाषा देववाणी नाम से भारत ही नहीं, विश्व के एवाधिग देशों में सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित रही है। ‘हिमालय से मनुष्य तक,

सारे भारतवर्ष के धर्म, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा आदि विषयों की भाषा कुछ सी वर्ष पहले तक एक ही रही है। यह भाषा संस्कृत थी। भारतवर्ष का जो कुछ रक्षणीय है वह इस भाषा के भंडार में संचित किया गया है। इसके लक्षाधिक ग्रंथों के पठन-पाठन और चिंतन में भारतवर्ष के हजारों पुस्तक तक के करोड़ों सर्वोत्तम मस्तिष्क दिन-रात लगे रहे हैं और आज भी लगे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि ससार के किसी देश में, इतने काल तक, इतनी दूर तक व्याप्त, इतने उत्तम मस्तिष्कों में विचरण करने वाली कोई भाषा है या नहीं, शायद नहीं।<sup>23</sup> डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपर्युक्त बयान संस्कृत भाषा की महानता का यथार्थ चित्र उपस्थित करता है। वस्तुतः संस्कृत भारत की अमरवाणी है जो भारतीय संस्कृति का पावन सदेश युग युग से देती चली आ रही है।

पालि भी संस्कृति की भाँति अपने जमाने की अखिल भारतीय विचार-संपर्क की भाषा रही है और साथ ही इसने प्रशासनिक पदों में भी सुशोभित किया है। बौद्ध धर्म और साहित्य का माध्यम होने के कारण इसने प्रायः समस्त एशिया के उन देशों में, जहाँ-जहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त की। आगे चलकर शौरसेनी प्राकृत ने अपने दोनों रूपों (महाराष्ट्री एवं शौरसेनी) में समस्त भारत की साहित्यिक एवं जन-संपर्क की भाषा की भूमिका का निर्वाह किया। शौरसेनी प्राकृत के विषय में नाट्यशास्त्र की यह उक्ति द्रष्टव्य है

‘सर्वास्वेव हि शुद्धासु जातिषु द्विजसक्षमा ।

शौरसेनी समाहित्य भाषा काव्येषु योजयेत् ॥’<sup>24</sup>

शौरसेनी प्राकृत के बाद अखिल भारतीय रंगमंच पर जिस भाषा ने पदार्पण किया वह पश्चिमी या नागरी अथवा शौरसेनी अपभ्रंश थी। साहित्य के क्षेत्र में अपने जमाने में इस भाषा का एकछत्र राज्य रहा है। जैन, बौद्ध, हिंदू आदि सबने अपने धर्म, साहित्य एवं संस्कृति आदि के माध्यम के रूप में इसे स्वीकार किया। यह भाषा अपने समय में राजभाषा पद पर अधिष्ठित थी।

ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास मध्यदेश की जनभाषा के रूप में जिन भाषाओं का विकास हुआ उनमें ब्रज एवं खड़ी बोली का विशेष महत्त्व है। मुसलमानी आक्रमण काल में ये दोनों भाषाएँ अपनी विशोकावस्था में थीं। अपेक्षाकृत अनुकूल परिस्थितियों के योग से ब्रजभाषा ने उत्तर भारत की साम्प्रतिक एवं प्रशासनिक भाषा के रूप में सामंती दरबारों में मान्यता प्राप्त की।<sup>25</sup> आगे चलकर मध्य युग के भक्ति आन्दोलन के प्रमुख माध्यम के रूप में इसने अपनी पवित्रता एवं मधुरता का परिचय दिया तथा मध्यदेश की प्राचीन परिनिष्ठित भाषाओं की परंपरा का पालन करती हुई समस्त भारत में जन-सम्पर्क की भाषा का बड़ी सफलता के साथ प्रतिनिधित्व किया। मुस्लिम शासन के प्रारंभ से अतः तक ब्रज-भाषा राजभाषा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित रही

और खड़ी बोली कभी उत्तर और कभी दक्षिण में घूमती रही। मुस्लिम शासन के अंत में खड़ी बोली के राष्ट्रव्यापी स्वरूप की झाकी दिखाई देने लगी। स्वाधीनता सघर्ष में इसने अपूर्व राष्ट्रीयता का परिचय दिया और दीर्घकालीन स्वातंत्र्य संग्राम में राष्ट्रीय सेनानियों की अमूल्य सेवा की। अततोगत्वा सन् 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ अखिल भारतीय जन सम्पर्क की भाषा की पूर्ण भूमिका के साकार रूप में खड़ी बोली ने स्वतः राष्ट्रभाषा का अपूर्व पद प्राप्त किया और सन् 1950 में इसे भारतीय संविधान के द्वारा भारत जैसे राष्ट्र की राजभाषा का पद प्रदान किया गया। तब से लेकर यह आज तक सांविधानिक रूप से राजभाषा और व्यावहारिक रूप में राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित है।

वस्तुतः मध्यदेश की परिनिष्ठित भाषाओं की अपनी एक महनीय परम्परा है, जिसके आदर्श का पालन संस्कृत से लेकर खड़ी बोली तक की सभी भाषाओं ने अपनी परिस्थितियों के मध्य यथासामर्थ्य किया है और समस्त भारत में मध्यदेश की महत्ता को एक-सा कायम रखने में अपनी मूलभूत असीम शक्ति एवं गरिमा का परिचय दिया है।

### भारतीय आर्य भाषाएँ और मध्यदेश

प्राचीन आर्यों की भाषाओं का क्या स्वरूप था? इसकी जानकारी हासिल करना मुश्किल है। कारण यह कि आर्यों की उन भाषाओं में निबद्ध साहित्य का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। आर्य जाति का जो सबसे प्राचीन साहित्य उपलब्ध है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्यों की जिस संस्कृति का दर्शन होता है उसे उनकी संस्कृति का प्रथम सोपान नहीं कहा जा सकता। ऐसा मालूम होता है कि यह संस्कृति हजारों हजार वर्ष पूर्व से चली आती हुई आर्यों की संस्कृति का अतिविकसित परिनिष्ठित स्वरूप है। अब ऋग्वेद की भाषा को आर्यों की आदिम भाषा का साहित्यिक रूप मानना उपयुक्त नहीं होगा। किंतु वैदिक युग के पूर्व की भाषा के साक्ष्य के अभाव में भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास को वैदिक युग से ही प्रारंभ करना पड़ता है। वैदिक युग से आज तक की भारतीय आर्य भाषाओं का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वह उनका बोलचाल अर्थात् लोकभाषा का रूप न होकर साहित्यिक रूप है। अतः विद्वत्समाज के मध्य इस बात पर विवाद चलता आ रहा है कि छादस, संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाएँ लोक भाषाएँ रही हैं अथवा नहीं। अतः यह आवश्यक है कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने से पूर्व इन्हीं भाषाओं की पृष्ठभूमि में साहित्यिक भाषा की आधारशिला और उसके विकास के सैद्धांतिक पक्ष की सक्षिप्त चर्चा कर ली जाय।

क्षेत्र में आज की खड़ी बोली है। आज खड़ी बोली हिंदी प्रदेश की परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा है और भोजपुरी, मगही आदि बोलचाल की लोक भाषाएँ हैं। ठीक इसी प्रकार से छादस्, सस्वृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के समय में भी लोक भाषाएँ रही होंगी। इन साहित्यिक भाषाओं के जमाने में लोक भाषाएँ भी थीं, यह विद्वानों द्वारा मान्य है।<sup>51</sup> भोजपुरी लगभग उन्नीसवीं शताब्दी तक मात्र बोलचाल की भाषा रही है। आज यह साहित्यिक भाषा की ओर बढ़ रही है। इसमें लोकगीतों एवं साहित्य की परंपरा चल पड़ी है। मान लिया जाय कि यह पच्चीसवीं शताब्दी तक पहुँचते-पहुँचते पूर्ण साहित्यिक भाषा हो जाती है और इसका एक परिनिष्ठित व्याकरण भी बन जाता है। यह भी स्वाभाविक है कि भोजपुरी का जो व्याकरण निर्मित होगा, वह कुछ न कुछ आज की परिनिष्ठित खड़ी बोली के व्याकरण से प्रभावित अवश्य रहेगा। व्याकरण सबंधी समानता एवं उन्नीसवीं शताब्दी तक भोजपुरी में साहित्य के अभाव को पावर यदि उस समय (पच्चीसवीं शताब्दी) के विद्वान् यह कहना प्रारंभ करें कि भोजपुरी की उत्पत्ति खड़ी बोली से हुई है, तो यह कथन कितना तथ्यहीन होगा। ठीक यही बात छादस् से सस्वृत, सस्कृत से प्राकृत की उत्पत्ति मानने वाले सिद्धांत पर भी लागू होती है और 'प्रादेशिक अपभ्रंश की राह से होती हुई प्राकृतों, परिवर्तित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ बन गई थी।'<sup>52</sup> डॉ० चटर्जी के इस कथन पर भी वस्तुतः सर्वप्रथम लोकभाषा से वैदिक भाषा की उत्पत्ति हुई। जब लोकभाषा और वैदिक भाषा में दूरी काफी बढ़ गई, तब पुनः लोकभाषा से साहित्यिक सस्वृत का जन्म हुआ। आगे चलकर पाणिनि के द्वारा व्याकरण के नियमों में जकड़े जाने पर सस्वृत की गति भद हो गई और लोकभाषा पुनः आगे बढ़ी, जिससे अनेक प्राकृतों का जन्म हुआ। इसी क्रम से लोक भाषाओं की आधार-शिला पर अपभ्रंश एवं नव्य भारतीय आर्य भाषाओं ने जन्म लिया।

साहित्यिक भाषाओं की उत्पत्ति सबंधी इस सैद्धांतिक विवेचना के प्रकाश में भारतीय आर्य भाषाओं के ऐतिहासिक विकास पर यदि दृष्टिपात किया जाय, तो ज्ञात होगा कि समय की दृष्टि में इन आर्य भाषाओं का स्पष्ट विभाजन करना बहुत मुश्किल है। कारण यह कि एक साहित्यिक भाषा के विकास के मध्य, समय के किम बिंदु पर दूसरी साहित्यिक भाषा प्रकाशित होने लगी थी, नहीं कहा जा सकता। जैसे अनवरत गति में प्रवाहित सागर की चंचल लहरों के मध्य किसी भी लहर की ठीक-ठीक विकास-रेखा अथवा आयु-सीमा अंकित नहीं की जा सकती, वैसे ही भारतीय आर्य भाषाओं की क्रमबद्ध परंपरा में कब एक साहित्यिक भाषा उत्पन्न होती है और कब तक जीवित रहती है तथा उसी के जीवन काल के मध्य कब दूसरी (उत्तरवर्ती) साहित्यिक भाषा उत्पन्न हो जाती है, इसका सही-सही लेखा जोगना भी नहीं लगाया जा सकता। इन कठिनाइयों के बावजूद भारतीय

आर्य भाषाओं को समय की दृष्टि से निम्नांकित तीन वर्गों में विभक्त किया गया है, यह वर्गीकरण काफी स्थूल होते हुए भी सौ-दो सौ वर्षों के हेर फेर के साथ सभी विद्वानों को मान्य है

- 1 प्राचीन भारतीय आर्यभाषा (प्रा० भा० आ० भा०)—1500 ई० पू० से 500 ई० पू० तक ।
- 2 मध्य भारतीय आर्यभाषा (म० भा० आ० भा०)—600 ई० पू० से 1000 ई० तक ।
- 3 नव्य भारतीय आर्यभाषा (न० भा० आ० भा०)—1000 ई० से आज तक ।  
प्रा० भा० आ० भा० समूह की प्रमुख भाषाएँ दो हैं—प्रथम वैदिक और द्वितीय संस्कृत ।

### वैदिक

आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा का जो नमूना मिलता है, वह है ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा । जो तो भारतीय आर्यों की धार्मिक परंपरा के अनुसार ऋग्वेद लाखों वर्ष पुराना ग्रंथ माना जाता रहा है, किंतु भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से ऋग्वेद का प्रारंभिक रचना काल ईसवी पूर्व दूसरी सहस्राब्दी से पहले मानना वांछित नहीं । धार्मिक परंपरा के इस कथन में सत्य का अंश चाहे जितना भी हो, परंतु इतना तो निर्विवाद है कि विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथों में ऋग्वेद का प्रमुख स्थान है । भाषा वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार ईसवी पूर्व 1500 के आसपास बोली जाने वाली भाषा के आधार पर ऋग्वेद की रचना प्रारंभ हो गई थी । 'ऋग्वेद के मंत्रों को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसकी रचना न एक समय में हुई है और न एक स्थान में । वह कई शताब्दियों और कई स्थानों की रचना है ।'<sup>33</sup> डा० श्याम सुन्दर दास के शब्दों में 'इसकी ऋचाओं की रचना भिन्न-भिन्न समयों और भिन्न भिन्न स्थानों में हुई है । किसी में काश्या में बसने वाले आर्य समूह के राजा दिवोदास का उल्लेख है और किसी में सिंधु नदी के किनारे बसे हुए आर्यों के राजा सुदास का ।... साथ ही कुछ मत्स्य कथार में रचे गये हैं, कुछ सिंधु के किनारे और कुछ यमुना तटों पर ।'<sup>34</sup> ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ ऐसी हैं जिनकी भाषा अपेक्षाबद्धत काफी सरल और सुबोध है तथा कुछ ऐसी हैं जिनकी भाषा बहुत प्रौढ़ एवं प्राज्ञ है ।

ऋग्वेद की भाषा किस प्रदेश-विशेष की भाषा थी ? इस सदर्भ में डा० शिवप्रसाद सिंह की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं

'ऋग्वेदिक भाषा उस आर्य प्रदेश की भाषा है जिसकी सीमा सुदूर पश्चिमोत्तर की कुशा और स्वात नदियों में लेकर पूरव में गंगा तक फैली थी । ऋग्वेदिक मंत्रों

का बहुत बड़ा हिस्सा सप्तसिंधु या पचनद के प्रदेश में निर्मित हुआ।... किन्तु ऋग्वेद के अंतिम मंडलों के मंत्र निःसंदेह गंगा-यमुना के काठे में बसे हुए आर्यों द्वारा निर्मित हुए हैं, जिन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना की। इसके साहित्य की क्रमबद्ध किया और उत्सव पर्वों के अनुसार मंत्रों को विभक्त किया।<sup>33</sup>

इस प्रकार ऋग्वैदिक भाषा की विकास-रेखा 1500 ई० पू० से 1000 ई० पू० तक यानी 500 वर्षों की एक लंबी अवधि के मध्य विस्तृत है।<sup>34</sup>

ऋग्वेदोत्तर साहित्य से वैदिक भाषा की दूसरी स्थिति का परिचय मिलने लगता है। 'इसका काल—देश भाषा शास्त्री साक्ष्य के आधार पर 1000 और 800 ई० पू० का उत्तर-पश्चिमी मध्यदेश निश्चित किया जा सकता है।'<sup>35</sup> इस समय तक आर्य सत्ता और भाषा पूर्व में गंगा यमुना के दोआब तक व्याप्त हो गई थी। इसके बाद आर्यों का प्रसार दक्षिण और पूर्व दोनों दिशाओं में होने लगा था। पूर्व और दक्षिण में रहते हुए भी शिष्ट और ब्राह्मण समाज अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के लिए पश्चिम से प्रेरणा प्राप्त करता था किन्तु वह अनार्य प्रभावा से भी अपने को नहीं बचा पा रहा था। अतः समय की गति के साथ वैदिक भाषा परिवर्तित होती चली जा रही थी। इस प्रकार के विकासोन्मुखी साहित्यिक भाषा के दर्शन ऋग्वेद संहिता के अतिरिक्त अन्य वैदिक संहिताओं (यजु संहिता, साम-संहिता, अथर्व-संहिता), ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् ग्रंथों आदि में होते हैं।

वेदों की तुलना में ब्राह्मण ग्रंथों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना मुख्यतः गद्य में हुई है। इसलिए उनके द्वारा वाक्य रचना की तद्दुर्गोचर प्रणाली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार की सुविधा ऋग्वेद आदि ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है। कारण यह कि ब्राह्मण ग्रंथों के पूर्ववर्ती प्रायः सभी वैदिक साहित्य की रचना मुख्यतः छन्दोबद्ध रूप में हुई है। अतः छन्द के अनुरोध से शब्दों के क्रम में परिवर्तन का होना स्वाभाविक हो गया है। पूरी की पूरी ऋग्वेद संहिता शब्दों में आवद्ध है। इसलिए ऋग्वेद को छान्दस् की भी सजा दी गई है और उसकी भाषा को छान्दस् कहा गया है। छान्दस् शब्द अब इतनी महत्ता प्राप्त कर चुका है कि संपूर्ण वैदिक भाषा के पर्याय रूप में व्यवहृत होने लगा है।

निष्कर्ष यह कि मोटे तौर पर वैदिक भाषा का विकास 1500 ई० पू० से 800 ई० पू० के मध्य हुआ है। मोटे तौर पर कहने का तात्पर्य यह है कि वैदिक भाषा की उत्पत्ति एवं विकास जिस लोकभाषा के सहारे हुआ होगा, वह ई० पू० 1500 के बहुत पहले से समाज में बोलचाल के रूप में रही होगी और दूसरी तरफ ई० पू० 800 के बाद भी संस्कृत की उत्पत्ति एवं विकास के साथ साथ कई शताब्दियों तक वैदिक भाषा की गतिविधियों का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

यह भाषा लोकोभाषा पर आधारित एक विकासोन्मुखी साहित्यिक भाषा रही है, जिसके उत्तरोत्तर विवसित स्वरूप की झांकी ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों आदि तक देखी जा सकती है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम समय और देश की विभेदना से अनुप्राणित ऋग्वेद की भाषा छान्दसू के विवसित विविध स्वरूपों के दर्शन होते हैं और तत्पश्चात् ऋग्वेदोत्तर साहित्य के रूप में वैदिक भाषा की प्रभावशालिनी एवं अनवरत गति से प्रवाहित धारा की रमणीयता दिखाई पड़ती है।

### संस्कृत

ऋग्वेद से लेकर उपनिषद् अथवा सूत्रग्रन्थों आदि वेदांगों में प्रयुक्त वैदिक भाषा के पश्चात् साहित्यिक मंच पर जिस भाषा ने पदार्पण किया, वह थी संस्कृत। भारतीय आय भाषा के ऐतिहासिक विकास के मध्य समय के एक निश्चित बिंदु में संस्कृत के उद्भव एवं उसके विकास की रूपरेखा नहीं खींची जा सकती। किंतु इतना तो निर्विवाद रूप में कहा जा सकता है कि महर्षि पाणिनि के समय (ई० पू० 500 के लगभग) तक संस्कृत भाषा पूर्ण रूप से प्रकाश में आ चुकी थी, जिसके जनपदीय वैविध्य को दूर करने एवं उस एक सर्वमान्य परिनिष्ठित भाषा का स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी जैसे व्याकरण ग्रन्थ का निर्माण किया। अतः संस्कृत की उत्पत्ति ई० पू० पाचवीं शताब्दी से पहले मानना ही उपयुक्त होगा। प्रायः अधिकांश विद्वानों ने भी इसकी उत्पत्ति का सम्भावित समय ई० पू० आठवीं शताब्दी स्वीकार किया है। डा० वा० राम स्वप्नेना के शब्दों में 'वैदिक साहित्यिक भाषा जब लोकभाषा से अधिक भिन्न हो गई, तब ईसा के पूर्व सातवीं आठवीं सदी में वैदिकोत्तर संस्कृत भाषा साहित्य में लाई गई, जिसको पाणिनि के समय कठोर नियमों से जकड़ा गया।'<sup>31</sup>

संस्कृत भाषा के प्रकाशित होने के पूर्व वैदिक साहित्य में प्रयुक्त भाषा के अनिश्चित मान्य लोक भाषाएँ तीन रहीं हैं उदीच्य, मध्यदेशीय एवं प्राच्य। डा० चटर्जी ने उदीच्य भाषा को, जो पश्चिमोत्तरी (सप्तसिन्धु) प्रदेश की भाषा थी, संस्कृत का आधारभूत भाषा माना है। उनका स्पष्ट बयान है कि 'उसके तथा उसकी भाषा में सौभाग्य से इसी समय एक महान् व्याकरण का पश्चिमोत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, जहाँ के जन साधारण की बोलियाँ भी अब तक 'छान्दस' तथा 'ब्राह्मण' रूप के ध्वनि विज्ञान तथा व्याकरण की दृष्टि से भी इतनी निकट थी कि उनमें भिन्न प्रतीत न होकर केवल उनका एक लौकिक या प्रचलित रूप बनी हुई थी। इस लौकिक रूप पर भी स्थानीय जनभाषाओं की शब्दावली तथा मुहावरों का प्रभाव पड़ चुका था। पाणिनि का जन्म गांधार में शालातुर (आधुनिक अटक नगर के समीप लाहौर या लाहौर) गाँव में हुआ था, तथा उसकी जिज्ञा तक्षशिला में हुई थी। ये दोनों ही स्थान उदीच्य प्रदेश में हैं।—अपने व्याकरण से उसने



योलियो पर आधारित या और मध्यदेश, पूर्व तथा दक्षिण के भी अल्प ग्राहण जगत् ने इस सहर्ष स्वीकार कर लिया।<sup>39</sup>

डा० चटर्जी की इन मान्यता का अनुमोदन डा० उदय नारायण तिवारी, डा० हरिवंश कोछड़ प्रभृति विद्वाना ने भी किया है और उदीच्य को संस्कृत की जन्म-दात्री भाषा माना है।<sup>40</sup> डा० तिवारी ने तो स्पष्ट लिखा है कि 'पाणिनि तक्षशिला के समीप शालातुर के निवासी थे, औदिक्य होने के कारण वह सिष्ट समाज में, आदर्श रूप में स्वीकृत उदीच्य से पूर्ण परिचित थे। इन बातों में स्पष्ट प्रतीत होता है कि पाणिनि के व्याकरण की आदर्श भाषा 'उदीच्य' भाषा थी।<sup>41</sup>

वित्तु हमें ज्ञात है कि ई० पू० 800 तक आर्य सत्ता एवं उसकी भाषा पूर्व में गंगा-यमुना के दाआवे तक व्याप्त हो गई थी। आर्य संस्कृति का विकास धीरे-धीरे पूर्व दक्षिण की ओर होता चला जा रहा था। इतना ही नहीं बल्कि आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्य संस्कृति का प्रमुख केन्द्र बन चुका था। इस बात की प्रामाणिकता स्वतः डा० तिवारी के निम्नलिखित कथन द्वारा भी सिद्ध होती है 'यजुर्वेद महिता तथा प्राचीन ग्राह्यण ग्रंथों के प्रणयन के समय मध्यदेश (गंगा-यमुना का अन्तर्देश प्रदेश) आर्य संस्कृति का केन्द्र बन चुका था।'<sup>42</sup>

अतः शालातुर के निवासी पाणिनि के जन्म स्थान के आधार पर पाचवी सताब्दी के आसपास साहित्यिक मंच पर आसीन होने वाली संस्कृत भाषा को सुदूर पश्चिमोत्तर सप्तसिंधु प्रदेश की भाषा मानना उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। संस्कृत भाषा किस प्रदेश विशेष की भाषा थी, इस संबंध में डा० गिव प्रसाद सिंह का यह कथन द्रष्टव्य है. 'लौकिक संस्कृत का अभ्युदय तगभग उमी प्रदेश में हुआ जिसमें कालान्तर में हिंदुस्थानी का जन्म हुआ, अर्थात् पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश।'<sup>43</sup> डा० देवेन्द्र कुमार जैन के निम्नलिखित कथन से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है

'इस प्रकार भाषा का एक रूप छान्दस तथा आर्य था। यह भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम तथा साहित्यिक रूप है। दूसरा रूप मध्यदेश का था। यह व्यवहार का माध्यम था। यह अपेक्षाकृत नया रूप था, जिसमें मध्यदेश और पूर्वी प्रादेशिक भाषाओं का यथेष्ट प्रभाव था। यह भाषा शिक्षण, धार्मिक कर्मकांड और दार्शनिक चिंतन के लिए प्रयुक्त होती थी।'<sup>44</sup>

इन विद्वानों की यह मान्यता आर्यों की भाषा एवं संस्कृति के 'प्रमिक्' क्षेत्रीय

विकास के अनुरूप है। अन सस्कृत भाषा की जन्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब का पूर्वी प्रदेश अर्थात् मध्यदेश मानना ही उपयुक्त है, सप्तसिंधु प्रदेश नहीं।

सस्कृत भाषा का प्रसार, उसकी व्यापकता एवं महत्त्व

समय की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके अनुसार सस्कृत का समय ई० पू० पाचवीं सदी ठहरता है। किन्तु सस्कृत भाषा और उसके साहित्य की अखण्डित परंपरा तीन शताब्दी बाद महीं पतजलि के समय से प्रारंभ होती है। यह वह समय था, जब ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के  
नियमों से परि-  
पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित  
हाने लगा था। यद्यपि  
साहित्यिक व्यक्तित्व को सीमा विशेष नही बाधा जा सकता, किन्तु यदि हम  
भारत के प्राचीन इतिहास के साथ सस्कृत के इतिहास का धारावाहिक अध्ययन  
करें तो स्पष्ट होगा कि सस्कृत के अनेक कवियों की उत्पत्ति

प्रमां साम्राज्य विदोप इतिहास के नभामंडल में चमका तब-तब सस्कृत साहित्य के  
समुद्र में ज्वार आया, कवियों और पंडितों ने अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय  
दिया।<sup>146</sup> यो ती आर्य जाति एवं उसकी सस्कृति विकास के साथ जन्म से ही  
सस्कृत भाषा का प्रचार एवं प्रसार हो रहा था, किन्तु इसकी वास्तविक उन्नति  
मौर्यकाल के अन्त से प्रारंभ होती है।<sup>147</sup> गुप्तवंशीय राजाओं के शासनकाल से लेकर  
लगभग ईसा की दसवीं सदी तक सस्कृत की उन्नति होती रही।

मौर्यवंशी राजाओं के शासनकाल में सस्कृत की अपेक्षा लोकभाषाओं को विदोप प्रथम मिला था। किन्तु शासन की बागडोर गुप्तवंशी राजाओं के हाथ में आने पर सस्कृत को पुन राजभाषा के पद पर एकाधिकार प्राप्त हुआ। इस भाषा न भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति का एक मात्र माध्यम बल्कि राजभाषा एवं अखिल भारतीय सर्वक भाषा के उत्तरदायित्व का एक साथ निर्वाह करना आरंभ किया। इस समय जितना उपयोगी धार्मिक एवं ललित साहित्य सस्कृत में लिखा गया, सभ्यत उतना कई शताब्दियों के मध्य विश्व की किसी भाषा में नहीं। यह वह समय था, जिसमें कविकल गुरु कानिकाय कले गगने

लेखनी का  
 की समन्वय

स पूव एव उत्तर स दक्षिण तक सर्वत्र छा गयी। दक्षिण में द्रविड प्रदेश पर भी

आगे चलकर उन्हे भी सस्कृत की आतरिक शक्ति के समक्ष झुकना पडा। आज भी जैनों एव बौद्धों की ऐसी अनेक कृतिया उपलब्ध है, जिनमें सस्कृत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात् कान्यकुब्ज और बलभी (गुजरात) दो ऐसे साहित्यिक केन्द्र प्रकाशित हुए, जहा पर सस्कृत की विशेष प्रतिष्ठा हुई। बलभी का साम्राज्य मूर्य कुछ ही दिनों में अस्त हो गया, किंतु कान्यकुब्ज का केन्द्र बाण (7वीं सदी) से लेकर नैपथकार श्री हर्ष (12वीं सदी) तक शिक्षा और साहित्य

लगा था। प्रशासनिक कार्यों में सस्कृत की अपेक्षा लोकभाषा को विशेष महत्व दिया जाने लगा था। सस्कृत अखिल भारतीय सर्क भाषा, मुख्यतः राजभाषा के

12वीं सदी तक चलता रहा। कभी देश के उत्तर और कभी दक्षिण भाग में छोटे-बड़े एकाधिक केन्द्र प्रकाशित होते रहे, जहा पर सस्कृत की प्रतिष्ठा बनी रही।

भारतीय  
रा, हा,  
है।

वस्तुतः सस्कृत  
पूर्ण बडी है, जिसे डा  
सांस्कृतिक एवता की  
समस्त भारत को देते हुए भारत के कण-कण से अपना अनुराग प्रकट किया और  
तदतर विश्व के रंगमंच पर पहुँचकर अपनी प्रतिभा एव असीम आतरिक शक्ति  
का परिचय दिया, जिसके आलोक में विश्व अपने वास्तविक स्वरूप को देखने में  
समर्थ हुआ।<sup>19</sup> डा० विटरनिरज ने लिखा है कि 'यदि हम अपनी सस्कृति के  
प्रारंभिक दिनों की अवस्था को जानने की इच्छा रखते हों, यदि हम सबसे पुरानी  
भारतीय मस्कृति को समझना चाहते हों तो हमें भारत की धरण लेनी पडेगी,

जहाँ एक भारोपीय जाति का प्राचीनतम साहित्य सुरक्षित है।<sup>10</sup> डा० विटरनित्ज जैसे विद्वान् का यह कथन इस भाषा के वास्तविक महत्त्व का परिचायक है।

यद्यपि संस्कृत का महान साहित्य संपूर्ण भारत के सम्मिलित प्रयास का फल है, वित्तु उसका निजी केंद्र मध्यदेश ही रहा है। अतः संस्कृत-साहित्य के द्वारा सामान्यतः पूर्ण भारत और विश्वगत मध्यदेश के विगत ढाई-तीन हजार वर्षों के मानसिक, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विवास का परिचय प्राप्त होता है। डा० भोलाशंकर व्यास के शब्दों में 'संस्कृत साहित्य वह दृढ़ आधारशिला है जिस पर भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की अट्टालिका खड़ी है। यह वह अध्वयद्रोण है जिसका उपयोग सभी प्राचीन भाषाओं और साहित्यों ने किया है। संस्कृत साहित्य की सम्यक्ता मूलतः ब्रह्मावर्त की सम्यक्ता है जिसने अपना क्षेत्र प्रसार कर हिमालय से सेतु तक और रत्नाकर से महोदधि तक के समस्त भारतवर्ष की एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्रीय एकता स्थापित की।'<sup>11</sup>

साहित्य शब्द के व्यापक अर्थ में धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान सबधी जितने भी विषय हो सकते हैं तथा महाकाव्य, खडकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक, कथा-आख्यायिका आदि जितनी भी काव्य विधाएँ हो सकती हैं, उन सबका समावेश हम संस्कृत साहित्य में पाते हैं। संस्कृत में केवल राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित आदि के अमूल्य ग्रंथों का ही प्रणयन नहीं हुआ है, बल्कि इसमें संगीत, नृत्य, अभिनय, कामशास्त्र आदि नाना विषयों से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक शैलियों में लिखे हुए तमाम ग्रंथों के भी दर्शन होते हैं। डा० चंडिका प्रसाद शुक्ल के शब्दों में 'संस्कृत का प्रसार आर्य जाति का प्रसार है, उसकी सांस्कृतिक प्रगति है। जहाँ-जहाँ आर्यजाति की संस्कृति फैली है, वहाँ वहाँ संस्कृत भाषा का विस्तार हुआ है। चार महत्त्वपूर्ण तक निरंतर इस जाति ने अपनी विलक्षण बुद्धि का जादू इस भाषा में उतारा है। इस लंबी अवधि के बीच आर्यों में एक से एक उत्कृष्ट मेधावी हुए, एक में एक प्रकांड ग्रन्थी जन्मे, सबने अपनी प्रज्ञा की उर्वरता से संस्कृत को सजाया। अनोखरवादी जैनो, बौद्धों और लोकायतों ने भी इसे अपनी सरस्वती में मरस किया।'<sup>12</sup>

विषय व्यापकता के साथ संस्कृत की रचना शैली में भी अपूर्व मौलिकता दिखाई पड़ती है। संस्कृत की सूत्र शैली के समक्ष तो विश्व के मनीषियों को भी माथा टेकना पड़ा है। भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में तो इस भाषा का एकाधिकार रहा ही है अपितु विश्व के धर्म एवं दर्शन के विकास का समुचित परिचय भी इसके ज्ञानालोक में ही सम्भव है। इस कथन की सार्थकता डा० मेकडानेल के इन शब्दों में देखी जा सकती है

'भारोपीय वंश की केवल भारत निवासिनी ही शाखा ऐसी है, जिसने

वैदिक धर्म नामक एक बड़े जातीय धर्म और बौद्ध धर्म नामक एक बड़े सारभौम धर्म की रचना की। अन्य सभी शाखाओं ने इस क्षेत्र में मौलिकता न दिखाकर बहुत पहले से एक विदेशी धर्म को अपनाया। इसके अतिरिक्त भारतीयों ने स्वतंत्रता से अनेक दर्शन सम्प्रदायों को विकसित किया, जिसमें उनकी ऊँची चिंतन शक्ति का प्रमाण मिलता है।<sup>53</sup>

संस्कृतोत्तर परिनिष्ठित साहित्यिक भाषाओं (पालि, शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश) ने मध्यदेशीय भाषा के महती परंपरा का पालन करती हुई अपने-अपने समय में राजभाषा एवं अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के गौरवमय पद को सुशोभित किया है। किंतु उसी जगह भारतीय आर्य भाषाओं एवं उनके साहित्य तथा प्राचीन भारत का इतिहास हमें यह भी जानकारी देता है कि संस्कृत मुसलमानी राज्य स्थापित होने के पूर्व अर्थात् अपभ्रंश काल तक एक परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त राजभाषा और राष्ट्रभाषा (अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा) के गुह्यतर उत्तरदायित्व को सभालती रही है। यह दूसरी बात है कि पालि, शौरसेनी प्राकृत एवं अपभ्रंश के होश सभालने पर इसका भार कुछ हल्का हो गया। डा० चण्डिका प्रसाद शुक्ल के शब्दों में 'वारह्वी शताब्दी तक प्रायः सभी भारतीय राज्यों में शासन कार्य संस्कृत में ही होता था। संपूर्ण भारत में संस्कृत राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी।'<sup>54</sup> डा० शुक्ल का यह कथन मिथ्या गौरवगान मात्र नहीं, बल्कि सत्यांश समन्वित है।

प्र० ई० जे० राप्सन के कथन को दुहराते हुए साराशत कहा जा सकता है कि 'संस्कृत भी वैसे ही बोलचाल की भाषा थी, जैसी साहित्यिक अंग्रेजी है, जिसे हम बोलते हैं। संस्कृत उत्तर-पश्चिमी भारत की बोलचाल की भाषा थी, जिसके विकास का पता संपूर्ण साहित्य दे रहा है। • धीरे-धीरे यह सारे भारतवर्ष में फैल गई। प्रारंभ में एक जिले की, फिर एक वर्ण तथा धर्म की और अंत में यह सारे भारतवर्ष में धर्म, राजनीति एवं संस्कृति की एक भाषा बन गई। समय पाकर तो यह राष्ट्रीय भाषा बन गई और केवल तभी पदच्युत हुई, जब मुसलमानों ने हिंदू राष्ट्रीयता का विध्वंस किया।'<sup>55</sup>

मध्य भारतीय आर्यभाषा समूह के अंतर्गत वे प्राकृत अर्थात् लोकभाषाएँ आती हैं, जिनके साहित्यिक स्वरूप का विकास 600 ई० पू० से 1000 ई० के मध्य हुआ है। इसलिए इन 1600 वर्षों के मध्य भारतीय आर्य-भाषाकाल को कुछ विद्वानों ने प्राकृतकाल भी कहा है और इन भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए इन्हें प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत एवं तृतीय प्राकृत की संज्ञा दी है।<sup>56</sup> और डा० उदय नारायण त्रिवागी ने इन्हें तीन पर्वों—प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में बाटा है।<sup>57</sup>

यहाँ पर यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि मध्य भारतीय आर्यभाषा को पर्वों में बाटना उपयुक्त है अथवा प्राकृतों में, बल्कि महत्त्व इस बात का है कि डा० चटर्जी<sup>13</sup>, श्री टी० डब्ल्यू० रायडेविस<sup>14</sup> प्रभृति विद्वानों ने मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में तीन सोपानों की आवश्यकता महसूस की है। अतः विकास-क्रम की दृष्टि से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत करना अवाञ्छित नहीं—

(क) प्रथम स्तर (600 ई० पू० से 200 ई० तक)—पालिक एव अशोक के अभिलेख।

(ख) द्वितीय स्तर (200 ई० पू० से 600 ई० तक)—साहित्यिक प्राकृतें।

(ग) तृतीय स्तर (600 ई० से 1000 ई० तक)—अपभ्रंश भाषाएँ।

### पालि

भारतीय आर्य-भाषाओं के विकास के प्रथम चरण की भाषाओं का लिखित रूप हमें बुद्ध बचन के रूप में पालि साहित्य में एव अशोक के अभिलेखों में दिखाई पड़ता है।

'पालि' शब्द से इस बात का कुछ भी संकेत नहीं मिलता कि यह किस प्रदेश-विशेष की भाषा रही है। अतः विद्वानों के बीच पालि की जन्मभूमि को लेकर काफी विवाद चलता रहा है। इस मस्य में पूर्वार्त्य एव पश्चिमी विद्वानों ने विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया है, जिनपर एक दृष्टि डालना अपेक्षित है।

बौद्ध धर्मानुयायियों के अनुसार 'पालि' मागधी ही है तथा यही वह मूल भाषा है जिसमें भगवान् तथागत ने जनसत्याणकारी विश्वधर्म का उपदेश दिया था। परंतु 'प्राकृत-भाषा' के वैयकरणों ने जिस साहित्यिक मागधी भाषा का निरूपण किया है, वह प्रथम 'पालि' में बहुत बाद की भाषा है और द्वितीय यह कि उसमें और पालि में कुछ ऐसी मौलिक भिन्नताएँ हैं<sup>15</sup>, जिनके आधार पर पालि को मागधी भाषा मानना उपयुक्त नहीं। इतना ही नहीं, मौर्यकाल के प्राचीन अभिलेखों से जिस मागधी भाषा का परिचय मिलता है अथवा अशोक के सारनाथ, रामपुरवा आदि पूर्वी अभिलेखों में जिस भाषा का व्यवहार किया गया है, उसमें और पालि में भी वही मौलिक भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होती हैं जो परवर्ती साहित्यिक मागधी एव पालि में विद्यमान हैं। अतः किसी भी रूप में पालि को मागधी नहीं माना जा सकता।

एव और वेस्टर गाई तथा ई० कुहन ने पालि को उज्जैन प्रदेश की बोली माना है, डा० ओन्डेनवर्ग एव डा० ई० मूलर ने पालि को बलिया देश की भाषा स्वीकार किया है तथा पालि एव पंजाबी में अत्यधिक साम्य की भावना कर आर० आ० फ्रॉं एव स्टेन वीनो ने इन दोनों को विष्णुप्रदेश की बोली मानने के

वैदिक धर्म नामक एक बड़े जातीय धर्म और बौद्ध धर्म नामक एक बड़े सारभौम धर्म की रचना की। अन्य सभी शाखाओं ने इस क्षेत्र में मौलिकता न दिखाने बहुत पहले से एक विदेशी धर्म को अपनाया। इसके अतिरिक्त भारतीयों ने स्वतन्त्रता से अनेक दर्शन सम्प्रदायों को विकसित किया, जिससे उनकी ऊँची चिंतन शक्ति का प्रमाण मिलता है।<sup>53</sup>

संस्कृतोत्तर परिनिष्ठित साहित्यिक भाषाओं (पालि, शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अपभ्रंश) ने मध्यदेशीय भाषा के महती परंपरा का पालन करती हुई अपने-अपने समय में राजभाषा एवं अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के गौरवमय पद को सुशोभित किया है। किंतु उसी जगह भारतीय आर्य भाषाओं एवं उनके साहित्य तथा प्राचीन भारत का इतिहास हमें यह भी जानकारी देता है कि संस्कृत मुसलमानी राज्य स्थापित होने के पूर्व अर्थात् अपभ्रंश काल तक एक परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त राजभाषा और राष्ट्रभाषा (अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा) के गुरुत्तर उत्तरदायित्व को सभालती रही है। यह दूसरी बात है कि पालि, शौरसेनी प्राकृत एवं अपभ्रंश के होश सभालने पर इसका भार कुछ हल्का हो गया। डा० चण्डिका प्रसाद शुक्ल के शब्दों में 'वारहवीं शताब्दी तक प्रायः सभी भारतीय राज्यों में शासन कार्य संस्कृत में ही होता था। संपूर्ण भारत में संस्कृत राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी।<sup>54</sup> डा० शुक्ल का यह कथन मिथ्या गौरवगान मात्र नहीं, बल्कि सत्यास ममन्वित है।

प्रो० ई० जे० राप्सन के कथन को दुहराते हुए साराशत कहा जा सकता है कि 'संस्कृत भी वैसी ही बोलचाल की भाषा थी, जैसी साहित्यिक अंग्रेजी है, जिसे हम बोलते हैं। संस्कृत उत्तर पश्चिमी भारत की बोलचाल की भाषा थी, जिसके विकास का पता संपूर्ण साहित्य दे रहा है। धीरे-धीरे यह सारे भारतवर्ष में फैल गई। प्रारंभ में एक जिले की, फिर एक वर्ण तथा धर्म की और अंत में यह सारे भारतवर्ष में धर्म, राजनीति एवं संस्कृति की एक भाषा बन गई। समय पाकर तो यह राष्ट्रीय भाषा बन गई और केवल तभी पदच्युत हुई, जब मुसलमानों ने हिंदू राष्ट्रीयता का विध्वंस किया।'<sup>55</sup>

मध्य भारतीय आर्यभाषा समूह के अंतर्गत वे प्राकृत अर्थात् लोकभाषाएँ आती हैं, जिनके साहित्यिक स्वरूप का विकास 600 ई० पू० से 1000 ई० के मध्य हुआ है। इसलिए इन 1600 वर्षों के मध्य भारतीय आर्य-भाषाकाल को कुछ विद्वानों ने प्राकृतकाल भी कहा है और इन भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए इन्हें प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत एवं तृतीय प्राकृत की संज्ञा दी है।<sup>56</sup> और डा० उदय नारायण तिवारी ने इन्हें तीन पर्वों—प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय में बाटा है।<sup>57</sup>

यहाँ पर यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि मध्य भारतीय आर्यभाषा को पर्वी म वाहना उपयुक्त है अथवा प्राकृतों में, बल्कि महत्त्व इस बात का है कि डा० वटर्जी<sup>१</sup>, श्री टी० डब्ल्यू० रायडेविस<sup>२</sup> प्रभृति विद्वानों ने मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में तीन भाषाओं की आवश्यकता महसूस की है। अतः विकास-क्रम की दृष्टि से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत करना अव्याज्यत नहीं—

(क) प्रथम स्तर (600 ई० पू० से 200 ई० तक)—पालि एवं अशोक के अभिलेख।

(ख) द्वितीय स्तर (200 ई० पू० से 600 ई० तक)—साहित्यिक प्राकृतें।

(ग) तृतीय स्तर (600 ई० से 1000 ई० तक)—अपभ्रंश भाषाएँ।

## पालि

प्राचीन

का लिखित  
में दिखाई

५०॥ है।

‘पालि’ शब्द से इस बात का कुछ भी संकेत नहीं मिलता कि यह किस प्रदेश-विशेष की भाषा रही है। अतः विद्वानों के बीच पालि को जन्मभूमि को लेकर काफी विवाद चलता रहा है। इस संवध में पूर्वार्थ्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया है, जिनपर एक दृष्टि डालना अपेक्षित है।

बौद्ध धर्मानुयायियों के अनुसार ‘पालि’ मागधी ही है तथा यही वह मूल भाषा है जिसमें भगवान् तयागन ने जनरूप्याणकारी विश्वधर्म का उपदेश दिया था। परन्तु ‘प्राकृत-भाषा’ के रूपांतरणों ने जिस साहित्यिक मागधी भाषा का निरूपण किया है, वह प्रथमतः ‘पालि’ से बहुत बाद की भाषा है और द्वितीय यह कि उसमें और पालि में कुछ ऐसी मौलिक भिन्नताएँ हैं<sup>३</sup>, जिनके आधार पर पालि को मागधी भाषा मानना उपयुक्त नहीं। इतना ही नहीं, मौर्यकाल के प्राचीन अभिलेखों से जिन मागधी भाषा का परिचय मिलता है अथवा अशोक के सारनाथ, रामपुरवा आदि पूर्वी अभिलेखों में जिन भाषा का व्यवहार किया गया है, उनमें और पालि में भी बड़ी मौलिक भिन्नताएँ दृष्टिगोचर होनी हैं जो परवर्ती साहित्यिक मागधी एवं पालि में विद्यमान हैं। अतः किसी भी रूप में पालि को मागधी नहीं माना जा सकता।

एक ओर वेस्टर गार्ड तथा ई० कुहन ने पालि का उज्जैन प्रदेश की बोली माना है, डा० ओल्डेनबर्ग एवं डा० ई० मूनर ने पालि को बलिया दश की भाषा स्वीकार किया है तथा पालि एवं पंजाबी में अत्यधिक साम्य की सम्भावना कर आर० बी० फेफ एवं स्टेन वानो ने इन दोनों को विष्णुप्रदेश की बोली मानने के



पक्ष का समर्थन किया है तो दूसरी ओर मैक्सवलेसर ने पालि शब्द का उद्गम पाटलिपुत्र से बतलाते हुए इसे मगध की भाषा माना है। ग्रियसन ने भी पालि भाषा पर कुछ मागधी और पेशाधी के प्रभाव को देखकर इसे मगध की भाषा स्वीकार किया है। इनके अनुसार पालि मागधी का वह साहित्यिक रूप है जो तक्षशिला में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था। प्रो० रीज डेविड्स ने पालि को कौशल प्रदेश की बोली स्वीकार किया है। उनके मतानुसार यह बुद्ध की मातृभाषा थी। चूँकि बुद्ध ने अपने को कौशल प्रदेश का क्षत्रिय (कौशल क्षत्रिय) कहा है, अतः यह निश्चित ही कौशल की भाषा रही होगी। विडिश, गायनर, चाइल्डस, विटरनित्ज जैसे विद्वानों ने भी इसे किसी न किसी रूप में मगध की ही भाषा स्वीकार किया है।

परन्तु आज यह तथ्य प्रकाशित हो चुका है कि पालि न तो विध्यप्रदेश एवं कौशल की भाषा है और न कौशल एवं मगध की बल्कि यह संस्कृत के समानांतर विकसित होने वाली उज्जैन से मथुरा तक के भू-भाग की लोक भाषा पर आधारित एक मध्यदेशीय साहित्यिक भाषा है। सर्वथो ल्यूडस, सिल्वा लेवी, डा० कीय, प्रो० टर्नर एवं डा० सुनीति कुमार चटर्जी जैसे प्रसिद्ध भाषाशास्त्रियों ने पुष्कल प्रमाणों के आधार पर इस भाषा को मध्यदेश की प्राचीन लोकभाषा सिद्ध किया है। डा० चटर्जी के अनुसार पालि का मूलआधार मागधी न होकर मध्यदेशीय प्राकृत है, उसका दौरसेनी से प्रचुर साम्य है तथा वह दौरसेनी का वह रूप है जिसमें पश्चिमोत्तर प्राकृत तथा अन्य आर्य विभाषाओं के कई आर्य प्रयोग घुल-मिल गए हैं।<sup>61</sup> डा० चटर्जी ने लिखा है कि पालि भाषा को मलती से मगध या दक्षिण बिहार की प्राचीन भाषा मान लिया जाता है वैसे यह उज्जैन से मथुरा तक के मध्यदेश के भूभाग की भाषा पर आधारित साहित्यिक भाषा है। वस्तुतः इसे पश्चिमी हिंदी का एक प्राचीन रूप कहना ही उचित होगा।<sup>62</sup>

सारांश यह कि पालि मध्यदेश के उम भू-भाग-विशेष की लोक भाषा रही है, जहाँ पर कालांतर में ब्रजभाषा ने जन्म लिया। अतः पालि की जन्मभूमि मध्यदेश, शूरसेन प्रदेश है।

### पालि भाषा की उत्पत्ति, विकास एवं महत्त्व

जिस समय संस्कृत भाषा साहित्य, दर्शन और अन्य ज्ञान-विज्ञान के विषयों के अध्ययन अध्यापन का माध्यम बन रही थी, वैयाकरणों के द्वारा कठोर नियम-शृङ्खला में आबद्ध हो जाने के कारण उसका जन सामान्य से सवध विच्छेद होने लगा था और उसमें एक जीवन्त भाषा के लिए आवश्यक स्वाभाविक विकास की गति का अभाव दिखाई पड़ने लगा था, उसी समय आर्यावर्त में एकाधिक लोक यानी प्राकृत भाषाएँ सिर उठाने लगी थीं। इनमें साहित्यिक मंच पर जिन भाषा

ने सर्वप्रथम पदापेक्ष किया, वह भी संस्कृत भाषा के ठीक समानांतर विवक्षित होने वाली शूरसेन प्रदेश की एक बोली, जिसे कालांतर में पालि नाम से पुकारा गया। इस प्रकार संस्कृत और पालि दोनों समानांतर विवक्षित होने वाली मध्यदेशीय भाषाएँ हैं। जिस प्रकार नव्यभाषाओं में ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों की उत्पत्ति एवं विकास साथ-साथ हुआ है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों भाषाओं की उत्पत्ति एवं विकास को भी समझना चाहिए। अपनी अनुकूल परिस्थितियों के फलस्वरूप जैसे ब्रजभाषा ने खड़ी बोली की अपेक्षा पहले साहित्यिक बाना पहन लिया, वैसे ही संस्कृत को पालि की तुलना में साहित्यिक भाषा का गौरवमय पद सुशोभित करने का अवसर पहले मिला। किंतु मुसलमानी शासन की समाप्ति के कुछ वर्षों बाद जिस प्रकार खड़ी बोली के आंदोलन ने खड़ी बोली को हर एक तरह से समृद्ध कर उसे एक सशक्त साहित्यिक भाषा का पद प्रदान किया, ठीक वैसे ही संस्कृत को शिष्ट समुदाय की भाषा के रूप में स्वीकृत होने पर भगवान् बुद्ध एवं महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों के द्वारा किए गए जनभाषा-आंदोलन ने पालि को विशेष रूप में प्रकाशित किया। अब पालि महात्मा बुद्ध जैसे प्रबल समर्थक को पाकर संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई और तथागत के धर्मोपदेश का एकमात्र माध्यम बन साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित होने लगी।

एक साहित्यिक भाषा के रूप में पालि का मुख्य विकास मध्यभारतीय आर्य भाषाओं के सत्रान्तिवाल यानी 200 ई० पूर्व से 200 ई० के मध्य हुआ। लोक-भाषा की आधारशिला पर प्रतिष्ठित यह भाषा एक तरह से संस्कृत भाषा की प्रतिस्पर्धिनी बन जातक के रूप में भारत की लोक-व्याजों के सकलित तथा बौद्ध दर्शन एवं साहित्य के लिपिबद्ध होने के पश्चात् एक शक्तिशाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आगे चलकर इसने अखिल देशीय सम्पर्क भाषा के साथ-साथ राज-राज के कार्यों में भी हाथ बटाया। एवं आर सम्पूर्ण भारत एवं भारत के बाहर विदेशों में इस भाषा का प्रचार-प्रसार बौद्ध भिक्षुओं द्वारा हुआ तो दूसरी ओर इसके विकास में जैन आचार्यों ने भी काफी योग दिया। ई० पू० एवं पश्चात् की एकाधिक शताब्दियों के मध्य मथुरा जैन-धर्म का प्रधान केन्द्र था। जैन धर्मावलम्बियों को इस भाषा से परिचित होना स्वाभाविक था। जैन आचार्यों के साथ मध्यदेश की यह भाषा नलिंग तक पहुँची। क्षारवेल ने इसी भाषा में हाथी गुफा शिलालेख अंकित कराया।<sup>69</sup>

मौर्य राजाओं के शासनकाल में कुछ समय के लिए अवश्य ही इस भाषा का सम्मान घटता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि अशोक की राजभाषा एक पूर्वी बोली थी और डा० चटर्जी के शब्दों में 'मौर्यों के राजत्व काल में सप्तस्र आर्यावर्त में यही भाषा सर्वत्र समशी जाती और प्रयुक्त होती थी'<sup>61</sup> तथा पालि राजकीय और शासन-सम्बन्धी कार्यों के बाहर अपने अस्तित्व के लिए सघर्षरत थी।<sup>62</sup> किन्तु

प्राच्य भाषा का यह आधिपत्य बहुत दिनों तक कायम न रहा और अशोक के काल में ही पालि ने प्राच्य भाषा को दबाकर मध्यदेशीय प्रभुत्व की परम्परा को पुनः प्रखलित किया। आगे चलकर इसने संस्कृत के भार को हलका करती हुई शासन के कार्यों में तो हाथ बटाया ही, अपितु अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के साथ, लका, चीन, ब्रह्मा, स्याम आदि देशों में पहुंच कर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के अपूर्व पद पर एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में उभरा, साथ ही राष्ट्रभाषा से ऊपर की मधुर झांकी दिखाई। वस्तुतः प्राचीन भारतीय आर्यभाषा एवं नव्य भारतीय आर्य भाषा के बीच की स्थितियों को समझने के लिए पालि एक महत्वपूर्ण कड़ी है, संस्कृत से हिन्दी तक पहुंचने के लिए प्रथम सोपान है।

### प्राकृत

मध्य भारतीय आर्य भाषा के विकास के दूसरे सोपान में जिन जन अथवा लोक भाषाओं ने उठकर साहित्यिक रूप ग्रहण किया, उन्हें प्राकृत की संज्ञा दी गई। इस काल में अनेक प्राकृतों का उल्लेख मिलता है। भारत के नाट्यशास्त्र में सात प्रकार के प्राकृतों की चर्चा हुई है—शौरसेनी, मागधी, अर्ध-मागधी, दाक्षिणात्य, वाह्लीकी, श्रावन्ती तथा प्राच्या। प्रथम प्राकृत वैयाकरण वररुचि ने प्राकृत के चार भेद किये हैं। उन्होंने अपने 'प्राकृत-प्रकाश' के नौ परिच्छेदों में महाराष्ट्री का व्याकरण लिखा है, दसवें में पंशाची, ग्यारहवें में मागधी और बारहवें में शौरसेनी के स्वरूप की व्याख्या की है। वैयाकरण चण्ड ने 'प्राकृत-लक्षण' में महाराष्ट्री के अतिरिक्त शौरसेनी, पंशाची के साथ अपभ्रंश का भी गौरवरूप में वर्णन किया है। आचार्य हेमचन्द्र ने भी महाराष्ट्री को सामान्य प्राकृत के रूप में उसका विस्तृत विवेचन किया है, साथ ही शौरसेनी, मागधी, अर्ध-मागधी, पंशाची, चूलिका पंशाची और अपभ्रंश की विशेषताएँ भी अंकित की हैं। 'साहित्य दर्पण' में बारह प्रकार के प्राकृतों की गणना की गई है, तो 'प्राकृतलक्ष्मण' में सोलह और 'प्राकृत चन्द्रिका' में सत्ताइस की। किन्तु साहित्यिक दृष्टि से सिर्फ पांच का विशेष महत्त्व है। शेष साहित्य से कोरी होने के कारण काल कवलित हो चुकी है। पंशाची, मागधी, अर्ध-मागधी, शौरसेनी एवं महाराष्ट्री ही मध्य भारतीय आर्य-भाषा काल की ऐसी प्राकृतें हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से साहित्यिक रचना का माध्यम तो बनाया ही गया, साथ ही संस्कृत-काव्यों में भी समुचित स्थान प्रदान किया गया है।

पंशाची पिशाचों की भाषा थी। पिशाच भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश के उन जनजातों को कहा जाता था, जिनकी संस्कृति आर्यों से भिन्न थी। पंशाची प्राकृत

के महत्त्व का एकमात्र आधार गुणाद्य की 'बृहत्कथा' रही है, परन्तु अब महत्त्व का लक्षण बलित हो चुकी है, इसका संस्कृत रूपान्तर ही उपलब्ध है। पेशाची के मूल स्थान को लेकर भी काफी विवाद है। कुछ विद्वान् इसे मध्य भारत की भाषा मानते हैं, किन्तु बहुमत इसे पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा स्वीकार करता है।

मागधी प्राकृत मूलतः मगध की जनभाषा थी। धीरे-धीरे यह साहित्यिक भाषा बनी। संस्कृत नाटकों में निम्न पात्रों के कथोपकथन के लिए इसका प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ लेख भी प्राप्त हुए हैं।

अर्ध-मागधी अवध और काशी जनपदों की जनभाषा पर आधारित एक साहित्यिक भाषा रही है और इसकी जन्मभूमि शूरसेन एक मगध के बीच का प्रदेश रहा है। इस भाषा का भुवाव मागधी की अपेक्षा शूरसेनी की ओर अधिक दिखलाई पड़ता है। जैन आचार्यों की यह साहित्यिक भाषा तो थी ही, साथ ही संस्कृत नाटकों में भी इसका व्यवहार हुआ है।

शूरसेनी प्राकृत मूलतः शूरसेन प्रदेश (मथुरा के आसपास) की भाषा थी। संस्कृत और पालि के पश्चात् इसीने परिनिष्ठित भाषा परम्परा के उत्तरदायित्व का भार वहन किया। मुख्यतः यह गद्य की भाषा रही है और संस्कृत नाटकों में ब्राह्मण एवं नायक से इतर पात्रों के कथोपकथन में इसका प्रचुर प्रयोग हुआ है। मध्यदेशीय भाषा होने के कारण प्राकृतों के मध्य इसका विशेष आदर था, यह संस्कृत के समीप तो थी ही, साथ ही अखिल देशीय सम्पर्क भाषा एवं राजभाषा की गरिमा में भी मडित थी। दिगम्बर मतावलम्बी जैनो का सिद्धान्त-साहित्य भी इसी भाषा में निर्मित है।

मागधी और शूरसेनी प्राकृतों के नामकरण के पीछे जनपदीय आधार को पाते हुए विद्वानों ने महाराष्ट्रीय प्राकृत को 'महाराष्ट्राश्रित' तथा श्रेष्ठ प्राकृत बतलाया है।<sup>66</sup> दण्डी से भी पहले वररुचि ने इस मान्यता का सबूत करते हुए महाराष्ट्रीय से इतर प्राकृतों के विषय में 'शेष महाराष्ट्रीयन्' का विधान किया है।<sup>67</sup> इन्हीं के प्रकाश में डा० मठारवर ने भी महाराष्ट्रीय को महाराष्ट्र प्रदेश से सम्बन्धित माना है। उनके अनुसार भेतुवध, गाथा सप्तगनी, गौडवध वाक्य आदि, पर आश्रित महाराष्ट्रीय शूरसेनी से भिन्न है। श्री पिपेल और जूल ब्लाक ने भी महाराष्ट्रीय प्राकृत को मराठी भाषा की सुदूर पूर्वजा माना है।

किन्तु भाषाओं की सूक्ष्म गवेषणा तथा नवीन शोध के आधार पर उपर्युक्त मान्यता निराधार प्रमाणित हो चुकी है। सन् 1933 में डा० मनमोहन घोष ने अपने ग्रन्थ 'महाराष्ट्रीयः शूरसेनी का परवर्ती रूप'<sup>68</sup> में पुष्ट प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत का सम्बन्ध महाराष्ट्र में जोड़ना अस्वाभाविक है। डा० घोष ने अनुसार महाराष्ट्रीय अपनी आद्यारम्भा में शूरसेनी का ही एक पदचरुप थी, जिसे दक्षिण में ले जाया गया और वहाँ उमड़े

प्राच्य भाषा का यह आधिपत्य बहुत दिनों तक कायम न रहा और अशोक के काल में ही पालि ने प्राच्य भाषा को दबाकर मध्यदेशीय प्रभुत्व की परम्परा को पुनः श्रुल्लिखित किया। आगे चलकर इसने सस्कृत के भार को हलका करती हुई शासन के कार्यों में तो हाथ बटाया ही, अपितु अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के साथ, लता, चीन, ब्रह्मा, स्याम आदि देशों में पहुँच कर अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के अपूर्व पद की भी सुशोभित किया। इस प्रकार इस भाषा ने एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में मध्यदेश की राजभाषा परम्परा को कायम रखा, साथ ही राष्ट्रभाषा के रूप में उठकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपने प्रभुत्व की मधुर झलकों दिखाई। वस्तुतः प्राचीन भारतीय आर्यभाषा एवं नव्य भारतीय आर्य भाषा के बीच की स्थितियों को समझने के लिए पालि एक महत्वपूर्ण कड़ी है, सस्कृत से हिन्दी तक पहुँचने के लिए प्रथम सोपान है।

### प्राकृत

मध्य भारतीय आर्य भाषा के विकास के दूसरे सोपान में जिन जन अथवा लोक भाषाओं ने उठकर साहित्यिक रूप ग्रहण किया, उन्हें प्राकृत की संज्ञा दी गई। इस काल में अनेक प्राकृतों का उल्लेख मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्र में सात प्रकार के प्राकृतों की वर्धा हुई है—शौरसेनी, मागधी, अर्ध-मागधी, दक्षिणात्य, बाह्लीकी, श्रावस्ती तथा प्राच्या। प्रथम प्राकृत वैयाकरण वररुचि ने प्राकृत के चार भेद किये हैं। उन्होंने अपने 'प्राकृत प्रकाश' में नौ परिच्छेदों में महाराष्ट्री का व्याकरण लिखा है, दसवें में पेशाची, ग्यारहवें में मागधी और बारहवें में शौरसेनी के स्वरूप की व्याख्या की है। वैयाकरण चण्ड ने 'प्राकृत-लक्षण' में महाराष्ट्री के अतिरिक्त शौरसेनी, पेशाची के साथ अपभ्रंश का भी गौणरूप में वर्णन किया है। आचार्य हेमचन्द्र ने भी महाराष्ट्री को सामान्य प्राकृत के रूप में उसका विस्तृत विवेचन किया है, साथ ही शौरसेनी, मागधी, अर्ध-मागधी, पेशाची, चूलिका पेशाची और अपभ्रंश की विशेषताएँ भी अंकित की हैं। 'साहित्य दर्पण' में बारह प्रकार के प्राकृतों की गणना की गई है, तो 'प्राकृतलोकेश्वर' में सोलह और 'प्राकृत चन्द्रिका' में सत्ताइस की। किन्तु साहित्यिक दृष्टि से सिर्फ पाँच का विशेष महत्त्व है। शेष साहित्य से कोरी होने के कारण काल कबलित हो चुकी हैं। पेशाची, मागधी, अर्ध-मागधी, शौरसेनी एवं महाराष्ट्री ही मध्य भारतीय आर्य-भाषा काल की ऐसी प्राकृतें हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से साहित्यिक रचना का माध्यम तो बनाया ही गया, साथ ही सस्कृत काव्यों में भी समुचित स्थान प्रदान किया गया है।

पेशाची पिशाचा की भाषा थी। पिशाच भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश के उन अनाथों को कहा जाता था, जिनकी संस्कृति आर्यों से भिन्न थी। पेशाची प्राकृत

के महत्त्व का एकमात्र आधार गुणाङ्ग की 'बृहत्फया' रही है, परन्तु अब यह कृति बाल कवचित हो चुकी है, इसका संस्कृत रूपान्तर ही उपलब्ध है। पंजाबी के मूल स्थान को लेकर भी काफी विवाद है। कुछ विद्वान् इसे मध्य भारत की भाषा मानते हैं, किन्तु बहुमत इसे पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा स्वीकार करता है।

मागधी प्राकृत मूलतः मगध की जनभाषा थी। धीरे-धीरे यह साहित्यिक भाषा बनी। संस्कृत नाटकों में निम्न पात्रों के कथोपकथन के लिए इसका प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ लेख भी प्राप्त हुए हैं।

अर्ध-मागधी अवध और काशी जनपदों की जनभाषा पर आधारित एक साहित्यिक भाषा रही है और इसकी जन्मभूमि शूरसेन एक मगध के बीच का प्रदेश रहा है। इस भाषा का भुक्तान्त्र मागधी की अपेक्षा शौरसेनी की ओर अधिक दिखलाई पड़ता है। जैन आचार्यों की यह साहित्यिक भाषा तो थी ही, साथ ही संस्कृत नाटकों में भी इसका व्यवहार हुआ है।

शौरसेनी प्राकृत मूलतः शूरसेन प्रदेश (मथुरा के आसपास) की भाषा थी। संस्कृत और पालि के पश्चात् इसीने परिनिष्ठित भाषा परम्परा के उत्तरदायित्व का भार वहन किया। मुख्यतः यह गद्य की भाषा रही है और संस्कृत नाटकों में द्राह्मण एवं नायक से इतर पात्रों के कथोपकथन में इसका प्रचुर प्रयोग हुआ है। मध्यदेशीय भाषा होने के कारण प्राकृतों के मध्य इसका विशेष आदर था, यह संस्कृत के समीप तो थी ही, साथ ही अखिल देशीय सम्पर्क भाषा एवं राजभाषा की गरिमा से भी मज्जित थी। दिवम्बर मतावलम्बी जैनों का मिद्वान्त-साहित्य भी इसी भाषा में निर्मित है।

मागधी और शौरसेनी प्राकृतों के नामकरण के पीछे जनपदीय आधार को पाले हुए विद्वानों ने महाराष्ट्रीय प्राकृत की 'महाराष्ट्राश्रित' तथा श्रेष्ठ प्राकृत बतलाया है।<sup>14</sup> दण्डी से भी पहले वररुचि ने इस मान्यता का संकेत करते हुए महाराष्ट्रीय से इतर प्राकृतों के विषय में 'शेष महाराष्ट्रीयत्' का विधान किया है।<sup>15</sup> इन्हीं के प्रकाश में डा० महारवर ने भी महाराष्ट्रीय को महाराष्ट्र प्रदेश से सम्बन्धित माना है। उनके अनुसार मेतुवघ, गायक सप्तशती, गौडवघ काव्य आदि, पर अश्रित महाराष्ट्रीय शौरसेनी में भिन्न है। श्री पित्रेल और जूल ब्लाक ने भी महाराष्ट्रीय प्राकृत को मराठी भाषा की सुदूर पूर्वजा माना है।

किन्तु मागधी की सूक्ष्म शवेषणा तथा नवीन शोध के आधार पर उपर्युक्त मान्यता निराधार प्रमाणित हो चुकी है। सन् 1933 में डा० मनमोहन घोष ने अत्र निबन्ध 'महाराष्ट्रीय . शौरसेनी का परवर्ती रूप'<sup>16</sup> में पुष्कल प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत का सम्बन्ध महाराष्ट्र में जोड़ना अस्वाभाविक है। डा० घोष के अनुसार महाराष्ट्रीय अपनी आशावस्था में शौरसेनी का ही एक पदचरूप थी, जिसे दक्षिण में ले जाया गया और वहाँ लम्बे

स्थानीय प्राकृत के शब्द तथा रूप आ जाने पर उमका वहा के साहित्य में उपयोग किया गया। दक्कन या महाराष्ट्र से इस भाषा को काव्य के एक श्रेष्ठ माध्यम के रूप में उत्तरी भारत में पुन लाया गया।<sup>69</sup> अन्त में डा० घोष इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दण्डी के उद्धरण के आधार पर इस प्राकृत को भले ही महाराष्ट्री कहा जाय, किन्तु इसका महाराष्ट्र में उदित बोली-विशेष से कोई सम्बन्ध न था। यदि भौगोलिक क्षेत्र में उमका सम्बन्ध स्थापित करना ही हो तो उसे मध्यदेश से सम्बद्ध कह सकते हैं। वस्तुतः यह शूरसेन प्रदेश की भाषा है।<sup>70</sup> डा० घोष से मिलती-जुलती धारणा कुछ और भी भाषाविदों की रही है। इस प्रसंग में जान बीम्स का यह कथन उद्धृत किया जा सकता है :

‘संभवतः यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि मराठी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत की वशानुगत उत्तराधिकारिणी है।’<sup>71</sup>

इस प्रकार महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र की जनभाषा पर आधारित न होकर शौरसेनी का विकसित स्वरूप सिद्ध होती है। यह प्राकृतों में सबसे उत्तम मानी गयी है। काव्य भाषा के रूप में इसका व्यवहार प्रायः सम्पूर्ण उत्तर भारत में होता था। प्राकृत साहित्य का तीन चौथाई भाग इसी भाषा में लिखा हुआ मिलता है। सतुब्रध, गाथा सप्तशती, वज्रालम्ब, गजबन्धो, कुमारपाल चरित आदि प्राकृत के सभी महत्वपूर्ण प्रबन्धकाव्य और गीतिकाव्य महाराष्ट्री प्राकृत में ही लिखे हुए हैं। ब्रज भाषा के समान प्रायः यह गीतों (Lyrics) की भाषा रही है<sup>72</sup> और इसका पूर्ववर्ती स्वरूप शौरसेनी गद्य की। सस्कृत नाटकों के स्त्रीपात्र तथा विदूषक आदि वार्तालाप तो शौरसेनी में करते हैं, परन्तु गीत महाराष्ट्री में गाते हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय के कई जैन ग्रन्थों के गद्य भाग शौरसेनी में हैं और पद्य महाराष्ट्री में।

### शौरसेनी प्राकृत का महत्त्व

शौरसेनी प्राकृत अपने जमाने की एक परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा रही है। मध्यदेशीय भाषा परम्परा की एक महत्वपूर्ण कड़ी होने के कारण इसका प्रचार एवं प्रसार उत्तरापथ में लेकर दक्षिणापथ तक रहा है। अपनी दोनों शैलियों (गद्य एवं पद्य अर्थात् शौरसेनी एवं महाराष्ट्री) के रूप में यह तत्कालीन भारतीय साहित्य में छा गई थी। सम्पूर्ण उत्तर भारत की काव्य-भाषा तो यह थी ही, दक्षिण की भाषाओं पर भी इसका कम प्रभाव नहीं था।<sup>73</sup> विभिन्न प्राकृतों के मध्य यह सबसे अधिक सौष्ठव एवं लालित्यपूर्ण समझी जाती थी। महाकवि राजशेखर ने तो इसे सस्कृत से भी कोमल घोषित किया है। उनकी दृष्टि में

संस्कृत तथा प्राकृत काव्य में वही भेद है जो पुरुष तथा रमणी में है।<sup>74</sup>

शौरसेनी का साहित्य तत्कालीन भारत का सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक चित्र आखों के सामने खड़ा कर देता है। इस भाषा को धर्मश्रय, लोकाश्रय एवं राजाश्रय सब कुछ प्राप्त था। इस भाषा में जैन आचार्यों की धार्मिक सम्पदा तो मिलती ही है, मानव धर्म सम्बन्धी फुलकर रचनाएँ भी कम नहीं हैं। एक ओर हममें लोक-जीवन की मजबूत अभिव्यक्ति के असीम सौन्दर्य का दर्शन होता है, तो दूसरी ओर अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के पद को सुशोभित करने वाली गरिमा का। शौरसेनी प्राकृत के सन्दर्भ में विचार करते हुए श्री चन्द्रबली पाण्डेय न—

'सर्वास्वेव हि शुद्धामु जातिषु द्विज सधमा ।

शौरसेनी समाश्रित्य भाषा काव्येषु योजयेत् ॥'<sup>75</sup>

के प्रवाद में इसे उस समय की चलित राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है।<sup>76</sup> डा० श्याम-मुन्दर दास की भी महाराष्ट्री के प्रति इसी प्रकार की धारणा है।<sup>77</sup> यह भाषा राजभाषा के रूप में भी काफी समय तक व्यवहृत हुई है। मौर्यों का अन्त होने पर वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ संस्कृत की काफी प्रतिष्ठा हुई। फिर भी कलिग के जैन राजाओं ने इसे राजभाषा का महत्त्व दिया। वैदिक धर्मावलम्बी आन्द्रबशी राजाओं के शासन काल में भी यह राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित थी। सातवाहन, प्रवरसेन, यशोधर्मन् आदि परवर्ती राजाओं के शासनकाल में भी इसकी काफी प्रतिष्ठा रही। इस प्रकार संस्कृत और पालि के बाद शौरसेनी प्राकृत ने अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के उतरदायित्व का निर्वाह करती हुई मध्य-देशीय राजभाषा की परम्परा का यथासामर्थ्य पालन किया।

### अपभ्रंश

मध्य भारतीय आर्यभाषा की अन्तिम अवस्था को विद्वानों ने अपभ्रंश की राजा दी है और इसे मध्य एवं नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की अटूट शृंगला को कायम रखने वाली अमूल्य बड़ी कहा है। अपभ्रंश की आधारभूत भाषा साहित्यिक प्राकृतों के समानान्तर विकसित होने वाली जन भाषाएँ रही हैं। जब प्राकृत भाषाएँ परिनिष्ठित साहित्यिक भाषाओं का रूप धारण करने लगीं और रचनाकारों के आग्रह में वध जान के कारण उनका स्वाभाविक विकास रुक-सा गया, तब जन सामान्य की बालघान की भाषाएँ उभर कर सामने आयीं और साहित्यिक मंच पर पहुँच कर अपभ्रंश कहलायीं। वस्तुतः अपभ्रंश आर्य और अनार्य की बोलियाँ के मिश्रण में बनी हुई वह भाषा है जो ईसा की छठी शताब्दी के आसपास जातीय भाषा का रूप ले रही थी। आभिरादि लोग (जो संस्कृत से अनभिज्ञ थे) और बहुत से राजपूत राजाओं ने इस अपभ्रंश को जनभाषा के रूप में महत्त्व दिया। इनके प्रयोगों से यह भाषा अभिव्यक्ति का सगवत माध्यम



वन समस्त भारत की साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई।<sup>178</sup> डा० नामवर सिंह के शब्दों में 'साहित्यिक अपभ्रंश मूलतः और मुख्यतः पश्चिमी भारत की बोली होती हुई भी 8वीं से 13वीं शताब्दी तक समूचे उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा थी। एक ओर इसमें बगाल के सरह और कण्ह जैसे सिद्ध कवियों ने दोहा कोशा की रचना की और मिथिला में ज्योतिरीश्वर तथा विद्यापति ने स्थानी बोली का पुट देकर साहित्यिक अपभ्रंश में ग्रन्थ लिखे तो दूसरी ओर मुल्तान में अब्दुल रहमान का भी कठ इसी में फूटा। दक्षिण में मान्यखेट के पुष्पदत्त ने इसी वाणी को अपन हृदय का हार बनाया अस्सये के वनकामर मुनि ने इसी में चरित गाया और महाकवि स्वयंभू ने रामायण की रचना के लिए इसी भाषा को चुना।'<sup>179</sup>

अपभ्रंश पर विचार करते हुए प्राचीन आचार्यों एवं वैयकरणों ने अपभ्रंश के विविध भेदों की चर्चा की है यहा तक कि सत्ताइस प्रकार के अपभ्रंशों की गणना की गई है। किंतु मुख्यतः तीन अपभ्रंशों—नागर, ब्राह्मण और उपनागर की विवेचना हुई, जिनका विभाजन संस्कार या प्रसार को दृष्टि में रखकर किया गया है, प्राकृतों के समान देशगत बोलियों के आधार पर नहीं। इनमें नागर अपभ्रंश ही तत्कालीन परिनिष्ठित भाषा थी, जो शौरसेनी प्राकृत के समानांतर विकसित होने वाली शूरसेनी प्रदेश की बोली पर आधारित थी तथा जिसे परवर्ती विद्वानों ने शौरसेनी अथवा पश्चिमी अपभ्रंश की सजा दी। 'प्राकृत सर्वस्व' के रचयिता मारकण्डेय ने ब्राह्मण को सिंधुदेशोद्भव कहा है तथा उपनागर को नागर और ब्राह्मण का संकर बतलाया है।

आधुनिक विद्वानों ने अपभ्रंश का विभाजन क्षेत्रीय आधार पर किया है। 'सनत्कुमार चरित' की भूमिका में डा० याकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी इन चार प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है। यह विभाजन ठोस भाषा वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित न होकर ग्रन्थों के रचना स्थान को दृष्टि में रखकर किया हुआ प्रतीत होता है। डा० याकोबी के इस मत की आलोचना करते हुए डा० तगारे ने अपभ्रंश के तीन भेदों पर प्रवाद डाला है—पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी। यद्यपि डा० तगारे ने इनमें भाषा-व्याकरण संबंधी भेद दिखलाने की कोशिश की है, किंतु डा० नामवर सिंह की दृष्टि में इन विभाजनों का आधार भी रचना-स्थान ही है। डा० सिंह ने अपने शोध प्रबंध 'हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग' में डा० तगारे की इस मान्यता की विगद समीक्षा प्रो० ज्यूल ब्लास, प्रो० पी० सी० बागची, प्रो० अल्फ्रेड मास्टर प्रभृति विद्वानों के कथन के साक्ष्य में की है और सभी अपभ्रंशों में मूलतः एक ही भाषा की प्रवृत्ति का दर्शन करते हुए दक्षिणी अपभ्रंश के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। डा० सिंह के दोहाकोशों में तो पश्चिमी भाषा की प्रकृति दिखाई पड़ती है, थाडा बहुत जो भेद है वह दौलीगत है किंतु उनकी दृष्टि में सरह और कण्ह की गीतिया अथवा चर्यापदों की भाषा का

विशेषण करने पर उसमें पूर्वापन की जो अमिट झलक मिलती है उससे दृष्टि फेर लेना वाञ्छित नहीं। उन्होंने लिखा है कि 'वस्तुतः भारतीय आर्य भाषा की पूर्ववर्ती परंपरा के अनुसार अपभ्रंश के केवल दो क्षेत्रीय भेद थे—पश्चिमी और पूर्वी जिनमें पश्चिमी अपभ्रंश परिनिष्ठित थी तथा पूर्वी अपभ्रंश उसकी विभाषा मात्र थी। अपभ्रंश के इसमें अधिक भेदों की सत्ता मानने के लिए इस समय कोई गुजाइश नहीं है।' १० एक ओर डा० चटर्जी ने विविध स्थलों पर शौरसेनी अपभ्रंश को तत्कालीन संपूर्ण उत्तर भारत की एक महान् साहित्यिक भाषा का स्थान दिया है, तो दूसरी ओर डा० तिवारी के मत में सारा अपभ्रंश साहित्य एक ही परिनिष्ठित भाषा में निबद्ध है और डा० शिवप्रसाद सिंह की दृष्टि में अधिकांश अपभ्रंश की रचनाएँ पछाही अपभ्रंश में लिखी हुई हैं। ११

### परिनिष्ठित अपभ्रंश उत्पत्ति, विकास एवं महत्त्व

मध्यकालीन आर्य भाषा के तृतीय उत्थानकाल में सिर्फ शौरसेनी अपभ्रंश ही ऐसी भाषा रही है, जिसे तत्कालीन भारतीय समाज ने परिनिष्ठित भाषा के रूप में स्वीकार किया। यह मध्यदेशीय भाषा समस्त उत्तर भारत की एक मात्र साहित्यिक भाषा थी। इसे नागर अथवा पश्चिमी अपभ्रंश नाम से भी पुकारा गया है। इसकी नागर जैसी राजा उमकी परिनिष्ठिता की ही धोतक है।

वस्तुतः जिन प्रकार आज समस्त हिंदी प्रदेश में हिंदी में तात्पर्य दिल्ली एवं  
विभाषा पर आधारित खड़ी  
ग से तात्पर्य शूरसेन प्रदेश की  
 अपभ्रंश से माना जा सकता

है। जैसे आज खड़ी बोली हिंदी संपूर्ण हिंदी प्रदेश की प्रायः एक मात्र साहित्यिक  
एवं परिनिष्ठित भाषा है, वैसे ही अपने जमाने में शौरसेनी अपभ्रंश समस्त उत्तर  
 भारत की एकमात्र परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा के रूप में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण  
 रही है। इसके बावजूद जैसे हिंदी प्रदेश की आज की अवधी, भोजपुरी, मगही,  
 मैथिली, मुदेसी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज्जी, वनीजी, बागह, मारवाड़ी, मानवी, मेवाती,  
 पहाड़ी आदि बोलियों के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, वैसे ही शौरसेनी  
 अपभ्रंश से इतर अन्य जनपदीय बोलियों में साहित्य को न पाते हुए भी उनकी सत्ता  
 से मुग्न नहीं मोड़ा जा सकता, यद्यपि साहित्य के अभाव में भी उन विभाषाओं, जो  
 कान पवलिता हो चुकी हैं, को परिवर्तना स्वाभाविक एवं स्वस्य दृष्टि का परि-  
 धावन है।

महर्षि पांजनि के समय (ई० पू० दूसरी सदी) में लेकर वाक्यपदीयकार  
 नृसिंह (पांचवीं सदी) तक एकाधिक बार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हुआ है। विजु  
 समय की द्रम गोमा तत्र अपभ्रंश को भाषा विशेष के रूप में मान्यता नहीं दी।

पाई थी। यह शब्द असाधु, विभ्रष्ट अथवा सस्वारहीन जैसे शब्दों का शोचक मात्र था। प्रसिद्ध काव्यशास्त्री भामहू के समय (छठी सदी) से इन शब्दों का प्रयोग भाषा विशेष के अर्थ में दिखाई पड़ता है। इसलिए विद्वानों ने ईस्वी की छठी शताब्दी को अपभ्रंश भाषा का उत्पत्ति काल मानना उपयुक्त समझा है। यद्यपि उनकी धारणा से इन बातों की पुष्टि होती है कि छठी शताब्दी से सौ दो सौ वर्ष पहले से अपभ्रंश में रचनाएँ होनी प्रारंभ हो गईं रही होंगी और इनके प्रमाण-स्वरूप कुछ विद्वानों ने तो कालिदासकृत 'विक्रमोर्वशीय' के चतुर्थ अंक की अपभ्रंश भाषा में निबद्ध पुरुषवाची उन्मादोक्तियों को भी उद्धृत किया है।<sup>12</sup> किंतु 'विक्रमोर्वशीय' के अपभ्रंश-पद्यों की प्रामाणिकता स्वतः विवादग्रस्त है।<sup>13</sup> इसलिए प्रमाण के अभाव में स्वाभाविक होते हुए भी इस प्रकार की धारणा को विशेष महत्त्व नहीं।

यद्यपि साहित्यिक भाषा के रूप में मध्यदेश की शौरसेनी अपभ्रंश ईमा की कई शतान्दियों तक चलती रही, व्याकरण के सहारे कविवर्य मोलहरी सदी तक इसमें रचनाएँ करते रहे, किंतु नव्य भारतीय आर्यभाषाओं का उत्पत्तिकाल इस भाषा के विकास की चरम अवधि माना गया है। इसलिए शौरसेनी अपभ्रंश की विकास रेखा छठी शताब्दी से दसवीं शताब्दी के मध्य खींची जा सकती है अथवा अधिक से अधिक ग्रीचतान कर इसे ग्यारहवीं-बारहवीं सदी तक बढ़ाया जा सकता है। मध्यदेश की महती भाषा परंपरा की एक मात्र उत्तराधिकारिणी होने के कारण इन शौरसेनी अपभ्रंश ने साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि परिस्थितियों की अनुकूलता व बीच अपूर्व उन्नति की। हेमचंद्र के समय (12वीं सदी) तक आते आते समस्त उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के कुछ जनपद-विशेष इस भाषा की अपनी क्रीडा-भूमि बन चुके थे। श्री के० एम० मुशी के शब्दों में 'एक जमाना था जब शौरसेनी गुजरात में भी प्रचलित थी।'<sup>14</sup>

यों तो दण्डी के समय (7वीं सदी) से ही अपभ्रंश का साहित्य पल्लवित होने लगा था, किंतु इसकी वास्तविक श्रीवृद्धि आठवीं से दसवीं सदी के मध्य हुई। स्वयंभू (9वीं सदी), पुष्पदंत (10वीं सदी) के काव्यों में अपभ्रंश का अत्यंत परिष्कृत साहित्यिक रूप मिलता है। अपभ्रंश भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि में जैन एवं बौद्ध कवियों का भी कम योगदान नहीं रहा है। प्राप्त अपभ्रंश साहित्य का बहुत

को अपूर्व साहित्यिक कृतियाँ दी हैं।<sup>15</sup> जैन अपभ्रंश साहित्य की ही भाँति बौद्धों द्वारा धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर लिखी गई रचनाएँ भी अपभ्रंश की अमूल्य निधि हैं।

यद्यपि शौरसेनी अपभ्रंश को जैन मुनियों और बौद्ध भिक्षुओं का बल मिला,

फिर भी इसके सर्वांगीण विकास के लिए किसी प्रबल राजाश्रय की आवश्यकता थी, क्योंकि 'यह एक भाषा वैज्ञानिक तथ्य है कि राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्रो-मुक्तता के कारण विविध स्थानीय बोलियाँ एक विगल राष्ट्रीय भाषा के रूप में ढल जाती हैं।'<sup>86</sup> अपभ्रंश के विचारकाल में प्रमुखतः तीन समकालीन राज्यों थे। कान्यकुब्ज में प्रतिहार, मान्यखेट (बरार) में राष्ट्रकूट तथा बंगाल में पालवंशी राजाओं का आधिपत्य था। इनमें राष्ट्रकूट एवं पालवंशी राजाओं ने शौरसेनी अपभ्रंश को विशेष प्रश्रय दिया, बाद में चलकर गुजरात के सोलंकी राजाओं ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार इस भाषा को समस्त भारत की एक मान साहित्यिक भाषा के साथ ही मान्यखेट, बंगाल एवं गुजरात जैसे राज्यों की राजभाषा होने का शौरव भी प्राप्त हुआ। डॉ० चटर्जी के शब्दों में 'गुप्त साम्राज्य तथा हर्षवर्द्धन के साम्राज्य का पतन हो जाने के पश्चात् उत्तर भारत में विभिन्न गोत्रों के राजपूत या क्षत्रिय राजाओं का युग आया, और दक्षिणपथ, सिंधु एवं पंजाब से लेकर बंगाल तक समस्त उत्तर भारत में राजपूतवंशीय राजाओं का सभाओं में, देवभाषा ससृष्ट के बाद ही शौरसेनी अपभ्रंश का स्थान था।'<sup>87</sup> पश्चिमी अपभ्रंश का व्यवहार उत्तरी भारत के राजपूत नृपतियों की राजसभाओं में, तुर्कों की उत्तरी, भारत विजय की कुछ शताब्दियों पूर्व होता था, यह एक महान् साहित्यिक भाषा के रूप में ठेठ महाराष्ट्र से बंगाल तक प्रचलित थी।'<sup>88</sup>

भौगोलिक दृष्टि से कान्यकुब्ज उत्तर भारत का केंद्र था और राजनीतिक दृष्टि में भी प्रतिहारों ने उस केंद्र की सार्वभौमता प्रमाणित कर दी थी। उनके छत्र के नीचे अनेक सामंत थे, राजपूताना, गुजरात तथा मध्य भारत से कान्यकुब्ज तक का समस्त उत्तर भारत प्रायः एक मूल में आवद्ध था। इतना ही नहीं, हर्ष के बाद भी उत्तर भारत में कान्यकुब्ज साहित्य एवं ससृष्टि का प्रमुख केंद्र था, फिर भी ब्राह्मण घर्मानुयायी होने के कारण प्रतिहारवंशी राजाओं के दरबार में शौरसेनी अपभ्रंश का वैसा आश्रय प्राप्त न हो सका, जैसा ससृष्टि को प्राप्त था। प्रतिहारों की पराजय के साथ कान्यकुब्ज महाप्रतापी गौहड़वान राजाओं की राजधानी बनी। इन राजाओं के दरबार में भी ससृष्टि की ही विशेष प्रतिष्ठा थी।'<sup>89</sup>

कान्यकुब्ज राजाओं की अरथा पाल एवं राष्ट्रकूट वंशी राजा अपभ्रंश के यहीं अधिक मरक्षक थे। एक ओर पालवंशी राजाओं के शासनकाल में सरहू, कण्हू आदि घोगाती सिद्ध कवियों की काव्यधारा उमड़ी, सा दूसरी ओर पुष्पदंत एवं स्वयंभू जैम कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रस्तुतन राष्ट्रकूटों की छत्र-छाया में हुआ। इस प्रकार शौरसेनी अपभ्रंश को विकसित एवं राजभाषा का सम्मान प्रदान करने का प्रथम श्रेष्ठ राष्ट्रकूट राजाओं को है। राष्ट्रकूटों के शासन में बरार (मान्यखेट) जैसा वैद्यों का केंद्र था और बरार, गुजरात, मानवा, यहाँ तक कि विविध दक्षिण प्रदेशों का पूरा व्यापार इन्हीं के हाथों में था। जैन, वैष्णव ने देव्य-

भाषा को विशेष प्रथम दिया। शौरसेनी अपभ्रंश को अखिल भारतीय संपर्क भाषा (राष्ट्रभाषा) के रूप में विकसित करने का बहुत कुछ श्रेय इन जैन वैश्यों को दिया जा सकता है।

दसवीं सदी में राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात् वरार का केंद्र हटकर गुजरात में आ गया। अब गुजरात भारतीय संस्कृति का केंद्र एवं सोलकी राजाओं की राजधानी बनी। सोलकी राजाओं के शासनकाल (11वीं सदी) में भी शौरसेनी अपभ्रंश को विशेष महत्व मिला। अपभ्रंश के प्रसिद्ध विद्वान जैन आचार्य हेमचंद्र मूरि को सोलकी राजा सिद्धराज का राजाश्रय प्राप्त था। सोलकी राजाओं ने अपभ्रंश साहित्य के विकास के लिए मुक्त हस्त द्रव्य लुटाया, साथ ही इसे राजभाषा के पद पर भी प्रतिष्ठित किया।

मध्य भारतीय आर्यभाषा काल के अंतिम चरण में शौरसेनी अपभ्रंश के प्रचार और उसकी व्यापक मान्यता के पीछे इन राजपूत राजाओं के प्रति जनसामान्य की श्रद्धा, आस्था एवं अभ्यर्चना को भी एक कारण माना गया है। इन राजपूत राजाओं ने अपभ्रंश को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसे राष्ट्रीय व्यापकता दिलाने हेतु अथक प्रयास किया, इनके यश और शौर्य की गाथाएँ तथा स्तुतियाँ आदि इसी भाषा में छंदोबद्ध की गईं, इसलिए मुसलमानी आक्रमण से मत्तस्त, परित्राण की इच्छुक जनता ने यदि इस भाषा को सांस्कृतिक महत्व दिया हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं।

शौरसेनी अपभ्रंश को सार्वदेशिक व्यापकता प्रदान करने में राजपूत राजाओं, व्यवसायियों, सामान्य नागरिकों के अतिरिक्त विविध धर्मावलम्बी साधुओं एवं साधकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दस सदम में डा० चटर्जी का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है :

‘मध्य युग के उत्तर भारत के सात और साधु लोगों की परंपरा जिन्होंने स्थापित की थी, ऐसे राजपूताना, पंजाब और गुजरात के जैन आचार्य लोग तथा पूर्व भारत के बौद्ध सिद्धाचार्य लोग और बाद में समस्त उत्तर भारत में फैले हुए शैव-योगी या नाथपथ के आचार्य लोग, बंगाल के सहजिया पथ के साधक—इन सबों के लिए शौरसेनी अपभ्रंश जनता के साथ अपने मत और अपनी शिक्षा के प्रसार के वास्ते एक अच्छा साधन बना।’<sup>90</sup>

इस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि विविध परिस्थितियों के सक्रिय सहयोग से शौरसेनी अपभ्रंश ने समस्त उत्तर भारत की परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा के साथ राजभाषा एवं सार्वदेशिक संपर्क भाषा के शौरवमय पद को सुशोभित किया<sup>91</sup> और संस्कृत, पालि, शौरसेनी प्राकृत के द्वारा

स्थापित मध्यदेश की गरिमामयी भाषा— (राजभाषा, राष्ट्रभाषा) परंपरा को सुदृढ़ बनाती हुई उसे आगे बढ़ाया।

### नव्य भारतीय आर्य भाषा

मध्य भारतीय आर्यभाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश (अवहट्ट) के पश्चात् साहित्यिक क्षेत्र में जिन जन-भाषाओं ने पदार्पण किया, उन्हें नव्य भारतीय आर्य भाषा के नाम से पुकारा जाता है। यों तो विभिन्न विद्वानों ने नव्य भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति विभिन्न अपभ्रंशों से मानी है, किंतु इनकी उत्पत्ति अपभ्रंशों से न होकर साहित्यिक अपभ्रंश के समानांतर विकसित होने वाली विविध प्रादेशिक लोक भाषाओं में हुई है, अब इस भाषा वैज्ञानिक सत्य को दृष्टि से थोड़ा नही किया जा सकता। नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के प्राचीन साहित्य को देखने से पता चलता है कि इन भाषाओं ने अपना नवीन साहित्यिक रूप ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी तक विधिवत धारण कर लिया था। किंतु जहां तक इनके उत्पत्ति-काल का प्रश्न है, इनका जन्मकाल ईसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी मानना ही समीचीन होगा। क्योंकि बारहवीं शताब्दी में आचार्य हेमचंद्र द्वारा परिनिष्ठित अपभ्रंश का व्याकरण लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि समय की इस सीमा तक आकर परिनिष्ठित अपभ्रंश जनभाषा का दामन छोड़ चुकी थी। साथ ही यह भी सद्ब अनुमेय है कि हेमचंद्र के एक या दो शताब्दी पहले से लोक-साहित्य के माध्यम के रूप में जनभाषाओं का नवीन रूप अवश्य ही विकसित होने लगा होगा। विद्वानों की मान्यता ने हम अनुमान को विश्वास का रूप भी दिया है।

इस प्रकार दसवीं से चौदहवीं शताब्दी का काल नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के रूप ग्रहण का काल बतला जा सकता है। इन चार सौ वर्षों के मध्य जो जनभाषाएँ साहित्यिक जगत में अपने प्रचार को विधीन करती हुई उदीयमान हुईं, उनमें हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मिथी, असमिया, उडिया आदि प्रमुख हैं। किंतु इन नव्य भारतीय आर्य भाषाओं में मध्यदेशीय भाषा परंपरा की असीम शक्ति को लेकर उत्पन्न होने वाली हिंदी का सर्वोपरि एवं विशिष्ट स्थान है।<sup>12</sup> वस्तुतः भारत में युग युग से मध्यदेश की भाषा मार्गदेशिक संपर्क भाषा रही है। भारतीय सभ्यता के विस्तार के साथ वही यह कार्य ससृज ने किया, तो वही पालि ने, वही पौरुषी प्राकृत ने अपनी गरिमा का परिचय दिया, तो वही शौरसेनी अपभ्रंश ने। मध्यदेश की इसी महान भाषा-परंपरा पर चलकर हिंदी ने भी जन्म ले आज तक सारे देश के बण-बण से अपना नामा जोड़ा है।<sup>13</sup> इतना ही नहीं, डॉ० हरदेव बाहरी ने शब्दों में 'मध्य युग के आरंभ में मिथी लाहौरी, बंगला, गुजराती आदि मात्र शैलियाँ थीं—किंतु हिंदी मार्गदेशिक भाषा थी। मिथी, पंजाबी, बंगला, गुजराती आदि का जो साहित्य तब था, वह वस्तुतः लोक-साहित्य था।

महाराष्ट्र के नामदेव, तुकाराम आदि, गुजरात के नरसी महुता और दूसरे भक्त कवि, पजाब के नानक और अन्य सिख गुरु इसी सार्वदेशिक भाषा मे लिखते थे— भले ही क्षेत्रीय जनता के लिए उन्होंने अपनी रचनाएँ लोकभाषाओ म भी की।<sup>94</sup>

इन विविध नव्य भारतीय आर्य भाषाओ के मध्य हिंदी की वास्तविक महत्ता का अनुमान निम्नलिखित आकडो के द्वारा भी लगाया जा सकता है

(क) <sup>95</sup>	सन् 1961 के आकडे के अनुसार
भाषा	बोलने वालो की सख्या (लाख मे)
हिंदी	22,52
बगला	2,62 पाकिस्तान म (बगला देश)
	3,48 भारत मे
मराठी	3,92
पजाबी	2,03 भारत मे
	1,22 पाकिस्तान मे
गुजराती	2,06
उडिया	1,75
असमिया	68

(ख) भाषा <sup>96</sup>	बोलने वालों की सख्या (करोड मे)
चीनी	60
अंग्रेजी	25
हिंदी	20½
रूसी	18
स्पेनी	12
जर्मन	10
जापानी	10
फ्रांसीसी	8½
पुर्तगाली	6
बगला	6
अरबी	5

हिंदी प्रदेश और उसकी बोलिया

पश्चिम मे अवाला मे बीकानेर और जैसलमेर तक, दक्षिण मे ताप्ती नदी, बालघाट मे दुर्ग तक, पूर्व म रायपुर से भागलपुर तक एवं उत्तर मे नैगान की

सीमा को छोटे हुए गगोत्री-यमनोत्री तक के 1050 मील लंबे और लगभग 600 मील चौड़े विस्तृत भू-भाग को हिंदी प्रदेश का नाम से जाना जाता है। जहाँ अन्य नव्य भारतीय आर्य भाषाएँ एक-एक प्रदेश की साहित्यिक एवं सामान्य बालचाल की भाषाएँ हैं, वहाँ हिंदी का अपना निजी क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश का सम्मिलित एक विस्तृत भू-भाग है। इसके अतिरिक्त यह भाषा कमोवेश समस्त भारत में बोली और समझी जाती है। हिंदी भाषा के अतिसंत 17 मुख्य बोलियाँ हैं, जिनको विद्वानों ने निम्नलिखित पाँच उपवर्गों में विभक्त किया है

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (क) पश्चिमी हिंदी     | खड़ी बोली, बागरू (हरियाणी), ब्रजी, बघौजी और बुंदेली। |
| (ख) राजस्थानी हिंदी . | भारवाडी, जयपुरी, मेवाती और मालवी।                    |
| (ग) पूर्वी हिंदी      | अवधी, बघेली और छत्तीसगढी।                            |
| (घ) बिहारी हिंदी      | भोजपुरी, मगही और मैथिली।                             |
| (ङ) पहाडी हिंदी       | कुमायूनी और गढवाली।                                  |

किंतु हिंदी की बालियों को इस प्रकार में पाँच उपवर्गों में विभक्त करना समीचीन प्रतीत नहीं होना। अधिक से अधिक इन्हें दो भागों में बाटा जा सकता है—पश्चिमी उपखंड और पूर्वी उपखंड। यदि लखनऊ की पश्चिमी सीमा से एक रेखा उत्तर में नेपाल और दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा तक खींच दी जाय, तो इस रेखा के पश्चिम ब्रज भाषा, बन्नीजी, बुन्देली, खड़ी बोली, बागरू, भारवाडी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमायूनी और गढवाली इन ग्यारह बोलियों का तथा पूर्व में अवधी, बघेली, छत्तीसगढी, भोजपुरी, मगही और मैथिली इन छ बोलियों का क्षेत्र दिखाई पड़ेगा।<sup>17</sup> किंतु डा० हरदेव बाहरी के शब्दों में 'हिंदी साहित्य के अध्येता के लिए तीन बोलियों की जानकारी परमावश्यक है। इनमें अवधी जायसी और तुलसी के समय में भाषापद को प्राप्त करने वाली थी, किंतु उत्तराल में उनकी परंपराएँ आगे नहीं चल पाईं।<sup>18</sup> ब्रजभाषा की बोमल-बौत गुणवत्ता और ब्रजभाषा साहित्य की अधिक व्यापक लोकप्रियता ने अवधी को आगे नहीं बढ़ने दिया।' 'लगभग 300 वर्ष तक ब्रजभाषा भाषा के पद पर आसीन रही। राय तो यह है कि हिंदी के जन्मकाल से ही ब्रजभाषा हिंदी कविता की प्रधान भाषा रही है। आरम्भ में इसकी इतना गौरवान्वित करने का श्रेय बल्लभ-सम्प्रदाय के कवियों को है।<sup>19</sup> बीसवीं शती के आरम्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में खड़ी बोली इसके स्थान पर वाच्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुई।<sup>20</sup> वर्तमान समय में इसकी होठ भारत की कोई भाषा नहीं बन सकती।<sup>21</sup>



## हिन्दी भाषा का विकास और महत्त्व

हिन्दी के उच्च स्तर में लेकर आकर यह के उनके एक हजार वर्षों के इतिहास की सामान्यतया तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है

1. आदिवाक्य (1000 ई० से 1400 ई० तक)
2. मध्य काल (1400 ई० से 1800 ई० तक)
3. आधुनिक काल (1800 ई० से आज तक)

आदिवाक्य के रूप में हिन्दी के प्रारम्भिक विकास का पता ली बर्तों का यह समय संपूर्ण भारतीय इतिहास में अत्यन्त उच्च-शुद्धता का समय रहा है। यद्यपि भारत पर विदेशियों का आक्रमण बहुत बढ़ते में ही हुआ हो गया था, किन्तु 1000 ई० के परंपरा मुस्लिम विजयियों द्वारा आक्रमण का जो विनाशित मुक्त हुआ, यह चौदहवीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में आक्रमण नहीं हो सकता रहा। नव्य भारतीय आर्य भाषाओं पर मुसलमानों के आक्रमण का प्रभाव अल्पित करते हुए डा० चटर्जी ने लिखा है कि 'यदि भारतीय जीवन की धारा पूर्व-निर्मित सिद्धांतों में ही बहती रहती और उस पर बाहर का कोई भीपण आक्रमण न हुआ होता तो सम्भवतः नव्य भारतीय आर्य भाषाओं का अस्तित्व तथा विकास दो-त्र शताब्दी परमाणु ही होता।'<sup>99</sup>

यदि डा० चटर्जी की इस बात को मान भी लिया जाए, तो भी मुसलमानी आक्रमण ने जहाँ नव्य भारतीय आर्यभाषाओं के विकास में शिराओं की सम्भावना बढ़ी, वहीं उन नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के साहित्य का बहुत बड़ा मुतगान भी हुआ। कारण यह है कि अर्ध-विकसित प्रथम अर्धविकसित भाषाओं में निचे गए साहित्य एवं उनकी सुरक्षा का सबसे आश्रय तत्कालीन राजा-महाराजा थे, जो इस आक्रमण के बाद नष्ट हो गए। ईस्वी सन् की दसवीं और चौदहवीं शताब्दी के बीच मध्यदेश की दस्य भाषाओं में निचे हुए साहित्य के न मिलने का रहस्य भी यही है। इन दिनों हिन्दी-प्रदेश मुसलमन, तोत भिन्न-भिन्न राज्यों में विभक्त था। पश्चिम में चौहानयुग का राज्य था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। दक्षिण-पश्चिम में (राजस्थान में) राजपूतों का राज्य था। पूर्व में राठौर वन की राजधानी बननौज थी। बाराहसी नदी के अगिम पारण में मुहम्मद गौरी ने चौहान वन के सम्राट् नृष्यीराज को पराजित कर दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। बननौज के राजा जयचंद की पराजय के बाद तो प्रायः अधिकांश हिन्दी प्रदेश पर मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया। फिर भी राजस्थान इस युग में भारतीय संस्कृति का एकमात्र प्रश्रय-स्थल रह गया था। यही कारण है कि हिन्दी के आदि काल का जो कुछ भी प्राप्य साहित्य है उसका अधिकांश भाग राजस्थान से ही प्राप्त हुआ है। हिन्दी भाषा के इस काल में राजस्थान और उसके आसपास

के इलाके में मुख्यतः चार प्रकार की भाषाओं का प्रयोग होता रहा : एक तो अपभ्रंश मिश्रित पश्चिमी हिंदी, दूसरी डिंगल, तीसरी शुद्ध मरुभाषा और चौथी पिंगल । साहित्यिक दृष्टि से डिंगल और पिंगल का विशेष महत्त्व था ।

डिंगल उस राजस्थानी मिश्रित कृत्रिम अपभ्रंश का नाम है जो दरबारी चारणों को परंपरागत रुढ़ि के रूप में प्राप्त हुई थी । हिंदी का रासो साहित्य डिंगल साहित्य कहलाता है । इसका व्यवहार हिंदी के आदिकाल के साथ ही समाप्त हो गया । डिंगल के अपेक्षाकृत पर्याप्त व्यापक क्षेत्र की साहित्यिक भाषा 'पिंगल' कहलाती थी, जो सरस, कोमल तो थी ही, साथ ही शास्त्रसंगत और व्यवस्थित भी थी । 'उन्नत व्यक्ति प्रकरण', 'प्राकृत पंगलम्', 'जयचंद्र प्रबंध' आदि में इसके स्वरूप की पर्याप्त झलक मिलती है । वस्तुतः इस भाषा को ब्रजभाषा का पूर्व रूप कहा जा सकता है ।

हिंदी के मध्यकाल में प्रमुखतः हिंदी की तीन बोलियाँ—अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली साहित्यिक मंच पर आसीन दिखालाई पड़ती हैं । इनमें अवधी, जो

भ . . . . .  
टि . . . . .

भक्तिक मुहम्मद जायसी, कुतबन, मसन, नूर मुहम्मद आदि सूफियों की ठेठ अवधी, जिसमें अरबी-फारसी के प्रचलित शब्द एवं मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, पुढुवर, गोवर्धन दास, दु खहरन आदि प्रेमाख्यानकार हिंदू कवियों की पश्चिमी परंपरा से संपृक्त अवधी, जिसमें अपभ्रंश का क्षीण होता हुआ और संस्कृत का बढता हुआ प्रभाव परिलक्षित होता है तथा गोस्वामी तुलसीदास, अन्नदास, लालदास आदि राम कवियों की साहित्यिक अवधी, जिसकी तुलना उसकी प्राज-लता एवं कोमलता के कारण तत्कालीन कोमलकांत पदावली से युक्त ब्रजभाषा से की जा सकती है ।<sup>100</sup> किंतु कहना न होगा कि साहित्यिक अवधी की धारा तुलसी के बाद त्रमशः क्षीण होती गई और भक्तिकाल के अंत तक जाते-जाते अवधी मात्र लोकभाषा बनकर रह गई ।

हिंदी के मध्यकाल के बीच मध्यदेश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह यदि किसी भाषा ने किया, तो वह थी ब्रज । दूरसेन प्रदेश की इस बोली को सत्कृत से लेकर शीरसेनी अपभ्रंश तक की सारी शक्ति और गरिमा अपनी परंपरा के रूप में एक साथ मिली हुई थी ।<sup>101</sup> यह अपने जमाने की एक परिनिष्ठित एवं उच्चकोटि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको इतना अधिक गौरवान्वित करने का बहुत कुछ श्रेय वल्लभ सम्प्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों को है । एक ओर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इसे पुरुषोत्तम भाषा की सजा प्रदान की, तो दूसरी ओर काव्य और साहित्य के प्रेमी सहृदयों ने इसे 'भाषा-मणि' कहा ।

एक ओर सूरदास, नददास आदि अष्ट छाप के शृष्ण भवन कवियों की यह कठहार थी, तो दूसरी ओर रीतिकालीन आचार्यों एवं कवियों की वाणी का परिधान भी। इतना ही नहीं पंजाब से लेकर सुदूर बंगाल तक इस भाषा की मधुर मुरली कई शताब्दियों तक गूँजती रही। यह ब्रज भाषा की कौमलवात पदावली की रस-मयता ही थी कि जिस पर विमोहित होकर पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हिंदी प्रदेश एवं बंगाल के कवियों ने समान रूप से इसमें रचनाएँ की और डाक्टर प्रियर्सन को भी इसे मध्यदेश की आदर्श भाषा मानना पड़ा।<sup>102</sup>

वस्तुतः ब्रजभाषा अपनी किशोरावस्था से लेकर ईसा की अठारहवीं शताब्दी तक सशक्त साहित्यिक भाषा के साथ अखिलदेशीय संपर्क भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही है। इस प्रकार से इसने संस्कृत काल में चली आती हुई मध्यदेश की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रभाषा-परंपरा का समुचित निर्वाह किया है। इतना ही नहीं, अपनी किशोरावस्था में, मुसलमानी आक्रमण काल में जहाँ इसने उत्तर की सांस्कृतिक और राजकीय भाषा का पद प्रतिष्ठित किया,<sup>103</sup> वहीं अपनी प्रौढ़ावस्था में अपनी माधुरी से मुगल सम्राटों को चले चकित और विमोहित भी।<sup>104</sup> फिर भी, मुस्लिम शासकों के द्वारा फारसी को राजभाषा बनाए जाने के कारण, राजकाज के कार्यों से प्रायः इसे वंचित रहना पड़ा। भारतीय भाषाओं के इतिहास में यह पहला अवसर था, जबकि मध्यदेश की भाषाओं की राजभाषा परंपरा खंडित हुई और भारत के सिंहासन पर भारतीय नहीं बल्कि फारसी जैसी विदेशी भाषा आरूढ़ हुई। इस प्रकार जहाँ ब्रजभाषा ने अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा अखिलदेशीय संपर्क भाषा की परंपरा को कायम रखा, वहीं राजभाषा के अपने प्राप्य अधिकार से वह वंचित रही और मध्यदेशीय राजभाषा की गरिमामयी परंपरा का पालन न कर सकी।

हिंदी के मध्यकाल में अवधी और ब्रज के अतिरिक्त तीसरी साहित्यिक बोली थी कुरु प्रदेश की खड़ी बोली, जिसके मिश्रित स्वरूप की ज्ञाती समस्त उत्तर भारत में फैले हुए साधु सतों की अटपटी वाणी और उनके साहित्य में देखी जा सकती है। यों तो उत्तर भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में इन बोली का कोई विशेष महत्त्व नहीं था, अमीर खुसरो जैसे एकाधिक व्यक्ति ने खाड़ी बहुत रचना इसमें जरूर की थी, किन्तु मौखिक परंपरा के माध्यम से इस बोली का प्रचार प्रसार न कि उत्तर भारत, बल्कि दक्षिण भारत में भी साधु-सतों के द्वारा बहुत पहले से ही हो गया था। यही कारण है कि अलाउद्दीन की दक्षिण विजय के साथ-साथ उत्तर भारत (दिल्ली के आसपास के इलाके) से गए हुए मुसलमानों को दक्षिण में इस उत्तर की परिचित बोली को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने फारसी का मोह त्याग कर इस बोली को दामन और साहित्य का माध्यम बनाया। इस प्रकार इस बोली को जो महत्त्व अपने घर में न मिल सका, वह ईसा की चौदहवीं शताब्दी में बाहर यानी दक्षिणी भारत में मिला। कालान्तर में दक्षिण के साहित्यकारों द्वारा

यह बोली उत्तर भारत में लायी गयी और तब दक्खिनी नाम से प्रसिद्ध हुई।<sup>105</sup>

हिंदी के आधुनिक बाल तब आते-आते ब्रजभाषा भी लोकभाषा से काफी दूर हट चुकी थी, अवधी ने तो बहुत पहले ही साहित्य से मुक्त मोड़ लिया था। अब साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली ने गद्य के माध्यम के रूप में मगधत पदों से पदार्पण

के माध्यम के रूप में ब्रजभाषा चैतन्य रही। पर आगे चलकर द्विवेदी युग में कविता ने भी ब्रज का परिधान उतार फेंका और इस प्रकार बीमवी शताब्दी के

जहां तब अखिल देशीय संपर्क भाषा और राजभाषा का प्रश्न है, इन युग में आकर ब्रजभाषा के द्वारा बढ़ाई गयी अखिल भारतीय संपर्क भाषा की मध्यदेशीय परंपरा को छोड़ी बोली में कायम रखा और इस रूप में स्वातंत्र्य सेनानियों की अमूल्य सेवा की। उसकी सेवा का ही महत्त्व रहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस, बाल गंगाधर तिलक आदि अनेकानेक नेताओं ने एक स्वर से इने राष्ट्रभाषा के नाम से पुकारा और अंततोगत्वा इसने स्वाधीनता प्राप्ति के साथ अखिल देशीय संपर्क भाषा के बदले राष्ट्रभाषा का पद स्वतः प्राप्त किया। किन्तु याद रहे कि मुस्लिम शासन काल में भारत की राजभाषा फारसी थी और इन मुसलमान शासकों से शासन सत्ता अंग्रेजों ने छीनी। जब अंग्रेजों ने फारसी को राजसिंहासन से हटाकर उस पर अंग्रेजी को ला बिठाया। इस प्रकार अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर बिठाने में मकाले की भाषा नीति बड़ी कारगर सिद्ध हुई। बहना न होगा कि सत्ता के इस परिवर्तन से राजभाषा के क्षेत्र में हिंदी जैसी मध्य देशीय भाषा को कोई उल्लेखनीय लाभ नहीं हुआ, ब्रजभाषा अथवा खड़ी बोली के रूप में हिंदी को मुसलमान बादशाहों के दरबारी में जो महत्ता मिली थी, उससे भी अंग्रेजों की साम्राज्यिकता को बढानेवाली नीति ने कारण उर्दू को बीच में ला खड़ा कर देने में हिंदी को बचिंत रह जाना पडा। किन्तु खड़ी बोली हिंदी ने हिम्मत न हारी, ब्रजभाषा के द्वारा खोयी हुई सत्ता को पुन प्राप्त करने के लिए स्वाधीनता संघर्ष के पग-से पग मिलाती हुई राजभाषा ने अंग्रेजों के साथ कठिन लोहा लिया और अंतत वह स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के द्वारा राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित हुई। किन्तु स्वार्थलोलुप कुछ स्वदेशियों की दूषित नीति के फल-स्वरूप जीतकर भी वह जीत न पायी और आज भी व्यावहारिक रूप से अंग्रेजी राजभाषा बनी हुई है।

निष्कर्ष यह कि मध्यदेश की अपनी एक महान भाषा परंपरा रही है और सस्कृत से लेकर हिंदी तक की सपूर्ण मध्यदेशीय परिनिष्ठित भाषाओं ने अपने-अपने समय में यथा सामर्थ्य इस परंपरा को पुष्ट किया है। इस महती परंपरा की दो धाराएँ रही हैं एक अखिल भारतीय सपर्क भाषा या राष्ट्र भाषा की धारा और दूसरी राजभाषा की। सस्कृत, पालि, शौरसेनी प्राकृत एवं शौरसेनी अपभ्रंश ने अपनी आंतरिक जीवनी शक्ति के द्वारा दोनों धाराओं को गतिशील रखा है, किन्तु हिंदी युग में आकर मुसलमान एवं अंग्रेज शासकों के द्वारा अवरोध उत्पन्न कर देने के कारण लगभग सात सौ वर्षों तक हिंदी ने केवल अखिल देशीय सपर्क भाषा की धारावाहिक परंपरा को कायम रखने का कार्य किया है और राजभाषा का क्षेत्र प्रायः उमसे अछूता रहा है और आज यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् दोनों क्षेत्र खड़ी बोली हिंदी के मातहत मान लिए गए हैं, फिर भी राजभाषा हिंदी की समस्या सुलझ नहीं सकी है।

## सदभं

- 1 'सरस्वतीद्वय द्वयार्देवनद्योर्यदन्तरम ।  
त देव निर्मित देश ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥' मनु० 2-17 ।
- 2 मत्स्य जयपुर के आसपास का प्रदेश ।
- 3 शूरसेन मथुरा का चतुर्दिक प्रदेश जिसमें आगरा जनपद भी सम्मिलित था ।
- 4 पाचाल बरेली से कानपुर तक गंगा का तटवर्ती प्रदेश ।
- 5 'बुधक्षेत्र च मत्स्याश्च पन्चाला शूरसेनका' ।  
एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादिनन्तर ॥' मनु० 2-19 ।
- 6 'हिंदी साहित्य' (प्रथम खंड) डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० 3 ।
- 7 'हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास' (प्रथम भाग) डा० राजबली पाडेय, पृ० 4 ।
- 8 द्रष्टव्य  
'हिंदी भाषा और लिपि' डा० धीरेंद्र वर्मा, पृ० 1 ।  
'हिंदी भाषा का इतिहास' डा० धीरेंद्र वर्मा, पृ० 44 ।  
'मध्य देश और उसकी सस्कृति' डा० धीरेंद्र वर्मा, पृ० 44 ।  
'हिंदी साहित्य (प्रथम खंड) : डा० वासुदेश शरण अग्रवाल, पृ० 4 ।  
'भाषा विज्ञान की भूमिका' प्रो० देवेंद्रनाथ शर्मा, पृ० 121 ।  
'नूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य' डा० शिवप्रसाद सिंह, पृ० 17 ।

'हिंदी का व्यावहारिक रूप' श्री विनयमोहन शर्मा पृ० 21 ।

'हिंदी भाषा की उत्पत्ति' आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पृ० 21 ।

- 9 सदानीरा नदी कोसल और विदेह जनपदों के बीच की सीमा रेखा थी । शतपथ ब्राह्मण में वर्णित एक कथा के अनुसार सरस्वती के तट पर अनेक यज्ञ हुए । विदेह माधव नामक महर्षि ने उस तट पर प्रज्ज्वलित वैश्वानर अग्नि को देखा । वे उस अग्नि पुत्र को सदानीरा नदी तक ले गए । फलतः सरस्वती से सदानीरा तक का संपूर्ण प्रदेश पवित्र हो गया और इस प्रदेश को प्राचीन सदा भुवन हुई । कालांतर में इसी को मध्य देश कहा गया । देखिए—शतपथ-114।111-17 ।

10 वर्तमान ककजोल (जिला सयाल परगना, बिहार) को बजगल कहते थे ।

11 वर्तमान सिलई नदी (जिला हजारी बाग और सिंह भूमि) ।

12 महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सेतकण्ठि हजारीबाग जिले में कोई स्थान था ।

13 वर्तमान स्यानेश्वर ।

14 हरिद्वार के समीप ।

15 'तत्रिमे पच्चन्तिमा जनपदा पुरित्थिमाय दिसाय बजगल नाम निगमो, तस्य परेन महासाला ततोपरा पच्चन्तिमा जनपदा, औरतोमज्जे, पुरित्थिम दक्खिणाय दिसाय सल्लवती (सल्लवती) नाम नदी, ततोपरा पच्चन्तिमा जनपदा, औरतोमज्जे, दक्खिणाय दिसाय सेतकण्ठिक नाम निगमो, ततोपरा पच्चन्तिमा जनपदा, औरतो मज्जे, पच्छिमाय दिनाय थूण नाम ब्राह्मण मामो, ततोपरा पच्चन्तिमा जनपदा औरतो मज्जे, उत्तराय दिसाय उसीरद्धजोताभ पव्वती, ततोपरा पच्चन्तिमा जनपदा, औरतो मज्जे ।' —'महावग्गपालि', पृ० 216 ।

द्रष्टव्य

'विनयपिटक', पृ० 213 ।

'जातकट्टकथा' (प्रथमोभाग), पृ० 38 39 ।

'बुद्धकालीन भारतीय भूगोल' डा० भरत सिंह उपाध्याय, पृ० 34 और 73 ।

- 16 'The ancient Magdhan country including Banaras and Buddha Gaya was the land par excellence of Buddha and Buddhism

It was, therefore, quite in the logic of circumstances that Buddhist writers would extend the boundary of the Madhyadesa (Majjhimadesa) further towards the east

so as to include the Buddhist holy land'

—'Geography of Early Buddhism' Dr Vimal Chandra Laha, p 1

17 प्रमुखतः द्रष्टव्य

'हिंदी भाषा का इतिहास' अथवा 'हिंदी भाषा और लिपि' में सलग्न 'हिंदी प्रदेश' का मानचित्र ।

18 'हिंदी साहित्य' डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० 1 ।

19 'हिंदी साहित्य की भूमिका' डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० 18 ।

20 'भारतीय आर्यभाषा और हिंदी' डा० सुनीति कुमार चटर्जी, पृ० 190 ।

21 (क) 'मध्यदेश्या आर्यं प्रायः शुच्युपचारा' (काममूत्र 2।5।21) ।

(ख) 'यो मध्ये मध्यदेश निवसति स कवि सर्वभाषा निपण्ण' (का० मी० 10) ।

(ग) 'दसनि की मणि यहि मध्यदेश मानिए ('कविप्रिया' केशव) ।

(घ) यही वह भूमि है, जिसने हिंदी के ादि कवियो गरह, स्वयंभू आदि को जन्म दिया । यही भूमि है, जहा अश्वघोष, कालिदाम, भवभूति और बाण पैदा हुए । यही वह भूमि है, जहा वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज ने ऋग्वेद के मन्त्र रचे और प्रवाहण, उद्दालक और याज्ञवल्क ने अपनी दार्शनिक उडानों की ।' राटुल सास्कृत्यायन 'राष्ट्रभाषा हिंदी', पृ० 57 ।

22 'खडी बोली का आदोलन' (दो शब्द) डा० शितिकठ मिश्र पृ० 8 ।

23 'राष्ट्रभाषा हिंदी', पृ० 147-48 ।

24 'नाट्यशास्त्र' भरत, 17।47 ।

25 द्रष्टव्य

'सूर पूर्वं ब्रजभाषा और उसका साहित्य', पृ० 18 ।

26 'सामान्य भाषा विज्ञान', पृ० 140 ।

27 (क) 'प्रत्येक साहित्यिक भाषा का मूल आधार कोई न कोई जनभाषा होती है ।'—डा० अबादत्त पत ।

'अपभ्रंश काव्य परंपरा और विद्यापति', पृ० 130 ।

(ख) भाषा वैज्ञानिको का कथन है कि साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा बराबर प्रचलित रही है और वही साहित्य भाषा को जन्म देती रही है ।'

हिंदी का व्यावहारिक रूप' प० विनय मोहन शर्मा, पृ० 22 ।

(ग) द्रष्टव्य

हिंदी के विज्ञान में अपभ्रंश का योग' डा० नामवर सिंह पृ० 26 ।

'भाषा और समाज' डा० रामविलास शर्मा, पृ० 141-146 ।

'हिंदी साहित्य' (प्रथम खंड) डा० हरदेव बाहरी, पृ० 138 ।

'अपभ्रंश भाषा का अध्ययन' डा० धीरेन्द्र शीवास्तव पृ० 34 ।

28 द्रष्टव्य

'हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग', पृ० 26 ।

29 वही, पृ० 27 ।

30 'भाषा और समाज' डा० रामवितास शर्मा, पृ० 145 ।

31 'वैसे तो संस्कृत देश के किमी भाग में घर की भाषा नहीं थी, हा, हम यो मान सकते हैं कि केवल ईसा पूर्व की कुछ शताब्दिया में पंजाब तथा मध्य-प्रदेश (आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश) की बोलियों पर इसका प्रारंभिक स्वरूप आधारित था ।'

'भारतीय आर्य भाषा और हिंदी', पृ० 186 ।

32 'भारतीय आर्य भाषा और हिंदी', पृ० 115 ।

33 'भाषा विज्ञान की भूमिका', पृ० 117-118 ।

34 'हिंदी भाषा का विकास' डा० श्याम सुंदर दास, पृ० 5 ।

35 'सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य' डा० शिवप्रसाद सिंह, पृ० 19 ।

36 'अतः साक्ष्य से यह सिद्ध किया जा सकता है कि आर्य जातियों की बोलियाँ का एक साहित्यिक स्तर 1500 से 1000 ई० पू० तक विकसित हो गया था ।' डा० हरदेव बाहरी 'हिंदी साहित्य' (प्रथम खंड), पृ० 134 ।

37 'हिंदी साहित्य' (प्रथम खंड) पृ० 136 ।

38 'भामान्य भाषा विज्ञान', पृ० 140 ।

39 'भारतीय आर्य भाषा और हिंदी', पृ० 76 ।

40 द्रष्टव्य

'अपभ्रंश-साहित्य' डा० हरिवंश कौछड़, पृ० 11 ।

41 'हिंदी भाषा का उदगम और विकास', पृ० 56 ।

42 वही, पृ० 55 ।

43 'सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य', पृ० 24 ।

44 'अपभ्रंश भाषा और साहित्य', पृ० 5 ।

45 'संस्कार पाठ्य सयुक्तता संग्रह राज्ये प्रतिष्ठिता'—नाट्यशास्त्र, 17/29 ।

46 'हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास' (प्रथम भाग), डा० मोचराशंकर व्यास, पृ० 208 ।

47 द्रष्टव्य

'हिंदी साहित्य' (प्रथम खंड) डा० हरदेव बाहरी, पृ० 138-139 ।

'अपभ्रंश भाषा का अध्ययन' डा० धीरेन्द्र शीवास्तव, पृ० 35 ।



- 48 'विभिन्न बोलियों के एक शृङ्खला की कड़ियों के रूप में होते हुए भी प्राचीनकाल में प्रायः विदेशी लोग भारतीय भाषा को एक ही समझते थे और ससृष्ट उस शृङ्खला की मध्य-स्थिति मणि-सी थी।'—भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी, पृ० 93 ।
- 49 'इसके विजयी जीवन का आरम्भ इसके जन्म से तभी ही गया, जब इसने भारत की दिग्विजय का श्रीगणेश किया और एक वास्तविक 'देवभाषा' के रूप में इसका विस्तार प्रभाव अत्यन्त सुदूरवर्ती देशों पर भी पड़ा।'—'भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी', पृ० 76 ।
- 50 'हिन्दी साहित्य' (प्रथम खण्ड), पृ० 238 से सामान्य उद्धृत ।
- 51 'हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास', (प्रथम भाग), पृ० 255 ।
- 52 'हिन्दी साहित्य' (प्रथम खण्ड), पृ० 237 ।
- 53 'हिन्दी साहित्य' (प्रथम खण्ड), पृ० 237-38 से सामान्य उद्धृत ।
- 54 'हिन्दी साहित्य' (प्रथम खण्ड), पृ० 238 ।
- 55 वही, पृ० 239 से सामान्य उद्धृत ।
- 56 दृष्टव्यः  
'भाषा विज्ञान की भूमिका', पृ० 119-20 ।  
'भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास', पृ० 60 ।
- 57 'हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास', पृ० 60 ।
- 58 'भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी', पृ० 107 ।
- 59 'सूर पूर्वं राजभाषा और उसका साहित्य', पृ० 25 ।
- 60 विस्तृत विवरण के लिए देखिए 'पालि साहित्य का इतिहास' भरत सिंह उपाध्याय ।
- 61 दृष्टव्यः  
'Origin and Development of Bengali Language', p 55
- 62 'भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी', पृ० 187 ।
- 63 'मध्यदेश की भाषा के प्रभाव द्वितीय शती ई० पू० के समय में भी उड़ीसा तक पहुँचे पाए जाते हैं । खारवेल शिलालेख एक ऐसी बोली में उत्कीर्ण है, जो पालि एवं तथाकथित कल्पित 'प्राचीन शौरसेनी' दोनों से मिलती-जुलती है।'—'भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी', पृ० 187-188 ।
- 64 'भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी', पृ० 188 ।
- 65 'Origin and Development of Bengali Language, p 60
- 66 'महारागद्राथया भाषा प्रवृष्ट प्राकृत विद्यु ।  
सागरसूक्तिरत्नाना सेतुबन्धादि यन्मयम् ॥'—'वाक्य दर्श' 1134 ।
67. 'प्राकृत-प्रकाश', 1213' ।

- 68 'Journal of Deptt of Letters, Calcutta University', Vol 23, 1933
- 69 द्रष्टव्य  
 भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, पृ० 102 ।
- 70 'Thus we may conclude that Prakrit, though it may be called Maharashtra for the sake of Dandi, was not the dialect which has its origin in Maharashtra and the geographical area which it has any possible vital connection is the Indian Midland and it is the language of S'aurseña Region'—'Maharashtra A Later Phase of S'aurseña, J D L C, Vol 23, p 24
- 71 'It is rather hasty to assume that Marathi is the final decedent of the Maharashtra Prakrit'—'Comparative Grammar of Modern Aryan Language', p 34
- 72 'Like Brajhasa in Northern India from the 15th Century downwards Maharashtra become the recognised dialect of lyrics in the Second MIA period'—'Origin and Development of Bangali Language', p 86
- 73 द्रष्टव्य 'भारतीय आर्यभाषा और हिंदी', पृ० 81 ।
- 74 'परसा सक्कअग्धा पाउअबधा वि होइ सुउमारो ।  
 पुस्त महिलाण जिधअ मिहतर तेचिअ मिमाम ॥'—'वर्णरमजरी', 118 ।
- 75 'नाट्यशास्त्र', 17।47 ।
- 76 द्रष्टव्य  
 'राष्ट्रभाषा पर विचार' श्री चंद्रवती पाठेय, पृ० 58 ।
- 77 'महाराष्ट्री उस समय की राष्ट्र भर की भाषा थी, इसलिए महाराष्ट्र शब्द समस्त राष्ट्र का बोधक भी माना जा सकता है।'—'हिंदीभाषा', पृ० 9 10 ।
- 78 द्रष्टव्य 'भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ' डा० चटर्जी, पृ० 95 96 ।  
 'सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य', पृ० 36 ।
- 79 'हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग', पृ० 49 ।
- 80 'हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग', पृ० 60 ।
- 81 द्रष्टव्य  
 'भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ', पृ० 96 ।

- 'भारतीय आर्यभाषा और हिंदी', पृ० 190-191 ।  
 'ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज' (भूमिका), पृ० 91 ।  
 'हिंदी भाषा का उद्गम और विकास', पृ० 127 ।  
 'सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य', पृ० 36 ।
- 82 विक्रमोवर्गीय की अपभ्रंश काव्य शैली का निम्नलिखित रूप द्रष्टव्य है—  
 'मई जाणिउ भिअलोर्याणि गिसियरू कोइ हुगैइ ।  
 जा वण णव तडिसामलो धाराहइ वरिसेइ ॥'  
 (मैंने तो समझा था मृगतोचनी उर्वशी को कोई निश्चर हरण करके ले  
 जा रहा है, किंतु मुझे अपनी ध्राति का पता तब तक न चल पाया, जब  
 तक नवीन विद्युत से सुशोभित श्यामल मेघ न बरसने लगा ।)
- 83 द्रष्टव्य 'परमात्मप्रकाश' (भूमिका), पृ० 56 ।  
 84 'Gujrat and its Literature' K M Munshi, p 20  
 85 'इस शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी भारत के जैनो ने विराट् साहित्य का  
 निर्माण किया ।'  
 'भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ', पृ० 96 ।
- 86 'हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग', पृ० 50 ।  
 87 'भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ', पृ० 95 ।  
 88 'भारतीय आर्य भाषा और हिंदी', पृ० 190 ।  
 89 'श्री हर्ष जैसे सस्कृत के पंडित कवि से गाहड़वालों का दरबार सुशोभित  
 था । ऐसे सुसस्कृत दरबार में भला लोकभाषा के कवि की कहाँ पूछ ।'  
 'हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग', पृ० 51 ।
- 90 'राजस्थानी भाषा', पृ० 62-63 ।  
 91 'लगभग 10वीं से 12वीं शती तक पश्चिमी अपभ्रंश बड़े वेग के साथ  
 प्रचलित थी और (मस्कृत तथा अन्य प्राकृतों के अतिरिक्त भी) सर्व-  
 साधारण की साहित्यिक तथा दैनिक जीवन के व्यवहार की भाषा बनी  
 हुई थी ।'—'भारतीय आर्यभाषा और हिंदी', पृ० 191 ।  
 '9वीं से 12वीं शताब्दी के काल में परिनिष्ठित अपभ्रंश, राजपूत राजाओं  
 की प्रतिष्ठा और प्रभाव के कारण, जिनके दरबारों में इसी शौरसेनी की  
 परवर्ती या उसी पर आधृत भाषाएँ व्यवहृत होती थी और जिसे चारणों  
 ने ममूद और शक्ति संपन्न बनाया था, पश्चिम में पंजाब और गुजरात  
 में लेकर पूरब में यमान तक समूचे आर्य भारत में प्रचलित हो गया ।  
 संभवत यह उस काल की राष्ट्रभाषा माना जाता था ।'—'ओरिजिन  
 एंड डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज', पृ० 113 ।
- 92 'भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएँ बोली

जाती हैं, उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एवं बड़ी भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारत में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं।—'एनी बेसेंट जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, और जिसकी प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, इसी का यथार्थ नाम हिंदी है।'—एच० टी० कोलब्रुक।

'हिंदी - उद्भव, विकास और रूप', पृ० 214 से सामार उद्धृत।

- 93 'हमारे देश में अति प्राचीन काल से परस्पर व्यवहार की एक भाषा रही है और वह भाषा मध्यदेश की आर्य परिवार की भाषा रही है। देश विभिन्न प्रदेशों में विभाजित रहा है और वहाँ अपनी क्षेत्रीय भाषाएँ रही हैं, परन्तु धार्मिक और राजनीतिक कारणों से साधु-सत तथा सामान्य जन आवागमन के आधुनिक साधनों के अभाव में भी हिमालय से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से पुरी और काठमांडू तक यात्राएँ किया करते थे और वहाँ सस्कृत, वहाँ पालि, वहाँ प्राकृत, वहाँ अपभ्रंश का सहारा लिया करते थे और अपभ्रंश के पश्चात् हिंदी के माध्यम से अपना व्यवहार साबित करते रहे हैं।'

प० विनयमोहन शर्मा 'हिंदी का व्यावहारिक रूप', पृ० 19-20।

- 94 'हिंदी उद्भव विकास और रूप', पृ० 58।

- 95 द्रष्टव्य 'हिंदी उद्भव, विकास और रूप', पृ० 44।

- 96 द्रष्टव्य 'राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान', पृ० 18।

- 97 द्रष्टव्य :

'हिंदी भाषा का इतिहास' (डा० धीरेन्द्र वर्मा) में मूलतः हिंदी प्रदेश का मानचित्र।

- 98 'हिंदी साहित्य' (प्रथम खंड), पृ० 197-98।

- 99 'सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य', पृ० 4 से सामार उद्धृत।

- 100 द्रष्टव्य

'हिंदी उद्भव, विकास और रूप', पृ० 240।

- 101 '1000 ई० के आसपास शौरसेनी अपभ्रंश की अपनी जन्मभूमि में ब्रजभाषा का उदय हुआ—उस समय उसके मिर पर साहित्यिक अपभ्रंश की छाया थी और रक्त में शौरसेनी भाषाओं की परंपरा, और अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का अंश और बल'—'सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य', पृ० 39।

- 102 It is a form of Hindi used in literature of the classical period and is hence considered to be the dialectos praecipua and may well be considered as typical of Midland Language' 'On the Modern Indo Aryan Vernaculars', p 10
- 103 11वीं शती के आसपास इस प्रदेश की जनभाषा के रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ, अपनी किशोरावस्था में, मुसलमानी आक्रमण के काल में, यह उत्तर की सांस्कृतिक और राजकीय भाषा के रूप में सामंती दरबारों में मान्य हुई, फलतः एक ओर जहाँ बौरता और शौर्य के भावों से परिपुष्ट होकर इस भाषा में नई शक्ति का संचार हुआ, वहीं दूसरी ओर मध्य-युग के भक्ति-आंदोलन के प्रमुख माध्यम के रूप में इसे पवित्र और मधुर भाषा की प्रतिष्ठा भी मिली।' —सू० पृ० ब्र० साहित्य', पृ० 18।
- 104 द्रष्टव्य 'भारतीय आर्यभाषा और हिंदी', पृ० 206-207।
- 105 विस्तृत जानकारी के लिए द्रष्टव्य 'इसी प्रबंध का अगला अध्याय'।

## मुस्लिम शासनतंत्र और हिन्दी

हिन्दी भाषा के जन्म के समय भारत का राजनीतिक वातावरण काफी अशांत था। भारतीय इतिहास का यह वह काल था, जब इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए कृतसकल्प मुसलमानों के अनेक आक्रमण इस धरती पर हो रहे थे। सातवीं शती के प्रारंभ से हजरत मुहम्मद ने इस्लाम की स्थापना कर अरब के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया और वहाँ की जनता को एक नवीन दिशा प्रदान की। संयोग की बात है कि इन्हीं दिनों सम्राट हर्षवर्धन ने उत्तरी-पश्चिमी भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। किंतु सातवीं सदी के मध्य हर्षवर्धन की मृत्यु (647 ई०) के पश्चात् उसका विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। एक सशक्त केन्द्रीय सत्ता के अभाव में देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इन राज्यों के शासक व्यक्तिगत स्वार्थ के बशीर्भूत हो आपस में युद्ध, एक-दूसरे की कन्याओं का अपहरण, राज्य विजय एवं लूट-खसोट किया करते थे। परन्तु दूसरी ओर अरब की स्थिति इससे भिन्न थी। अरब ने इसी समय एकाधिक देशों पर विजय प्राप्त की। भारत के इस राजनीतिक विघटन की दृष्टि में रखते हुए सन् 712 ई० में अरब-सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने देश के सीमावर्ती प्रदेश सिन्ध पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब मुसलमानों के लिए भारत का दरवाजा खुल गया। यदा-कदा भारत पर आक्रमण होते रहे। तुर्कों द्वारा स्थापित गजनी राज्य के महान् पराक्रमी राजा सुबुक्तगीन ने सन् 977 ई० से 997 ई० के मध्य भारत पर अनेक आक्रमण किए। इसके पश्चात् महमूद गजनवी के सन् 1000 से 1027 के बीच अनेक आक्रमण होते रहे। इन आक्रमणों के फलस्वरूप उत्तरी-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, पश्चिमी पंजाब, सिंध, आदि भारत के विविध प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीनस्थ होते गए। किंतु गजनी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में वह

शक्ति न रही, ताकि इस विजित राज्य पर शासन कर पाते, फलस्वरूप उपयुक्त भारतीय प्रदेश स्वतंत्र हो गए।

बारहवीं शती के अन्तिम चरण से भारत पर विदेशियों का पुनः आक्रमण शुरू हुआ। इन दिनों भारत में अनेक राजपूत राजाओं के छोटे-छोटे राज्य स्थापित थे। हिंदी प्रदेश मुख्यतः तीन भिन्न-भिन्न राज्यों में विभक्त था। पश्चिम में चौहान वंशीय राजाओं की राजधानी दिल्ली थी। कालांतर में अजमेर राज्य भी इसी में शामिल हो गया। राजस्थान में राजपूतों का राज्य था और पूर्व में गढ़वाल वगैरे की राजधानी कन्नौज थी, जिसकी राज्य सीमा का विस्तार अयोध्या से लेकर काशी तक था।

बारहवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में मुहम्मद गौरी ने चौहान वंशीय महान् पराक्रमी सम्राट पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली पर अधिकार जमा लिया और इस प्रकार भारत में मुस्लिम शासन की सुदृढ़ नींव डाली। कन्नौज के राजा जयचन्द की पराजय के साथ काशी तक उसका राज्य स्थापित हो गया और आगे चलकर समस्त हिंदी-प्रदेश मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के राज्य सिंहासन पर बैठा। इसके शासन काल में समस्त उत्तर भारत तुर्कों के आधिपत्य में आ गया। सामान्यतः भारतीय इतिहास में 1206 ई० समय का वह बिंदु माना जा सकता है जहाँ से मुस्लिम शासन की विकास-रेखा मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत (1803 ई०) तक खींची जा सकती है।<sup>1</sup> अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुस्लिम शासन तंत्र के इन 600 वर्षों के इतिहास को दो भागों में बाटा जा सकता है

- 1 तुर्क-अफगान-शासन तंत्र (1206 ई० से 1525 ई० तक), और
- 2 मुगल-शासन तंत्र (1525 से 1803 ई० तक)।

### तुर्क-अफगान-शासन और हिंदी

भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व सन् 1206 से 1525 ई० के मध्य तुर्कों एवं अफगानों के विभिन्न पांच वंशों (गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी) ने शासन किया। मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद प्रथम सौ-डेढ़ सौ वर्षों के मध्य देश में भय, आतंक तथा शक्ति का साम्राज्य था। भारतीय राजाओं ने समय-समय पर इन विदेशी आक्रमणकारी शासकों का अनेक बार बड़ी वीरता के साथ सामना किया। परन्तु राष्ट्रीय भावना तथा जातीय सगठन की कमी के कारण पराजय ही उनके हाथ लगी। राजनीतिक विघटन के इस उथल-पुथल अशांति-मय वातावरण में हिंदी को गंभीर प्रश्रय न मिला। इन विदेशी शासकों की मातृभाषा तुर्की, धर्मभाषा अरबी व राजभाषा फारसी थी। इसलिए उन्होंने देश की प्रमुख भाषा हिंदी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इनका मुख्य कार्य देश पर

आतंक फैलाकर अपनी सत्ता बनाए रखना था। इसलिए भी वे हिंदी जैसी देश की भाषाओं के प्रति प्रायः उदासीन रहे।

परंतु धीरे-धीरे जब शान्ति स्थापित हुई, दो विभिन्न सस्कृतियों में पले हुए हिंदुओं और मुसलमानों में संपर्क बढ़ने लगा, एक-दूसरे की समझने की चेष्टाएँ होने लगीं, ऐसी स्थिति में हिंदी का विकास आगे बढ़ा, यद्यपि गति मथर ही थी। मुसलमानों का सबंध इस देश की धरती से ज्यो-ज्या घनिष्ठ होता गया, त्यो त्यो देश की संपर्क भाषा हिंदी की महत्ता उनकी समझ में आती गई। अतः आपस में भले ही वे तुर्की अथवा फारसी का प्रयोग करते रहे ही, किंतु सामान्य जनता के साथ बातचीत करते समय तत्कालीन प्रचलित खड़ी बोली का प्रयोग उनके लिए भी लाजमी हो गया। 'हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरानों के साथ-साथ फारसी राजभाषा बनकर आई और मुगलकाल के अंत तक वह इसी रूप में इस्तेमाल होती रही। लोगों की भाषा उत्तर और मध्य भारत में बराबर हिंदी बनी रही।'<sup>2</sup> प० जवाहर लाल नेहरू के इस कथन से भी यही ध्वनि निकलती है कि बहुत दिनों तक मुसलमानों के द्वारा भी हिंदी की अवहेतना नहीं की जा सकी।

तुर्कों तथा अफगानों के शासन में मुख्य रूप से फारसी राजभाषा रही। किंतु आंशिक रूप से हिंदी का व्यवहार भी सरकारी कामकाज में होता रहा। फारसी मात्र से देश का कामकाज चलाना आसान नहीं था। इसलिए शासन-व्यवस्था में भी हिंदी के प्रयोग की छूट थी। इस सबंध में डा० आबिद हुसैन का यह कथन द्रष्टव्य है •

'उत्तर भारत में राजभाषा फारसी थी। सरकारी नौकरियाँ करने वाले हिंदुओं ने शिकंदर लोदी के शासन काल (सोलहवीं शताब्दी के आरंभ) में ही फारसी सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन राज्य का हिसाब-किताब अब भी हिंदी में होता था। अतः राज्य के हिंदू कर्मचारियों के लिए फारसी सीखना अनिवार्य न था।'<sup>3</sup>

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तुर्कों एवं अफगानों के शासन काल में हिंदी की कोई विशेष श्रीवृद्धि न हो सकी, उसे फूलने-फलने का उचित अवसर नहीं मिला। किंतु खिलजी वंश के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी विजयों के फलस्वरूप हिंदी का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। दक्षिण में पहुंचने पर इस भाषा को भारत की आदिलशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही, हमामशाही, तथा निजामशाही राज्यों का संरक्षण मिला। इतना ही नहीं, बल्कि कालांतर में दक्कनी या दक्खिनी नाम से प्रसिद्ध होने वाली उत्तर भारत की यह भाषा वहां बहुत दिनों तक साहित्य, शासन तथा विचार-संपर्क की भाषा बनी रही।



चौदहवीं शती के अन्तिम चरण में भारत की राजपूती शक्तियों ने एक बार पुनः अपना सिर उठाया। फलस्वरूप राजपूताना में एकाधिक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए। इस समय अफगानों की राज्य शक्ति काफी दुर्बल हो चली थी। दिल्ली सल्तनत के अनेक सुल्तानों ने भी अपना अलग-अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। राजनीतिक विघटन की इस दुरावस्था के मध्य सन् 1398 ई० में तैमूर-लंग ने भारत पर आक्रमण किया। लगभग एक शताब्दी पश्चात् तैमूर के ही वंशज बाबर ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर भारत पर सशक्त आक्रमण किया और 1525 ई० में दिल्ली के सुल्तान इब्राहीम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल राज्य की स्थापना की। उसकी मृत्यु (1530 ई०) के आसपास समस्त उत्तर भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद उसका पुत्र हुमायूँ भारत के राज्य सिंहासन पर बैठा। 1556 ई० में अकबर मुगल साम्राज्य का अधिपति बना। उसने अपने साम्राज्य का दूर-दूर तक विस्तार किया। अकबर के दो उत्तराधिकारियों—जहांगीर (1605 से 1627 ई०) तथा शाहजहाँ (1627 से 1658 ई०)—ने भी मुगल साम्राज्य को विस्तृत एवं सुदृढ़ किया। इसके पश्चात् कट्टर इस्लामी रंग में रगे हुए सम्राट औरंगजेब का जमाना आया। 1658 से 1707 ई० तक यह भारत का शासक रहा। किंतु इसके शासन काल में मुगल साम्राज्य का कुछ भी विकास न हो सका। सम्राट की हिंदुओं के प्रति अनुदारवादी नीति मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई और क्रमशः मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। इस प्रकार जिस साम्राज्य की स्थापना सोलहवीं शती के आदि चरण में हुई थी, उसका पतन अठारहवीं शती से प्रारंभ हो गया और देश में अंग्रेजी राज्य का सिक्का जमने लगा।

### मुगल शासक और हिंदी

मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाने के पश्चात् देश की राजनीतिक स्थिति में स्थिरता आ गई, अशांत वातावरण 'शांत' में बदल गया, साथ ही अधिकांश मुगल-सम्राट कलाप्रेमी एवं पारखी हुए। इन दो कारणों से हिंदी की मुगलकाल में अपेक्षाकृत विशेष प्रथम मिला। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक सम्राट अकबर की कलाप्रियता, उसके विद्यानुराग और उदारवादी दृष्टिकोण ने भारतीय सभ्यता और कला में एक अदम्य भौंड उपस्थित कर दिया। अकबर के शासन काल में हिंदी कविता को बड़ा प्रोत्साहन मिला। उसके दरबार में फारसी के साथ हिंदी कवियों का भी विशेष सम्मान था। श्री सत्यकेतु विद्यालकार ने लिखा है— 'अकबर की स्वयं भी हिंदी कविता का शौक था और अनेक ऐसे कवित्त अब तक भी विद्यमान हैं, जिन्हें 'साहि-अकबर' का बनाया हुआ माना जाता है।'<sup>1</sup>

अकबर के पुत्र जहांगीर के समय में भी कहा जाता है कि 'उसके फारसी

तथा तुर्की भाषा के साथ-साथ हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान था। वह हिन्दी गीतों में बड़ा आनन्द लेता था तथा कभी-कभी कविता करता था।<sup>5</sup> शाहजहाँ के जमाने में भी राजाश्रय के द्वारा हिन्दी भाषा व साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। औरंगजेब इस्लाम का कट्टर अनुयायी था अवश्य, फिर भी उसके दरबार में हिन्दी कविता को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह जन्म से ही विद्या प्रेमी था, अरबी-फारसी का अच्छा विद्वान था तथा हिन्दी भी धारा प्रवाह से बोल सकता था।<sup>6</sup> इस सब में श्री पद्म सिंह शर्मा का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है

‘बादशाह औरंगजेब का मजहबी जोश मशहूर है। मजहब के मामले में वह बड़े कट्टर थे, मगर भाषा के बारे में वह भी उदार थे। उनके दरबार में हिन्दी कवि रहते थे। औरंगजेब खुद भी हिन्दी के प्रेमी थे। सस्कृत में शायद उन्हें कुछ दखल था।’

ऐसी भी सम्भावना की जाती है कि औरंगजेब की पुत्री शाहजादी जेम्बुनिसा ने भी ‘नैन विलास’ नामक हिन्दी में एक काव्य की रचना की। इस सदर्भ में शाहजादी जेम्बुनिसा का यह छन्द द्रष्टव्य है।

‘जेम्बुनिसा जहान में, दुस्तर आलम गीर।

नैनविलास विनाम में, खास करी सहरीर ॥’

भाषा के प्रति इन मुस्लिम शासकों के उदारवादी दृष्टिकोण एवं हिन्दी-प्रेम के फलस्वरूप अनेक हिन्दू राजाओं ने भी हिन्दी कवियों को आश्रय दिया। इससे भी हिन्दी को व्यापक होने, तथा साहित्य की मुख्य भाषा बनने में सहायता मिली।

जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है मुस्लिम शासन काल में फारसी राजभाषा के पद पर सर्वदा आसीन रही। किंतु सहभाषा के रूप में देश की संपूर्ण भाषा हिन्दी का भी बम महत्व न रहा। कारण यह कि हिन्दुओं के लिए फारसी में कामकाज करना आसान नहीं था। दूसरे मुस्लिम विजेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया था कि देश की संपूर्ण भाषा हिन्दी है, अतः बिना इसके जाने समूचे देश पर शासन कर पाना संभव नहीं।

सन् 1540 ई० में शेरशाह सूरी ने हुमायूँ को पराजित कर दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ‘उमके सिक्कों पर नागरी और फारसी में उसका नाम सुदा रहता था।<sup>7</sup> सूरी वंशीय इस सम्राट् के सबंध में यह भी कहा जाता है कि उसने आने राज्य में फारसी जानने वाले मुनियों के साथ हिन्दी के मुनी भी नियुक्त किये थे, ताकि माघारण जनता को बच न हो। मुसलमान बादशाहों द्वारा हिन्दी मुनियों की नियुक्ति की बात का समर्थन पामीसी इतिहासकार ‘गासि-द-तासी’ ने भी किया है। वह लिखता है:

‘यावज यह है कि मुसलमान बादशाह बादशाह हमेशा एक हिन्दी सिकरेटरी जो हिन्दी नवीन कहलाता था, और एक फारसी सिकरेटरी जिम्मेवो फारसी नवीन कहते थे, रखा करते थे ताकि उनके एह्वाम इन दोनों जवानों में लिखे जायें।’<sup>10</sup>

हिन्दी में सरकारी कामकाज करने की परंपरा मुगलकाल में भी चलती रही। मुगलवंश के तीसरे सम्राट् अकबर के शासनकाल में उनके अर्धमंत्री टोडरमल ने सरकारी हिसाब बित्ताव तथा पत्र व्यवहार के लिए हिन्दी के स्थान पर फारसी के प्रयोग का आदेश दिया था।<sup>11</sup> इस आदेश के परिणामस्वरूप हिंदू कर्मचारियों को जो बहुत बड़ी संख्या में थे, फारसी सीखनी पड़ी थी। फिर भी अकबर के शासनकाल में हिन्दी का आंशिक राजभाषा के रूप में चलन एवं प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ।<sup>12</sup> यह संभव भी न था, क्योंकि कई सदियों में चले आते हुए हिन्दी प्रयोग पर सहसा पूर्ण रूप से अंकुश नहीं रखा जा सका होगा। किंतु आगे चलकर राजभाषा के क्षेत्र में फारसी का स्थान दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता गया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजभाषा के रूप में अपने-अपने जमाने में मध्यदेशीय भाषाओं—संस्कृत, पालि, शौरसेनी प्राकृत एवं अपभ्रंश को जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, उन्हीं की उत्तराधिकारिणी होने के बावजूद हिन्दी को मुस्लिम शासन तंत्र के मध्य वह स्थान प्राप्त न हो सका चूंकि उस समय देश पर विदेशी मुसलमानों का शासन था, इसलिए विदेशी भाषा फारसी ने हिन्दी को प्राप्त होने वाले शासन संबंधी अधिकार छीन लिए और पूरे मुस्लिम शासन-काल तक वह राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही। यह बात जुदा है कि इस सिलसिले में कुछ दूर तक उसने हिन्दी से संधि कर ली हो।

परंतु अपनी महती भाषा परंपरा से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हिन्दी का एक अपना निजी क्षेत्र अखिल देशीय संपर्क भाषा का था, जिसका स्पर्श चाहे-अनचाहे विदेशी भाषा फारसी कभी भी न कर पायी। इस विषय में डॉ० हमीद का निम्नांकित कथन महत्वपूर्ण है

‘मुगलों की दरवारी अर्थात् राजकाज की भाषा (फारसी) कभी भी बोलचाल की भाषा नहीं बनी। उस समय कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य भारत में हिन्दी भाषा ही आंतर भाषा (लिंग्वाफ्रांका) के रूप में प्रचलित रही। मुगल शासकों के राज्य विस्तार के साथ हिन्दी दक्षिण में भी विकसित हुई।’<sup>13</sup>

फारसी का राजभाषा की दृष्टि से चाहे जितना भी महत्व रहा हो, परंतु उसे लोकभाषा के रूप में पनपने का मौका बिल्कुल ही नहीं मिला। विदेशी होने के कारण वह भारतीयता के अनुरूप नहीं थी और साथ ही प्रचार-प्रसार की समा-

बनाओ से रहित थी। इसलिये इस काल में उत्तर भारत की भाषा हिंदी को जनभाषा के रूप में फैलाने का पर्याप्त अवसर व क्षेत्र प्राप्त हुआ। डा० रामविलास शर्मा का तो यहाँ तक कथन है कि 'अकबर के शासन तक आते-आते मुगल घराने की नित्य प्रति के व्यवहार की भाषा भी हिंदी हो चुकी थी।'<sup>14</sup> सत्य तो यह है कि मुगलों के भारत में आने के बाद हिंदी का क्षेत्र और भी व्यापक हो गया।

### हिंदी की व्यापकता और उसके कारण

मुस्लिम शासन तंत्र के अंतर्गत हिंदी का देशव्यापी बनाने का प्रमुख श्रेय तत्कालीन सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को है, जिनके कारण हिंदी का प्रचार एवं प्रसार हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल आदि उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत जैसे अहिंदी भाषी प्रदेशों में हुआ। डा० विनयमोहन शर्मा ने अपने प्रबंध 'हिंदी को मराठी सतों की देन' में दक्षिणा-पथ में हिंदी संचार के तीन मुख्य कारणों—राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक—पर प्रकाश डाला है।<sup>15</sup> और कुछ अन्य विद्वानों ने हिंदी की व्यापकता पर विचार करते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं व्यापारिक कारणों की विशेष चर्चा की है। अतः इनकी सक्षिप्त चर्चा स्पष्टीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

#### धार्मिक कारण

किसी भी धर्म प्रवर्तक की यह उल्टी अभिलाषा होती है कि उसके धर्म का प्रचार अधिक से अधिक लोगों तक हो। इसलिए यह सर्वमान्य तथ्य है कि कोई भी धर्म प्रवर्तक धर्म प्रचार के लिए लोकभाषा का ही आश्रय लेता है। उदाहरण के लिए हमें कहीं दूर जाना न होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश तत्कालीन अति प्रचलित लोकभाषा पालि में ही दिये थे। वे चाहते तो शिक्षित जन समुदाय के मध्य विचरण करने वाली परिनिष्ठित भाषा संस्कृत को अपने उपदेशों की वाहिनी बना सकते थे किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैन धर्म के प्रचार का मध्यम लोकभाषा प्राकृत ही थी, कोई दूसरी नहीं। वस्तुतः धार्मिक विचारों की सच्ची वाहिनी लोकभाषा ही होती है। यही कारण है कि मुस्लिम शासन काल में निर्गुणपथी सतों तथा वैष्णव धर्मावलम्बियों ने हिंदी की विविध योतियों के माध्यम से ही अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार किया। इस प्रकार मध्यकालीन भारत में जिन धार्मिक आंदोलनों द्वारा हिंदी की व्यापकता को विशेष बल मिला, उनमें निर्गुण सत मत तथा वैष्णव धर्म प्रमुख हैं।

निर्गुण सतों ने अपने सिद्धांत के प्रचार के लिए सिन्धी-जुनी हिंदी<sup>16</sup> का प्रयोग किया। सतों के द्वारा इस मिली-जुली लोकभाषा को अपनाने का रहस्य

यह था कि वे हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच भेद को मिटा देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ओर सस्कृत तथा दूसरी ओर फारसी का त्याग कर उस समय की लोकभाषा लड़ी बोली हिंदी को ही अपनाया।

सतों का न तो कोई देश होता था और न प्रदेश। उनके लिए सारा देश एक-सा था। सच तो यह है कि उनके लिए जाति और भाषा का कोई प्रश्न ही न था। उनके विचारों की बाहिनी वही भाषा हो सकती थी, जो बहु-प्रचलित तथा व्यापक हो। यही कारण है कि समस्त भारत के सत अपने प्रदेश से बाहर जाते ही हिंदी का प्रयोग करते थे। यदि ऐसा न होता तो काशी के कबीर, महाराष्ट्र के नामदेव, पंजाब के नानक आदि सतों को हिंदी को अपने विचारों की बाहिनी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती ?

वस्तु स्थिति तो यह है कि यह भाषा प्रारंभ से ही व्यापक भाषा थी। इसलिए विचारों के आदान-प्रदान के लिए अहिंदी भाषी प्रदेशों में भ्रमण करते समय सत लोग इसी भाषा का अधिक प्रयोग करते थे। सतों की वाणी के प्रति जन साधारण का स्वाभाविक आकर्षण रहता था, इसलिए वे उसे सुनने और समझने के लिए सदा लालायित रहते थे। इस प्रकार सतों के समागमन से हिंदी का प्रचार बढ़ता गया और यह भाषा अहिंदी भाषी प्रदेशों में अधिक से अधिक व्यापक बनती गयी।

निर्गुण सतों के बाद वैष्णव धर्म ने भी हिंदी को व्यापकता प्रदान करने में सफल भूमिका का निर्वाह किया। दक्षिण के आचार्यों द्वारा उत्तर भारत में वैष्णव धर्म की जो धारा प्रवाहित हुई उसने संपूर्ण देश का हृदय स्निग्ध हो उठा। देश के कण कण में भक्ति की लहर दौड़ गई। भक्ति की जिस धारा में उस समय की जनता निमग्न हो रही थी, उससे अलग रहना उस समय के भाषा-कवियों के वश की बात न थी। मुस्लिम शासन काल में राम और कृष्ण की भक्ति का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि भक्तगण अपने इष्टदेवा की जन्मभूमि की भाषा अवधी और ब्रज द्वारा ही भक्ति के पद लिखने में अपने को धन्य समझने लगे। विभिन्न प्रदेशों के अनेक कवि इसी भक्ति भावना में लीन होकर ब्रज और अवधी का संरक्षण करते रहे। भक्ति के इस रस में डूबकर मुसलमान कवियों ने भी ब्रज और अवधी में निबद्ध पद-रत्नों की प्राप्ति की।

सारांश यह कि हिंदी को व्यापक बनाने में वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों का प्रमुख हाथ रहा। जहाँ-जहाँ यह धर्म पहुँचा, वहाँ वहाँ ब्रज और अवधी भी उसके साथ पहुँची। जहाँ वल्लभाचार्य और उनके अनुयायियों ने कृष्ण भक्ति और ब्रज-भाषा के प्रचार में अभूतपूर्व योग दिया, वही राम भक्तों में तुलसीदास और उनके मानस' की लोकप्रियता ने भी अहिंदी भाषी लोगों को अवधी भाषा की ओर आकर्षित किया।

### सांस्कृतिक कारण

सांस्कृतिक दृष्टि से भारत सदा ही एक रहा है। बाह्य रूप से देखने पर इसे विविध आस्थाओं, विश्वासों एवं मत-मतांतरों का देश कहा जा सकता है। किंतु भारतीय संस्कृति की यह अपनी मौलिक विशेषता है कि इसकी विविधता में एकता के सभी तत्व मौजूद हैं। भारत के चारों कोनों में स्थित चार तीर्थ धाम इसकी सांस्कृतिक एकता के आधार स्तम्भ हैं।

भारत के धार्मिक जीवन में इन धामों (वद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी) का बहुत बड़ा महत्त्व है। हिंदुओं के प्रायः सभी अवतारों ने भी हिंदी भाषी प्रदेशों में जन्म लिया है। हिंदुओं के प्रायः अधिकांश तीर्थ स्थान इसी प्रदेश में हैं। इसलिए भारत के सभी कोनों से तीर्थ यात्री इस प्रदेश में स्थित विविध धार्मिक स्थानों की यात्रा करने आते रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर भारत के लोग भी पूर्व, पश्चिम तथा दक्खिन में स्थापित धामों तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहे हैं। चूंकि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा करने वालों को किसी एक सामान्य भाषा का आश्रय आवश्यक है और मध्यकालीन भारत में हिंदी ही ऐसी व्यापक भाषा रही, इसलिए उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम के तीर्थ यात्री हिंदी के द्वारा ही विचार विनिमय करते रहे। इस प्रकार मुस्लिम शासन काल में तीर्थ यात्रियों के गमनागमन से भी हिंदी को सार्वदेशिक भाषा के रूप में विकसित होने का सुअवसर मिला। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदी को व्यापक बनाने में धार्मिक कारणों के समान ही सांस्कृतिक कारणों का भी महत्त्व है।

### राजनीतिक कारण

इस अध्याय के आदि में मुस्लिम शासन तंत्र के बीच हिंदी की स्थिति को समझने के लिए राजनीतिक परिस्थिति का अपेक्षाकृत काफी जिक्र किया जा चुका है। यहाँ पर इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि दिल्ली सैकड़ों वर्षों से भारत की राजधानी रही। उसका संपूर्ण देश से राजनीतिक संबंध होने के कारण वहाँ की लोकभाषा खड़ी बोली हिंदी को व्यापकता प्राप्त होना स्वाभाविक था। मुस्लिम शासकों के बर्मचारी प्रायः भारत के अहिंदी प्रदेश में जाते आते रहते थे। इसलिए राजकीय स्तर पर भी हिंदी का प्रसार देश के विविध प्रदेशों में हुआ। मुसलमान बादशाहों के दक्षिणविजय के साथ हिंदी को दक्षिण भारत में जाने और वहाँ फैलने का भी पर्याप्त अवसर मिला। इसलिए हिंदी की व्यापकता के सदर्भ में राजनीतिक कारणों को यो ही नहीं मूलाया जा सकता।

### व्यापारिक कारण

बिना भी भाषा की व्यापकता प्रदान करने में वहाँ के व्यापारियों एवं व्यवसायियों का भी विशेष हाथ रहता है। रोमनी अपभ्रंश की तरह हिंदी के विषय में भी यह कहा जा सकता है कि उसे भी एक सवे असों से व्यापारियों द्वारा प्रव्य दिया जाता रहा। इसका कारण यह है कि मुस्लिम शासन तंत्र के अंतर्गत मुगलवालीन मुगलित शासन व्यवस्था के बीच देश के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हिंदी प्रदेश में ही स्थापित थे। आगरा, बनारस, जौनपुर, लखनऊ, फैजाबाद, पटना, अंबेरपुर आदि नगर यंत्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन दिनों व्यापारिक दृष्टि से आगरा का अन्यतम महत्व था। यह नगर जरी के वस्त्रों, दरियों एवं कांच के सामानों के लिए विशेष प्रसिद्ध था। विभिन्न व्यापारिक केंद्रों से यातायात के विविध मार्ग यहाँ आकर मिलते थे। पटना, बनारस तथा लखनऊ आदि नगरों का महत्व भी कम न था, किन्तु विभिन्न केंद्रों का माल प्रायः आगरा से ही होकर गुजरता था और देश के विभिन्न बाजारों एवं बदरगाहों तक पहुँचता था। इन नगरों का व्यापारिक महत्व होने के कारण बाहर से आने वाले व्यापारियों लेन-देन के सिलसिले में यहाँ की सर्व मुसलमन लोग भाषा खड़ी बोली का ही प्रयोग करते थे।

राजनीतिक दृष्टि से दिल्ली का महत्व तो था ही, साथ ही व्यापारिक दृष्टि से भी उसका कम महत्व नहीं था। उन दिनों दिल्ली में देश विदेश से व्यापारियों का आवागमन होता रहता था। दिल्ली के व्यापारियों अन्य प्रदेशों में आया जाया करते थे। इससे यहाँ की खड़ी बोली हिंदी को फैलाने का विशेष अवसर मिला। इस सदम में डा० रामविलास शर्मा का निम्नलिखित कथन लक्ष्यपूर्ण है

‘केंद्रीय प्रदेश में व्यापार की भाषा होने के कारण अंतर-प्रांतीय व्यवहार के लिए भी उसका प्रयोग होता था। यह आश्चर्य की बात होती कि अंग्रेज व्यापारियों खड़ी बोली सीखते और भारत के लोग अंतर-प्रांतीय व्यवहार के लिए खड़ी बोली को न अपनाते।’<sup>17</sup>

देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए मुगल सम्राटों ने साहौर, आगरा, फतेहपुर सीकरी आदि नगरों में अनेक उत्पादन केंद्र स्थापित किए थे। रोटरी-रोजी की खोज में विभिन्न बोलियाँ बोलने वाले व्यक्ति इन नगरों एवं व्यापारिक केंद्रों में इकट्ठा होते थे और आपसी व्यवहार तथा लेन देन में एक सामान्य भाषा की आवश्यकता पड़ने पर खड़ी बोली का व्यवहार करते थे। इस प्रकार हिंदी की व्यापकता में व्यापारिक कारणों का महत्व भी कम नहीं आका जा सकता।

### साहित्यिक कारण

हिन्दी की व्यापकता का एक प्रमुख आधार उसका अमूल्य साहित्य एव सगीत की अपूर्व छटा भी है। हिन्दी का प्राचीन साहित्य अति समृद्ध एव विवसित है। उसके भक्तिकालीन साहित्य में इतना आकर्षण रहा कि विभिन्न प्रदेशों के साहित्यकारों ने जब भक्ति काव्य लिखना प्रारंभ किया, तब वे ब्रज एव अवधी के मोह से अपने को छुड़ा न सके। यदि उनको वृष्ण से प्रेम था तो ब्रजभाषा से भी। यदि वे राम के भक्त थे तो उनकी भक्ति भावना अवधी के माध्यम से भी फूट खली। ब्रज और अवधी ने प्रति इस आकर्षण का मूलाधार धर्म भावना थी, किन्तु यह भी सत्य है कि कोई भी साहित्यिक अथवा रसिक ब्रज की बौमलकाल पदावली को न मुला सका। ब्रज भाषा साहित्य तथा सगीत दोनों के लिए सामान्य रूप से आकर्षण का केंद्र रही। कवियों के समान सगीत-प्रेमी भी ब्रजभाषा पर आश्रित रहा करते थे। हिन्दी प्रदेश ही नहीं, अपितु लगभग सभी प्रदेशों के सगीतज्ञ ब्रजभाषा के ही पद गाते थे। एक ओर बंगाल के भरतचंद्र एव गुजरात के प्रेमानंद, भातण आदि कवियों ने हिन्दी को काव्य भाषा के रूप में ग्रहण किया, तो दूसरी ओर आसाम के कवि माधव का भी कठ ब्रजभाषा के माध्यम से ही फूटा। इन काव्यगत परंपराओं से हिन्दी को व्यापकता प्राप्त हुई।

यहां तक हिन्दी के सदर्म में जो कुछ कहा गया है उसका मुख्य सबध हिन्दी भाषी क्षेत्र से ही माना जा सकता है अतः मुस्लिम शासन के अतर्गत अहिन्दी भाषी प्रदेश में हिन्दी की स्थिति पर सक्षिप्त विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा।

### 'अहिन्दी भाषी प्रदेश और हिन्दी' . दक्षिण भारत

प्राचीन जमाने में दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। आज के केरल, मद्रास, मैसूर एव आन्ध्र के चार प्रदेश इसी के अतर्गत आते हैं। यहां की चार भाषाएँ—मलयालम, तमिल, कन्नड, एव तेलुगु—भारतीय आर्य भाषा-परिवार से भिन्न द्रविड भाषा परिवार की भाषाएँ हैं। इसलिए हिन्दी से इन भाषाओं का वह सबध या वह परिचय नहीं रहा है, जो नव्य भारतीय आर्य भाषाओं का है। दूसरे ये चारों राज्य हिन्दी प्रदेश से अति दूर स्थित हैं, इसलिए यहां के लोग अपेक्षा-रहित हिन्दी कम बोलते एव समझते रहे हैं। फिर भी दक्षिण भारत में हिन्दी की व्यापकता के अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में हिन्दी अथवा हिंदवी (दकनी) का प्रयोग एव व्यवहार दक्षिण में भी होता रहा है।

खिलजी वंश के महान पराक्रमी सम्राट अलाउद्दीन खिलजी ने सन् 1297 से 1308 के बीच गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र तथा बर्माटक पर विजय प्राप्त की। उस



समय दक्षिण भारत देवगिरि, वारंगल, मदुरा और द्वार समुद्र इन चार राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। सन् 1311 तक आते-आते खिलजी वंश के सेनापति मलिक काफूर ने इन चारों क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। दिल्ली के इस साम्राज्य विस्तार के कारण फारसी तथा हिंदी भाषियों का एक बृहद् समुदाय उत्तर से दक्षिण में आया। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से हिंदी को दक्षिण भारत में विकसित होने का सर्वप्रथम मौका मिला।<sup>18</sup> मुहम्मद तुगलक के शासन काल (1327) में तो दक्षिण भारत को और अधिक महत्व मिला। सम्राट की राजधानी परिवर्तन की नीति से तमाम उत्तर भारत के निवासी दक्षिण भारत में आ बसे, जिससे हिंदी को दक्षिण भारत में प्रसरित होने का विशेष अवकाश प्राप्त हुआ।

सन् 1347 ई० में दक्षिण के मुसलमान सरदारों ने दिल्ली साम्राज्य के प्रति विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना हुई। यह राज्य मराठी, कन्नड एवं तेलुगु आदि भाषाओं के भाषा क्षेत्र में पडता था। उत्तर भारत से आये हुए सैनिक व सरदार दक्षिण की इन विविध भाषाओं से अधिक परिचित न थे। वे हिंदवी (भाखा) से विशेष परिचित थे तथा उनके लिए इसी में काम-काज करना आसान था। इसलिए बहमनी वंश के शासकों ने दक्खिनी (हिंदी) को राजभाषा बनाया।

वस्तुतः 'दक्खिनी' उत्तर भारत की बोली थी, जिसका विकास दक्षिण में हुआ था तथा जिस पर दक्षिण की भाषाओं का भी प्रभाव था। बहमनी वंश के राज्य में दक्खिनी भाषा बोली तथा समझी जाती थी। वह एक प्रकार की आंतर-भाषा थी इसलिए शासन उसे राजभाषा का पद देने में विवश हो गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार फरिस्ता ने लिखा है कि बहमनी राज्य के दफतरो में हिंदी जवान प्रचलित थी और सल्तनत ने उसे सरकारी जवान का पद दे रखा था। बहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर भी हिंदी का यह पद उत्तराधिकारी रियासतों में कायम रखा।<sup>19</sup> श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भी इस कथन का समर्थन किया है।<sup>20</sup> डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में भी 'उत्तर से आये हुए इस राज्य के मुसलमानों की भाषा हिंदी थी।'<sup>21</sup> इस प्रकार मुस्लिम शासन के अंतर्गत उत्तर भारत में सब कुछ पाने के बावजूद हिंदी को जिस राजभाषा का पद प्राप्त न हो सका, वही पद उसे चौदहवीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में प्राप्त था।

पंद्रहवीं शती उत्तरार्द्ध में बहमनी राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। फलस्वरूप बीजापुर में आदिलशाही, बरार में इमामशाही, अहमदनगर में निजामशाही, गोलकुण्डा में कुतुबशाही तथा बीदर में बरीदशाही सल्तनतें स्थापित हुईं। इन राज्यों ने भी हिंदी को अपनाया हिंदी के कवियों तथा लेखकों को प्रश्रय दिया। बीजापुर के शासकों ने दक्खिनी को ही राजभाषा का गौरवपूर्ण स्थान दिया।

हैदरअली और टीपू सुलतान के दक्षिण (केरल) में किए गए युद्ध अभियान

के जरिए भी हिंदवी का विशेष प्रचार तथा प्रसार हुआ। टीपू के आक्रमण के बाद कोचीन के राजा और टीपू में हुई सधि के अनुसार वहा के राजपरिवार के लोगों को उर्दू सिखाने के लिए एक 'उर्दू मुशी' की नियुक्ति होनी प्रारंभ हुई। 'सन् 1930 तक यह नियम जारी रहा और कोच्चि राज-परिवार के लोग उर्दू मुशी से फारसी लिपि में हिंदुस्तानी सीखते रहे।'²²

ऊपर जिन सल्तनतों का उल्लेख किया गया है, उन सभी ने दक्खिनी-साहित्य की अभिवृद्धि में पूर्ण योग दिया। दक्खिनी के प्रारंभिक कवियों में बदानेवाज (1318-1422 ई०) तथा बहमनी राज्य के सुप्रसिद्ध कवि निजामी का नाम उल्लेखनीय है। बीजापुर के आदिलशाही तथा गोलकुण्डा कुतुबशाही राज्य में दक्खिनी का साहित्य पर्याप्त समृद्ध हुआ। तत्कालीन कवियों में वजही, इब्न निशाती, गवासी, गुलामअली, शाह मीराजी, बुरहानुद्दीन जानिम आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। दक्खिनी हिंदी का यह नमूना देखिए

'मुझे पीत का या कोई फल न मिला,  
मेरे जी को यह आग लगा-सी गयी।  
मुझे ऐश यह कोई पल न मिला,  
मेरे जी को यह आग जला-सी गयी।' —अजमत²³

दक्खिनी के गद्य लेखों में शाह मिराजी, संयद मुहम्मद गेसूदराज, शाह बुरहान खान, तथा वजही अति प्रसिद्ध हैं। दक्खिनी भाषा और साहित्य के सबंध में डा० वाबूराम सक्सेना का निम्नलिखित कथन बड़ा ही स्वाभाविक और तथ्यपूर्ण है -

'अचरज की बात यह है कि जहाँ उत्तर भारत में खड़ी बोली की इस परंपरा की रचना कई सदियों तक गुप्त रही, दक्खिन में इन्हीं सदियों में यह खूब फूली-फली।'²⁴ हिंदी ने जो कदम दक्खिन में जमाये, उन्हें फारसी हिला न सकी। बहूधा सुलतानी ने फारसी के साहित्यकारों को भी मान और पुरस्कार दिया पर हिंदी को मिटाकर नहीं।'²⁵

केरल के राजाओं में स्वति नक्षत्र राज वर्मा (उन्नीसवीं शती) का नाम सादर लिया जाता है। आप विद्वानों एवं साहित्यकारों का विशेष आदर करते थे तथा साथ ही सष्टल, मलयालम, हिंदी व तमिल के उच्चकोटि के विद्वान और कवि थे। आपके हिंदी पद भक्त कवि सूरदास तथा मीरा के पदों के समान बड़े ही मधुर हैं। आपका यह गीत द्रष्टव्य है -

समय दक्षिण भारत देवगिरि, चारगल, मदुरा और द्वार समुद्र इन चार राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ था। सन् 1311 तक आते-आते खिलजी वंश के सेनापति मलिक काफूर ने इन चारों क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। दिल्ली के इस साम्राज्य विस्तार के कारण फारसी तथा हिंदी भाषियों का एक बृहद् समुदाय उत्तर से दक्षिण में आया। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से हिंदी को दक्षिण भारत में विकसित होने का सर्वप्रथम मौका मिला।<sup>18</sup> मुहम्मद तुगलक के शासन काल (1327) में तो दक्षिण भारत को और अधिक महत्व मिला। सम्राट की राजधानी परिवर्तन की नीति से तमाम उत्तर भारत के निवासी दक्षिण भारत में आ बसे, जिससे हिंदी को दक्षिण भारत में प्रसरित होने का विशेष अवकाश प्राप्त हुआ।

सन् 1347 ई० में दक्षिण के मुसलमान सरदारों ने दिल्ली साम्राज्य के प्रति विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना हुई। यह राज्य मराठी, कन्नड एवं तेलुगु आदि भाषाओं के भाषा क्षेत्र में पड़ता था। उत्तर भारत से आये हुए सैनिक व सरदार दक्षिण की इन विविध भाषाओं से अधिक परिचित न थे। वे हिंदवी (भाखा) से विशेष परिचित थे तथा उनके लिए इसी में काम-वाज करना आसान था। इसलिए बहमनी वंश के शासकों ने दक्खिनी (हिंदी) को राज भाषा बनाया।

वस्तुतः 'दक्खिनी' उत्तर भारत की बोली थी, जिसका विकास दक्षिण में हुआ था तथा जिस पर दक्षिण की भाषाओं का भी प्रभाव था। बहमनी वंश के राज्य में दक्खिनी भाषा बोली तथा समझी जाती थी। वह एक प्रकार की आंतर-भाषा थी इसलिए शासन उसे राजभाषा का पद देने में विवश हो गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार फेरिस्ता ने लिखा है कि बहमनी राज्य के दफतरो में हिंदी जवान प्रचलित थी और सल्तनत ने उसे सरकारी जवान का पद दे रखा था। बहमनी राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर भी हिंदी का यह पद उत्तराधिकारी रियासतों ने कायम रखा।<sup>19</sup> श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भी इस कथन का समर्थन किया है।<sup>20</sup> डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में भी 'उत्तर से आये हुए इस राज्य के मुसलमानों की भाषा हिंदी थी।'<sup>21</sup> इस प्रकार मुस्लिम शासन के अंतर्गत उत्तर भारत में सब कुछ पाने के बावजूद हिंदी को जिस राजभाषा का पद प्राप्त न हो सका, वही पद उसे चौदहवीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में प्राप्त था।

पंद्रहवीं शती उत्तरार्द्ध में बहमनी राज्य छिन्न भिन्न हो गया। फलस्वरूप बीजापुर में आदिलशाही, बरार में इमामशाही, अहमदनगर में निजामशाही, गोलकुण्डा में कुतुबशाही तथा बीदर में बरीदशाही सल्तनतें स्थापित हुईं। इन राज्यों ने भी हिंदी को अपनाया हिंदी के कवियों तथा लेखकों को प्रथम दिया। बीजापुर के शासकों ने दक्खिनी को ही राजभाषा का गौरवपूर्ण स्थान दिया।

हैदरअली और टीपू सुलतान के दक्षिण (केरल) में किए गए युद्ध अभियान

के जरिए भी हिंदवी का विशेष प्रचार तथा प्रसार हुआ। टीपू के आक्रमण के बाद कोचीन के राजा और टीपू म हुई संधि के अनुसार वहाँ के राजपरिवार के लोगों को उर्दू सिखाने के लिए एक 'उर्दू मुन्शी' की नियुक्ति होनी प्रारंभ हुई। 'सन् 1930 तक यह नियम जारी रहा और कोच्चि राज-परिवार के लोग उर्दू मुन्शी से फारसी लिपि में हिंदुस्तानी सीखते रहे।'²²

ऊपर जिन सल्तनतों का उल्लेख किया गया है, उन सभी ने दक्खिनी-साहित्य की अभिवृद्धि में पूर्ण योग दिया। दक्खिनी के प्रारंभिक कवियों में बदानेबाज (1318-1422 ई०) तथा बहमनी राज्य के सुप्रसिद्ध कवि निजामी का नाम उल्लेखनीय है। बीजापुर के आदिलशाही तथा गोलकुण्डा कुतुबशाही राज्य में दक्खिनी का साहित्य पर्याप्त समृद्ध हुआ। तत्कालीन कवियों में वजही, इब्न निगाती, गवासी, गुलामअली, शाह मोराजी, बुरहानुद्दीन जानिम आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। दक्खिनी हिंदी का यह नमूना देखिए।

‘मुझे पीत का या कोई फल न मिला,  
मेरे जो को यह आग लगा-सी गयी।  
मुझे ऐश यहाँ कोई फल न मिला,  
मेरे जो को यह आग जला-सी गयी।’ —अजमत²³

दक्खिनी के गद्य लेखों में शाह मिराजी, संयद मुहम्मद गेसूदराज, शाह बुरहान खान, तथा वजही अति प्रसिद्ध हैं। दक्खिनी भाषा और साहित्य के संवर्धन में डा० बाबूराम सक्सेना का निम्नलिखित कथन बड़ा ही स्वाभाविक और तथ्यपूर्ण है:

‘अचरज की बात यह है कि जहाँ उत्तर भारत में खड़ी बोली की इस परंपरा की रचना कई सदियों तक लुप्त रही, दक्खिन में इन्हीं सदियों में यह खूब फूली-फली।²⁴ हिंदी ने जो कदम दक्खिन में जमाये, उन्हें फारसी हिला न सकी। बहुधा सुलतानों ने फारसी के साहित्यकारों को भी मान और पुरस्कार दिया पर हिंदी को मिटाकर नहीं।’²⁵

केरल के राजाओं में स्वति नक्षत्र राज वर्मा (उन्नीसवीं शती) का नाम सादर लिया जाता है। आप विद्वानों एवं साहित्यकारों का विशेष आदर करते थे तथा साथ ही संस्कृत, मलयालम, हिंदी व तमिल के उच्चकोटि के विद्वान और कवि थे। आपके हिंदी पद भक्त कवि मूरदाम तथा मोरा के पदों के समान बड़े ही मधुर हैं। आपका यह गीत द्रष्टव्य है।

रामचन्द्र प्रभु तुम बिन प्यारे, कौन खबर ले मेरी ।  
बाज रही जिनके नगरी मे, सदा धरम की मेरी ।  
जाके चरण कमल की रज से, तिरिया तलक फेरी ॥  
औरन कू कुछ और भरोसा, हमे भरोसा तेरी ।  
पद्मनाभ प्रभु फणि पर शायी, वृषा करो क्यों देरी ॥<sup>25</sup>

साराश यह कि चौदहवीं शती से प्रारंभ होकर संपूर्ण मुस्लिम शासन तब दक्षिण भारत में दक्खिनी हिंदी का प्रभुत्व रहा । वह वहा लोक भाषा के रूप में व्यवहृत तो होती ही थी साहित्य और शासन की भी भाषा थी ।

### पंजाब में हिंदी

भारत के इतिहास में पंजाब का स्थान महत्वपूर्ण व अनोखा है । ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महती परंपरा वाले इस प्रदेश में हिंदी की परंपरा अति प्राचीन एवं अक्षुण्ण है । भारत के सत साहित्य में नाथ संप्रदाय ( 11वीं से 14वीं शती मध्य ) तथा उसके साहित्य का विशिष्ट स्थान है । नाथों के मूर्धन्य गुरु गोरखनाथ की बहुत-सी रचनाएँ हिंदी में पायी जाती हैं । उनका हिंदी पद द्रष्टव्य है

‘हृषिवा, पैलिवा रहिवा रग, काम शोध न किरवा सग ।  
हृषिक पैलिवा गाहवा गीत, दिढ करि राधि अपना चीत ॥  
हृषिवा, पैलिवा धारिवा ध्यान, अहनिंसि बधिवा श्रह्य गियान ।  
हृषै, पैले न करै मन भग, ते निहचल सदा नाथ के सग ॥’<sup>26</sup>

—गोरख नाथ

गोरखनाथ के समकालीन तथा परवर्ती पंजाब के कुछ अन्य नाथ सतों ने भी हिन्दी में पदों की रचना की है । इनमें चौरंगीनाथ, चरपटनाथ तथा जलधरनाथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है । चरपटनाथ ( 13वीं शती ) की भाषा तो खड़ी बोली के अत्यधिक निकट है । भाषा का यह नमूना लीजिए

‘किसका बेटा किसकी बहू । आप सवारय मिलिया सहू ।  
जेते पूला तेती आल । चरपट बहे सब आल जजाल ॥’<sup>27</sup>

ग्यारहवीं शती के अषष्ठ श एवं भाषा कवि अब्दुल रहमान भी पंजाब के ही निवासी थे । इस कवि की उपलब्ध कृति ‘सदेह रासम’ ( सदेश रासक ) में हिन्दी के प्राचीन स्वरूप की झाकी देखी जा सकती है । आदिकालीन हिन्दी-साहित्य का

महाकवि चन्द भी पंजाब की ही देन था ।<sup>25</sup>

ईसा की 13वीं सदी में पंजाब के एक अन्य हिन्दी कवि फरीदुद्दीन दाकरगज का भी उल्लेख मिलता है। इनके हिन्दी पद 'गुरुप्रथ साहिव' में संग्रहीत हैं। इन्होंने बाबा फरीद के नाम से भी जाना है। डा० चटर्जी ने इन्हीं बाबा फरीद के पदों को 'रेख्ता' का आद्य पद स्वीकार किया है ।<sup>26</sup>

स्पष्ट है कि पंजाब में हिन्दी कवियों की एक लम्बी परम्परा रही है जिसकी शुरुआत ग्यारहवीं सदी से ही हो गयी थी।

सिक्ख सम्प्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक (1469-1538 ई०) की गणना भारत के अन्यतम महापुरुषों बल्लभानाम्य एव रामानन्द के समकक्ष की जाती है। उत्तर भारत में जिस सत काव्य की रचना हुई उसे समन्वित रूप प्रदान करने का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं गुरु नानक को है। नानकदेव ने पंजाबी, ब्रज एव खड़ी बोली में समान रूप से पद गाये हैं। इनकी खड़ी बोली का निम्नांकित पद द्रष्टव्य है

‘इस हमदा मैंनू की वे भरोसा,  
आया आया न आया न आया ।  
या ससार रैन दा सुपना,  
कही दीखा कही नाहि दिखाया ॥  
सोच विचार करे मत मन में,  
जिसने दूढा उसने पाया ।  
नानक भगतन के पद परसे,  
निसदिन रामचर चित्त लाया ।’<sup>27</sup>

‘गुरुवाणी’ के सकलनकर्ता तथा देवनागरी एव शारदा लिपियों का समन्वय कर ‘गुरुमुखी’ लिपि के आविष्कर्ता अगदेव जी (1538 में 1552 ई०) गुरु नानक के प्रिय शिष्य एव सिखों के दूसरे गुरु थे। इनके पदों में भगवत-प्रेम की प्रधानता एव ब्रजभाषा का पुट मिलता है।

सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी (1552-1574 ई०) हुए। इन्होंने सरल तथा बोधगम्य भाषा में उपदेश दिया। सत्य, प्रेम, परोपकार, ईश्वरोपासना सम्बन्धी इनके पदों में ब्रजभाषा का माधुर्य दृष्टक पडा है। चौथे गुरु रामदास जी (1574-1581 ई०) की वई वाणिष्या हिन्दी में पायी जाती हैं। आपकी भाषा में सरल शब्दों के साथ सगीत का-सा माधुर्य है। सिखों के पंचम गुरु अर्जुनदेव जी (1581-1606 ई०) का मिथधर्म के अन्तर्गत धार्मिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व है। गुरु अगदेव जी ने जिस ‘गुरुवाणी’ का सकलन किया था उसे धर्मप्रथ के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय गुरु अर्जुनदेव जी को ही है।

इन्होंने लगभग 2500 पदों की रचना की है। 'वायन आत्तरी', 'बारह मासा' आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। आपकी काव्य भाषा शुद्ध ब्रज है। आपने ऐसे अनेक कवियों को भी आश्रय दिया था, जो गुरु की प्रशंसा में अनेक हिन्दी पद लिखते करते थे।

छठे, सातवें एवं आठवें गुरु हरिमोविन्द जी (1606 से 1645 ई०), हरिराय जी (1645 से 1651 ई०) तथा हरिकृष्ण जी (1651 से 1664 ई०) की हिन्दी के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय देन नहीं है। नवें गुरु तेगबहादुर जी (1674 से 1675 ई०) भक्ति, क्षमा, शक्ति, विद्या एवं धर्म की साकार मूर्ति थे। आपकी रचनाओं में ब्रज एवं खड़ी बोली की पर्याप्त झलक मिलती है।

सिखों के अन्तिम तथा दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी (1676 से 1708 ई०) एक महान् योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ एवं श्रेष्ठ कवि तथा साहित्यकार थे। इनकी रचनाएँ 'दशम ग्रन्थ' में सप्रहीत हैं। 'अकाल स्तुति', 'विचित्र नाटक', 'चौबीस अवतार', 'जायमाह्व', 'चढीचरित्र' तथा 'शस्त्रनाममाला' आदि आपकी विशिष्ट रचनाएँ हैं।

सिख गुरुओं के अतिरिक्त पंजाब में अनेक हिन्दी कवि हुए, जिनमें भाई गुरुदास, हृदयरामभल्ला तथा सत नानालाल का नाम उल्लेखनीय है। गुरु गोविन्द सिंह के दरबारी कवियों में सेनापति मुख्य हैं, जिन्होंने हिन्दी में 'गुरु शोभा' तथा 'चाणक्य नीति' का भाषानुवाद किया। इसके अतिरिक्त टहकन, अमृतराय एवं अणीय राय की रचनाएँ भी हिन्दी की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं।

पंजाब के वेदान्तवादी सन्तों में सत गुलाब सिंह (18वीं शती) का प्रमुख स्थान है। सत जी की उपलब्ध रचनाएँ 'भावरसामृत', 'अध्यात्मरामायण', 'प्रबोध-चन्द्रोदय', 'मोक्षपथप्रकाश' आदि हैं। 18वीं शती के अन्त में होने वाले पंजाबी कवि भाई सतोप सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपका अति प्रसिद्ध काव्य 'गुरु प्रताप सूर्य' है। विद्वानों के अनुसार इस काव्य की व्याप्ति 'रामचरितमानस' की सी है। इस कृति की मूल भाषा ब्रज है, जिस पर पंजाबीपन की छाप लगी हुई है।

निष्कर्ष यह कि पंजाब में हिन्दी के कवियों की एक लम्बी परम्परा रही है, जिनकी सेवाएँ 11वीं शताब्दी से ही हिन्दी को उपलब्ध थी। प्रायः सभी सिख गुरु हिन्दी के हिमायती थे। उन्होंने काव्य सृजन द्वारा हिन्दी को व्यापकता प्रदान की। सिख गुरुओं के द्वारा विदेशी शासन के अधर्म, अत्याचार तथा अनीति के विरुद्ध जिस सैनिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, उन सबकी अभिव्यक्ति हिन्दी के माध्यम से ही हुई। सिख गुरुओं तथा सिख धर्म से सम्बन्धित अन्य कवियों ने अनेक काव्य ग्रन्थ हिन्दी में लिखे, जो स्वतंत्रता की चेतना एवं उत्साह की अभिव्यक्ति से पूर्ण थे। सिख गुरुओं के बाद भी हिन्दी काव्य की यह

परम्परा गतिशील रही, सिख सम्प्रदाय के अनुयायी भी हिन्दी को काव्य-माध्यम के रूप में अपनाते रहे। माराश यह कि हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन के समय पञ्जाब के द्वारा की गई हिन्दी सेवाओं का स्मरण नितांत आवश्यक है, अन्यथा हिन्दी जगत् की वृत्तज्ञता बाधित होगी।

### गुजरात और हिन्दी

हिन्दी भाषी प्रदेश का निकटवर्ती प्रदेश होने एवं सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से घनिष्ठ सम्बन्ध रहने के कारण गुजरात में हिन्दी का प्रचार-प्रसार अन्य अहिन्दी भाषी प्रदेशों की तुलना में अधिक रहा है। गुजरात में वैष्णव धर्म के प्रचार का श्रेय स्वामी वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र स्वामी विठ्ठलनाथ जी को दिया जा सकता है। वल्लभाचार्य जी के गुजरात में जाने के बाद गुजरात के वैष्णव कवि श्रीकृष्ण की जन्मभूमि एवं उसकी भाषा ब्रज के प्रति विशेष आकर्षित हुए। इन कवियों ने ब्रज भाषा में धार्मिक रचनाएँ लिखकर हिन्दी साहित्य की समृद्धि में विशेष योगदान दिया। इस सम्बन्ध में डा० अम्बाशंकर नागर का निम्नलिखित कथन तथ्यपूर्ण है

'गुजरात के मध्यकालीन वैष्णव कवियों में लगभग सभी ने कुछ काव्य ब्रज-भाषा में लिखे हैं। ब्रजभाषा में काव्य रचना करना उन दिनों गौरव की बात मानी जाती थी। इसलिए गुजरात के अनेक कवियों ने गुजराती में न लिखकर ब्रजभाषा में काव्य रचना की है।'<sup>21</sup>

इन वैष्णव कवियों में भालण, केण्वराम, वैजूबावरा, नरसिंह मेहता, कृष्णदाम अधिवारी, हरसदास, दयाराम आदि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जा सकता है। महा पर दयाराम की भाषा का यह नमूना इष्टय्य है :

'बबवौ हरि-हरि रदत हौं, कटत न बयो सताप।

हरन बरन बिसरयो किधौं, हरपै लखि मो पाप ॥'<sup>22</sup>

हिन्दी साहित्य में सन्त साहित्य का एक विशिष्ट स्थान है। सन्तों ने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण कर भारतीय संस्कृति में समन्वय की जो भावना उत्पन्न की, उसका भारत के आध्यात्मिक जीवन में बड़ा महत्त्व है। गुजराती साहित्य में भी भारतीय सन्त परम्परा के चिह्न चौदहवीं शताब्दी के अन्त में दिखाई पड़ने लगते हैं। गुजराती सन्तों में अनेक पन्थों का प्रचलन रहा है। इनमें कबीर-पन्थी सन्तों ने सड़ी बोनी हिन्दी की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखा। इनमें दादू,



आखा, प्राणनाथ, प्रीतमदास, मनोहर स्वाभी आदि उल्लेखनीय हैं। इनकी भाषा में कबीर की सी प्राणमयता है, जिस पर गुजराती का स्वाभाविक प्रभाव परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए सन्त आखा की यह वाणी उद्धृत की जा सकती है

‘अबल बला खेलत नर जानी ।  
जैसे हि नाव हिरफिरे दमों दिश,  
ध्रुवतारे पर रहत निशानी ॥ ध्रु० ॥  
चलन बलन अघनी पर बाकी,  
मत की सुरत अवास ठहरानी ।  
तत्व समाम भयो है स्वततर,  
जैसे हिम होत है पानी । अरुल० ॥ १ ॥’<sup>22</sup>

गुजरात में सूफी-काव्य की परम्परा भी चौदहवीं शती के अन्त से प्रारम्भ होती है। गुजरात के अनेक सूफी कवियों ने भी हिन्दी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम चुना है। जिस प्रकार उत्तर भारत की बोली दक्षिण में पहुँच कर ‘दक्खिनी’ नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार इन सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त होकर वह ‘गुजरी’ कहलायी। ‘गुजरी’ के इन सूफी कवियों में शेख अहमद खट्ट, शेख बुरहानुद्दीन कुत्बे, आलमबुखारी, काजी महमूद दरियाई, शाहअली जी गामधनी, हजरत खूब मुहम्मद चिश्ती तथा बाबा साह हुसैनी आदि प्रमुख हैं। इन सूफी कवियों ने अपनी काव्य साधना द्वारा हिन्दी को काफी समृद्ध किया है।

गुजरात अति प्राचीन काल से ही जैन धर्म का मुख्य केन्द्र रहा है। इन जैन धर्मावलम्बियों ने भाषा तथा साहित्य की अपूर्व सेवा की है। दसवीं से सत्रहवीं सदी के बीच जैन कवियों द्वारा की गई रचनाएँ प्रायः अपभ्रंश एवं गुजराती की कृतियाँ हैं किन्तु 17वीं सदी के बाद गुजरात के जैन कवियों ने खड़ी बोली व ब्रज में भी कविताएँ की हैं। हिन्दी के इन जैन कवियों में आनन्दवन, जानानन्द, किशनदास तथा यशोविजय अति प्रसिद्ध हैं। कवि किशनदास की भाषा का यह नमूना देखिये -

‘अजलि के अल ज्यों घटत पल-पल आयु,  
विष से विषम व्यवसाय विष रस के ।  
पथ को मुकाम कछु बाप को न गाम यह,  
जैवो निज धाम ताते कीजे काम यश के ॥’<sup>23</sup>

जिस प्रकार वैष्णव, सन्त, सूफी एवं जैन कवियों ने गुजरात में हिन्दी को

व्यापक बनाने में सफल योगदान दिया, उसी प्रकार गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ के राजाओं ने भी हिन्दी के फलने-फूलने में यथेष्ट सहायता की। इस सम्बन्ध में डा० अम्बाशंकर नागर का कथन है कि—‘गुजरात के राजाओं के हृदय में हिन्दी के प्रति विशेष सम्मान था। उनके दरबारों में हिन्दी कवियों का विशेष आदर होता था। गुजरात के राजा-महाराजाओं के हिन्दी-प्रेम का इससे बढ़कर ज्वलत उदाहरण और क्या होगा कि हिन्दी-कवियों को आश्रय देने और हिन्दी सीखने की सुविधाएँ प्रदान करने के साथ वे स्वयं भी हिन्दी में कविता करते थे।’<sup>81</sup> गुजरात के राजाओं में राजकुमार मेहरामण सिंह, महाराव लखपति जी जैसे कवियों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। राजाश्रित कवियों में आणद, वरमाणद, देवीदास तथा जसुरामगोपाल मुख्य हैं।

### महाराष्ट्र और हिन्दी

भारत के आध्यात्मिक जीवन में साधु सतों का बहुत अधिक महत्त्व रहा है। इस भारतीय साधु-परम्परा में महाराष्ट्र के सतों का भी उच्च स्थान है। मराठी सत सदा से ही हिन्दी के प्रति सहज आर्कषित रहे हैं। उत्तर-भारत का नाथ-संप्रदाय जब महाराष्ट्र में आया तो उसने वहाँ की बोली मराठी को भी अपनाया, किन्तु इन नाथ सतों के उपदेश मुख्यतः हिन्दी में ही हुआ करते थे। इसलिए ‘महाराष्ट्र के नाथ पण्डितों को अपने गुरुओं के हिन्दी भाषा में रचित ग्रंथ पढ़ने की सहज उत्कंठा रही होगी। इस वहाँ ने उन्होंने हिन्दी से परिचय प्राप्त किया होगा।’<sup>82</sup> डा० विनय मोहन शर्मा के इस कथन में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में नाथ सतों के अत्यधिक प्रभाव के कारण हिन्दी को व्यापक होने का यथेष्ट अवसर मिला होगा।

तेरहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र का अत्यधिक प्रभावित करने वाले सम्प्रदायों में महानुभाव तथा बारकरी सम्प्रदाय मुख्य हैं और इनमें भी बारकरी सम्प्रदाय का स्थान तो सर्वोपरि रहा है। इस प्रदेश में हिन्दी की परंपरा का आरंभ महानुभाव सम्प्रदाय से होता है। इस सम्प्रदाय के संस्थापक चक्रधर स्वामी की शिष्या परंपरा बड़ी लंबी रही। इस सम्प्रदाय के सतों ने लोकभाषा के माध्यम से ही अपने उपदेश दिये। चक्रधर स्वामी हिन्दी में भी पद बनाया करते थे। इनकी शिष्या महदवा तो शुद्ध हिन्दी में पद गाया करती थी। इस सम्प्रदाय के पंडित दामोदर समीनत तथा कवि के रूप में अति प्रसिद्ध रहे हैं। इनके द्वारा विरचित हिन्दी की विविध चौपदियाँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनकी यह चौपदी द्रष्टव्य है

‘नव नाथ कहे सो नाथ पमी, जुगुत कहे सो जोगी ।

विद्व बुझे सो बहि बैरागी, ग्यान बुझे तो योगी ।’<sup>83</sup>

'वारवरी' संप्रदाय के सतों की परंपरा बड़ी लम्बी है। इन सतों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि प्रमुख हैं। भक्त ज्ञानेश्वर की लिखी 'श्रीमद्भागवत' की 'ज्ञानेश्वरी टीका' उत्कृष्ट कौटिली की रचना है। ज्ञानेश्वर तथा उनकी बहन मुक्ताबाई ने मराठी के साथ हिन्दी में भी पद बनाये हैं। सत ज्ञानेश्वर का निम्नलिखित पद अति प्रसिद्ध है

'सब घट देखा माणिक मोला ।  
कैसे बहूँ मैं काला धवला ॥  
पच रंग से न्यारा होय ।  
लेना एक और देना दाय ॥ ध्रुवपद ॥  
निर्गुण ब्रह्म भुवन से न्यारा ।  
पोथी पुस्तक भये अपारा ॥  
कोरा कागद पढकर जोय ।  
लेना एक और देना दाय ॥'<sup>33</sup>

'वारवरी' संप्रदाय के सतों में नामदेव का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मराठी के साथ साथ इनके हिन्दी में भी अनेक पद मिलते हैं, जिन्हें 'ग्रथसाहब' में देखा जा सकता है। सत एकनाथ (सन् 1533-1599 ई०) ने भी अन्य मराठी सतों के समान हिन्दी में पद रचना की है। इस संप्रदाय के सत तुकाराम का भी अपना विशिष्ट स्थान है। इनके हिन्दी पदों को तीन भागों—गोपी प्रेम, पाखंड-उद्घाटन तथा नीति व भक्ति—में विभक्त किया जा सकता है।

स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के सतों ने तत्कालीन लोकभाषा का सर्वदा ध्यान रखा है। एक ओर उन्होंने मराठी भाषा को अपनाया है तो दूसरी ओर हिन्दी की भी महत्ता स्वीकार की है। हिन्दी को मराठी सतों की देन का मूल्यांकन करते हुए डा० विनय मोहन शर्मा ने भी लिखा है 'वहाँ के सत जब हाथ में बरतल लेकर कीर्तन भजन करने लगते थे, तब बीच बीच में एक-दो पद हिन्दी के गाकर श्रोताओं में अभिनव हिलोर पैदा कर देते थे।'<sup>34</sup> मराठी सतों के बाद 18वीं शती एवं उसके पश्चात् भी मराठी के लावनी लेखकों ने हिन्दी में रचनाएँ प्रस्तुत कर अपने व्यापक दृष्टि का परिचय दिया है।

### मराठा शासन और हिन्दी

भारत के इतिहास में मराठों के शासन का बड़ा महत्व है। मराठा-शक्ति का अभ्युदय औरंगजेब के शासन काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। महाराष्ट्र के ऐसे अनेक सतों का उपर जिक्र किया जा चुका है, जिन्होंने मराठा सरदारों में नव-

जीवन का संचार किया था। उसी बड़ी में 17वीं शती के समर्थ रामदास ने मराठी जाति में राष्ट्रीय चेतना की लहर फूंक दी। जिस राजनीतिक चेतना की कमी मराठा जाति में थी, उसे छत्रपति महाराज शिवाजी (जन्म 1627 ई०) ने पूरा कर बिखरे हुए महाराष्ट्र को संगठित किया। सन् 1761 ई० तक भारत में मराठों का साम्राज्य काफी दूर-दूर तक फैल गया। सन् 1740 के बाद तो मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति की चरमावस्था पर था।

मराठों के शासनकाल में मराठी की विशेष उन्नति हुई। फारसी के स्थान पर मराठा साम्राज्य की बह राजभाषा बनी। मराठी के साथ मराठा शासकों ने हिंदी को भी पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। शिवाजी के पिता शाह जी के दरबार में सैकड़ों कवि रहा करते थे। उनमें हिंदी के अच्छे ज्ञाता एव कवि थे। शिवाजी स्वयं हिंदी-कवियों के आश्रयदाता थे। इस संबंध में महाकवि भूषण का नाम नहीं भूलाया जा सकता। भूषण के अतिरिक्त गणेश और गौतम नामक दो अन्य हिंदी कवि भी शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं शिवाजी ने भी एक हिंदी-पद बनाया था।<sup>10</sup> इतना ही नहीं, शिवाजी की मेंट राजा जयसिंह से पूना के पास एक गांव में जून 1665 में हुई थी, इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मेंट के सदर्भ में यह कहा जाता है कि शिवाजी ने राजा जयसिंह को एक लम्बा पत्र हिंदी में भेजा था।<sup>11</sup>

शिवाजी के पुत्र शम्भा जी हिंदी कविता के प्रेमी तथा साथ ही सहृदय कवि भी थे। उनके बाद पेशवाओं के समय में भी 'भासा कवि' उनके दरबारों में डटे रहते थे। महाराष्ट्र के अन्य हिंदी प्रेमी राजाओं में महादजी संघिया तथा दौलत राव संघिया के नाम विशेष रूप से लिये जाते हैं। 'भौसला वर के महाराज शाह जी (1684-1712 ई०) मराठी और तेलगू के कवि थे ही, उन्होंने 'राधा बसीधर-विलास' नाम स कुछ यशगान हिंदी में भी लिखे थे।'<sup>12</sup>

नारायण यह कि महाराष्ट्र में हिंदी की परंपरा अति प्राचीन है। वहां के साधु-संतों ने इस भाषा का अपनी रचनाओं में सजाया सवारा है। यह परंपरा मराठा-शासन काल में भी पूर्ववत् गतिशील रही। इस काल में आकर हिंदी कविता को राग्याश्रय के साथ-साथ कृष्ण-कनन का यथेष्ट अवसर मिला।

### बंगाल और हिंदी

मध्यकालीन भारत में दक्षिण से भक्ति की जो धारा उत्तर में प्रवाहित हुई, उमरा व्यापक प्रभाव समूचे देश पर पड़ा। भक्ति के इस आन्दोलन ने समस्त मध्य भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्य-सृजन की अखुब चेतना भर दी। भक्ति की इसी परंपरा में बंजणव धर्म के आन्दोलन ने हिंदी को व्यापक बनाने एव बंगाल जैसे प्रदेश में उमरा धर्मिष्ठ गवध स्थापित करने में अमूल्य योग दिया। बंगाल के

महाप्रभु चैतन्यदेव द्वारा बंगाल तथा ब्रज में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। वैष्णव धर्म के अति प्रभाव के उग बंगाल में ब्रजभूमि तथा ब्रजभाषा की बड़ी महत्ता थी। बंगाल के वैष्णवधर्मावलंबी भी प्रायः बृन्दावन आया-जाया करते थे। इंगलिये उनकी पदावलिओं में ब्रजभाषा का समावेश हो जाना स्वाभाविक था। डा० ब्रह्मानंद ने सन् १९०६ में 'पंजाब से लेकर सुदूर बंगाल तक ब्रजभाषा की मधुर मुरली कई घताब्दियों तक बजती रही है। इस भाषायी आरोग्य का कारण विगुह्य सांस्कृतिक है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आराध्यदेव भगवान् कृष्ण की अवतार-भूमि ब्रजमंडल की उपमा बँकूठ में दी थी। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के भाषायों और अनुयायियों में बृन्दावन-दर्शन और वहाँ निवास करने की उत्कण्ठ उत्कण्ठा रहती थी—वहाँ की भाषा के प्रति तत्कालीन बंगालियों और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में प्रगाढ़ श्रद्धा रहती थी। ब्रजभाषा में बोलना और कविता अथवा कवीर्तन करना गौरव का प्रतीक माना जाता था।<sup>४३</sup> सत्य तो यह है कि वैष्णव कवि इस भाषा के प्रति बेवकूत श्रद्धालु ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने धर्म-प्रचार के लिये इसे अपने साहित्य का माध्यम भी बनाया था। ये अपने कवीर्तन आदि में बंगला के पदों के साथ-साथ हिन्दी के पद भी गाते थे। इस संबंध में डा० सुनीति कुमार चटर्जी का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है :

'इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि एक हजार वर्ष पूर्व शुद्ध बंगला भाषा के आगमण बंगाल साहित्यिकों के बीच शीघ्रसेनी अपभ्रंश का नाम से परिचित, प्राचीनतम 'पछाही हिन्दी' का एक प्राचीनतम साहित्यिक प्रकार-भेद प्रचलित था। अतः प्रथम युग के बंगाली कवि तथा अन्य लेखकगण बंगला के साथ-साथ 'पछाही हिन्दी' के एक प्रकार के प्राचीन साहित्यिक रूप की चर्चा करते थे तथा उसमें गान और कविता रचते थे। यह परंपरा काल के कुछ-कुछ बंगाली वैष्णव कवियों द्वारा मैथिली मिस्र कविता की भाषा 'ब्रजबुलि' के प्रयोग के समान है।<sup>४४</sup>

डा० चटर्जी ने जिस 'ब्रजबुलि' का उल्लेख किया है, वह बंगाल की एक साहित्यिक भाषा रही है। यह भाषा संभवतः ब्रज का एक पूर्वी स्वरूप है, जो विद्यापति की भाषा से अनुप्राणित होकर बंगला के सरस वातावरण में विकसित हुई तथा जो बंगाली विद्वत्-ममाज, मुख्यतः वैष्णव भक्तों में अति प्रचलित थी। 'ब्रजबुलि' के संबंध में विचार करते हुए डा० सुकुमार सेन ने लिखा है 'ब्रजबुलि की आधार मूल भाषा 'मैथिली' है जिसके आकार को बंगला भाषा ने हिन्दी और ब्रजभाषा के मिश्रण से बनाया है।<sup>४५</sup>

डा० सेन के इस कथन से भी स्पष्ट है कि बुल मिलाकर 'ब्रजबुलि' हिन्दी का



सन 1575 ई० में बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक प्रदेश के रूप में मुगल साम्राज्य के अंग बन गये थे। मुगलों के इस साम्राज्य विस्तार के परिणामस्वरूप भी बंगाल में हिंदी का पर्याप्त प्रचार हुआ। मुर्शिदाबाद, डाका, चटगाव, हुगली, कलकत्ता आदि बंगाल के नगरों में उत्तर भारतीय व्यापारियों द्वारा खड़ी बोली व ब्रजभाषा का ही प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त साधु-संतों की परंपरा से भी बंगाल में हिंदी के प्रसार का अवसर मिला। कश्मीर, उड़ीसा एवं आसाम जैसे अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी की व्यापकता एवं उसके प्रचार प्रसार का यही रहस्य है। मुस्लिम शासनकाल में सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं व्यापारिक आदि कारणों से इन प्रदेशों में भी हिंदी की व्यापक बनने का पर्याप्त अवकाश मिला था।

निष्कर्ष यह कि मुस्लिम शासन के अंतर्गत अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी की विभिन्न भाषा शैलियों का साहित्य एवं विचार-विनिमय के लिये प्रयोग होता था। एक ओर ब्रजभाषा कृष्ण भक्ति का सहारा ले पूर्व में बंगाल, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में तिरुवाकूर (सावणकोर) तक पहुँची थी, तो दूसरी ओर अबधी ने रामभक्त कवियों तथा सूफियों का और खड़ी बोली ने सत्ता तथा मुसलमान शासकों एवं व्यापारियों का आश्रय ग्रहण कर देश के विभिन्न भू-भागों की यात्रा की थी। वस्तुतः अहिंदी भाषा प्रदेशों में हिंदी की व्यापकता साहित्यिक, बोलचाल एवं आर्थिक तौर पर सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में रही है।

## सदर्भ

- 1 सामान्य रूप से मुगलों का शासन वान 1857 ई० तक माना जाता है, किन्तु 1803 ई० में दिल्ली का शासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। इसलिए 1803 ई० के बाद मुगलवंश के जिन दो सम्राटों—अकबरशाह द्वितीय और बहादुरशाह—का नाम लिया जाता है, वे नाममात्र के शासक रहे। प्रायः सभी इतिहासकार भी शाह आलम द्वितीय (1759 से 1806 ई०) के शासनकाल के पश्चात् मुगल साम्राज्य का अंत मानते हैं।
- 2 'राष्ट्रभाषा का सवाल' प० जवाहरलाल नेहरू, पृ० 11।
- 3 'भारत की राष्ट्रीय सस्कृति' डा० आबिद हुसैन, पृ० 55।
- 4 'भारतीय सस्कृति और उनका इतिहास' मत्स्यकेतु विद्यालवार, पृ० 710।
- 5 'भारत में मुगल साम्राज्य' एम० आर० शर्मा, पृ० 323-24।
- 6 'मुगलवादीन भारत' ए० एन० श्रीवास्तव, पृ० 418।
- 7 'हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी' श्री पद्म सिंह शर्मा, पृ० 145।

- 8 'हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव'. प० अबिका प्रसाद वाजपेयी, पृ० 47 में साभार उद्धृत ।
- 9 'भारतीय इतिहास का जन्मीलन' जयचंद्र विद्यालवार, पृ० 473 ।
- 10 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका (सन् 1898), पृ० 18 से साभार अवतरित ।
- 11 इस तथ्य का समर्थन डा० चटर्जी ने भी इन शब्दा में किया है ।  
'फ़ारसी पहल मुसलमान बादशाहों की राजभाषा एवं मुसलमानी धार्मिक कानूनों के अनुसार न्याय देने वाले न्यायालयों की मान्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी, परन्तु 16वीं शती के द्वितीयाद्धे में अकबर के अर्थमन्त्री एवं हिंदू राजा टोडरमल के परामर्शानुसार राजस्व विभाग की भाषा भी हिन्दी की जगह फ़ारसी कर दी गई ।'  
'भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी', पृ० 147 ।
- 12 'भाषा और समाज' डा० रामविलास शर्मा, पृ० 297 ।
- 13 'What is Hindi' Dr A Hamid, P, 22  
'Court language of the Mughuls, never became the conversational language of the people 'Hindi' assumed the role of Linguafranca in this part of the country including Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and parts of Madhya Bharat and Madhya Pradesh 'Hindi' also spread with the Moghul expansion to Hyderabad—Deccan'
- 14 'भाषा और समाज', पृ० 297 ।
- 15 द्रष्टव्य हिन्दी की मराठी सतो की देन', पृ० 35 से 54 तक ।
- 16 आचार्य शुक्ल ने सतो की इस भाषा को 'सघुक्कड़ी' की संज्ञा दी है ।
- 17 'भाषा और समाज', पृ० 281 ।
- 18 टिप्पणी सिर्फ़ हिन्दी को ही विकसित होने का मौका मिला, फ़ारसी को नहीं, वह इसलिए कि विदेशी एवं विजातीय संस्कृति में पत्नी होने के कारण फ़ारसी विषय की संभावनाओं में रहित थी, जबकि सुदूर प्रदेश में आने पर भी हिन्दी भारतीय संस्कृति में जन्मी, पत्नी एवं विकसित हुई थी, भारतीय वातावरण से उसका जन्मजात संबंध था और यहाँ की मिट्टी से नैसर्गिक प्यार भी ।
- 19 'दक्खिनी हिन्दी' डा० बाबूराम मन्नेजा, पृ० 34 ।
- 20 द्रष्टव्य 'राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी' पृ० 2 ।
- 21 'भाषा और समाज', पृ० 300 ।
- 22 'दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार आंदोलन का समीक्षात्मक इतिहास' श्री पी० के० केशवन नायर, पृ० 302 ।



## 92 राजभाषा के सदस्य में हिन्दी-आन्दोलन का इतिहास

- 24 'दक्खिनी हिंदी', पृ० 109 से साभार उद्धृत ।
- 24 'दक्खिनी हिंदी', पृ० 33-34 ।
- 25 'रजत जयन्ती—'ग्रथ' (बबई हिंदी विद्यापीठ), पृ० 293 से साभार उद्धृत ।
26. 'नाथ संप्रदाय' डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० 223 से साभार अवतरित ।
- 27 'खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास' अजरतन दास, पृ० 58 से साभार उद्धृत ।
- 28 डा० रामकुमार वर्मा ने लिखा है—'चन्द्र स्वयं तो लाहौर का निवासी था किन्तु जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसने दिल्ली और अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज के साहचर्य में व्यतीत किया था ।'—'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० 73 ।
- 29 द्रष्टव्य 'भारतीय आर्यभाषा और हिंदी', पृ० 213 ।
- 30 'हिंदी पर फारसी का प्रभाव' प० अबिका प्रसाद वाजपेयी, पृ० 58 से साभार उद्धृत ।
- 31 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', (गुजरात की हिंदी सेवा), वर्ष 63, अंक 2 पृ० 133
- 32 'गुजरात के हिंदी गौरव ग्रंथ' डा० अबाशकर नागर, पृ० 75 से साभार उद्धृत ।
- 33 वही, पृ० 8 से साभार उद्धृत ।
- 34 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (गुजरात की हिंदी सेवा), वर्ष 63 अंक 2, पृ० 142 से साभार उद्धृत ।
- 35 'गुजरात के हिंदी गौरव-ग्रंथ', पृ० 10 11 ।
- 36 'हिंदी को मराठी सतो की देन' डा० विनय मोहन शर्मा, पृ० 49 ।
- 37 वही, पृ० 235 ।
- 38 वही, पृ० 91 ।
- 'खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास' अजरतनदास, पृ० 62 पर अवतरित ।
- 39 'हिंदी को मराठी सतो की देन', पृ० 1 ।
- 40 'हिंदी को मराठी सतो की देन', पृ० 43 ।
- 41 द्रष्टव्य 'मराठी का नवीन इतिहास' (प्र० स०) गोविन्द सखाराम देसाई, पृ० 158 66 ।
- 42 'राष्ट्रभाषा आन्दोलन और गांधी जी' डा० रामधारी सिंह दिनकर, पृ० 5 6 ।

- 43 'बंगला पर हिंदी का प्रभाव', पृ० 81 ।
- 44 'रजत जयती—ग्रथ' (वर्ष 1962) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, पृ० 21 ।
- 45 "Maithili is the basic part while Bengali, with addments of Hindi and Brajbhaka forms the superstructure"  
—'A History of Brajbuh Literature' p 1
- 46 'भक्ति रत्नाकर'—नरहरिदास, पृ० 892 ।
- 47 'रजत जयती—ग्रथ' (बंगाल की हिंदी को देन) डा० चटर्जी (वर्ष 1962), राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, पृ० 214-15 ।
- 48 वही, पृ० 255 ।

## उन्नीसवीं शताब्दी :

### कंपनी की भाषा-नीति और हिन्दी

विश्व के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी अपनी क्रान्तिकारी घटनाओं के कारण विशेष प्रसिद्ध रही है। भारत में ही नहीं, अपितु तमाम एशियाई देशों में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय इसी शती को है। यों तो भारत से यूरोपियों का व्यापारिक सबंध पहले ही स्थापित हो चुका था, परंतु इस देश में राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजी राज्य की स्थापना इसी शती में हुई। इस देश में अंग्रेजों का सर्वप्रथम पदार्पण एक व्यापारी के रूप में हुआ। आगे चलकर इन लोगों ने अपनी व्यापारिक सस्थानों की सुरक्षा के लिए छोटी-छोटी टुकड़ियों में सेनाएं भी रखनी प्रारंभ कर दी। अतत भारत की तत्कालीन बिगड़ी हुई राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाकर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। साम्राज्य-स्थापना के क्रम में अंग्रेजों को मराठों, सिक्खों, मुसलमानों एवं फासीसियों आदि से कठिन लोहा भी लेना पड़ा। किंतु जय-पराजय के मध्य अपनी कुशल नीति के फलस्वरूप इन्हें विजय श्री प्राप्त हुई।

मुगल साम्राज्य के अतर्गत अकबर के शासन काल के बाद से ही इस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़नी प्रारंभ हो गई थी। अठारहवीं शताब्दी के अनन्त आते-आते यह अपनी चरम सीमा का स्पर्श करने लगी। अंग्रेजों ने भी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। इनका मुख्य ध्येय इंग्लैंड में निर्मित सामानों को इस देश में खपाने का था। इसलिए इन्होंने ऐसी आर्थिक नीति अपनाई कि यहां के सभी स्वदेशी उद्योग धंधे नष्ट होने लगे।

उपर्युक्त आर्थिक दशा का यहां के सामाजिक जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। देश में अनेक सामाजिक कुरीतियों—बाल एवं वृद्ध विवाह, विधवा-विवाह निषेध, सती प्रथा, छूआछूत आदि—को बढ़ावा मिला। नवीन चेतना के आगमन

पर सामाजिक पुनरुत्थान के लिए अनेक आंदोलन भी हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिमी सभ्यता के संपर्क से पर्याप्त परिवर्तन देखा गया।

इस काल में हिंदू एवं इस्लाम देश के मुख्य दोनों धर्म काफी विकृत हो चुके थे। इनकी अवस्था काफी शोचनीय थी। धार्मिक जीवन में कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का अवार-सा लगा हुआ था। उन्नीसवीं शती के पूर्व में ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था, किंतु उसे अच्छी प्रकार से फैलाने का मौका उन्नीसवीं शती के दूसरे दशक से मिला। फलस्वरूप बहुत से हिंदुओं एवं मुसलमानों ने ईसाई धर्म अपनाया। उन्नीसवीं शती पूर्वार्ध में नई शिक्षा तथा ईसाई पादरियों के संपर्क के कारण शिक्षित भारतीयों का धार्मिक दृष्टिकोण भी बदलने लगा था।

हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी अत्यंत महत्वपूर्ण शताब्दी रही है। क्योंकि यह वह काल है जहां से खड़ी बोली हिंदी के नवमंडल इतिहास का प्रारंभ होता है। भाषा की दृष्टि से इस काल के प्रारंभ में काव्य के अतर्गत ब्रज-भाषा का प्राधान्य रहा, परंतु नवीन शक्तियों के प्रभाव के कारण साहित्यिक गतिविधियों में भी परिवर्तन आया। पद्य के साथ साथ गद्य साहित्य का भी प्रचलन हुआ। परिणामस्वरूप खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा हुई और आगे चलकर मुक्तक की कौन बहे, खड़ी बोली में घडले के साथ प्रबल वाक्यों की भी रचना होने लगी।

सामान्यतः मुगल-साम्राज्य के पतन एवं अंग्रेजी शासन के प्रारंभ की संधि-बैला में भारत में प्रयुक्त भाषाओं की स्थिति निम्नांकित थी।

फारसी देश की मुख्य राजभाषा थी। इसे मुगल शासकों का मरक्षण प्राप्त था। शिक्षा के क्षेत्र में फारसी के साथ अरबी का भी प्रचलन था। यह मुसलमानों की मजहबों का जवान थी।

फारसी के साथ-साथ मुगल-शासन के अंतिम काल में उर्दू का भी भाषा के रूप में अस्तित्व प्रकट हो गया था। प्रारंभ में यह हिंदी की एक विशेष शैली माना था, जिसका प्रकटीकरण हिंदी एवं फारसी तथा अरबी की शब्दावली के मिश्रण में हुआ था।<sup>1</sup> प्रसिद्ध ऐसी है कि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह (1748 ई०) ने दक्कन की प्रसिद्ध कवि बली को अपने दरबार में आमंत्रित करके 'उर्दू' की नींव डाली।<sup>2</sup> बाद में तो यह हिंदी की शैली विशेष तः रखकर अरबी-फारसी की शब्दावली में सर्वांग सुगन्धित हो, इस्लामी संस्कृति का बाना धारण कर एक अलग भाषा के रूप में उठाने लगी और उन्नीसवीं शती के चौथे दशक में हिंदी की सगुण विरोधिनी गिद्ध हुई।

हिंदू धर्म एवं शिक्षा की दृष्टि से संस्कृत का बड़ा महत्व था। यह मुस्लिम शासकों के गंभीर ध्यान में प्रायः बंजित थी।

उन्नीसवीं शताब्दी :

कंपनी की भाषा-नीति और हिन्दी

विश्व के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी अपनी वाणिज्यिक घटनाओं के कारण विशेष प्रसिद्ध रही है। भारत में ही नहीं, अपितु तमाम एशियाई देशों में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय इसी शती को है। यों तो भारत से यूरोपियों का व्यापारिक संबंध पहले ही स्थापित हो चुका था, परंतु इस देश में राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजी राज्य की स्थापना इसी शती में हुई। इस देश में अंग्रेजों का सर्वप्रथम पदार्पण एक व्यापारी के रूप में हुआ। आगे चलकर इन लोगों ने अपनी व्यापारिक सस्थानों की सुरक्षा के लिए छोटी छोटी टुकड़ियों में सेनाएं भी रखनी प्रारंभ कर दीं। अतः भारत की तत्कालीन बिगड़ी हुई राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाकर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। साम्राज्य-स्थापना के क्रम में अंग्रेजों को मराठों, सिक्खों, मुसलमानों एवं फ्रांसिसियों आदि से कठिन लोहा भी लेना पड़ा। किंतु जय-पराजय के मध्य अपनी कुशल नीति के फलस्वरूप इन्हें विजय श्री प्राप्त हुई।

मुगल साम्राज्य के अतर्गत अकबर के शासन काल के बाद से ही इस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़नी प्रारंभ हो गई थी। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक आते-आते यह अपनी चरम सीमा का स्पर्श करने लगी। अंग्रेजों ने भी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। इनका मुख्य ध्येय इंग्लैंड में निर्मित सामानों को इस देश में खपाने का था। इसलिए इन्होंने ऐसी आर्थिक नीति अपनाई कि यहां के सभी स्वदेशी उद्योग-धंधे नष्ट होने लगे।

उपर्युक्त आर्थिक दशा का यहां के सामाजिक जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। देश में अनेक सामाजिक कुरीतियों—बाल एवं वृद्ध विवाह, विधवा-विवाह निषेध, मती-प्रथा, छूआछूत आदि—को बढ़ावा मिला। नवीन चेतना के आगमन

पर सामाजिक पुनरुत्थान के लिए अनेक आंदोलन भी हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिमी सम्यता के सपर्क से पर्याप्त परिवर्तन देखा गया।

इस काल में हिंदू एव इस्लाम देश के मुख्य दोनों धर्म काफी विवृत हो चुके थे। इनकी अवस्था काफी शोचनीय थी। धार्मिक जीवन में कुरीतियों एव कुप्रथाओं का अवार-सा लगा हुआ था। उन्नीसवीं शती के पूर्व में ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था, किंतु उसे अच्छी प्रकार से फैलाने का मौका उन्नीसवीं शती के दूसरे दशक में मिला। फलस्वरूप बहुत से हिंदुओं एव मुसलमानों ने ईसाई धर्म अपनाया। उन्नीसवीं शती पूर्वार्ध में नई शिक्षा तथा ईसाई पादरियों के सपर्क के कारण शिक्षित भारतीयों का धार्मिक दृष्टिकोण भी बदलने लगा था।

हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी अत्यंत महत्वपूर्ण शताब्दी रही है। क्योंकि यह वह काल है जहाँ से खड़ी बोली हिंदी के नवमय इतिहास का प्रारंभ होता है। भाषा की दृष्टि से इस काल के प्रारंभ में काव्य के अंतर्गत ब्रज-भाषा का प्राधान्य रहा, परंतु नवीन शक्तियों के प्रभाव के कारण साहित्यिक गतिविधियों में भी परिवर्तन आया। पद्य के साथ-साथ गद्य साहित्य का भी प्रचलन हुआ। परिणामस्वरूप खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा हुई और आगे चलकर मुक्तक की कौन न रहे, खड़ी बोली में घटने के साथ प्रबल काव्यों की भी रचना होने लगी।

सामान्यतः मुगल-साम्राज्य के पतन एव अंग्रेजी शासन के प्रारंभ की सन्धि-काल में भारत में प्रयुक्त भाषाओं की स्थिति निम्नांकित थी।

फारसी देश की मुख्य राजभाषा थी। इसे मुगल शासकों का मरक्षण प्राप्त था। शिक्षा के क्षेत्र में फारसी के साथ अरबी का भी प्रचलन था। यह मुसलमानों की मजहबी जवान थी।

फारसी के साथ साथ मुगल शासन के अंतिम काल में उर्दू का भी भाषा के रूप में अस्तित्व प्रकट हो गया था। प्रारंभ में यह हिंदी की एक विशेष शैली मात्र थी, जिसका प्रकटीकरण हिंदी एव फारसी तथा अरबी की शब्दावली के मिश्रण में हुआ था।<sup>1</sup> प्रसिद्ध ऐमी है कि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह (1748 ई०) ने दक्षिणी के प्रसिद्ध कवि बली को अपने दरबार में आमंत्रित करके 'उर्दू' की नींव डाली।<sup>2</sup> बाद में तो यह हिंदी की शैली विशेष रूप से अरबी फारसी की शब्दावली से सर्वांग सुसज्जित हो, इस्लामी सभ्यता का बाना धारण कर एक अलग भाषा के रूप में दृष्टाने लगी और उन्नीसवीं शती के चौथे दशक से हिंदी की मरक्षण विरोधिता गिद्ध हुई।

हिंदू धर्म एव शिक्षा की दृष्टि में सभ्यता का बड़ा महत्त्व था। यह मुस्लिम शासकों के मरक्षण में प्रायः क्षीण थी।

## उन्नीसवीं शताब्दी :

### कंपनी की भाषा-नीति और हिन्दी

विश्व के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी अपनी क्रांतिकारी घटनाओं के कारण विशेष प्रसिद्ध रही है। भारत में ही नहीं, अपितु तमाम एशियाई देशों में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय इसी शती को है। यो तो भारत से यूरोपियों का व्यापारिक सबंध पहले ही स्थापित हो चुका था, परंतु इस देश में राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजी राज्य की स्थापना इसी शती में हुई। इस देश में अंग्रेजों का सर्वप्रथम पदार्पण एक व्यापारी के रूप में हुआ। आगे चलकर इन लोगों ने अपनी व्यापारिक सस्यानों की सुरक्षा के लिए छोटी-छोटी टुकड़ियों में सेनाएं भी रखनी प्रारंभ कर दी। अतत भारत की तत्कालीन विगड़ी हुई राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाकर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। साम्राज्य-स्थापना के क्रम में अंग्रेजों को मराठों, सिक्खों, मुसलमानों एवं फ्रांसीसियों आदि से बठिन लोहा भी लेना पडा। किंतु जय-पराजय के मध्य अपनी कुशल नीति के फलस्वरूप इन्हें विजय श्री प्राप्त हुई।

मुगल साम्राज्य के अतर्गत अकबर के शासन काल के बाद से ही इस देश की आर्थिक स्थिति विगड़नी प्रारंभ हो गई थी। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक आते-आते यह अपनी चरम सीमा का स्पर्श करने लगी। अंग्रेजों ने भी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। इनका मुख्य ध्येय इंग्लैंड में निर्मित सामानों को इस देश में खपाने का था। इसलिए इन्होंने ऐसी आर्थिक नीति अपनाई कि यहा के सभी स्वदेशी उद्योग-धंधे नष्ट होने लगे।

उपर्युक्त आर्थिक दशा का यहा के सामाजिक जीवन पर बडा बुरा प्रभाव पडा। देश में अनेक सामाजिक कुरीतियों—बाल एवं वृद्ध विवाह, विधवा-विवाह निषेध, सती-प्रथा, छूआछूत आदि—को बढ़ावा मिला। नवीन चेतना के आगमन

पर सामाजिक पुनर्रथान के लिए अनेक आंदोलन भी हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भी पश्चिमी सभ्यता के संपर्क से पर्याप्त परिवर्तन देखा गया।

इस काल में हिंदू एवं इस्लाम देश के मुख्य दोनों धर्म काफी विवृत हो चुके थे। इनकी अवस्था काफी शोचनीय थी। धार्मिक जीवन में कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का अवार-सा लगा हुआ था। उन्नीसवीं शती के पूर्व से ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा था, किंतु उसे अच्छी प्रकार से फैलाने का मौका उन्नीसवीं शती के दूसरे दशक से मिला। फलस्वरूप बहुत से हिंदुओं एवं मुसलमानों ने ईसाई धर्म अपनाया। उन्नीसवीं शती पूर्वार्ध में नई शिक्षा तथा ईसाई पादरियों के संपर्क के कारण शिक्षित भारतीयों का धार्मिक दृष्टिकोण भी बदलने लगा था।

हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी अत्यंत महत्त्वपूर्ण शताब्दी रही है। क्योंकि यह वह काल है जहां से लड़ी बोली हिंदी ने तमबद्ध इतिहास का प्रारंभ होता है। भाषा की दृष्टि से इस काल के प्रारंभ में काव्य के अतर्गत ब्रज-भाषा का प्राधान्य रहा, परंतु नवीन शक्तियों के प्रभाव के कारण साहित्यिक गतिविधियों में भी परिवर्तन आया। पद्य के साथ-साथ गद्य साहित्य का भी प्रचलन हुआ। परिणामस्वरूप लड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा हुई और आगे चलकर मुक्तक की बौन कहे, खड़ी बोली में घडलों के साथ प्रबल काव्यों की भी रचना होने लगी।

सामान्यतः मुगल-साम्राज्य के पतन एवं अंग्रेजी शासन के प्रारंभ की संधि-काल में भारत में प्रयुक्त भाषाओं की स्थिति निम्नांकित थी।

फारसी देश की मुख्य राजभाषा थी। इस मुगल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। शिक्षा के क्षेत्र में फारसी के साथ अरबी का भी प्रचलन था। यह मुसलमानों की मजहबी जवान थी।

फारसी के साथ-साथ मुगल शासन के अंतिम काल में उर्दू का भी भाषा के रूप में अस्तित्व प्रकट हो गया था। प्रारंभ में यह हिंदी की एक विशेष शैली मात्र थी, जिसका प्रकटीकरण हिंदी एवं फारसी तथा अरबी की शब्दावली के मिश्रण से हुआ था।<sup>1</sup> प्रसिद्धि ऐसी है कि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह (1748 ई०) ने दक्कन के प्रसिद्ध कवि बली को अपने दरबार में आमंत्रित करके 'उर्दू' की नींव डानी।<sup>2</sup> बाद में तो यह हिंदी की सैनी विशेष न रहकर अरबी-फारसी की शब्दावली से सर्वांग सुगन्धित हो, इस्लामी संस्कृति का वातावरण धारण कर एक अलग भाषा के रूप में उठाने लगी और उन्नीसवीं शती के चौथे दशक में हिंदी की सफल विरोधिनी सिद्ध हुई।

हिंदू धर्म एवं शिक्षा की दृष्टि से संस्कृत का बड़ा महत्त्व था। यह मुस्लिम शासकों के संरक्षण से प्रायः वंचित थी।



साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी की स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी। बोलचाल की भाषा के रूप में इसका प्रचलन पूरे देश में था। यह अखिलदेशीय संपर्क-भाषा (राष्ट्रभाषा) थी। आंशिक रूप से इसका प्रयोग राजकाज के लिए भी होता था।

इसके अतिरिक्त अन्य नव्य भारतीय भाषाओं (बंगला, गुजराती, मराठी आदि) एवं दक्षिण की द्रविड भाषाओं का प्रचलन प्रादेशिक स्तर पर था।

### ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज्य

पुराने जमाने से ही भारतवर्ष का यूरोपीय देशों से व्यापारिक संबंध रहा है। भारतीय शिल्पी एवं कारीगर अपने हस्त-कौशल के लिए विश्व विख्यात रहे हैं। यहाँ की बनी चीजों का निर्यात एवं यूरोपीय वस्तुओं का आयात बराबर होता रहा है। प्रारंभ में यह व्यापार स्थल मार्ग से होता था किन्तु बाद में यूरोपीय व्यापारियों ने जल-मार्ग द्वारा भी भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया। 22 मितंबर, 1599 ई० में लंदन में स्थापित एक लंदन कंपनी ने भी भारत से अपना व्यापारिक संबंध बनाया। यह कंपनी बहुत दिनों तक ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के मुताबिक भारत में अपना व्यापार करती रही। सन् 1698 के एक अधिनियम के अनुसार लंदन में एक नई कंपनी की स्थापना हुई। लंदन की उक्त दोनों कंपनियाँ व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण थीं। प्रारंभ में भारत के अंतर्गत ये दोनों कंपनियाँ अलग-अलग व्यापार करती रही। किन्तु बाद में चलकर ये दोनों एक दूसरे में घुल-मिल गईं और सन् 1709 में इनका सम्मिलित नाम 'यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी' रखा गया।

सन् 1709 से 1764 के मध्य इस कंपनी को अनेक व्यापारिक सफलताएँ प्राप्त हुईं। इन दिनों भारत की राजनीतिक स्थिति काफी ढाँवाडोल थी, जिसका कंपनी को पूरा-पूरा लाभ मिला। कंपनी ने विशेष आर्थिक लाभ की दृष्टि से सारे देश को तीन मुख्य केंद्रों—बंबई, मद्रास और कलकत्ता—में विभक्त कर दिया। इन्हीं दिनों इस कंपनी को फ्रांसीसी कंपनी से काफी संघर्ष करना पड़ा। फलस्वरूप अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक में तीन युद्ध हुए, जिनसे फ्रांसीसियों ने पैर उखड़ गए और अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक अस्तित्व दृढ़ हो गया। सन 1757 में समूचे बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसके बाद बक्सर के युद्ध (सन 1764) में भी अंग्रेजों की ही विजय हुई। कर्नाटक युद्ध के बाद भारत का दक्षिणी भाग भी अंग्रेजों के शासन में आ गया था। सन 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को पराजित किया और सन 1818 में मराठों को। सन 1803 में ही दिल्ली पर भी इनका अधिकार हो चुका था। इस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी ने लगभग एक शताब्दी के मध्य समस्त भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया और इस देश में ब्रिटिश राज्य की नींव डाली।

देश में कंपनी का महत्त्व दिनों-दिन बढ़ता गया। सन 1833 तक तो कंपनी की स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई। सन 1854 तक कंपनी ने युद्ध, राज्य-विस्तार, शासन-सुधार तथा अन्य सार्वजनिक हित के कार्य किए। सन 1856 में लार्ड डलहौजी के बाद लार्ड केनिंग भारत के गवर्नर-जनरल होकर आए। उन दिनों डलहौजी की 'राज्य हृदयो' नीति के कारण भारत का राजनीतिक वातावरण बिलकुल विक्षुब्ध हो उठा था। राजे-महाराजे व नबाब आक्रोश से भरे हुए थे। देश की सामाजिक दशा भी काफी बिगड़ चली थी। वट्टर हिंदुआ को विश्वास हो चला था कि लार्ड केनिंग को भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने एवं भारतीयों को ईसाई बनाने के उद्देश्य से भेजा गया है। आर्थिक स्थिति की विषमता के कारण असतोष की अग्नि तो पहले से ही जल रही थी। इन परिस्थितियों के योग से वह भभक उठी और इस भभकती हुई आग में सेना के अतर्गत गोरे और काले के भेदभाव तथा असमानता की बढ़ती हुई खाई ने घी का काम किया। परिणामस्वरूप सन 1857 में वह चिरस्मरणीय रोमाचकारी खूनी विद्रोह हुआ जो भारत के इतिहास में 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' के नाम से प्रसिद्ध है। सब प्रकार की तैयारियों के बावजूद भारत का यह दुर्भाग्य ही रहा कि थोड़ी सी असावधानी ने भारत की गुलामी को 90 वर्षों के लिए आगे ढकेल दिया। इस क्रांति का अप्रेजों ने बलपूर्वक दमन किया। बहुत कुछ गवाने के बाद भी भारतीयों को असफलता हाथ लगी। सन 1857 के इस महान विद्रोह का फल यह हुआ कि सन 1858 के एक अधिनियम के अनुसार भारत की शासन-सत्ता कंपनी के हाथ से निवृत्त कर सीधे इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई और इस प्रकार कंपनी-शासन का अंत हो गया।

### कंपनी की भाषा-नीति

ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लेने के बाद कुछ समय तक अपने कर्मचारियों के लिए देशी भाषाओं के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं की। ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक राबर्ट क्लाइव (सन 1743-1767) तथा बारेन हेस्टिंग्स (सन 1780) ने कोई ध्यान नहीं दिया। लार्ड कानिंगहैम (सन 1786-1793) ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब विलेजली (सन 1798-1805) भारत आए तो उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने भारत आकर अनुभव किया कि कंपनी के कर्मचारी केवल एक व्यापारिक संस्था के कर्मचारी नहीं, बल्कि अब एक सरकार के अधिकारी हैं। उनमें शिक्षा, जनभाषा, ज्ञान और सदाचार की आवश्यकता है। अतः उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए उन्होंने गिलफ्राइस्ट की अध्यक्षता में 'ओरिएंटल सैमिनरी' की स्थापना की।

वाद में (1800 ई० में) यही सस्या फोर्ट विलियम कालेज के रूप में परिवर्धित हुई।<sup>3</sup>

### फोर्ट विलियम कालेज

जैसा ऊपर बताया गया है इस कालेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों को देशी भाषाओं का ज्ञान करना था, किन्तु अप्रत्याशित रूप से कालेज की स्थापना से भारतीय भाषाओं, मुख्यतः हिन्दी, उर्दू व बंगला का विशेष विकास हुआ। इस कालेज में पूर्वी तथा पश्चिमी साहित्य, कानून, नीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, गणित, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र आदि विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी, साथ ही अरबी, फारसी, संस्कृत, हिन्दुस्तानी, बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम आदि भारतीय भाषाओं एवं यूरोप की अनेक आधुनिक भाषाओं तथा ग्रीक व लैटिन आदि की पढ़ाने की व्यवस्था थी। इस कालेज के द्वारा भारत की अनेक भाषाओं, मुख्यतः बंगला, फारसी, अरबी तथा हिन्दुस्तानी के विविध ग्रंथ प्रकाशित हुए। सन् 1800 से 1854 तक बीच कालेज के मुशियों तथा पढ़ितों द्वारा विविध भाषाओं में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। कालेज द्वारा प्रकाशित इन ग्रंथों में साहित्यिकता का अभाव भले ही रहा हो, पर इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि इनके द्वारा भारतीय भाषाओं में अनेक नवीन विषयों का प्रारंभ हुआ, उनके शब्द भंडार में वृद्धि हुई। संस्कृत तथा हिन्दी आदि के अनेक प्राचीन ग्रंथ सर्वप्रथम प्रकाशित हुए।<sup>4</sup>

हिन्दुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष गिलक्राइस्ट थे। गिलक्राइस्ट के अनुसार हिन्दुस्तानी की तीन शैलियाँ थी—(1) दरबारी फारसी शैली, (2) विशुद्ध हिन्दुस्तानी शैली, एवं (3) हिन्दवी शैली। वे फारसी शैली को दुरुह तथा हिन्दवी शैली को गबारू मानते थे। इन तीनों में वे विशुद्ध हिन्दुस्तानी शैली को प्राथमिकता देते थे।<sup>5</sup> गिलक्राइस्ट की इस हिन्दुस्तानी की वाक्य-रचना, क्रियापद आदि तो हिन्दी (हिन्दवी) पर आधारित थे, परन्तु उसमें अरबी, फारसी के सजा एवं विशेषण शब्दों का भरमार रहा करता था। इसे यों कहा जा सकता है कि कालेज में गिलक्राइस्ट साहब ने हिन्दुस्तानी के नाम पर उर्दू को ही प्रोत्साहन दिया, लोकप्रचलित हिन्दी (खड़ी बोली) को नहीं। मौलाना अब्दुल हक साहब के निम्नलिखित कथन के साक्ष्य में यदि 'गिलक्राइस्ट' की भाषा नीति की समीक्षा की जाए, तो उपर्युक्त कथन की सार्थकता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा

‘मैं डा० गिलक्राइस्ट को उर्दू जवान का बहुत बड़ा मोहमिन खयाल करता हूँ। वह न सिर्फ एक तरह से फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता के क्याम के वायस हुए जिसने उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत की बल्कि उन्होंने उर्दू की तीसाम व असावत्

के लिए बहुत वारम्भ और मुफ़ीद किताबें लिखी ।<sup>9</sup>

डा० रामकुमार वर्मा ने गिलक्राइस्ट साहब की भाषा नीति की स्वस्थ दृष्टि से समीक्षा करते हुए लिखा है :

'रोमन लिपि और फारसी लिपि में विश्वास रखने वाले, अरबी और फारसी से आनात खड़ी बोली का ही (जिसे वे हिंदुस्तानी कहते हैं) देश की शिष्ट भाषा समझने वाले एव मंस्कृत के तत्सम एव तद्भव शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली को (जिसे वे हिंदवी कहते हैं) गवारू समझने वाले जान गिलक्राइस्ट ने वास्तव में हिंदुस्तानी नाम से उर्दू का प्रचार किया ।'

गिलक्राइस्ट रोमन तथा फारसी लिपि के पक्षपाती थे । उनके विचार में हिंदुस्तानी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए फारसी भाषा एव लिपि का ज्ञान बहुत जरूरी था । वे स्वयं अरबी फारसी भाषाओं के विद्वान थे । इसलिए उन्होंने तत्कालीन हिंदी को अरबी फारसी की आर झुका दिया । उन्हीं के प्रयास से उर्दू परिपूर्ण हो बाद में कचहरी की भाषा बनने योग्य हुई ।

गिलक्राइस्ट के हिंदुस्तानी विभाग में हिंदी तथा नागरी लिपि से परिचित मुशियो की संख्या नहीं के बराबर थी । जब हिंदवी (हिंदी) के अध्ययन की विशेष आवश्यकता होती थी तो उसके लिए अस्थायी प्रबंध कर लिया जाता था । इसी प्रबंध विरोध के अंतर्गत लल्लू जी लाल और सदात मिश्र की नियुक्ति कॉलेज में हुई थी । 'मास्त्रा मुशी तथा पंडितो का वेतन सदैव कम रखा जाता था तथा कॉलेज की व्यवस्था में उनका सर्वैव स्थान शीघ्र रहता था । उनकी नियुक्ति तथा उपस्थिति भी आवश्यक नहीं समझी जाती थी । अनिश्चित दशा तथा आवश्यकता न रहने पर वे पद से अलग कर दिये जाते थे ।'<sup>10</sup>

जान गिलक्राइस्ट की इस भाषा नीति का प्रभाव हिंदी पर बहुत बुरा पड़ा । उसे यथेष्ट रूप से विकसित होने में पर्याप्त कठिनाइयां झेलनी पड़ी और सन् 1837 से तो उर्दू के साथ सघर्ष ही छिड़ गया । इस नीति से हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू को जो प्रश्रय मिला, उससे भविष्य में भाषा के प्रश्न को लेकर सांप्रदायिकता की अभेद्य बीमार खड़ी हुई । इन सबके बावजूद खड़ी बोली हिंदी का इस कॉलेज में कुछ लाम न हुआ हो, ऐसी बात नहीं, खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा हुई । हिंदी की प्रकाशित अनेक पुस्तकों द्वारा हिंदी प्रचार में कुछ-न-कुछ सहायता अवश्य मिली ।

26 फरवरी सन 1804 ई० को कॉलेज में गिलक्राइस्ट के त्याग पत्र देकर चले जाने के बाद भी भाषा सबधी यह ध्रमपूर्ण नीति वर्षों तक चलती रही । सन 1823 ई० में हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष के रूप में विलियम प्राइस की नियुक्ति हुई । 'वे अपने को हिंदी प्रोफेसर कहते थे और हिंदी और हिंदुस्तानी में लिपि तथा शब्दों

का मुख्य अंतर मानते थे।<sup>9</sup> इनके समय कॉलेज में हिंदुस्तानी (उर्दू) के स्थान पर हिंदी का अध्ययन प्रारंभ हुआ। प्राइस की इस भाषा नीति के कारण कालेज के सचालकों को भी अपनी भाषा-नीति बदलनी पड़ी। प्राइस के बाद दिनो-दिन कालेज अवनति की ओर ही गया और सन 1854 में इसे तोड़ देना पड़ा।

फोर्ट विलियम कालेज की इस भाषा नीति का बहुत गहरा प्रभाव कंपनी की भाषा-नीति पर पड़ा। किंतु इसे कंपनी की आम नीति मानना स्वस्थ दृष्टि का परिचायक नहीं होगा। प्रारंभ में भाषा के मामले में कंपनी काफी उदार थी, हा, यह दूसरी बात है कि परिस्थितियों के अवरोध अथवा राजनीति सबधी अपने दृष्टिकोण विशेष के कारण कंपनी को अपनी भाषा-नीति में समय-समय पर परिवर्तन करना पड़ा हो।

जिस समय कंपनी ने भारत का शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया, उस समय उसके सामने चार प्रमुख भाषाएँ थी

- 1 अंग्रेजी कंपनी सरकार की अपनी निजी भाषा थी, जिसका प्रचार करना तथा जिसे राजभाषा का पद दिलाना कंपनी अपना परम कर्तव्य समझती थी।
- 2 फारसी राजभाषा थी अवश्य, किंतु सर्वसाधारण में इसका प्रचलन नाममात्र के बराबर था।
- 3 हिंदी लोक भाषा के रूप में सर्वत्र बोली और समझी जाती थी।
- 4 बंगला कंपनी सरकार की केन्द्र की भाषा थी।

यहाँ पर इस तथ्य का उल्लेख कर देना नितांत जरूरी है कि समय की इस सीमा तक 'उर्दू' नाम की कोई अलग से भाषा नहीं थी। संपूर्ण हिंदी प्रदेश में सिर्फ एक लोक भाषा (जिसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी कहना ही उचित समझा था) हिंदी ही प्रचलित थी।

### कंपनी और राजभाषा

किसी भी सरकार के लिए राजभाषा का विशेष महत्त्व होता है। इसलिए कंपनी की भाषा-नीति की समीक्षा करते समय सर्वप्रथम उसकी राजभाषा सबधी नीति का विवेचन आवश्यक है। कंपनी सरकार की अपनी भाषा अंग्रेजी थी, जिसे इस देश की राजभाषा बनाना, कंपनी की हार्दिक इच्छा थी। किंतु कंपनी ऐसा कर पाने में असमर्थ थी। प्रथम कारण यह कि उस समय जनमत अंग्रेजी के अनुकूल न था, जनता में अंग्रेजी का कोई विशेष प्रचार नहीं हो पाया था। द्वितीय यह कि लंबे अर्थ से फारसी राजभाषा बनती चली आ रही थी। अतः कंपनी को भी उसी नीति का अनुसरण करना पड़ा। मुगल-शासन के पतन के बाद फारसी का महत्त्व व प्रचलन दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा था, फिर भी सन 1836 तक फारसी

कपनी सरकार के दफ्तरों की भाषा बनी रही और सहभाषा के रूप में लोकभाषा हिन्दी का प्रयोग भी पूर्ववत् होता रहा। इस मन्त्र में श्री चंद्रबली पाण्डेय का निम्नलिखित वचन वस्तुस्थिति का परिचायक है

‘कपनी सरकार शाही जवान अर्थात् फारसी के लिए बननबद्ध हो चुकी थी, फिर भी ‘भाषा से उसका कोई परम्परागत द्वेष न था। फारसी के साथ ही साथ ‘भाषा’ भी बढ रही थी। इसलिए कोई कारण न था कि कपनी सरकार ‘भाषा’ का विरोध करती। निदान उसने निश्चय किया कि सरकारी कामकाज में शाही जवान के साथ ही साथ ‘लाक़ भाषा’ को भी टक्काती रखा जाये।’<sup>10</sup>

कपनी के राजकीय आदेश, सूचना तथा सरकारी कागजात पहले फारसी और नीचे हिन्दी भाषा में लिखे रहते थे। इन नामों के लिए दोनों लिपियों फारसी व नागरी का प्रयोग होता था। हिन्दी भी उन दिनों राजकाज की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी, इसका प्रमाण सन 1803 का आर्डिन दे रहा है

‘किमी को भी इस बात का उजुर नहीं होये कं ऊपर कं दफं का लिखा हुकुम समसे वाफीक नहीं है हरी ऐक जिने के क्लीकटर साहेब को लाजीम है कं इस आर्डिन के पावने पर ऐक ऐक बेता इसतहारनामा निचे कं सरह से फारसी को नागरी भाषा के अछर में लिखाये कं अपने मोहर वो दसखत से अपने जिता कं कचहरी में भी तमामी आदमी के बुझने के बासते लटकावहि।’<sup>11</sup>

कपनी ने अपने सिक्कों तथा स्टैम्पो पर भी फारसी लिपि के साथ साथ नागरी लिपि को स्थान दिया था।<sup>12</sup> नागरी लिपि के जारी रहने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णोय ने लिखा है कि ‘इतने दिनों तक कपनी नागरी लिपि इसलिए अपनाये रही, क्योंकि आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता में उसका सबसे अधिक प्रचार था, वह सरलतापूर्वक सीखी जा सकती थी, मरहटों के और नेपाल राज्या तथा बुमायू, गढ़वाल, राजपूताना आदि के लगभग सभी कामें उसमें होत थे और कैथी और महाजनी लिपियां उसके अत्यधिक समीप और रूपान्तर मात्र थी।’<sup>13</sup>

फारसी भाषा व प्रयोग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करता पड़ता था। जनता को इसके कारण उचित न्याय नहीं मिल पाता था। अंग्रेज इन तथ्यों से अवगत थे। अंग्रेजों को राजभाषा बनाने की उनकी मशा भी थी। हिन्दु फारसी को हटाकर उस स्थान पर अंग्रेजी को बिठाना अभी सतरे से खाली न था, इस बात की जानकारी भी उन्हें थी। कारण यह है कि लोक जनमत देशी भाषा का

के पक्ष में था, साथ ही सन 1830 ई० में थोटों के डाइरेक्टरों ने यह बह भी दिया कि 'जनता को न्यायाधीशों की भाषा सीखने की अपेक्षा न्यायाधीशों को जनता की भाषा सीखना सरल है।'<sup>11</sup> फिर भी सन 1830 से 37 तक शासन और शिक्षा के माध्यम के सदर्म में अंग्रेजी और देशी भाषाओं को लेकर काफी विवाद चलता रहा। अतः सन 1837 ई० में फारसी की जगह देशी भाषाओं को दे दी गयी। बंगाल में तो बंगला भाषा व लिपि को अधिकार मिला, किंतु पश्चिमोत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश) में हिंदी व नागरी लिपि के स्थान पर 'उर्दू' कचहरी की भाषा नियुक्त हुई।

'उर्दू' को अदालत की भाषा बनवाने का मुख्य श्रेय अदालती कर्मचारियों को ही था, जिनमें फारसी लिखने में अभ्यस्त मुसलमानों एवं वायस्यों की संख्या बहुत ज्यादा थी।<sup>12</sup> यदि अदालत की भाषा हिंदी व लिपि नागरी बना दी जाती तो इन अदालती अमलों के सर पर मानों पहाड़ गिर पड़ता। इसलिए इन लोगों ने सरकार के समक्ष यह दलील रखी कि यदि सरकार एक मात्र नागरी को लागू करना चाहती है तो उसके लिए नये कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी और ऐसी हालत में नये सिरे से कर्मचारियों की नियुक्ति संभव नहीं है। अतः उर्दू को अपनाने से सरकार का प्रयोजन अधिक सुगमता से पूरा हो जायेगा। उस हालत में भाषा देशी हो जायेगी और लिपि का कोई प्रश्न न उठेगा। मजे की बात तो यह रही कि जब तक फारसी न्याय भाषा थी तब तक मुस्लिम शासकों की परंपरा का अनुसरण होता रहा, देश की भाषा हिंदी और लिपि नागरी को भी स्थान मिलता रहा। परंतु जब फारसी का स्थान उर्दू ने लिया तो अदालत में हिंदी व नागरी का नामोनिशान भी मिटा दिया गया।

उर्दू के अधिकांश समर्थक मुसलमान थे। उनके लिए भाषा का सवाल कोरा प्रशासकीय प्रश्न ही न था, वह भावनोत्पादक तथा एक हृद तक धार्मिक भी था। मुस्लिम संस्कृति की प्रतीक फारसी के हट जाने के कारण मुसलमानों में बड़ा असंतोष व्याप्त हो गया था। कोई रास्ता न देख उन लोगों ने अरबी-फारसी से लदी हुई उर्दू का ही जी जान से समर्थन करना शुरू किया और हिंदी को दफ्तरो एवं कचहरियों से ही नहीं, बल्कि शिक्षण-संस्थाओं से भी निकलवाने की जबर्दस्त कोशिश की। हिंदी प्रेमियों के द्वारा हिंदी के प्रति ध्यान दिलाये जाने पर यदा-कदा सरकार द्वारा एकाधिक भाषा सगोधन-आदेश निकलते रहे, किंतु अमलों की मेहरबानी कहिये कि वे फाइल में दबे रह जाते थे, व्यावहारिक जगत की हवा उन्हें नहीं लग पाती थी। पश्चिमोत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 जनवरी 1854 के आदेश द्वारा किनष्ट उर्दू के स्थान पर सरल हिंदुस्तानी के प्रयोग को उचित बताया, परंतु इसका भी पालन न हो सका। परिणामतः कचहरी की भाषा जनता के लिए दुर्बोध और महंगी हो गई। कचहरी के मुसलमान तथा हिंदू अमलों ने अपना

स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उर्दू को फारसी लिपि का जागा पहनाकर उसे जनता से और भी दूर कर दिया।<sup>16</sup>

### कंपनी की शिक्षा नीति और हिन्दी

ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था से पहले इस देश की शिक्षा-व्यवस्था में शासकों का हस्तक्षेप नहीं होता था। शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से ब्राह्मणों तथा मौलवियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करते थे। आरंभ में कंपनी के डाइरेक्टरों को भी हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म आदि में हस्तक्षेप करने में काफी हिचकिचाहट हुई। अतः आरंभ में कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में उसे प्रभावित करने वाला कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शिक्षा व्यवस्था परंपरानुमोदित पथ पर चलती रही। सन 1771 के संशोधित अधिनियम के अनुसार कंपनी ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए उनके धर्म, रीति रिवाज, रहन-सहन आदि के अनुकूल उच्च शिक्षा-केन्द्र स्थापित करने की योजना बनायी। सन् 1781 में कलकत्ता मदरसा तथा सन 1791 में बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना हुई। कलकत्ता मदरसा का उद्देश्य मुसलमानों को मुस्लिम धार्मिक सिद्धांतों के साथ कानून की शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेज शासकों की सहायता करने योग्य बनाना था। इसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदू धर्मशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप बनारस संस्कृत कालेज की भी स्थापना हुई थी। इन शिक्षण संस्थानों में अरबी-फारसी, तथा संस्कृत के अध्ययन पर ही बल दिया जाता था। किंतु इनका उद्देश्य बड़ा छोटा, दूषित एवं संकुचित घेरे में आवद्ध था। घामस मुनरो, एलफिंस्टन, लाई विलियम बेंटिंग जैसे उदारवादी अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा-व्यवस्था की प्रगतिशील कदमों पर ले चलने के लिए कंपनी को सुझाव दिया। किंतु इनके सुझावों का कोई व्यावहारिक स्वरूप सामने आता हुआ दिखाई न पड़ा।

देश की साधारण जनता देशी भाषाओं के पक्ष में थी। इसलिए कंपनी को उनकी ओर भी ध्यान देना पड़ा। हिंदुस्तानी के प्रबल समर्थक लाई विलेजली के द्वारा 1800 ई० में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना, इस दिशा में कंपनी के प्रयास का पहला कदम था। अंग्रेजों को भारतीय भाषाएँ सीखने के लिए सन 1818 में 'फोर्ट सेण्ट जार्ज' नामक एक दूसरे कालेज की स्थापना मदरास में हुई। स्पष्ट है कि लाई विलेजली के समय में देशी भाषाओं की महत्ता कंपनी को अच्छी तरह से समझ में आने लगी थी। यहाँ पर यह बात कह देना निहायत जरूरी है कि 'फोर्ट विलियम कॉलेज' की स्थापना से भारतीय भाषाओं को कम लाभ नहीं हुआ, किंतु गिलक्राइस्ट के 'हिंदुस्तानी' संबंधी भ्रमपूर्ण नीति का परिणाम हिंदी के लिए तो यहूत ही दुःखद एम देग के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हुआ। गिलक्राइस्ट के 'हिंदुस्तानी' भाषा नीति का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में कंपनी



की भाषा नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। 'कंपनी के शासनकाल में 'हिंदुस्तानी' शब्द के सामान्यतया दो अर्थ लिए जाते थे। उसके पहले अर्थ में हिंदुस्तानी से उभ भाषा से तात्पर्य था, जिसमें ठेठ हिंदी के शब्दों का प्रयोग होना था। न तो उसमें शुद्ध संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता थी और न ही वह अरबी फारसी के शब्दों में बोझिल रहती थी। इस अर्थ में 'हिंदवी' अथवा 'हिंदुई' शब्द ही प्रायः हिंदुस्तानी के अंतर्गत आते थे। यही हिंदुस्तानी सबसे अधिक समझी तथा बोली जाती थी। हिंदुस्तानी के दूसरे अर्थ में 'हिंदुस्तानी' में उस भाषा से तात्पर्य था, जिसका मूलधार ठेठ हिंदी था, परन्तु उसमें अरबी-फारसी के शब्दों का बाहुल्य था और वह साधारणतया फारसी लिपि में लिखी जाती थी।<sup>17</sup> कहना न होगा कि कंपनी भी हिंदुस्तानी के इसी दूसरे अर्थ को लेने लगी थी।

अब इस हिंदुस्तानी के प्रचार-प्रसार के लिए कंपनी द्वारा समय समय पर समझ प्रयास किए गए, जिसमें सिर्फ अरबी, फारसी की खोल ओढ़ने वाली ही नहीं, बरन उनके अखिल गुणों को आत्मसात करने वाली हिंदुस्तानी के नाम पर उस उर्दू को बढ़ावा मिला, जो भविष्य में अराष्ट्रीय तत्वों की साकार भूति सिद्ध हुई। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी की ऐसी नीति थी जिसके जरिए हिंदी और उर्दू के बीच दूरी पैदा कर अंग्रेजी भाषा व रोमन लिपि को स्थापित किया जा सके। इस सदम में यह तथ्य तो सर्व विदित ही है कि अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर देखना कंपनी की दिली तमन्ना थी। शिक्षा का क्षेत्र भी इसी दूषित नीति में प्रभावित एवं आक्रांत था, जिसका पर्दाफाश करते हुए मुप्रसिद्ध इतिहासकार 'गार्सो इन्तासी' ने लिखा है

'ईस्ट इण्डिया कंपनी की यह हिकमत असली रही थी कि उर्दू को हिंदी से अलहद तसब्बर किया जाए। चुनाव उर्दू का जो जदीद अदब इस जमाने में पैदा हुआ उसमें अरबी फारसी के अल्फाज को तरजीह दी जाती थी। इस जदीद अदब की सरकारी मदारिस में भी हिम्मत अफजाई की गयी।'<sup>18</sup>

वस्तुतः कंपनी ने जिस भाषा नीति को अपनाया, वह भाषा के क्षेत्र में विभिन्न विरोधी तत्वों को जन्म देने एवं हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी का विवाद खड़ा करने में सहायक सिद्ध हुई। कंपनी की इस भाषा नीति के दुष्परिणाम की बात डा० सरनाम सिंह शर्मा के ही शब्दों में सुनिए

अंग्रेजी शासन की स्थापना से भाषा के क्षेत्र में एक विस्फोट भावना का प्रजनन हुआ। धर्म की आड में कूनीतिक चालों को घोषित करने का अवसर लेकर शासकों ने अपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा की। उन्होंने 'हिंदुस्तानी'

शब्द से एक ऐसे विषय का प्रादुर्भाव किया, जो बढ़ता और फैलता गया। हिन्दी और उर्दू के सवध में उससे एक निश्चित भेद दृष्टि हो गई।<sup>19</sup>

यदि उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध के इतिहास पर नजर डाली जाए तो दिखाई पड़ेगा कि कपनी की शिक्षा नीति समय-समय पर बदलती रही है। सन 1814 में उसने प्राच्य शिक्षा प्रणाली एवं संस्कृत के अध्ययन पर विशेष बत दिया, तो सन 1824 में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान के प्रसार पर और सन 1828 में मुनरो की भारतीय भाषाओं द्वारा जन शिक्षा की योजना पर<sup>20</sup> सन 1834 में लार्ड मैकाले भारत आए। उन्होंने अंग्रेजी द्वारा भारतीयों की शिक्षा देने पर बत दिया। उसी वर्ष से कपनी की शिक्षा सन्धी नीति ने एक नया मोड़ लिया। फलस्वरूप कपनी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का कार्य अपने हाथ में लिया। सरकार की कामना फलवती हो उठी। अब क्या था, बड़े धूम धाम के साथ अंग्रेजी भाषा व रोमन लिपि का प्रचार शुरू हुआ। सन 1856 तक अंग्रेजी का खूब प्रचार होता रहा। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम करने तथा उसे भारतीय शिक्षा का सहायक माध्यम बनाने का पूरा का पूरा श्रेय लार्ड मैकाले को ही मिलना चाहिए।

सन 1835 तक पश्चिमोत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसीडेंसी का एक अंग रहा। किंतु सन 1836 में इस प्रदेश का एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठन हुआ। सन 1843 तक इस समूचे प्रान्त के अन्तर्गत सिर्फ तीन सरकारी कालेज (दिल्ली, आगरा और वाराणसी में) तथा 9 वर्नाक्यूलर स्कूल थे। इसी साल इस प्रदेश के गवर्नर जेम्स यामसन (सन 1843-1853) ने यहाँ शिक्षा-प्रसार की एक विस्तृत योजना बनाई, जिसने अनुसार हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं में पाठ्य विषयों की पढ़ाई की जाने लगी। किंतु ध्यान रहे कि यह व्यवस्था नीचे की कक्षाओं में ही लागू हुई थी, क्योंकि मैकाले की नीति के अनुसार ऊँची कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था।

सन 1854 ई० में 'चार्टरबुक' की प्रतिष्ठित शिक्षा योजना लागू की गई, जिसके अनुसार हर एक प्रान्त के लिए अलग-अलग प्रांतीय शिक्षा विभाग, उसके डायरेक्टर तथा सहायक निरीक्षकों की नियुक्तियाँ हुईं, अनेक प्रारम्भिक पाठशालयों स्थापित की गयीं। इन पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को रखा गया। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में देशी भाषाओं के प्रवेश से हिन्दी का भी पर्याप्त लाभ हुआ। हिन्दी में भी अनेक विषयों की छोटी-मोटी पुस्तकें तैयार कराई गयीं। शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों द्वारा जो कार्य हुआ, उसमें भी हिन्दी के विकास में काफी सहायता मिली।

## ईसाई मिशनरियाँ और हिन्दी

ईसाई धर्म प्रचारकों का भारत से काफी पुराना परिचय रहा है। ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियों के भारत आगमन के बहुत पहले से ही ईसाई धर्म प्रचारक इस देश में मौजूद थे। किंतु इनके धर्म-प्रचारकी गति उस समय काफी तेज हुई, जब ईस्ट इण्डिया कंपनी के डाइरेक्टरो द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म-प्रचारकी पूर्ण छूट दे दी गई। अब क्या था, सारे देश में मिशनरियों का जाल-सा बिछ गया। इनका मूल उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार तथा भारतीयों को इस धर्म में दीक्षित करना था। किंतु इस कार्य की सफलता के लिए जनता का शिक्षित होना आवश्यक समझा गया। शिक्षा-कार्य प्रारंभ करने वालों में जीर्जन बाल्ग तथा प्लूटू जैसे पादरियों का नाम सर्वप्रथम आता है। इन दोनों पादरियों ने सन 1706 में मद्रास को अपना कार्य-क्षेत्र बनाया। इनके स्कूलों में सभी लोगों को निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इन्होंने देशी भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशनार्थ सन 1713 में एक प्रेस की भी व्यवस्था की थी।

शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी सरकार एवं ईसाई मिशनरियों की भाषा नीति में पर्याप्त अंतर था। जहाँ कंपनी सरकार ने एकाधिक समृद्ध भाषाओं के अतिरिक्त मुख्य रूप से अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया, वहाँ इन मिशनरियों ने जन भाषाओं के जरिए यहाँ की अशिक्षित जनता को शिक्षित करने का प्रयास किया। उदाहरणार्थ हिन्दी प्रदेश में कंपनी सरकार शिक्षा के मामले में अंग्रेजी एवं हिन्दुस्तानी के रूप में उर्दू के पक्ष में थी, परंतु मिशनरियों ने सर्वप्रचलित लोकभाषा हिन्दी में यहाँ की जनता को शिक्षा देने का प्रबंध किया।<sup>21</sup> भाषा नीति में हम पार्थक्य का स्वाभाविक और स्पष्ट कारण भी था और वह यह कि जहाँ कंपनी सरकार अपनी कल बल छल सबधी कूटनीतियों के द्वारा इस देश में अपना स्थायी शासन जमाना चाहती थी, वहाँ ईसाई-धर्म-प्रचारकों का मुख्य उद्देश्य यहाँ की सामान्य निरीह जनता को अपने धर्म का गलत-सही महत्व समझाकर उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित करना था। एक का कार्य क्षेत्र प्रमुखता की दृष्टि से नगर था, जबकि दूसरे ने भारतीय गाँवों को अपना कार्यक्षेत्र चुना था। एक का विशेष संबंध पढ़े-लिखे उच्च श्रेणी के नागरिकों से था तो दूसरे का अपवाद गरीब एवं ग्रामीण जनता से।

ईसाई मिशनरियों के द्वारा देश के विभिन्न अंचलों में शिक्षा-प्रसार के लिए बट्ट से स्कूल तथा फालेज खोले गए, जहाँ पर निशुल्क शिक्षा के साथ भोजनादि की भी व्यवस्था रहती थी। आचार्य प० रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में—'अनेक नगरों में बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे-मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा सबधिन पुस्तकें भी निकलने लगी। इन पुस्तकों की हिन्दी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसी 'वाइविल' के अनुवाद की थी।'<sup>22</sup> मिशनरी पाठशालाओं में

साहित्य, इतिहास, धर्मशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों के साथ विविध भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी आदि की शिक्षा जन भाषाओं के माध्यम से दी जाती थी। ईसाई पादरियों ने अनेक अनाथालय तथा विविध महिला-संस्थाएँ स्थापित कर स्त्री शिक्षा का भी प्रचार किया। चार्ल्स ग्राट, विलियम केरे, डा० डफ आदि पादरियों ने आधुनिक शिक्षा के लिए कई योजनाएँ चालू कीं। चार्ल्स ग्राट ने सन 1792 में ही अंग्रेजी ढंग की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया। आगे चलकर सन 1821 में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'कलकत्ता यूनिटैरियन कमेटी' की स्थापना हुई। पाश्चात्य विचारक हेम्टन के शब्दों में 'इस कमेटी का चरम लक्ष्य शिक्षा, तर्क तथा पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा जनता का अविश्वास दूर करना था।'<sup>23</sup>

जिस समय ईसाई मिशनरियों ने अपना धर्म-प्रचार प्रारंभ किया, उस समय उनके पास भारतीय भाषाओं में अनूदित ऐसा साहित्य न था, जिसके जरिए वे धर्म-प्रचार करते। इसलिए सर्वप्रथम उनका ध्यान इस ओर गया। डा० विलियम केरे ने श्रीरामपुर में वैंट्रिस्ट मिशन की स्थापना की तथा भारत की विभिन्न भाषाओं और हिंदी की बोलियों में 'बाइबिल' का अनुवाद कराया।<sup>24</sup> सन 1805 में हेनरी माटिन भारत आए। इन्होंने बाइबिल का अनुवाद हिंदी तथा उर्दू में किया। अन्य धर्म प्रचारकों में विलियम वाडले, विलियम वैंटम, लैसली तथा स्नाइटर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का भारतीय भाषाओं, मुख्यतः सार्वदेशिक संपर्क भाषा हिंदी में अनुवाद किया। वाडले द्वारा सन 1826 में 'ओल्ड टेस्टामेंट' का धर्म पुस्तक नाम से किए गए अनुवाद की यह भाषा देखने योग्य है।

'लोन अच्छा है परंतु यदि लोन अपनी लोनाई खोवे तो तुम उसको विससे स्वादित करोगे, आपन लोन रखो और आपुस में मिले रहो।'<sup>25</sup>

शिक्षा सवधी पुस्तकों की मांग की पूर्ति के लिये ईसाई मिशनरियों द्वारा 'कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी' (सन 1817), 'आगरा स्कूल बुक सोसाइटी' (सन 1833), तथा 'नादरन ट्रेवट बुक सोसाइटी, इलाहाबाद' आदि की स्थापना की गयी। साथ ही कई कॉलेज, नार्मल स्कूल आदि की भी स्थापना हुई। इन सोसाइटियों तथा शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी के साथ (हिंदी-शिक्षा) पर विशेष बल दिया जाता था। ईसाई धर्म प्रचारक हिंदी को ही जनसाधारण की भाषा मानते थे तथा उसके सरल रूप के पक्ष में थे। इस संबंध में डा० लक्ष्मीसागर वाष्णव्य का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है।

‘शिक्षा क्षेत्र के सबंध में तो इतना बहू देना ही काफी होगा कि लोक भाषाओं में अंग्रेजी पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित कराने और उनके माध्यम द्वारा देश के विभिन्न भागों में शिक्षा का प्रचार कार्य श्रीरामपुर मिशनरियों, कलकत्ता स्कूल बुक सोसायटी और आगरा स्कूल बुक सोसायटी द्वारा हुआ। उन्होंने हिंदी में (आधुनिक अर्थ में) अनेकानेक उपयोगी साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें प्रकाशित की और हिंदी को ही प्रधानता दी।<sup>26</sup>

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट है कि ईसाई पादरियों ने अपने धार्मिक विचारों एवं सिद्धांतों को बोधगम्य तथा सरल बनाने के लिये सरल हिंदी व नागरी का आश्रय लिया।<sup>27</sup> पादरियों द्वारा किये गये शिक्षण कार्य से शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। देशी भाषाओं का भी महत्व बढ़ा। माथ ही खड़ी बोली हिंदी गद्य का यथेष्ट विकास हुआ। पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईसाई धर्म प्रचारकों ने खड़ी बोली गद्य में खडन-मडन, उपदेश तथा भजन संबंधी अनेक छोटी मोटी पुस्तकें तथा पैपलेट आदि भी प्रकाशित किये। इनके द्वारा सन 1840 में एक मासिक पत्र ‘लोकमित्र’ भी प्रकाशित किया गया। ईसाई मिशनरियों के इन कार्यों से भी खड़ी बोली हिंदी गद्य को विकसित होने का प्रशस्त मार्ग मिला।

इस प्रकार एक ओर तो खड़ी बोली हिंदी गतिशील थी, किंतु दूसरी ओर फोर्ट विलियम कालेज एवं कम्पनी की भाषा नीति के फलस्वरूप उर्दू के द्वारा विप जाने वाले विरोध से इसकी प्रगति में शिथिलता आने लगी थी। यह विरोध मुख्य रूप से शिक्षा एवं अदालत के क्षेत्र में मूर्तिमान हो उठा था, जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच साम्प्रदायिकता की अग्नि जला दी।

### भाषा के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता

कम्पनी ने सन 1827 में राजभाषा फारसी के साथ लोर भाषा हिंदी एवं नागरी को बचहरी से हटाकर उर्दू को पनाह दिया। इससे हिंदुओं के हृदय में विक्षोभ होना स्वाभाविक था। सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति में काफी परिवर्तन कर दिया। अब वे ‘फूट डाला तथा राज करो’ वाली नीति में विश्वास करने लगे। इस दृष्टि से परीक्षा करने पर मुसलमानों को ही उन्होंने अपने पास पाया।<sup>28</sup> अतः मुसलमानों के प्रति उनकी दृष्टि उदारवादी हो गयी। अंग्रेजों को सर सैयद खा जैसे जी हजूरी करने वाले जीव मिल गये, जिन्होंने मुसलमानों को समझाया कि ‘मुसलमान इस देश के रहने वाले नहीं हैं। वे जहाँ जहाँ गए अपन साथ अपनी जबान और अपना इस्म अदब साथ ले गये। जबान उर्दू और सत फारसी मुसलमानों की निगानी है।’<sup>29</sup> खा सहव की इस अराष्ट्रीय नीति एवं अंग्रेजों के प्रोत्साहन का परिणाम यह हुआ कि जन जीवन में मुसलमानी

हुई साम्प्रदायिकता की अग्नि बडे जोरों से भडव उठी। इमसे हिंदुओं एव मुसलमानों के बीच जो गहरी खाई बनी, उसे भारत के सौ वर्षों का इतिहास भी न पाट सका।

अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को प्रोत्साहन देने की जो नीति अपनायी गयी, उसने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया। भाषा का क्षेत्र भी उससे अछूता न रहा। अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता को उभारने के लिये उर्दू को विशेष प्रथय दिया। अरबी पाठशालाओं तथा उर्दू स्कूलों को विशेष सुविधा प्रदान की,<sup>30</sup> साथ ही हिन्दी को हिन्दी भाषी प्रदेश के जन जीवन से दूर कर भाषा के प्रश्न को पूर्णतः साम्प्रदायिक एव राजनीतिक बना दिया। अंग्रेजों की इस खतरनाक नीति का पर्दाफाश करते हुए डा० राम विलाम शर्मा ने लिखा है

‘यह अनुमान किया जा सकता है कि सन सत्तावन के बाद अंग्रेजों ने हिन्दी-उर्दू समस्या को जिस तरह उभारा, वह उनकी ‘फूट डालो राज करो’ नीति का अभिन्न अंग थी।’<sup>31</sup>

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि अंग्रेजों द्वारा हिन्दी और उर्दू का सबध हिन्दू और मुस्लिम इन दो संप्रदायों से जोड दिया गया और इस प्रकार साम्प्रदायिक स्तर पर हिन्दी-उर्दू विवाद खडा हो गया, जिसकी जड़ें सुदूर भविष्य तक फैलती गयीं।

### ब्रिटिश गवर्नर और हिन्दी-उर्दू विरोध की समस्या

सन 1857 के बाद देश के अतर्गत ‘हिन्दी उर्दू’ विराध की जिस समस्या ने एक आतंकपूर्ण खींचे हुए बातावरण की मृष्टि की, उसके मूल में अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ वाली नीति काम कर रही थी। दूसरी ओर विदेशी विद्वान तथा आफिसर अंग्रेजी भाषा व रोमन लिपि को न्यायालयों में भी प्रचलित करने के लिये हिन्दी-उर्दू तथा नागरी व फारसी का विवाद उपयोगी समझते थे। जब कभी एकाध विदेशी विद्वानों के द्वारा हिन्दी भाषा व नागरी लिपि की खोसप्रियता एव महत्ता के कारण न्याय भाव से उनका समर्थन भी किया गया, तो तीव्र विरोधी स्वर ने उन्हें सामोश बना दिया।

भाषा और लिपि को लेकर सर्वप्रथम हिन्दी व उर्दू तथा नागरी व फारसी को तो ताल पर रख दिया गया, और उठाया गया अंग्रेजी भाषा व रोमन लिपि का प्रश्न। इस विदेशी भाषा व लिपि के पक्षधरों में एक ओर मैकाले, ट्रेवोलियन, डा० डफ और वीम्म आदि थे, तो दूसरी ओर भारतीय भाषाओं के समर्थकों में जेम्स विल्सन, ग्राउम आदि। इन द्विपक्षी विद्वानों का वाद-विवाद काफी दिनों तक चलता रहा, जिसका निष्कर्ष यह निकला कि भारतीयों को अपना सभी कार्य

अपनी भाषा व लिपि म करने की छूट होनी चाहिए, किंतु जहा तक कचहरी क 'हिंदुस्तानी' का प्रश्न है, जिसे हिंदू नागरी और मुसलमान फारसी लिपि मे लिखते है, अवश्य रोमन लिपि मे लिखा जाना चाहिए। स्पष्ट है कि अंग्रेजी भाषा का सवाल सिर्फ सवाल ही बनकर रह गया, अदालती क्षेत्र मे उसका कोई जवाब नहीं निकल पाया। रोमन लिपि का इस क्षेत्र-विशेष के लिये उत्तर अवश्य निकाला गया, किंतु अंग्रेज यहा के निवासियों को उस प्रश्न का हन समझा न पाये। परिणामतः रोमन का भी व्यावहारिक रूप मे प्रयोग न हो सका।

अब इन अंग्रेजी समर्थक विद्वानों ने कोई रास्ता न देखा। हिन्दी-उर्दू विवाद को पुनः आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 'उर्दू' का दामन पकड़ा और उसे काफी उछाला। इन उर्दू समर्थकों ने हिन्दी को घरावर हेय गवारू कहकर कचहरी तथा राजवाज के लिये उर्दू को ही सर्वथा उपयुक्त बतलाया। दूसरी ओर हिन्दी समर्थकों की आवाज भी मुनायी पडने लगी, जो न्यायोचित होने के कारण काफी सशक्त थी।

कहना यह है कि हिन्दी-उर्दू को भी लेकर विद्वानों म दो दल हो गये। एक तरफ हिन्दी के समर्थकों म ग्राउस साहब प्रमुख थे, तो दूसरी ओर उर्दू के पक्ष पातियों का नेतृत्व बीम्स साहब के हाथ मे था। इन दोनों विद्वानों के मध्य हुए हिन्दी उर्दू विवाद का पूरा विवरण सन 1865 से सन 1868 तक 'जनरल रायल एशियाटिक सोसायटी मे प्रकाशित होता रहा। बीम्स साहब अंग्रेजी के समान उर्दू को एक सभ्य तथा प्रगतिशील जीवित भाषा मानते थे, साथ ही उमे तातार तथा अन्य कबीला की महान तथा विस्तृत क्षेत्र मे फैली हुई भाषा की सबसे प्रगतिशील एव शिष्ट शैली समझते थे।<sup>28</sup> जबकि हिन्दी उनकी दृष्टि मे गवारू तथा अनिश्चित दस बारह ठेठ बोलियों का समूह मात्र थी। दूसरी ओर ग्राउस साहब के अनुसार उर्दू का पचास-साठ साल पहले अस्तित्व ही न था, जबकि हिन्दी जनभाषा के रूप म सदियों से चली आ रही थी।<sup>29</sup> इस प्रकार यह विवाद प्रत्येक क्षेत्त्र मे दिनादिन बढ़ता ही गया। यहा तक कि बीसवीं शताब्दी म भी इसकी आवाज मंद न हुई।

### प्रादेशिक अदालत और नागरी का आदोलन

सन 1837 म कंपनी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार एव मध्य प्रदेश की अदालतों म उर्दू भाषा व फारसी लिपि को स्थान प्रदान करने मे हिन्दी भाषा व नागरी लिपि का तत्कालीन प्राप्त होना वाना एकाधिकार तो छीन लिया ही गया, साथ ही मुस्लिम शासन से चला आता हुआ उनका सहभाषा व महलिपि का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। इस प्रकार हिन्दी व नागरी पूर्ण रूप से अदालती क्षेत्रों से बहिष्कृत हो गयी। कंपनी शासन के मध्य यह एक ऐसी घटना थी, जिसमे हिन्दी व नागरी प्रेमियों का हृदय आशोकित हो उठा। सन 1857 के बाद

शास्त्रीजी विद्यार्थियों के सामने थे तो हम क्षेत्र में और भी अधिक पक्षपातपूर्ण नीति का महाराज विद्या गया। शिक्षा सस्थाओं से भी हिन्दी व नागरी को निजाल फेंकने की साजिशें चलने लगी और बखरहार में भी उनका रूप दिमायी पढ़ने लगा। प्रायः<sup>31</sup> जैसे एकाधिका विद्वानों द्वारा न्यायिक रूप में नागरी व हिन्दी को वैधानिकता एवं महत्व का प्रतिपादन करने के बावजूद सरकार ने अपनी पक्षपातपूर्ण नीति के कारण हम और बिन्तुल ही ध्यान नहीं दिया। उसका मुगलमानों के साथ-साथ उर्दू को महू देना दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया। परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण हिन्दी प्रदेश में मुसलमान विद्वानों के द्वारा 'नागरी का आंदोलन' प्रारंभ हो गया, जो इन परिस्थितियों में स्वाभाविक भी था।

हम आंदोलन की भूमिका राजा शिव प्रसाद के प्रयत्नों से पूरी हुई। यद्यपि राजा शाहब की भाषा नीति समय के साथ बदलती गई, बाद में वे उर्दू के समर्थक सिद्ध हुए, फिर भी आरंभ में हिन्दी भाषा व नागरी विधि के निम्ने उन्नीस जो प्रयत्न किया वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में सर्वत्र स्मरणीय रहेगा। हम दृष्टि से राजा शिव प्रसाद को 'नागरी-आंदोलन' का मूलपानवर्ता मानना अनुचित न होगा।

दिल्ली समय बीसवीं और नव मई 1857 में उर्दू भाषा व फारसी विधि की वहायत पर एक उग्र क्रांति फैलने से, उन्नीस समय राजा शिवप्रसाद हिन्दी भाषा व नागरी विधि का पक्ष में बड़ी दृढ़ता के साथ खड़े हुए। उर्दू भाषा व फारसी विधि के विरोध में सन 1868 का उसका मेमोरंडम हम दिना में उनको प्रदान का प्रथम महत्वपूर्ण चरण था। हम मेमोरंडम में राजा शाहब ने स्पष्ट कहा था कि फारसी के अध्यापन में हमारी भावनाएं दुर्निष्ठ एवं राष्ट्रीयता नष्ट हो जाये हैं। उन दिनों का युवा जो इस दिन मुगलमानों के विरुद्ध खड़ा था। हमारे अंदर गांधी युवावर्ग की भाँति मोक्ष के कारण आये हैं। सर्वोपरी परभी श्रेष्ठ है जो इनके कारण हम देश में खल्ल हो गयी।<sup>32</sup> राजा शाहब ने 'साहित्यिक गीतावली'<sup>33</sup> के संस्करण का ध्यान हिन्दी भाषा व नागरी विधि की ओर आकृष्ट किया। इन दिनों सर मीरज अहमद साँ खान के कारण हो गये। मीरज शाहब ने कहा कि यह एक ऐसी शरबीर है जिसमें हिन्दू-मुगलमानों के विरुद्ध दण्डात्मक नीति रखनी है।<sup>34</sup> हिन्दू राजा शाहब के द्वारा इन कारणों से हिन्दी भाषा की श्रेष्ठता पर प्रमाण दिया, साथ ही उर्दू भाषा व फारसी विधि की अस्वाभाविकता का दर्शाया था।<sup>35</sup> शाहब की इस नीति की वही अन्तर्गत की, जिसके द्वारा एक विदेशी विधि व उर्दू भाषा को हिन्दुओं के लिए उचित नहीं माना गया था।<sup>36</sup> अंत में राजा शाहब ने सरकार से कहा कि जिस प्रकार फारसी व फारसी भाषा हमारी वही, उन्नीस प्रकार फारसी विधि का भी हमारा चरण और उनके द्वारा एक हिन्दी भाषा व फारसी



लिपि चलायी जाय। किन्तु राजा साहब के इस मेमोरंडम का सरकार के उपर कोई भी प्रभाव पड़ता न देखा गया।

किन्तु मुसलमानों के लगातार विरोध एवं सरकार की हठधर्मी नीति के साथ उसके विशेष राजनीतिक दबाव के फलस्वरूप राजा शिव प्रसाद की भाषा नीति समय के साथ दिन प्रतिदिन बदलती गयी।<sup>40</sup> उन्होंने भाषा का आदर्श निश्चित करते हुए लिखा 'हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े चुनने में उन शब्दों को लेना चाहिए जो कि आमफहम और खास पसन्द हो। अर्थात् जिनका जियादा आदमी समझ सकते हैं। और जो यहाँ के पढ़े लिखे आलिम फाजिल पंडित, विद्वान् की बोलचाल में छाड़े नहीं गए हैं और जहाँ तक बन पड़े हम लोगों को हरगिज गैर-मुल्क के शब्द काम में न लाने चाहिए और न सम्प्रत की टक्काल कायम करके नये नये ऊपरी शब्दों के सिक्के जारी करने चाहिए जब तक कि हम लोगों को उसको जारी करने की जरूरत साबित न हो जाय।'<sup>41</sup>

'हम उस अवस्था का ध्यान करते हैं जब गांव गांव में पाठशाला बँठ जावेंगे और हमारे सारे स्वदेशी अपनी बोली में सुगम रीति से समस्त विद्या उपार्जन कर भारतवर्ष की उन्नति में होंगे। राजा साहब के इस सन 1855 के कथन के उत्साह एवं ऊपर के 'भाषा आदर्श' की आवाज में कितना फर्क पड़ गया है यह कहने की आवश्यकता नहीं। बात इसी सीमा तक रहती तो भी गनीमत थी। सन 1875 में हिन्दी व्याखरण की भूमिका में हिन्दुस्तानी नाम पर उर्दू का समर्थन उठोने इन शब्दों में किया हिन्दुस्तानी हमारे अप्रज अधिकारियों की हथि के अनुकूल होगी, जो उत्तर भारत के हिन्दू मुसलमानों की भाषा में योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं।'<sup>42</sup>

इतना ही नहीं, सन् 1883 में उठोने 'इतिहास तिमिर नाशक' की भूमिका लिखते हुए कहा 'उर्दू हम लोगों की न केवल कचहरी जवान बल्कि मादरी जवान होती जा रही है और पश्चिमोत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत उसे सभी लोग बोलते हैं।'<sup>43</sup> इस प्रकार राजा साहब ने उर्दू को मातृभाषा तक कहने में जरा सा भी सकोच नहीं किया। सच है लोकेपण जो चाहे सो करा दे।

हिन्दी भाषा व नागरी लिपि के परम हितैषी राजा शिव प्रसाद को इस कदर बदलते हुए देखकर उनकी इस भाषा नीति एवं अरबी फारसी के शब्दों से हिन्दी को बोझिल करने वाली प्रवृत्ति का राजा लक्ष्मण सिंह ने खुलेआम जबरदस्त विरोध किया। उठोने अरबी फारसी से युक्त शैली को हिन्दी मानने से साफ इनकार किया। उनकी दृष्टि में हिन्दी व उर्दू दो अलग अलग भाषाएँ थी, हिन्दी उर्दू में अन्तर न मानना एवं सरल सुबोध नागरी जैसी वैज्ञानिक लिपि का त्याग कर फारसी का सहारा लेना महान् मूर्खता एवं चापलूसी का द्योतक था।

उर्दू भाषा व लिपि के प्रचलन से अदालता में निरीह जनता को मूर्ख बनाकर

उन्से पैसा ँठने का दृश्य तो रोजाना देखने को मिलता ही था, साथ ही पाठ-  
गालाओ में विद्यार्थियों की परेशानियों की भी कोई सीमा नहीं। कठोर श्रम  
करने के बाद भी छात्रों का शैक्षणिक स्तर नित्य प्रति गिरता ही जा रहा था।  
हिन्दुओं में ही नहीं, फारसी लिपि के कारण मुसलमानों में भी शिक्षा का प्रतिपत्त  
बहुत घट गया।<sup>41</sup>

शिक्षा और सामाजिक उन्नति की इस बाधा को दूर करने के लिए सभी  
विचारशील व्यक्ति चिन्तित थे। फलस्वरूप हिन्दी भाषा व नागरी लिपि के लिए  
राजा शिव प्रसाद ने अपने प्रार्थमिक प्रयासों द्वारा जिस भूमिका का निर्माण किया  
था उसी की पृष्ठभूमि पर 'नागरी-आन्दोलन' गतिशील हुआ। नागरी के पक्ष एवं  
उर्दू के विपक्ष में तमाम अजिया दी गयी। प्रचारात्मक साहित्य रचा गया और  
सोई हुई जनता में चेतना का संचार किया गया।

इस मैदान में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के पदार्पण से तो सारा वातावरण ही बदल  
गया, चेतना की एक नई लहर दौड़ पडी। मालूम हुआ कि सारा का सारा हिन्दी  
प्रदेश नागरी के लिए उमड़ पडा है। जहाँ देखिये, जहाँ सुनिये सर्वत्र उर्दू विरोधी  
दृश्यो एवं नारों के साथ नागरी की ही धूम मची हुई थी। भारतेन्दु जी के नेतृत्व  
में लेखका एवं पत्रकारों का एक बड़ा दल इस कार्य के लिए चत पडा। जून सन्  
1874 के 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में भारतेन्दु जी का प्रसिद्ध उर्दू का स्वापा' निबन्धा,  
जिसमें उर्दू व उर्दू के समर्थकों पर तीखा व्यंग किया गया है।<sup>45</sup> सर सैयद अहमद  
खा साम्प्रदायिक भावनाओं का परिचय पहले ही दे चुके थे, साथ ही हिन्दी का  
न्यायोचित स्थान अन्यायपूर्ण तरीके से उर्दू ने हड़प लिया था, इसलिए उस समय  
हिन्दुओं की राष्ट्रीय भावना जातीय भावना के घरातल पर उतर पडी थी।  
हिन्दुत्व के साथ हिन्दी भाषा व नागरी लिपि के सम्मान की भावना बढ़ रही थी।  
प० प्रताप नारायण मिश्र ने तो 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान' का नारा ही लगाना  
शुरू किया।<sup>46</sup> इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विविध पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन  
दनादन होने लगा।<sup>47</sup> हिन्दी-उर्दू विवाद एवं नागरी आन्दोलन पर विविध मौलिक  
निबन्ध निकलने प्रारम्भ हुए अथवा अंग्रेजी पत्रों से उद्धृत किए गए।

बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कैम्पबेल साहब ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की  
परीक्षाओं में हिन्दी को भी स्थान देने का प्रयत्न किया था, परन्तु अधिकारियों के  
द्वारा उर्दू के कारण इसका विरोध किया गया। इसी विरोध के प्रत्युत्तर में सन्  
1874 में बंगाल मैगजीन से 'कामन हिन्दुस्तानी' नामक निबन्ध 'हरिश्चन्द्र  
मैगजीन' के प्रथम अंक में उद्धृत किया गया। इस निबन्ध में कहा गया था कि  
यह विरोध हमारे राष्ट्रीय जीवन की हत्या है। जब हिन्दी द्वारा रायपुर और  
बिलासपुर में सरकारी कामकाज हा सकता है तो किस आधार पर यहाँ के सरकारी  
कर्मचारी और बचहरी के अमले कहते हैं कि हिन्दी सरकारी कामकाज के उपयुक्त

नहीं है। इस लेख में राजा शिवप्रसाद पर भी तीखे व्यंग का प्रहार किया गया था और वह यह कि स्वदेशी इन्स्पेक्टर भी उर्दू में पुस्तकें लिखकर उन्हें पाठशालाओं में प्रचलित करते हैं और इस प्रकार हिन्दी को हत्या करते हैं। लेख के अन्त में हिन्दी को राजभाषा का पद देने के लिए गवर्नर कैम्पबेल और लार्ड नाथंमूक से साग्रह निवेदन किया गया था।

‘हरिश्चन्द्र मंगजीन’ के इसी अंक में काशीनाथ खत्री ने नागरी लिपि के लिए अंग्रेजी में एक निबन्ध लिखा था, जो अलीगढ़ गजट में प्रकाशित नागरी के विरुद्ध एक निबन्ध का मुहतोड़ जवाब था। इस सम्बन्ध में खत्री जी ने कहा था कि किसी भी भाषा में विदेशियों की लिपि के लिए कभी भी अपनी लिपि नहीं छोड़ी। जिस तरह हिन्दी को आज फारसी लिपि में लिखने की माग हो रही है, उसी तरह आज से कुछ वर्ष बाद रोमन में भी लिखने की माग होगी। लिपि के विषय में खत्री जी की यह भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य भी निकली, जिसका आज तक की बीसवीं शती गवाह है। लेख के अन्त में नागरी लिपि का प्रयोग करने से सर्वाधिक लोगो का सर्वोत्तम लाभ होगा, इस बात की पुष्टि की गई थी।

इसी समय बलिया की सभा में भारतेन्दु जी ने ‘हिन्दी भाषा’ पर एक सशक्त भाषण दिया था। वही पर ‘देवाक्षर चरित्र’ नामक एक प्रहसन भी अभिनीत किया गया, जिसमें उर्दू लिपि की गडबडी के दृश्य दिखाए गए थे, साथ ही बलिया के कलक्टर रोज साहब से बहा की जनता ने नागरी लिपि के चलन के लिए इन शब्दों में अर्ज किया था

हमनी के देश के कुदसा दुख देखि देखि,  
हमनी का देसे देव नागरी चलावता।

‘उर्दू बदलि देव नागरी अछर चले, इहै एगो साहेब से ए घरी अरज बा।’<sup>49</sup>

भारतीय इतिहास की यह वह घडी थी जिसमें हिन्दी व नागरी प्रचार तथा गौरक्षा जैसे विषयों पर तमाम प्रकार के साहित्य लिखे गए, जातीय गीत रचे गए। इस सम्बन्ध में बलिया के प्रसिद्ध लावनीकार मन्नीलाल की निम्नलिखित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं :

‘अब जगहु बीरबर भारतवासी कोऊ।  
करती बिलाप गौ और नागरी दोऊ।’<sup>50</sup>

महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी आगे चलकर आश्वासनपूर्ण वाणी में यो कहा .

‘कल्याणि नागरी इती बिनती सुनीज,  
माता दयावति, दया न कभी करी जै।  
हूजँ अधीर जानि, यद्यपि होति देरी,  
सेवा अवश्य करिहँ, अब सर्व तेरी।’<sup>50</sup>

सन् 1882 ई० में 'हण्टर कमीशन' के सामने हजारों हस्ताक्षरों से युक्त एक पत्रक पेश किया गया, जिसमें नागरी में कामकाज करने के लिए जोरदार मांग की गई थी। किन्तु सैयद साहब,<sup>51</sup> जो कमीशन के प्रभावशाली सदस्यों में से थे, के कारण जनता की यह वाजिब मांग ठुकरा दी गई। इससे भी आक्रोश संभरी हुई जनता के द्वारा 'नागरी-आन्दोलन' को विशेष बल मिला। 'हण्टर-रिपोर्ट' को लक्ष्य करके प्रसिद्ध सावनीकार शिवराम पाण्डेय इलाहाबादी ने हिन्दी व नागरी प्रचार-विपयक विविध लावनियाँ एवं गजलें लिखीं। महा पर इनकी एवं लावनी की कुछ पवित्रया उद्धृत की जा रही हैं

'हण्टर ने जो हिन्दी को हण्टर मारा।

वस टूट गया दिल टुकड़े हुआ हमारा।

× × ×

हिन्दी को नहीं क्या कोई देगा सहारा। वस टूट गया।'<sup>52</sup>

सन् 1885 ई० में राम गरीब चौधे द्वारा 'नागरी विलाप' नामक करुण रस प्रधान रूपक लिखा गया, जिसमें नागरी की दुर्दशा का अपूर्व चित्र खींचा गया था। लेखक ने इसकी भूमिका में लिखा 'अब विलाप सुनियेगा तो स्वयं आपको बल हो जायगा।' वास्तव में 'नागरी विलाप' कुछ ऐसा विलाप रहा, जिसका जनता पर बड़ा ही गहरा असर हुआ, नागरी के लिए हजारों को सख्या में लोग निकल पड़े।

हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नागरी के प्रति भेरठ निवासी गौरीदत्त द्वारा की गई सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी। गौरीदत्त जी ने नागरी का झंडा लेकर गाव-गाव, घर घर उसका प्रचार किया, साथ ही सर्वस्व समर्पण व अथक प्रयास के द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा मेरठ की स्थापना की। इस सभा के माध्यम से उन्होंने नागरी लिपि में उसकी अच्छाइयों पर प्रकाश डालने वाली विविध पुस्तिकाओं एवं पम्फलेटों आदि का प्रकाशन कराया। उनके द्वारा रचित 'नागरी और उर्दू का स्वाग', 'नागरी का दफतर', 'अक्षर दीपिका', 'गौरी नागरी कोष', आदि पुस्तकें अति प्रसिद्ध हैं। 'स्वाग' की तो देश की जनता द्वारा बड़ी प्रशंसा हुई, जिसमें महारानी नागरी ने उर्दू के विरुद्ध दावा दाखिल कर अपना न्यायोचित अधिकार मांगा है।

भारतेंदु जी की मृत्यु के बाद 'नागरी आन्दोलन' का नेतृत्व प० मदनमोहन मालवीय ने थड़ी सफलता के साथ संभाला। इसी समय नागरी प्रचार एवं हिन्दी की समृद्धि के लिए 'नागरी प्रचारिणी सभा, काशी' (सन् 1893) की स्थापना हुई। सर्वप्रथम सभा ने नागरी का अदालतों में प्रवेश कराना ही अपना मुख्य लक्ष्य निश्चित किया। मार्च, सन् 1898 ई० में मालवीय जी के नेतृत्व में सभा की ओर

से 17 व्यक्तियों का एक प्रभावशाली प्रतिनिधि मण्डल प्रान्त के मेपिटनेंट गवर्नर सर एण्टोनी मेकडानेल के काशी आगमन पर उनमें मिला, साथ ही नागरी के समर्थन में साठ हजार हस्ताक्षरों से युक्त एक याचिका भी उसने प्रस्तुत की। मानवीय जी न स्वतंत्र रूप से एक विद्वत्तापूर्ण पुस्तक इसके पहले ही (सन् 1897 में) 'कोर्ट वरेक्टर एण्ड प्राइमरी एजुकेशन'<sup>33</sup> नाम से लिखी थी। सरकार पर इसका भी नैतिक दृष्टि से बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। इन तमाम प्रयत्नों के फल-स्वरूप, एक लम्बे अर्से के संघर्ष के बाद सन् 1900 में सर मेकडानेल के द्वारा नागरी को भी फारसी लिपि के साथ बचहरी व दफतरी में समानाधिकार प्रदान किया गया। फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से नागरी का प्रयोग बहुत दिनों तक नहीं हुआ।

इस समानाधिकार से हिंदी व नागरी प्रेमियों के हृदय में कोई विशेष हर्ष दिव्याई न पड़ा। किंतु बाद में जब उर्दू के पक्षपातियों द्वारा सरकार की इस आशिक छूट का भी खुले आम विरोध होने लगा, नाना प्रकार की साजिशों की जाने लगी, तो वे सरकार के इस समानाधिकार सबधी नीति के समर्थन में लग गये और उन्हें इतने ही से सतोष करना पड़ा। इस अवधि में 17 मई सन 1900 में 'अवधपत्र' में प्रकाशित 'उर्दू की अपील' का श्री बालमुकुन्द गुप्त 'उर्दू को उत्तर' शीर्षक से बड़ा तीखा उत्तर दिया। उन्होंने उर्दू की चुटकी लेते हुए कहा

'यह सरकार ने जो दी है नागरी—  
इसे तुम न समझो निरी घायरी।  
तुम्हारी यह हरगिज नहीं सीत है।  
न हव में तुम्हारे कभी गीत है।  
समझ लो अदब की यह पोशाक है।  
हया और इज्जत की यह नाक है।'<sup>34</sup>

### बिहार की अदालतों में हिंदी का प्रवेश

ब्रिटिश सरकार की गलत नीति के कारण बिहार प्रांत में भी अरबी फारसी के जटिल शब्दों से परिपूर्ण उर्दू भाषा व शैली का प्रचलन वहा की शिक्षण संस्थाओं में अपनी चरम सीमा को छूने लगा। फलस्वरूप उर्दू से अपना पिंड छुड़ाने के लिए वहा की जनता ने सरल सुबोध नागरी लिपि में लिखित हिंदी की जोरदार मांग करनी शुरू की। इसके लिए सार्वजनिक सभाएं की गयीं, सरकार को अनेक प्रपत्र दिए गए। सन 1870 के आसपास इस मांग ने एक व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर लिया।

बिहार की अदालतों में एय शिक्षण संस्थाओं में हिंदी भाषा व लिपि को प्रवेश

दिलाने वाली म वायू गोविंद चरण तथा भूदेव मुखर्जी का नाम सादर लिया जाता है।<sup>55</sup> इन विद्वानों व प्रयत्नस्वरूप सन् 1870 में बिहार के स्कूलों में हिन्दी को प्रवेश मिला, जिससे अदालतों में भी उसे उचित स्थान दिलाने के लिए सशक्त आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। दिनोदिन यह आंदोलन जोर पकड़ता गया। फलस्वरूप बंगाल के सैफिन्ट गवर्नर (उन दिनों बिहार बंगाल प्रेजीडेंसी के अंतर्गत था) कैम्पबेल ने 4 दिसम्बर 1871 की एक घोषणा में कहा कि प्रान्त की भाषा हिन्दी है, उसे ही प्रात में उचित स्थान मिलना चाहिए।<sup>56</sup>

कैम्पबेल साहब ने बेलारी के कलक्टर की हैसियत से सन् 1824 में ही शिक्षा प्रचार का कार्य किया था और तत्कालीन गवर्नर थामस मुनरी को एक रिपोर्ट में लिखा था कि शिक्षा और साहित्य की भाषा यहाँ की बोलचाल की भाषा स भिन्न है। यह शिक्षा प्रचार के लिए अभिशाप है।<sup>57</sup> आज भी (सन् 1871-72) वे जन सामान्य में शिक्षा प्रचार का प्रयत्न करते हुए यह अनुभव कर रहे थे कि जब तक इस मुक्त की भाषा हिन्दी का प्रचलन अदालतों एवं दफ्तरों में नहीं होता है, तब तक शिक्षा प्रचार संभव नहीं। भाषा के अतिरिक्त फारसी लिपि के अनर्थाकारि स्वरूप का दर्शन भी आये दिन करना पड़ता था। कहा जाता है कि एक बार कैम्पबेल साहब को फारसी लिपि की गड़बड़ी के कारण मोकामा घाट पर किश्तियों की जगह नस्बिनिया तैयार मिली। अतः तत्क्षण इस अव्यावहारिक लिपि को हटाने का आदेश दिया गया।

उर्दू की अव्यावहारिकता एवं हिन्दी व नागरी-आंदोलन का फल यह हुआ कि सन् 1873 में बंगाल की प्रेजीडेंसी सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार दो साल के अंदर सभी अदालतों कर्मचारियों को नागरी लिपि सीखने की आज्ञा दी गई ताकि सन् 1875 में पटना, भागलपुर, छोटा नागपुर आदि की सभी अदालतों एवं सरकारी दफ्तरों का सभी कामकाज हिन्दी में किया जा सके। किंतु अदालत के मुसलमान एवं कायस्थ कर्मचारियों के विरोध के कारण इसका कुछ भी नतीजा न निकला।

सन् 1875 में पटना, भागलपुर आदि के नागरियों ने एक याचिका के जरिये पटना के कमिश्नर ने अदालतों में हिन्दी प्रयोग के लिए अनुरोध किया। कमिश्नर साहब भी हिन्दी के पक्ष में थे। उन्होंने इस याचिका को अपनी ठोस सिफारिश के साथ प्रेसीडेंसी सरकार के पास भेज दिया। तदनुसार जुलाई सन् 1875 में सरकार ने एक आदेश पुनः जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सन् 1873 के भाषा संबंधी आदेशों का सख्ती के साथ पालन किया जाये। इसका भी कोई सही नतीजा न निकला। अतः सन् 1880 में सरकार द्वारा एक बड़ी आज्ञा मिली, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 1 जनवरी 1881 से प्रात की अदालतों में भाषा एवं माल नागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी।<sup>58</sup> यदि सरकारी कर्मचारी जनवरी सन् 1881

तक हिन्दी नहीं सीखते हैं तो उन्हें नीरुरी से अलग कर दिया जायगा। इस प्रकार निरंतर प्रयास एवं कठोर परिश्रम के बाद वही जाकर पहली जनवरी सन 1881 में बिहार की अदालतों में हिन्दी का प्रवेश हुआ। इसी प्रकार आदोलन एवं जनता के अथक प्रयास के फलस्वरूप मध्यप्रदेश की अदालतों में भी इसी समय (सन् 1881) नागरी में लिखित हिन्दी को स्थान मिला। किंतु समुक्त प्रांत की अदालतों की स्थिति इनसे भिन्न रही।

### समुक्त प्रांत की अदालतों और हिन्दी

जिस प्रकार बिहार तथा मध्य प्रांत की अदालतों में हिन्दी के लिए तमाम आदोलन व सघर्ष करना पड़ा, उसी प्रकार समुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, व कुछ मध्य प्रदेश का भाग) में भी इसके लिए एक व्यापक आदोलन चला। सन् 1854 तक अदालतों में उर्दू का एकछत्र राज्य था। किंतु सन् 1854-56 में सरकार ने प्रांत के जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया कि ग्रामों के राजस्व विभाग के सभी कागजात नागरी में लिखित हिन्दी में होने चाहिए। इस प्रकार हिन्दी को भी प्रांत की राजस्व विभाग की अदालतों में स्थान प्राप्त हुआ। परंतु इस थोड़े से अधिकार की प्राप्ति से हिन्दी प्रेमी जनता को कोई खुशी न हुई, उनकी हृदय कली मुरझाई की मुरझाई ही रह गई।

समुक्त प्रांत की अदालतों में हिन्दी के प्रवेशार्थ आदोलन होता रहा, जो 1874 तक आते-आते एक व्यापक पैमाने पर आ गया। इन्हीं दिनों इस आदोलन का संचालन बानू भारतेन्दु के हाथों में आया। भारतेन्दु जी के नेतृत्व में इस आदोलन को सब तरह से बल मिला। सन् 1873-74 की प्रांतीय शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने रखा गया कि प्रांत के 71 प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से पढ़ने के इच्छुक हैं। इससे हिन्दी के प्रति उदासीन, अभी मौई हुई जाता सजग हो उठी। फिर भी सरकार के ऊपर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। उसने उक्त रिपोर्ट की अवहेलना करते हुए सन् 1877 में एक आदेश निकाला। इस आदेश में कहा गया था कि सरकारी नौकरियां सिर्फ उन्हीं को उपलब्ध होंगी जो उर्दू अथवा फारसी भाषा के साथ बर्निक्युलर अथवा एग्लो बर्निक्युलर मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। इसमें हिन्दी के समर्थकों को एक बड़ा आघात लगा।

सन् 1880 तक आते-आते हिन्दी आदोलन को प्रांत के सभी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त हो गया। इस आदोलन को सप्रदायवादी वरार देने की बड़ी माजिशों की गईं। किंतु तत्कालीन कुछ मुस्लिम विद्वानों, जिनमें हैदराबाद के शम्सुल उल्मा मौलवी व सैयद अली बिलग्रामी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है द्वारा हिन्दी आदोलन के समर्थन के कारण विपक्षियों की दाल न गल सकी। प्रत्युत हिन्दी-समर्थकों का उत्साह दूना होता गया। सन् 1881 में बिहार

एक मध्यप्रदेश की अदालतों में हिंदी के प्रवेश से तो यह उत्साह कई गुना और आगे बढ़ गया। बाबू भारतेन्दु जी ने सन् 1882 के शिक्षा आयोग की एक प्रस्तावली के उत्तर में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कहा।

‘सभी सम्प्रदेशों की अदालतों में उनके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग किया जाता है। यही ऐसा देश है, जहाँ अदालती भाषा न तो शासकों की मातृभाषा है और न प्रजा की। यदि आप दो सार्वजनिक नोटिस एक उर्दू में तथा एक हिंदी में लिखकर भेज दें तो आपको आसानी से मालूम हो जायेगा कि प्रत्येक नोटिस को समझने वाले लोगों का अनुपात क्या है जो सम्मन जिलाधीशों द्वारा जारी किये जाते हैं, उनमें हिंदी का प्रयोग होने में रैयत और जमींदार को हार्दिक प्रसन्नता प्राप्त हुई है। यदि नागरी लिपि को सरकारी मान्यता मिल जाये तो पेशकार, सरिस्तेदार, मुहरीर आदि उस अवसर में पूर्णतया वंचित हो जायेंगे, जिसके द्वारा वे लूट खसोट करते हैं। वे अनभिज्ञ व्यक्तियों को कुछ का कुछ पढ़कर सुना देते हैं और डम मुक्ति से लिखित बात का तथ्य बदल देते हैं।’<sup>58</sup>

फिर भी इन प्रयासों, प्रयत्नों एवं दिन-प्रतिदिन नागरी के लिए दिये गये प्रपत्रों आदि का कुछ भी प्रभाव न देखा गया। अदालती क्षेत्र में सरकार की हठधर्मी की नीति अपरिवर्तित रही। इससे जनता का मानम और भी अधिक आक्रोश से पूर्ण एवं आदोलित हो उठा, जिसका व्यावहारिक स्वरूप उग्र आंदोलन के रूप में 1890 के आस पास प्रकट होने लगा। इधर सरकार ने एक नई चाल चलनी प्रारंभ की, वह यह कि सन् 1893 में उसने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि को अपनाने का प्रश्न बीच में लाकर खड़ा कर दिया। प्रथम दो-तीन वर्ष तक इस प्रस्ताव की चर्चा मात्र ही रही। परन्तु 1896 में यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ फैली कि संयुक्त प्रांत में फारसी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि अपनायी जायेगी। इससे उर्दू के पक्षपातियों को भी गहरा धक्का लगा। महान भय की आशंका हिंदी-प्रेमियों के अंतःकरण को विचलित करने लगी।

‘नागरी प्रचारिणी सभा, काशी’ ने रोमन लिपि के विरोध की एक व्यापक योजना बनायी। इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम ‘नागरी करेक्टर’ नामक एक पुस्तिका अंग्रेजी में तैयार की गई, जिसमें भारतीय भाषाओं के लिए रोमन की अनुपयुक्तता पर प्रकाश डाला गया। देश की सक्रिय जनता ने जमकर रोमन लिपि का विरोध किया। इससे ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की रोमन विरोधी भावना का पूर्ण आभास मिला। अततोगत्वा रोमन लिपि का मामला खटाई में पड़ गया। सरकार की रोमन लिपि सबधी कूटनीति सफल न हो सकी। इस समय तक हिंदी आंदोलन का नेतृत्व प० मदनमोहन मालवीय के हाथों में आ चुका था। मार्च सन् 1898 में मालवीय जी के नेतृत्व में ‘नागरी प्रचारिणी सभा’ की ओर से 17



व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रातः के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मैकडानेल से मिला तथा उन्हें नागरी समर्थकों के साठ हजार हस्ताक्षरों से युक्त एक याचिका भी दी। गवर्नर ने उस याचिका की पूरी जांच तथा उस पर विचार करने का आश्वासन दिया, साथ ही यह भी कहा कि यद्यपि वे अदालतों की भाषा के शीघ्र परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं, फिर भी वे यह मानते हैं कि यदि नागरी लिपि के प्रयोग की छूट दे दी जाय तो इससे जनता का विशेष कल्याण होगा।<sup>60</sup>

उर्दू के पक्षधरों ने भी सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से उर्दू का पक्ष बड़ी सबलता से पकड़ा तथा सरकार के पास एकाधिक प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। सरकार भी राजनीतिक दृष्टि से हिन्दी उर्दू के प्रश्न को विवादास्पद बनाना ही उपयुक्त समझती थी। इस अवसर को यही गवा देना उसके लिए नामुमकिन था। उमने सर सैयद अहमद खा जैसे हिन्दी विरोधी मुस्लिम नेताओं को और अधिक भड़काया, जिससे हिन्दी-उर्दू का विवाद उग्र हो चला। अब सरकार समझौता कराने चली। गनीमत तो यह हुई कि दो बिल्लियों के झगड़े के बीच में बदर वाली नीति भला न अपनाई गई और 18 अप्रैल सन् 1900 में उर्दू की ओर ही झुकती हुई उसने अपने निर्णय द्वारा उर्दू के साथ नागरी को भी समानाधिकार प्रदान किया।<sup>61</sup> इस निर्णय के अंत में यह भी कहा गया था कि ये सभी निर्णय दीवानी, माल व राजस्व अदालतों पर ही लागू होंगे। इस फैसले से हिन्दी भाषा व नागरी लिपि को यथेष्ट अधिकार तो नहीं मिला, फिर भी इतना हुआ कि अदालतों में हिन्दी के प्रवेश पर सरकारी मुहर लग गयी। प्रारंभ में इस निर्णय से हिन्दी के समर्थक असंतुष्ट ही रहे। किंतु जब मुस्लिम नेताओं को नागरी का यह समानाधिकार भी खलने लगा और वे सरकार के उक्त निर्णय का जमकर विरोध करने लगे, तब कुममय विचार हिन्दी प्रेमियों को इतने में ही सतोप करना पड़ा।

निष्कर्ष यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी हिन्दी भाषा व लिपि के सघर्ष की शताब्दी है। कंपनी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार की गलत एवं पक्षपातपूर्ण नीति तथा सांप्रदायिक स्तर पर मुसलमानों द्वारा उर्दू के अथ समर्थन एवं कट्टरता के साथ हिन्दी विरोध के फलस्वरूप इस पूरे के पूरे सौ वर्षों के मध्य हिन्दी भाषा व लिपि को पग-पग पर विविध विरोधों एवं नाना सघर्षों का सामना करना पड़ा। फिर भी हिन्दी अपने विवास के प्रगस्त मार्ग पर सतत गतिशील रही। तमाम आपत्तियों एवं सघर्षों के बावजूद आत्मविश्वास एवं अमीम आंतरिक शक्ति के कारण उसका सर्वांगीण विकास हुआ।

सदर्भ

- 1 उत्तर भारत की रेख्ता हिंदी का व्यवहार करने वाले औरंगाबाद के कवि बली 'दकनी' का आदर्श लेकर सन् 1740 ई० में दिल्ली आकर रहने लगे। इसी समय से दिल्ली शहर में वास्तव में उर्दू साहित्य की प्रतिष्ठा या स्थापना हुई। डा० चटर्जी 'भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ', पृ० 80।
- 2 डा० शितिकठ मिश्र ने अपने शोध-प्रबंध 'खड़ी बोली का आंदोलन में दक्खिनी के कवियों की चर्चा करते हुए बली के दिल्ली आगमन की प्रामाणिकता को सिद्ध की है। 'इन लोगों ने स्वयम् अपनी भाषा को 'दक्खिनी' या 'दक्खिनी हिंदी' कहा है। वही भी उर्दू का नाम नहीं लिया। शाह मीरन जी के पुत्र बुरहानुद्दीन ने कहा है 'ऐब न राखे हिंदी बोल।' शाह मीरन जी ने स्वयं कहा 'यह बोलू हिंदी सब इन अर्थों के सबब। शाह मलिक ने लिखा 'दक्खिनी में बोल्या है सब'। 'बली' तक हिंदीपन बना रहा, परंतु सन 1740 में वह दिल्ली आया और यहाँ शाह मादुल्ला ने हिदायत दिया कि—'ये इतने फारसी के मजबून बेवार पडे हैं इन्हे काम में ला।' फिर तो बली ने अपना रस ही बदल दिया और लिखने लगा 'जब सनम को सयाले बाग हुआ, तालवे वशये फराग हुआ।'—'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 39।
- 3 'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 68।
- 4 इस विषय में डा० शितिकठ मिश्र लिखते हैं 'फोर्ट विलियम का महत्व पुस्तकों के प्रकाशन तथा टाइप संबंधी सुधारों के लिए अधिक है।'—'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 69।
- 5 दृष्टव्य 'फोर्ट विलियम कालेज' डा० लक्ष्मीसागर वाष्ण्य, पृ० 168।
- 6 'कचहरी की भाषा और लिपि', प० चंद्रबली पांडेय, पृ० 36 से साभार उद्धृत।
- 7 'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 69 में साभार अवतरित।
- 8 'आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका' डा० लक्ष्मीसागर वाष्ण्य, पृ० 361।
- 9 'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 71।
- 10 'कचहरी की भाषा और लिपि', पृ० 24।
- 11 वही, पृ० 27 से साभार उद्धृत।

व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रातः के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मैकडोनेल के मिला तथा उन्हें नागरी समर्थकों के माठ हजार हस्ताक्षरों से युक्त एक याचिका भी दी। गवर्नर ने उस याचिका की पूरी जांच तथा उस पर विचार करने का आश्वासन दिया, साथ ही यह भी कहा कि यद्यपि वे अदालतों की भाषा के दीर्घ परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं, फिर भी वे यह मानते हैं कि यदि नागरी लिपि के प्रयोग को छूट दे दी जाय तो इससे जनता का विरोध बरूपाण होगा।<sup>60</sup>

उर्दू के पक्षधरों ने भी सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से उर्दू का पक्ष बड़ी सबलता से पकड़ा तथा सरकार के पास एकाधिक प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। सरकार भी राजनीतिक दृष्टि से हिन्दी-उर्दू के प्रश्न को विवादास्पद बनाना ही उपयुक्त समझती थी। इस अवसर को योही गवा देना उसके लिए नामुमकिन था। उसने मरसिद अहमद खा जैसे हिन्दी विरोधी मुस्लिम नेताओं को और अधिक भड़काया, जिससे हिन्दी-उर्दू का विवाद उग्र हो चला। अब सरकार समझौता कराने चली। गनीमत तो यह हुई कि दो बिल्लियों के झगड़े के बीच में बंदर वाली नीति भला न अपनाई गई और 18 अप्रैल सन् 1900 में उर्दू की ओर ही झुकती हुई उसने अपने निर्णय द्वारा उर्दू के साथ नागरी को भी समानाधिकार प्रदान किया।<sup>61</sup> इस निर्णय के अंत में यह भी कहा गया था कि ये सभी निर्णय दीवानी, माल व राजस्व अदालतों पर ही लागू होंगे। इस फैसले से हिन्दी भाषा व नागरी लिपि को प्रत्येक अधिकार तो नहीं मिला, फिर भी इतना हुआ कि अदालतों में हिन्दी के प्रवेश पर सरकारी मुहर लग गयी। प्रारंभ में इस निर्णय से हिन्दी के समर्थक असंतुष्ट ही रहे। किंतु जब मुस्लिम नेताओं को नागरी का यह समानाधिकार भी चलने लगा और वे सरकार के उक्त निर्णय का जमकर विरोध करने लगे, तब कुसमय विचार हिन्दी प्रेमियों को इतने में ही सतोप करना पड़ा।

निष्कर्ष यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी हिन्दी भाषा व लिपि के सघर्ष की शताब्दी है। कपनी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार की गलत एवं पक्षपातपूर्ण नीति तथा सांप्रदायिक स्तर पर मुसलमानों द्वारा उर्दू के अघ समर्थन एवं कट्टरता के साथ हिन्दी विरोध के फलस्वरूप इस पूरे के पूरे सौ वर्षों के मध्य हिन्दी भाषा व लिपि को पग-पग पर विविध विरोधों एवं नाना सघर्षों का सामना करना पड़ा। फिर भी हिन्दी अपने विवास के प्रशस्त मार्ग पर सतत गतिशील रही। तमाम आपत्तियों एवं सघर्षों के बावजूद आत्मविश्वास एवं असीम आंतरिक शक्ति के कारण उसका सर्वांगीण विकास हुआ।

संदर्भ

- 1 उत्तर भारत की रेस्ता हिंदी का व्यवहार करने वाले औरगामाद के कवि बली 'दक्की' का आदर्श लेकर सन् 1740 ई० में दिल्ली आकर रहने लगे। इसी समय से दिल्ली शहर में वास्तव में उर्दू साहित्य की प्रतिष्ठा या स्थापना हुई। डा० चटर्जी 'भारत की भाषाएँ और भाषा सबधी समस्याएँ', पृ० 80।
- 2 डा० शितिकठ मिश्र ने अपने शोध-प्रबंध 'खड़ी बोली का आदोलन' में दक्खिनी के कवियों की चर्चा करते हुए बली के दिल्ली आगमन की प्रामाणिकता को सिद्ध की है। 'इन लोगों ने स्वयम् अपनी भाषा को 'दक्खिनी' या 'दक्खिनी हिंदी' कहा है। कहीं भी उर्दू का नाम नहीं लिया। शाह मीरन जी के पुत्र घुरहानुद्दीन ने कहा है 'ऐब न राखे हिंदी बोल।' शाह मीरन जी ने स्वयं कहा 'यह बोलू हिंदी सब इन अर्थों के सबब'। शाह मलिक ने लिखा 'दक्खिनी में बोल्पा है सब'। 'बली' तक हिंदीपन बना रहा, परंतु सन् 1740 में वह दिल्ली आया और यहाँ शाह सादुल्ला ने हिदायत दिया कि—'ये इतने फारसी के मजबून बेकार पड़े हैं इन्हें बाम में ला।' फिर तो बली ने अपना रुख ही बदल दिया और लिखने लगा 'जब सनम की सयाले बाग हुआ, तालवे वशये फराग हुआ।'—'खड़ी बोली का आदोलन', पृ० 39।
- 3 'खड़ी बोली का आदोलन', पृ० 68।
- 4 इस विषय में डा० शितिकठ मिश्र लिखते हैं 'फोर्ट विलियम का महत्व पुस्तकों के प्रकाशन तथा टाइप सबधी सुधारों के लिए अधिक है।'—'खड़ी बोली का आदोलन', पृ० 69।
- 5 दृष्टव्य 'फोर्ट विलियम कालेज' डा० लक्ष्मीसागर वाष्णैय, पृ० 168।
- 6 'कचहरी की भाषा और लिपि', प० चंद्रबली पांडेय, पृ० 36 से साभार उद्धृत।
- 7 'खड़ी बोली का आदोलन', पृ० 69 से साभार अवतरित।
- 8 'आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका' डा० लक्ष्मीसागर वाष्णैय, पृ० 361।
- 9 'खड़ी बोली का आदोलन', पृ० 71।
- 10 'कचहरी की भाषा और लिपि', पृ० 24।
- 11 वही, पृ० 27 से साभार उद्धृत।

## 22 राजभाषा के सदरम में हिन्दी-आन्दोलन का इतिहास

12 जो सीटामय समके दावे वो जवाब वगैर वागज के ऊपर किया जाएगा उसके ऊपर नीचे का मजबूत फारसी भाषे वो अच्छर वो हीनदधी जुबान वो नागरी अच्छर में खोदा जाएगा ।'

—'कचहरी की भाषा और लिपि', पृ० 25 पर उद्धृत ।

13 'आधुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 28 ।

14 " and it is easier for the Judge to acquire the language of the people than for the people to acquire the language of the Judge "—'Khariboli Andolan', p 72

15 'कचहरी के सभी प्राणी फारसी में अम्यस्त थे । फारसी लिपि में लिखते रहने की उन्हें आदत हो गई थी । अस्पष्ट और भ्रमपूर्ण होने के कारण वह मसिजीवियों के अधिक काम की साबित हुई । उससे पैसा भी हाथ में आने लगा और ज्ञान भी बढ़ गई ।'—'बिहार में हिंदुस्तानी', पृ० 24 ।

16 'खड़ी बोली का आन्दोलन', पृ० 74 ।

17 'आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका', डा० लक्ष्मीसागर वाष्णोय, पृ० 304 ।

18 'कचहरी की भाषा और लिपि', पृ० 48 से साभार अवतरित ।

19 हिंदी भाषा की आधुनिक समस्याएँ, पृ० 5 ।

20 द्रष्टव्य 'भारतीय शिक्षा का इतिहास', पृ० 77 ।

21 'जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण सुनती आती थी, उसी भाषा का अवलम्बन ईसाई उपदेशकों को आवश्यक दिखाई पड़ा । 'हिंदी साहित्य का इतिहास', आचार्य शुक्ल, पृ० 388 ।

22 वही, पृ० 389 ।

23 'The objective of society was' 'removal of superstition by education, rational discussion and the publication of books.'

—'Biographical studies in Modern Indian Education'  
H V Hampton p 31

24 देखिए 'आधुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 44-45 ।

25 'आधुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 467 से साभार उद्धृत ।

26 'आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका', पृ० 302 ।

27 'व्यक्तिगत रूप से ईसाई पादरियों ने शिक्षा के लिए सरल हिंदी का अपना तथा शिक्षा प्रचार और हिंदी गद्य की पुष्टि में स्तुत्य योग दिया ।'—'खड़ी बोली का आन्दोलन', पृ० 74 ।

28 'मुगलमान जाति कई वाग्णों में प्रगति के क्षेत्र में काफी पीछे थी । वहाबी

- आदोलन और गदर के कारण सरकार उन पर शका करने लगी थी। ऐसे विपरीत वातावरण में मुगलमानों की नव-जागृति का बीणा सर सैयद अहमद खा ने उठाया। उन्होंने अनुभव किया कि मुसलमानों के हृदय में पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा के द्वारा सामाजिक सुधार, जातीय गौरव तथा अधिश्रम की भावना भरी जा सकती है। उन्होंने ग्राहम को एक पत्र लिखा था कि मुसलमानों की संपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक बीमारियाँ शिक्षा द्वारा दूर की जा सकती हैं।'—'खड़ी बोली का आदोलन', पृ० 84।
- 29 वही, पृ० 85 से साभार उद्धृत।
- 30 'ब्रिटिश सरकार की इस पक्षपातपूर्ण नीति की विवेचना करते हुए सिरमा के काशीनाथ खत्री ने 15 मार्च, 1874 के 'फ़रिदख़न्द मैगज़ीन' में एक संक्षिप्त लेख 'गवर्नमेंट गिभिग अण्ड्यू इपारटेंस टू मोहम्मडन्म' में लिखा कि 'सर सैयद के प्रयत्न से सरकार ने अरबी पाठशालाओं को 10000 रुपये का अनुदान दिया है, यह तो खैर ठीक है पर उनके लिए नौकरी सुरक्षित रखना, उन्हें सर्वत्र प्राथमिकता देना और संस्कृत पाठशालाओं को अरबी मकतबों के समान सुविधा न देना सिद्ध करता है कि सरकार मुसलमानों के प्रति अनुचित पक्षपात करती है।'—'खड़ी बोली का आदोलन', पृ० 98 में साभार अवतरित।
- 31 'भाषा और समाज', पृ० 337।
- 32 'I consider it as the most progressive and civilized form of great and wide spread language of the horde'—'Outlines of a plea for the Arabic element in official Hindustani'—Beams  
'Journal Royal Asiatic Society' 1866 Pt 1, Article No 1
- 33 विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य  
'Some objections to the new modern style of official Hindustani', F S Growse  
'Journal Royal Asiatic Society', 1866, Pt 1, p 180-81
- 34 'इस विषय में ग्राउस साहब का कहना था कि— बचहरी के लिए फारसी की यह शैली स्वीकार कर लेने पर विवश होकर नागरी लिपि भी छोड़ देनी पड़ेगी, जो एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक लिपि है। फारसी लिपि में ध्वनियों का उच्चारण गलत ही नहीं होता बल्कि कभी-कभी उलट तक जाता है। इस बनावटी शैली के प्रोत्साहन से हिंदू अपने गौरवशाली साहित्य में बचिन हा जाएंगे और चूक पड़े-तिछे लोग तक इस भाषा से पूर्णतया परिचित नहीं हैं, अतः व्यावहारिक रूप से भी यही असुविधा

- 12 'जो सीटामप समके दावे वो जवाब बगैर कागज के ऊपर बिया जाएगा उसके ऊपर नीचे का मजबून फारसी माखे वो अच्छर वो हीनदबी जुबान वो नागरी अच्छर मे खोदा जाएगा ।'  
—'कचहरी की भाषा और लिपि', पृ० 25 पर उद्धृत ।
- 13 'आधुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 28 ।
- 14 ' and it is easier for the Judge to acquire the language of the people than for the people to acquire the language of the Judge '—'Khariboli: Andolan', p 72
- 15 'कचहरी के सभी प्राणी फारसी में अन्वस्त थे । फारसी लिपि में लिखते रहने की उन्हें आदत हो गई थी । अस्पष्ट और भ्रमपूर्ण होने के कारण वह मसिजीवियों के अधिक काम की साक्षित हुई । उससे पैसा भी हाथ में आने लगा और ज्ञान भी बढ़ गई ।'—'बिहार में हिंदुस्तानी', पृ० 24 ।
- 16 'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 74 ।
- 17 'आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका', डा० लक्ष्मीसागर वाण्येय पृ० 304 ।
- 18 'कचहरी की भाषा और लिपि', पृ० 48 से साभार अवतरित ।
- 19 'हिंदी भाषा की आधुनिक समस्याएँ', पृ० 5 ।
- 20 द्रष्टव्य 'भारतीय शिक्षा का इतिहास', पृ० 77 ।
- 21 'जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने बया-पुराण सुनती आती थी उसी भाषा का अवलम्बन ईसाई उपदेशकों को आवश्यक दिखाई पड़ा । 'हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल, पृ० 388 ।
- 22 वही, पृ० 389 ।
- 23 'The objective of society was removal of superstition by education, rational discussion and the publication of books '  
—'Biographical studies in Modern Indian Education'  
H V Hampton, p 31
- 24 देखिए 'आधुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 44-45 ।
- 25 'आधुनिक हिंदी साहित्य', पृ० 467 से साभार उद्धृत ।
- 26 'आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका', पृ० 302 ।
- 27 'व्यक्तिगत रूप से ईसाई पादरियों ने शिक्षा के लिए सरल हिंदी को अपनाया तथा शिक्षा प्रचार और हिंदी गद्य की पुष्टि में स्तुत्य योग दिया ।'  
—'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 74 ।
- 28 'मुसलमान जाति कई कारणों से प्रगति के क्षेत्र में काफी पीछे थी । वहाबी

आंदोलन और गदर के कारण सरकार उन पर शका करने लगी थी। ऐसे विपरीत वातावरण में मुसलमानों की नव-जागृति का धीमा सर संघर्ष अहमद खां ने उठाया। उन्होंने अनुभव किया कि मुसलमानों के हृदय में पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा के द्वारा सामाजिक सुधार, जातीय गौरव तथा अधिकार की भावना भरी जा सकती है। उन्होंने ग्राहम को एक पत्र लिखा था कि मुसलमानों की संपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक बीमारियाँ शिक्षा द्वारा दूर की जा सकती हैं।—'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 84।

वही, पृ० 85 से साभार उद्धृत।

'ब्रिटिश सरकार की इस पक्षपातपूर्ण नीति की विवेचना करते हुए सिरमा के काशीनाथ खन्ना ने 15 मार्च, 1874 के 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' में एक संक्षिप्त लेख 'गवर्नमेंट गिभिण अण्ड्यू इपारटेंस टू मोहम्मडन्स' में लिखा कि 'सर संघर्ष के प्रयत्न से सरकार ने अरबी पाठशालाओं का 10000 रुपये का अनुदान दिया है, यह तो खैर ठीक है पर उनके लिए नौगरी सुरक्षित रखना, उन्हें सर्वत्र प्राथमिकता देना और संस्कृत पाठशालाओं की अरबी मकतबों के समान सुविधा न देना सिद्ध करता है कि सरकार मुसलमानों के प्रति अनुचित पक्षपात करती है।—'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 98 से साभार अवतरित।

31 'भाषा और समाज', पृ० 337।

32 'I consider it as the most progressive and civilized form of great and wide spread language of the horde' —'Outlines of a plea for the Arabic element in official Hindustani'—Beams

'Journal Royal Asiatic Society' 1866 Pt 1, Article No 1

33 विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य

'Some objections to the new modern style of official Hindustani', F S Growse

'Journal Royal Asiatic Society', 1866, Pt 1, p 180-81

34 'इस विषय में घाउम साहब का कहना था कि— कबहरी के लिए फारसी की यह शैली स्वीकार कर लेना पर विवश होकर नागरी लिपि भी छोड़ देनी पड़ेगी, जो एक सर्वोत्तम वैज्ञानिक लिपि है। फारसी लिपि में घनियों का उच्चारण नष्ट ही नहीं होता बल्कि कभी-कभी उलट तक जाता है। इस बनावटी शैली के प्रोत्साहन से हिंदू अपने गौरवशाली साहित्य से वंचित हो जाएंगे और चूकि पढ़े-लिखे लोग तक इस भाषा से पूर्णतया परिचित नहीं हैं, अतः व्यावहारिक रूप से भी बड़ी असुविधा



होगी। अज्ञान का पोषण होगा और पूर्व गम्भिरता मिट जायगी तथा राष्ट्रीय साहित्य सभी भी विषमिन्न नही हो सकेगा।'

'सम आन्जरेकमन्म टू द न्यू माइन्स स्टाइन् आफ् आफिसियन् हिन्दुस्तानी',  
'जे० आर० ए० एम०', 1866, भाग 1, पृ० 181।

- 35 'To read persian is to become persianized, all our ideas become corrupt and our nationality is lost, cursed be the day, which saw the Muhammadanse crese the indus, all the evils which we find amongst us we are indepted for our 'beloved brethern' the Mohammadans Manliness is the first thing which they have entirely extinguished from the land'

—'Memorandum Court Character in the upper provinces of India', 1868 Shiva Prasad, p 1

- 36 अलीगढ़ में स्थापित यह संस्था मुगलमानी भाषा तथा संस्कृति आदि की प्रबल पोषक थी, जिसकी स्थापना गर सैयद खा न सन 1864 में गाजीपुर में 'द्रासलेगन सोसायटी' के नाम से की थी।

- 37 सैयद साहब ने एक पत्र लिखा था, जिसमें ये मनसूबे बाधे गए थे 'एक और मुझे खबर मिली है जिसका मुयबो कमाल रज और फिख है कि बाबू शिवप्रसाद साहब की तहरीक से अमूमन हिंदू लोगो के दिन में जोश आया है कि जबान उर्दू और सत फारसी को जो मुगलमानो की निशानी है मिटा दिया जाए। मैंने गुना है कि उन्होंने साइण्टिफिक सोसायटी के हिंदू भयरो से तहरीक की है कि बजाय अतबार उर्दू हिंदी हो, सरजुम : कुतुब भी हिंदी हो। यह एक ऐसा तदवीर है कि हिंदू मुसलमान में किसी तरह इत्तफाक नहीं रह सकना। मुसलमान हरगिज हिंदी पर मुत्तफिक न होंगे और अगर हिंदू मुस्तैद हुए और हिंदी पर इस-रार हुआ तो वह उर्दू पर मुत्तफिक होंगे और नतीजा इसका यह होगा कि हिंदू अलहद मुगलमान अलहद हो जावेंगे।'—'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 85 में साभार गृहीत।

- 38 राजा शिव प्रसाद ने सन 1861 ई० में ही कहा था कि 'उर्दू को उसी तरह अटकल से सोच समझकर पढ़ना पढ़ता है कि जिस तरह पर महाजन लोग मुडिया, अर्थात् बिना मात्रा के हिंदी हरफो को अटकल से जोड़-जोड़कर पढ़ लेते हैं।'

—'स्वयंबोध उर्दू', पृ० 15।

- 39 'The language of the Court is not the language of the country'  
 The Government voting that English is not the language for Masses, are thus unconsciously forcing another foreign language namely Persian, or I may say Semi-Persian, the Urdu, in persian character, upon the helpless masses, in fact doing what ever the Mohummadan Emperors of Delhi never thought to do'  
 —'Memorandum Court Character', 1868 by Shiva Prasad, p 1
- 40 इतिहास तिमिर नाशक की भाषा, जो तीनों भाषों में कश्मीरी उर्दू प्रस्त होती गई है, भाषा के क्षेत्र में राजा साहब की बदलती हुई मनोवृत्ति का अच्छा परिचय देती है।
- 41 'भाषा का इतिहास', राजा शिवप्रसाद, पृ० 59।
- 42 'It may be serving the interest of English Officers who desire to attain excellence in the use of the common speech of Hindu and the Muslman of Upper India'  
 —'Hindi Vyakaran' Shiva Prasad, Preface
- 43 इस विषय में मौलाना सैयद अली बिाग्राभी का कथन है कि—'हमारी पाठशाला के बालकों का केवल द्रष्टतापूर्वक पढ़ना सीखने में दो वर्ष लग जाते हैं। पढ़े लिखे आदमियों की अधिक संख्या उन्ही मुसलमानों में है जिन्होंने अपने को इस दूसरी जाति के अक्षरों के बंधन से निर्मुक्त कर लिया है, अर्थात् सिन्ध, बर्बई और बगना के मुसलमानों में, जो अपनी भाषा को सिन्धी, गुजराती और बगना के आर्य अक्षरों में पढ़ते हैं।'  
 —'सरस्वती' जून, सन 1900, संख्या 6, भाग-1।
- 44 'Urdu is now becoming our mother tongue and is spoken more or less and well or badly, by all in the North-Western Provinces' —'Itihas Timir Nashak' by Shiva Prasad, Pt 1, Preface
- 45 द्रष्टव्य  
 'हरिदचन्द्र चन्द्रिका' (उर्दू का स्थापना), खंड 19, जून, 1874।
- 46 'बहुतेरे जसाओ निज कल्याण, तो सब मिलि भारत सतान।  
 जपो निरतर एक अबान, 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान।'  
 'प्रताप पोषण' (स०) प्रताप नारायण मिश्र, पृ० 218।

- 47 निम्नलिखित पत्र प्रकाशित हुए :  
 'सदादर्श' (मन 1874 ई० दिल्ली) —स० लाला श्रीनिवास दास,  
 'भारतबन्धु' (सा 1876 ई०) —स० तोताराम,  
 'हिंदी प्रदीप' (मन 1877 ई०) —स० प० बालकृष्ण भट्ट,  
 'मित्रविलास' (मन 1877 ई०) —स० बन्धैपालान,  
 'आनन्द वादम्बिनी' (सन 1881 ई०) —स० चौधरी प्रेमधन,  
 'ब्राह्मण' (सन 1883 ई०, कानपुर) —स० प्रतापनारायण मिश्र,  
 'भारतेन्दु' (मन 1884 ई०) —स० राधाचरण गोस्वामी;  
 'पीयूषप्रवाह' (सन 1884 ई०) —स० प० अम्बिवादत व्यास।
- 48 'गडी बोली का आदोलान', पृ० 91 स साभार अवतरित।
- 49 'भारत जीवन', 18 अगस्त, सन 1884 ई०।
- 50 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (नागरी लेरी यह दुंदगा) सन 1899।
- 51 सैयद साहब ने कमीशा की गमशाया कि— यह मगलह एजूवेशन कमी-  
 शन से कुछ एलाकह नही रगता, बल्कि एन बहुत बडा पोलिटिक्न  
 मगलह है। जिमके साथ गवर्नमंठ के मसालह मुल्की वावसदह है। पा  
 इसकी बहस एजूवेशन कमीशा स कुछ एलाकह नही रगती।'  
 'हयान जावेद' (प्रथम भाग) सर सैयद अहमद खां, पृ० 142।
- 52 'भारत जीवन', 26 मई, सन 1884 ई०।
- 53 'इस पुस्तक में उर्दू भाषा तथा फारसी लिपि के दोषों को मुक्तिपूर्वक बड़े  
 ही प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। अपने कथन की पुष्टि में  
 मालवीय जी ने सर मोनियर विलियम, ब्लाकमैन, डा० विंग्स, डा०  
 डाउमन, राजा शिवप्रसाद, डा० राजेन्द्रलाल मित्र और बाबू हरिश्चन्द्र  
 आदि के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। नागरी लिपि की वैज्ञानिकता, सबं जन  
 सुलभता एव सरलता आदि के पक्ष में भी विलियम जोन्स, सर आइजक  
 पिटमैन और सर चेंरी आदि के कथन उद्धृत किए गए हैं।'  
 द्रष्टव्य  
 'कोर्टे क्रेक्टर एंड प्राइमरी एजूवेशन इन नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज' प०  
 मदन मोहन मालवीय, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 1897।
- 54 'स्फुट कविता' बाल मुकुन्द गुप्त, पृ० 177।
- 55 सन् 1876-77 में बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान अधिकारी के रूप में  
 बिहार की तत्कालीन भाषा स्थिति का जिक्र करते हुए भूदेव मुखर्जी ने  
 अपनी रिपोर्ट में लिखा है 'मुसलमानों को अपनी भाषा पर ममता है।  
 वायस्य लोग उसी स प्रेम रगते है क्योकि अनेक पीढियो से वे इसके  
 अध्ययन में परिश्रम करते चले आते हैं। कचहरी की भाषा अपने वन

पराक्रम के लिए फारसी का ही मुद्द जोहती है। बिहार में सस्कृत तो अनेक दिन पूर्व ही ऐसी बहिष्कृत हो गई जैसी बंगाल से भी नहीं हुई, हिन्दी है जीवित, क्योंकि इसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती।'

— साहित्य पत्रिका' ('गत पचास वर्षों में बिहार की हिन्दी की दशा, शिवनन्दन महाय), अंक 9, जनवरी, 1914 ई०, पृ० 7।

56 द्रष्टव्य

'बिहार में हिन्दुस्तानी' प० चन्द्रबली पाडेय, पृ० 24।

57 इतना ही नहीं कैम्पबेल साहब उर्दू की असलियत से भी अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि उन्हें भारत में रहकर बहुत दिनों तक सार्वजनिक कार्य करने का अनुभव था। उर्दू के विषय में उनका कथन है कि— 'बिताबों में चाहे इन जवानों के मुतलिक कोई कुछ लिखे लेकिन हकीकत यह है कि यह उर्दू जवान अहलदरवार और देहली के तवायफों की जवान है। इसका मुल्क की मुरब्बज जवान नहीं कह सकते। मैंने पूरा इरादा कर लिया है कि जहां तक मेरा बस चलेगा इस जवानों की तालीम की जो हमारे मदरसों में दी जाती है, रोकने की कोशिश करूंगा।'

—'उर्दू' जुलाई, सन 1938, पृ० 520।

58 द्रष्टव्य

'बिहार में हिन्दुस्तानी' प० चन्द्रबली पाडेय, पृ० 30।

59 'स्वतंत्रता पूर्व हिन्दी के सर्घर्ष का इतिहास', पृ० 38-39 में माभार उद्धृत।

60 See

'Linguistic Affairs of India', p 172

- 61 I 'All persons may present their petitions or complaints either in the Nagri or in the Persian character, as they shall desire
- II All Summons, proclamations and the like in vernacular issuing to the public from the courts or from Revenue officials, shall be in the persian and the Nagri character, and the portion in the latter invariably be filled up as well as that in the former
- III No one shall be appointed, except in a purely English office, to any ministerial appointment after one year from the date of this Resolution unless he

*knows both Hindi and Urdu and anyone appointed in the interval who knows one of these languages not the other, shall be required to qualify in the language, which he does not know within one year of his appointment'* With Amendment 1900, 585/3343 C 68

— Swatantratapurva Hindi Sangharsh ka Itihas  
p 52

## स्वाधीनता संघर्ष और निजभाषा का आंदोलन

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में पाश्चात्य सभ्यता के सदेशवाहक अंग्रेजों से भारतीया का काफी नजदीक का संबंध स्थापित हुआ। इनकी सभ्यता में एक नयी स्फूर्ति तथा ताजगी दिखायी पड़ी। शताब्दियों के बोझ से दबे हुए शिथिल भारतीय समाज के लिये इससे प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। ममाज का पतन अपन अंतिम विटु पर पहुँच चुका था। उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी, मरफ़े थोड़ी-सी जागृति अपेक्षित थी, जिसकी पूर्ति अंग्रेजों के संपर्क से हुई। अपनी राजनीतिक विजय को पूर्ण स्थायी बनाने के लिये अंग्रेजों ने भारतीयों पर सांस्कृतिक विजय का प्रयोग किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ईसाई धर्म एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार तथा वैज्ञानिक सुविधाओं का प्रसार साधन रूप में अपनाये गये। इसके अतिरिक्त विविध प्रकार की कूटनीतियों का सहारा लिया गया।<sup>1</sup> किंतु इस नीति का अंग्रेजों के पक्ष में कोई अच्छा नतीजा न निकला। अंग्रेजों के संपर्क और अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने अंतःकरण में गंभीर चिन्ता का सवार हुआ, उनके मानस में भारत के पुनरुद्धान की आकांक्षा मचलने लगी। इस आकांक्षा की क्रियात्मक रूप देने से भारतीय इतिहास में पुनरुद्धान युग आया।

सन् 1857 के 'प्रथम स्वाधीनता संग्राम' के बाद राजनीतिक स्थिति ने एक नया मोड़ लिया। भारत की शासन [सत्ता अपनी सरकार के हाथ से निकल कर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गयी। अब समस्त भारत एक सुदृढ़ शासन की अधीनता में आ गया। देश विदेशी आक्रमण की आशंका से मुक्त हो गया। शताब्दियों से बढी राजचक्र में पीसी हुई जनता की थोड़ा-सा सास लेने का मौका मिला, अपनी दमनीय दशा पर साँचे-समझने का अवसर मिला। भारतीयों ने गर्वप्रथम अपना पत्ना आदर्श मध्ययुग के पिछड़ेपन में मुक्ति पाना

निश्चित किया। इसके लिये देश में अनेक सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन हुए, जो मूलतः आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित थे।<sup>2</sup> सामाजिक जीवन इतनी तेजी से बदलने लगा था कि उसे एक विशिष्ट प्रकार की प्राति कहना ही समीचीन होगा।<sup>3</sup> परिवर्तन की इस प्रगति पर श्री रमेश चंद्र दत्त जैम इतिहासकार को भी आश्चर्य हुआ।<sup>4</sup> श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी इस 'रक्तहीन क्रांति' की सज्ञा दी। इन आंदोलनों से भारतीय जीवन-दृष्टि को एक नयी दिशा मिली और जन जीवन का नव जीवन प्राप्त हुआ, जिससे हिंदू धर्म में प्रचलित अधविश्वासों, रूढ़ियों तथा कुरीतियों को दूर करने एवं ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने में अच्छी सफलता हासिल हुई। ये सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन आगे चलकर राष्ट्रीयता के पोषक सिद्ध हुए इनके वैशिष्ट्य का निरूपण करते हुए श्री मत्स्यकेतु विद्यालकार ने लिखा है

'ये सब सुधार आंदोलन अपने देश के लुप्त गौरव की ओर जनता का ध्यान आवृष्ट करते थे, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करते थे और भावी उन्नति के लिये प्रेरणा देने थे।' ये आंदोलन भारत में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव करने में सहायक सिद्ध हुए।<sup>5</sup>

उन्नीसवीं शती में हुए इन धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप पहले-पहले शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक चेतना जगी, जो लगातार बढ़ती ही गयी। आगे चलकर इस चेतना का मुख्य लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्ति हो गया और इसका पूर्ण विकास राष्ट्रीय क्रांति के रूप में साकार हो उठा।

इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में राजनीतिक चेतना के उदय के अनेक कारण थे। अंग्रेजों की कूटनीति, जिसका फूट डालो और राज करो' एवं महत्वपूर्ण पहलू था, असमानता का व्यवहार वाले गोरे का भेदभाव आदि इसके मूल कारण बने जा सकते हैं।

भारतीयों के अंतःकरण में राजनीतिक चेतना को प्रवल बनाने में अंग्रेजों की आर्थिक नीति का भी बहुत कुछ हाथ रहा है। इनकी आर्थिक नीति अंग्रेजी पूँजीवाद के जितने ही अनुकूल थी, भारतीय उद्योग-धंधों के उतने ही प्रतिकूल। अर्थ के क्षेत्र में ऐसी नीति काम कर रही थी कि इंग्लैंड की बनी वस्तुएँ अधिक से अधिक कीमत पर यहाँ बिकती थीं तथा यहाँ का बच्चा माल घटिया दरों पर इंग्लैंड जाता था। बच्चेमाल एवं प्रशासनिक प्रोत्साहन के अभाव में भारतीय उद्योग धंधे ठप्प होने लगे और यहाँ के एक-से एक मशहूर कारीगर, शिली आदि भ्रूखे मरने लगे। ऐसी स्थिति में जनता में असतोष की भावना का बढ़ना स्वाभाविक ही था। असतोष की इस व्यापक वृत्ति ने राजनीतिक चेतना को काफी

बढावा दिया ।

भारतीय राजनीतिक चेतना के विकास में आधुनिक शिक्षा का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता । राष्ट्रीयता, राजनीतिक स्वाधीनता तथा लोकतंत्र आदि के विचारों से परिपूर्ण पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन से भारतीयों की आँखें खुली, जिससे वे स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र आदि के सिद्धांतों से पूर्ण अवगत हुए तथा स्वराज्य एवं राष्ट्रीयता का सही मूल्यांकन कर सके ।

राजनीतिक चेतना के विकास में राष्ट्रीय भावनाओं में युक्त तत्कालीन भारतीय साहित्य ने भी यथेष्ट योगदान दिया । राष्ट्र को लेकर यथार्थ व आदर्शवादी रचनाएँ की गयीं ।<sup>6</sup> वर्तमान के प्रति विशोभ और दुखी राष्ट्र का दीन चित्र यथार्थ से तथा राष्ट्र का गौरवगान, उसका प्राचीन भव्य स्वरूप आदर्श से सबधित रहता था । 'भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में भारतीय समाचार पत्रों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है । इन्होंने भारतीय जनता को राष्ट्रीय चेतना, प्रजातंत्र, प्रतिनिधि सरकार, स्वशासन तथा स्वतंत्रता के सबध में राजनीतिक शिक्षा दी ।'<sup>7</sup>

यूरोप में होने वाले तत्कालीन राष्ट्रीय आदोलनों से भी भारतीयों को राजनीतिक प्रेरणा मिली । एक ओर इनकी राजनीतिक चेतना को फ्रांस तथा अमरीका की क्रांतियों ने जगाया तो दूसरी ओर इंग्लैंड में सामंतशाही शासन के विरुद्ध होने वाले संघर्ष ने । एक ओर इनकी इस चेतना को विभिन्न यूरोपीय देशों के स्वाधीनता संघर्षों से प्रेरणा मिली तो दूसरी ओर रूस में जारशाही के खिलाफ होने वाली क्रांति से ।

इसके अलावा डाक, तार, रेल, जहाज आदि विविध वैज्ञानिक साधनों से भी राजनीतिक चेतना की चिनगारी को अग्नि की भक्कती हुई लपट में बदलने का पर्याप्त अवकाश मिला । समय और दूरी का बधन मिट जाने से अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक सस्थाओं की स्थापना की संभावना भी यथार्थ में बदल गयी ।

### राष्ट्रीय आदोलन और स्वदेशी वस्तुओं का स्वागत

मुस्लिम शासन तंत्र के अन्याय, अत्याचार एवं उत्पीडन से सन्नत भारतीय जीवन के लिये प्रारंभ में अंग्रेजों का आगमन शांतिप्रद प्रतीत हुआ, किंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों उनकी शोषण नीति स्पष्ट होने लगी ।<sup>8</sup> जीवन के विविध क्षेत्रों में उनके द्वारा अपनायी गयी वस्तुपिप्त नीतियों का अवल्याणकारी प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा । धीरे-धीरे भारतीयों को यह विश्वास ही चला कि अंग्रेज हमारे दुभेच्छु नहीं, बल्कि हमारे शरीर के रक्त की अंतिम बूद तक को चूसने वाले हैं । क्रूर मुस्लिम शासकों के अत्याचारों से पीडित जीवन से मृत्यु को ही बेहतर मानने वाली भारतीय जनता को इन्होंने स्वच्छ जीवन नहीं दिया, बल्कि पाश्चात्य सभ्यता व सस्कृति की ऐसी नशीली पेय वस्तु दी, जिसने सत्ताधियों तक



भारतीयों की निद्रा समाप्त न हो, ताकि वे मनमाने तरीके से लूट खसोट कर सकें।

भारतीय जनता के समक्ष अंग्रेजों की चालाकी इस प्रकार गंभीर फूटने पर उनके श्रेय की सीमा न रही, उनके अंतःकरण में असंतोष का ज्वार उठने लगा। दूसरी ओर उभरती दवाव के लिये सरकार ने दमन का सहारा लिया। अंग्रेजों के कुशासन तथा दमन के खिलाफ सन 1857 में भयंकर विद्रोह हुआ, जिसे बड़ी निर्ममता के साथ दबा दिया गया। भारतीयों को इस विद्रोह का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा, उन्हें अनेक यातनाएँ सहन करनी पड़ी, किंतु परिणाम यह हुआ कि विद्रोह के समय तथा उसके बाद भी अंग्रेजों द्वारा किये गये अत्याचारों की वस्तु-स्मृतियाँ भारतीयों के निश्छिन्न हृदय में सदा के लिये पत्थर की लकीर-सी अंकित हो गयीं, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति व्यापक घृणा फैल गयी तथा मारे देश में राष्ट्रीयता की लहर-सी दौड़ पड़ी। इस विद्रोह का मूल्यांकन करते हुए डा० पट्टाभि सीता रामय्या ने लिखा है -

'इससे यह प्रतीत होता है कि यह आंदोलन 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से वर्षों तक भारत में जो कुछ घटनाएँ घटती रहीं, उसके परिणाम का द्योतक था। यही नहीं, बल्कि यह प्रत्येक प्रदेश और जाति के मानव-हृदय की इस प्राकृतिक अभिलाषा को भी सूचित करता था कि हम अपने ही लोगों द्वारा शासित हो, दूसरों द्वारा हर्गिज नहीं।'१०

वस्तुतः सन 1857 का आंदोलन दामता के विरुद्ध स्वतंत्रता का पहला आंदोलन था। यह आंदोलन यद्यपि सगठन और एकता के अभाव के कारण असफल रहा, पर इसने भारतवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न कर दी।<sup>10</sup> अब भारतवासियों के हृदय में अंग्रेजों के प्रति किमी भी प्रकाश की श्रद्धा या सहानुभूति न रही, बल्कि प्रतिकार की एक विशिष्ट भावना पैदा हो गयी। यह भावना जितनी तीव्र होती गयी राष्ट्रीयता को उतना ही बल मिलता गया। परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर विविध आंदोलन शुरू हुए। स्वराज्य की मांग के साथ विदेशी सामानों के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिये व्यापक आंदोलन चल पड़े। इन आंदोलनों की ध्वनि से भारत की संपूर्ण दिशाएँ तो गुंजरित हो ही उठीं, साथ ही तत्कालीन भारतीय साहित्य और उनमें भी विशेषतः हिंदी साहित्य मुखरित हो उठा।

स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत सभी स्वदेशी वस्तुओं का स्वागत किया गया और उनकी मांग बढ़ती गयी। स्वदेशीपन की इस उत्कट अभिलाषा के प्रभाव से भाषा क्षेत्र भी आंदोलित हो उठा। उस समय देश के एक कोने से दूसरे कोने तक राष्ट्रीयता की ऐसी लहर दौड़ पड़ी थी कि दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक वे

सभी प्रांतों के नागरिकों को स्वदेशी भाषाओं के प्रयोग में एक विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय गरिमा दिलायी पड़ी। 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल'<sup>11</sup> जैसी भावना से उनका हृदय आह्लादित हो उठा था। अब अंग्रेजी भारतीय नेताओं व भारतीय जनता को वैसे ही काटने दौड़ती थी, जैसे अंग्रेजी शासन। राजनीतिक पराधीनता और अंग्रेजी की मानसिक गुलामी दोनों का मूल्यांकन एक ही तुला पर होने लगा था। पराधीनता के स्थान पर स्वाधीनता तथा अंग्रेजी की गुलामी के स्थान पर स्वदेशी भाषाओं की स्वच्छ व ताजी हवा भारतीयों के जीवन की अमूल्य मणि बन गयी थी। स्वाधीनता संघर्ष के साथ निज भाषा का आंदोलन दिनो दिन जोर पकड़ता गया और अंग्रेजी, जिसन विविध भारतीय क्षेत्रों पर अन्यायपूर्वक अधिकार जमा लिया था, क्रमशः खिसकने लगी तथा भारतीय भाषाओं को यथेष्ट स्थान मिलने लगा। 'निज भाषा-आंदोलन' की क्रिया, प्रतिक्रिया, क्षेत्र आदि की विवेचना के पहले तत्कालीन भारत में भाषाओं की स्थिति की संक्षिप्त चर्चा अपेक्षित है।

## ब्रिटिश शासनकालीन भारत में भाषा स्थिति

### राजभाषा

भारतीयों की इच्छा के प्रतिकूल, उनके द्वारा कई बार विरोध करने के बावजूद अंग्रेजों की सफल भाषा नीति के कारण अंग्रेजी समस्त भारत में राजकाज तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में छा गयी थी। यदि इससे राजभाषा का कोई क्षेत्र अछूता बच गया था, तो वह था मिर्क भारत की निचली अदानतों का, जहाँ पर कुछ हद तक भारतीय प्रादेशिक भाषाओं का अधिकार था और वह भी अनेक आंदोलनों का ही परिणाम था। इस मदर्भ में यह भी बह देना आवश्यक है कि जहाँ अन्य प्रादेशिक भाषाओं को अपने प्रदेश की छोटी अदालतों में यह अधिकार प्राप्त था, वहाँ हिंदी प्रदेश में हिंदी इस अधिकार से वंचित थी, इस पद पर उर्दू को अनधिकृत रूप में सिंठाया गया था, जिसके खिलाफ हिंदी का आंदोलन जारी था।

### सर्वकर्म भाषा

अंग्रेजों की सर्वकर्म भाषा अंग्रेजी थी। यदा-कदा अंग्रेजों को बम पड़े-लिखे अथवा अंग्रेजी में अनभिज्ञ भारतीयों से बातचीत करनी पड़ती थी, तब वे टूटी फूटी हिंदी बोलकर बात चलाते थे। वे इस तथ्य से भलीभांति परिचिन थे कि हिंदुस्तानी (हिंदी) ही एक ऐसी भाषा है, जिसे कम या अधिक सभी भारतीय समझते हैं।<sup>12</sup> अंग्रेजों के प्रतिरिक्खन सरकारी कर्मचारी तथा अंग्रेजी पड़े-लिखे शिक्षित भारतीयों की सर्वकर्म भाषा अंग्रेजी ही हो चनी थी। फिर भी वे पड़े लिखे लोग अपनी मातृ-भाषा को बम महत्व नहीं देते थे। एक भाषा-भाषी आपस के व्यवहार के लिए

अधिकतर अपनी ही मातृभाषा का प्रयोग करते थे। किन्तु इतर भाषा-भाषी भारतीयों अथवा अंग्रेजों आदि से विचार विनिमय करते समय अंग्रेजी का ही सहारा लेते थे।

इन शिक्षित भारतीयों के अतिरिक्त सामान्य जनता की अखिल भारतीय संपर्क भाषा, जिसे राष्ट्रभाषा भी कहा जा सकता है, हिंदी थी। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से इसी भाषा के माध्यम से विचार-विमर्श तथा संपर्क स्थापित करते थे।

प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ अपने-अपने प्रदेश में विचार-संपर्क का कार्य करती थीं।

### साहित्यिक भाषा

साहित्य-भाषा के रूप में भी अंग्रेजी का विशेष मूल्य था। ज्ञान-विज्ञान संबंधी सभी जानकारी प्रायः इसी भाषा के जरिए प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, आदि आर्य भाषाएँ तथा दक्षिण की द्रविड भाषाएँ सशक्त साहित्यिक भाषाएँ थीं। अपने व्यापक रूप में हिंदी हिंदी प्रदेश ही नहीं, अपितु समस्त भारत में मुस्लिम शासनकाल से ही साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी और यह क्रम आज भी जारी था। किन्तु जहाँ तक खड़ी बोली हिंदी का प्रश्न है, यह हिंदी प्रदेश में एक मात्र हिंदी गद्य की भाषा स्वीकृत हो चुकी थी, पर पद्य की भाषा के लिए ब्रजभाषा के साथ इसका सघर्ष चल रहा था।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अंग्रेजी भारत की राजभाषा, पढ़े-लिखे भारतीयों के बीच की संपर्क भाषा तथा साहित्यिक भाषा थी। विभिन्न प्रादेशिक भाषाएँ अपने-अपने प्रदेशों की साहित्यिक भाषा, संपर्क भाषा एवं अदालती भाषा थीं। परंतु हिंदी का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक था। वह अपने प्रदेश की साहित्यिक एवं संपर्क भाषा तो थी ही, साथ ही अखिल भारतीय संपर्क भाषा (राष्ट्रभाषा) के गौरव से मज्जित थी। यह गौरव इसे मध्यदेशीय भाषा की महती भाषा परंपरा से प्राप्त था। इस पद पर मुगलों के शासनकाल में न तो फारसी ही प्रतिष्ठित हो पायी थी और न बहुत-कुछ चाहने पर अंग्रेजी ही इस पद को प्राप्त कर सकी।

### निज भाषा आदोलन : तात्पर्य और क्षेत्र

इस बात की चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि स्वाधीनता सघर्ष के साथ निज भाषा का आदोलन बढ़ी तेजी से चल रहा था। किसी भी सघर्ष अथवा आदोलन का सापेक्ष महत्व होना है। या यों कहें कि कोई भी सघर्ष आदोलन किसी-न-किसी प्रतिक्रिया का द्योतक होता है। अब इस सदमं में सबसे स्वाभाविक प्रश्न उठाया जा सकता है या उठ सकता है वह यह कि किस सत्ता

अथवा किस भाषा के खिलाफ उक्त सघर्ष एवं आंदोलन चल रहे थे ? इसका सीधा सा उत्तर यह होगा कि यह सघर्ष ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वशासन, परराज्य के विरुद्ध स्वराज्य, परतन्त्रता के स्थान पर स्वतन्त्रता अथवा पराधीनता के स्थान पर स्वाधीनता का सघर्ष था। इसी प्रकार निज भाषा का आंदोलन भी अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा के खिलाफ स्वदेशी (भारतीय) भाषाओं का आंदोलन था। इसे मात्र हिंदी का आंदोलन कहना एकांगी दृष्टि का परिचायक होगा। हा, यह जरूर है कि हिंदी भाषा के माध्यम से इस आंदोलन को सबसे अधिक मुखरित होने का अवकाश मिला। इस सघर्ष अथवा आंदोलन को लेकर हिंदी साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता की जो पावन धारा हृदय में लेकर सर्वांग भारतीय शरीर में प्रवाहित की, उस सीमा तक इतर भाषा भाषी साहित्यकार राष्ट्रीय चेतना जगाने में समर्थ न हो सके।

अंग्रेजी भाषा ने मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं के दो क्षेत्रों को दबा लिया था। पहला था राजभाषा का और दूसरा संपर्क भाषा का। राज भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी का प्रायः एकाधिकार ही था। प्राणीय प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों से लेकर अखिल भारतीय शासन एवं शिक्षा तक इसकी पहुँच थी। यह सच्चे अर्थों में तत्कालीन भारत की राजभाषा हो चुकी थी। किन्तु संपर्क भाषा के रूप में इससे प्रभावित क्षेत्र अत्यंत सीमित था। अंग्रेजों जिनसे इस सदर्भ में कुछ लेना-देना नहीं है, के अतिरिक्त थोड़े से सरकारी कर्मचारी एवं मुठ्ठी भर पढ़े-लिखे भारतीयों की यह संपर्क भाषा हो चली थी। शेष सब-का-सब अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा का क्षेत्र स्वदेशी भाषा हिंदी के कब्जे में था। इस रूप में यह बहुत पहले से ही भारत की राष्ट्रभाषा हो चुकी थी।

अन भारतीय नेताओं ने जब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वाधीनता सघर्ष छेड़ा, तब राष्ट्र गौरव की भावना ने उन्हें विदेशी भाषा के विरुद्ध स्वदेशी भाषाओं के आंदोलन की भी प्रेरणा दी। फलस्वरूप निज भाषा का आंदोलन साकार हो उठा। यह आंदोलन सिर्फ एक भाषा का आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत की विविध प्रादेशिक भाषाओं का आंदोलन था। इतना अवश्य है कि सभी भारतीय भाषाओं का अपना क्षेत्र और अपना अधिकार अलग-अलग था। किसी भी प्रदेश के अंतर्गत प्रशासन, शिक्षा संपर्क आदि जिन जिन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया था, उन-उन क्षेत्रों में उक्त प्रदेश की भाषा का अधिकार दिखाने के लिए यह आंदोलन चनाया गया था। किन्तु निज भाषा के रूप में चलाया गया हिंदी का आंदोलन क्षेत्र और प्रभाव की दृष्टि से थोड़ा भिन्न था। भिन्नता इस बात में थी कि जहाँ हिंदी आंदोलन का उद्देश्य समस्त हिंदी प्रदेश में प्रशासनिक एवं शिक्षण आदि कार्यों के माध्यम के रूप में हिंदी को अपनाया जाना था, वहीं अखिल भारतीय प्रशासन एवं शिक्षा आदि क्षेत्रों में अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को बिठाना तथा अंग्रेजी

पढे-लिखे भारतीयों के बीच अंग्रेजी के स्थान पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को लाना भी था।

निष्कर्ष यह कि अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में हिन्दी का उत्तर-दायित्व व्यापक था। प्रादेशिक भाषाओं के सदरम में जहाँ यह आन्दोलन उन-उन प्रदेशों की राजभाषा तक सीमित था, वहाँ हिंदी के सदरम में यह हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त प्रादेशिक स्तर से ऊपर उठकर अखिलदेशीय अर्थात् केंद्रीय राजभाषा एवं शिक्षित भारतीयों की संपर्क भाषा तक व्याप्त था। इस आन्दोलन के सिलसिले में भारतीय नेताओं ने हिंदी को नाजायज महत्व दिया हो, ऐसी बात नहीं। हर-एक क्षेत्र में अंग्रेजी के स्थान पर स्वदेशी भाषाओं को लाना उनका उद्देश्य था, जो भारतीय भाषाएँ जिस स्थान विशेष के लिए योग्य थीं, उन्हें वह स्थान दिलाने का प्रयास किया गया। यह हिंदी की अपनी निजी योग्यता थी कि उसे प्रादेशिक राजभाषा के साथ अखिल देशीय (केंद्रीय) राजभाषा व विचार विनिमय के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले भारतीयों की संपर्क भाषा बनाने के लिए व्यापक आन्दोलन किया गया। यदि सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो हिंदी की यह योग्यता उसके अखिल भारतीय संपर्क भाषा के रूप में दिखायी पड़ेगी। अतः स्पष्ट है कि स्वाधीनता सघर्ष के साथ 'राजभाषा' के रूप में 'हिंदी-आन्दोलन' का क्षेत्र एवं उद्देश्य निम्नांकित रहा है।

### प्रादेशिक राजभाषा

हिंदी प्रदेश में संपूर्ण प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी के माध्यम से किया जा रहा था। इसलिए राष्ट्र गौरव से अनुप्राणित भारतीयों द्वारा हिंदी को समस्त प्रदेश की राजभाषा बनाने के लिए इस आन्दोलन का श्रीगणेश किया गया।

### केंद्रीय राजभाषा

एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का प्रशासनिक सम्बन्ध अंग्रेजी द्वारा स्थापित हो रहा था, साथ ही ब्रिटिश सरकार की अपनी केंद्रीय राजभाषा अंग्रेजी थी। अतः इन कार्यों के लिए केंद्रीय राजभाषा के रूप में हिन्दी का व्यवहार किया जाय, आन्दोलन का यह अन्यतम उद्देश्य था।

### सम्पर्क भाषा

यों तो अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा हिन्दी थी, किन्तु कुछ भारतीय ऐसे थे जो अंग्रेजी पढे-लिखे तथा शिक्षित थे और आपस में अंग्रेजी माध्यम से ही विचारों का आदान-प्रदान करते थे। इसमें आत्म-गौरव एवं राष्ट्र गौरव की भावना की धवरा लगना था। अतः हिन्दी को इन शिक्षितों की भी सम्पर्क भाषा बनाना हिन्दी

आन्दोलन का लक्ष्य था।

उपर्युक्त विवेचन से यह तथ्य प्रकाशित होता है कि स्वाधीनता सघर्ष के साथ ही हिन्दी के लिए जो आन्दोलन चलाया गया वह राजभाषा हिन्दी का आन्दोलन ठहरता है, राष्ट्रभाषा का नहीं। किन्तु अधिकांश विद्वानों ने इस आन्दोलन को राष्ट्रभाषा हिन्दी का आन्दोलन कहा है। अब बात यह उठती है कि आखिरकार सही क्या है? इस जिज्ञासा के समाधान के वास्ते इतना ही कह देना पर्याप्त है कि विद्वानों के इस कथन का तात्पर्य हिन्दी के उस व्यापक रूप से है, जहाँ पर राष्ट्रभाषा व राजभाषा का अलग-अलग स्वरूप निघडरित न किया गया हो। परन्तु यथार्थ की पृष्ठभूमि पर वैज्ञानिक तरीके से यदि राष्ट्रभाषा और राजभाषा को अलग अलग करके विचार किया जाएगा तो हिन्दी का यह आन्दोलन राजभाषा के सन्दर्भ में ही किया गया सिद्ध होगा। क्योंकि इसका क्षेत्र राजभाषा का क्षेत्र है, न कि राष्ट्रभाषा का, राजभाषा अंग्रेजी के विरोध में ही इस आन्दोलन की शुरुआत हुई है, किन्ती राष्ट्रभाषा के नहीं, और अन्ततोगत्वा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्वतन्त्र भारत के सविधान में हिन्दी को राजभाषा का हो पद दिया गया है, राष्ट्रभाषा का नहीं। और यही स्वाभाविक भी है, क्योंकि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का पद सप्रयाम नहीं दिया जा सकता। यदि ऐसी बात होती तो भला बताइये मुसलमान शासकों ने फारसी के लिए और अंग्रेजों ने अंग्रेजी के लिए क्या कम कोशिश की थी? उन्होंने की थी और जी जान से की थी। पर कभी भी न तो फारसी अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा अर्थात् राष्ट्रभाषा हो सकी और न अंग्रेजी ही। हाँ, वे शासक थे, इसलिए फारसी व अंग्रेजी को भारत की राजभाषा कहलाने का शौरव जरूर मिला। राष्ट्रभाषा का पद तो ऐसा है जिसे किसी भाषा को दिया नहीं जा सकता, बल्कि किसी भी देश अथवा राष्ट्र की कोई भी भाषा अपनी आन्तरिक शक्ति के कारण स्वराष्ट्र में ही इस पद को स्वतः प्राप्त कर लेती है और वह भी तब, जब अखिल राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगती है।

यदि राष्ट्रभाषा हिन्दी पर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि हिन्दी को यह पद किसी के द्वारा दिया नहीं गया है, बल्कि मध्यदेश की महती भाषा परम्परा में जन्म लेने के कारण यह अपनी आत्मिक शक्ति द्वारा इस पद पर स्वतः प्रतिष्ठित हुई है।<sup>10</sup> अन्यथा जन्म से लेकर जीवन तक इस भाषा को जिन जिन सघर्षों का मुवाबला करना पड़ा है, उनके मध्य किसी भी भाषा का जीवित रहना ही बड़ा मुश्किल था। फिर यह भाषा मुस्लिम शासन का न तो द्योतकाल व दैनिक व्यवहार के रूप में अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा रही है हाँ, यह जरूर था कि उस समय अन्य भाषाओं की तुलना में साहित्यिक वैभव इसके पास नहीं थे बराबर था।<sup>11</sup> और यह भी सत्य है कि स्वाधीनता सघर्ष के बीच राजभाषा के सन्दर्भ में किये गये आन्दोलन के मध्य साहित्यिक दृष्टि से यह अपूर्व समृद्धिदायिनी हुई।

निष्कर्ष यह कि अंग्रेजी के खिलाफ निज भाषा के रूप में हिन्दी आन्दोलन 'राजभाषा हिन्दी का आन्दोलन था', इसे 'राष्ट्रभाषा का आन्दोलन' कहना समीचीन नहीं। चूँकि इस आन्दोलन के मध्य हिन्दी की सर्वांगीण उन्नति हुई, वह एक सफल विचार विनिमय की भाषा के साथ साहित्यिक दृष्टि से अप्रतिम समृद्धि-शालिनी भाषा बन गई और इन देश की राष्ट्रभाषा (अखिल देशीय सम्पर्क भाषा) हिन्दी ही थी, कोई दूसरी नहीं, इसलिए इस आन्दोलन को राजभाषा के सन्दर्भ में हिन्दी अथवा राष्ट्रभाषा हिन्दी का आन्दोलन भी कहा जा सकता है।

### हिन्दी आन्दोलन का आधार

स्वाधीनता सघर्ष के साथ 'पर' के स्थान पर 'स्व' की दखने की उत्कट अभिलाषा के फलस्वरूप अंग्रेजी के खिलाफ चल रहे हिन्दी-आन्दोलन को विभिन्न सस्थाओं द्वारा मदद मिली। जिन्हे हम सुविधा के लिए 'आधार' की सजा दे सकते हैं। ऐसे आधारों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है

- 1 धार्मिक एवं सामाजिक सस्थाएँ,
- 2 राजनीतिक सस्थाएँ,
- 3 साहित्यिक सस्थाएँ।

### धार्मिक एवं सामाजिक सस्थाएँ

उन्नीसवीं शती के दूसरे दशक के मध्य भारत में सरकारी तौर पर ईसाई पादरियों की ईसाई धर्म के प्रचारार्थ पूर्ण छूट मिल चुकी थी। उन दिना ईसाई धर्म प्रचारक भारतीयों को अपने धर्म में दीक्षित करने की कामना से अपने धर्म की उदारता के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के साथ हिन्दू धर्म की निन्दा किया करते थे। पादरियों द्वारा हिन्दू धर्म की की गई निन्दा सारहीन रही हो, ऐसी बात नहीं। अति प्राचीन युग में चले आते हुए इस धर्म में समय की गति के साथ विविध सस्कृतियों के मेल एवं बदलते हुए सामाजिक मानदण्डों के फलस्वरूप जात पात, छुआछूत, परदा प्रथा, बाल विवाह, शती प्रथा आदि से सम्बन्धित अनकानेक विकृतियाँ आ गई थी। निरीह हिन्दू जनता स्वधर्म का परित्याग कर विजानीय धर्म स्वीकार करने लगी थी। ऐसे समय में नई शिक्षा से प्रभावित, नवीन चेतना को आत्मसात् करने वाले अनेक भारतीय विचारकों एवं समाज सुधारकों का हृदय आन्दोन्नत हो उठा। उन्होंने नैतिक मूल्यों के आधार पर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने एवं हिन्दू धर्म की विकृतियों को दूर कर उसे स्वच्छ रूप प्रदान करने की आकांक्षा से विविध सामाजिक व धार्मिक आन्दोलनों का सूत्रपात किया और तत्सम्बन्धी सस्थाओं की स्थापना भी की। इनमें ब्रह्मसमाज, प्रथमनामाज आर्य-समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्णमिशन, सनातनधर्म मन्ना, राधास्वामी

सम्प्रदाय उल्लेखनीय है।

### ब्रह्म समाज

आधुनिक भारत में नव चेतना के अग्रदूत, राजनीतिक जागृति के मूत्रधार राजा राममोहन राय को जब इस बात का पता चला कि ईसाई धर्म के प्रचार के फलस्वरूप भारतीयों की मनोवृत्ति बदलने लगी है, वे यूरोपीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति को उच्चतर तथा महान् मानकर धर्म परिवर्तन की दिशा की ओर बढ़ चले हैं, तब उन्होंने समसामयिक विचारों के प्रचारार्थ तथा समाज के पुनर्गठन के लिए सन् 1828 में कलकत्ते में 'ब्रह्मसमाज' की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू धर्म में स्थानापन्न कुरीतियों को दूर कर उसे सर्वसुलभ तथा सुग्राह्य बनाना था। संस्था के उद्देश्यों का तत्कालीन अनेक विचारकों ने समर्थन किया तथा इसके प्रचार में योग दिया। इसमें महर्षि देवेन्द्रनाथ, प्रसन्न कुमार, केशव-चन्द्र सेन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भूदेव मुखर्जी, नवीनचन्द्रराय आदि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जा सकता है।

धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से ब्रह्म समाज का अति उच्च स्थान है। इसने सामाजिक समानता तथा स्त्रियों के उद्धार के लिए महान् कार्य किये। इसका तत्कालीन राजनीतिक वातावरण पर भी अधुष्ण प्रभाव पड़ा। इसने देश में राष्ट्रीय भावना की जगाने, राजनीतिक चेतना को गतिशील बनाने में विशेष सफलता प्राप्त की। अपने विचारों के प्रचार के लिए इस संस्था की अखिल देशीय सम्पर्क भाषा हिन्दी का आश्रय लेना पड़ा।

ब्रह्मसमाज के संस्थापक राजा राममोहन राय (सन् 1774-1833) के अविनय में पूर्व तथा पश्चिम दोनों का गणि-काञ्चन योग था। आरम्भ से ही उनका भुवाव प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं वेदा तथा उपनिषदों में सम्पादित दर्शन की ओर था। इसके साथ ही राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण पश्चिम के बुद्धिवाद तथा आधुनिक विचारधारा से भी प्रभावित था। "उनकी आधुनिकता ने उन्हें हटिगाद, निरसंक धर्मान्धता और बर्माकांड से ऊपर उठने की प्रेरणा दी और समयानुसूल पाश्चात्य विचारों का स्वागत करने को विवश किया। उधर उनके भारतीय संस्कारों ने अपने देश की संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया।"<sup>12</sup> राजा साहब आधुनिक भारत के निर्माता तथा राष्ट्रीय चेतना के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। उन्हें नवयुग की प्रति मूर्ति तथा प्रतीक तो माना ही जाता है। यद्यपि वे अंग्रेजी भाषा के प्रवक्त समर्थक थे, फिर भी अपने राष्ट्रीय हित के बापों में हिन्दी की सर्वोपरि स्थान देते थे। भाषा के सन्दर्भ में उनका यह नियतिवाद मान पा कि यदि अविन भारतीय भाषा बनने की पूर्ण क्षमता किसी भी भाषा में है तो वह गिफ्ट हिन्दी में ही है।<sup>13</sup> राजा राममोहन राय स्वयं हिन्दी



में लिखते थे और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने कलकत्ता से सन् 1826 ई० में 'बंगदूत' नामक एक पत्र निकाला था, जिसमें हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी और फ़ारसी इन चार भाषाओं में पृष्ठ रहा करते थे।

राजा राममोहन राय के जमाने में बङ्गर पुरातन पंथियों का जोर था। इन बङ्गर पुरातन पंथियों से उनका बराबर वाद विवाद होता रहता था। अपने विचारों के प्रतिपादनार्थ उन्हें ब्राह्मणों में कई बार शास्त्रार्थ भी करने पड़े थे, जिनके विज्ञापन तथा प्रकीर्णन आदि वे सदा हिन्दी में ही छावाते थे। राजा राममोहन राय के इस हिन्दी प्रेम से हिन्दी के विचारों के लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त हुआ, जिस पर चलकर अन्य संस्थाओं एवं नेताओं ने देग में हिन्दी का व्यापक प्रचार किया।

ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता नवीनचन्द्र राय ने समाज के सिद्धान्तों एवं विचारों का प्रचार करते हुए हिन्दी की अमूल्य सेवा की। इनके द्वारा पंजाब में चलाये गए समाज सुधार सम्बन्धी आन्दोलन का माध्यम हिन्दी ही रही। इन्होंने लाहौर से हिन्दी में दो पत्रिकाएँ भी निकाली थी, जिसमें 'ज्ञान प्रदायिनी' (सन् 1867) प्रथम थी। यद्यपि इन पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य ब्रह्म समाज की विचारधारा को प्रवाहित करना तथा उसके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करना था, फिर भी इससे हिन्दी को बड़ा बल मिला। नवीन बाबू के प्रयास के पतस्वरूप पंजाब में नवीन जागरण की ओ लहर दौड़ी, उसमें हिन्दी में पुनर्जावन आ गया और उसने पंजाबी और उर्दू के साथ मिलकर आगे बढ़ना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्नीसवीं शती के हिन्दी-उर्दू-विवाद में भी उन्होंने हिन्दी का अमकर समर्थन किया।

भूदेव मुखर्जी की सेवाएँ भी हिन्दी जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बिहार में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों के प्रचलन तथा वहाँ की अदानतो में हिन्दी नागरी के प्रवेश का बहुत कुछ श्रेय मुखर्जी साहब को ही है। आप हिन्दी के बङ्गर समर्थक तो थे ही, साथ ही आपका यह दृढ़ विश्वास था कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो अखिल देशीय सम्पर्क भाषा होने की पूर्ण क्षमता रखती है। अपनी इस धारणा का अनुमोदन मुखर्जी साहब ने अपनी पुस्तक 'आचार प्रबन्ध' में बड़े प्रभावशाली ढंग से किया है।

ब्रह्म समाज के अन्यतम नेता केशव चन्द्र सेन भी हिन्दी के प्रबल समर्थकों में से थे। सन् 1875 के 'सुलभ समाचार' के अंक में केशव बाबू ने हिन्दी को भारत की सर्वाधिक प्रचलित भाषा स्वीकार किया, साथ ही उसे भारत की एकता के लिए परमावश्यक बतलाया। इन्हीं की प्रेरणास्वरूप महर्षि दयानन्द ने भी हिन्दी में व्याख्यान देना प्रारम्भ किया और हिन्दी में 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना की।

## प्रार्थनासमाज

उन्नीसवीं शताब्दी में उदीयमान हिन्दी को प्रोत्साहन देने वाली धार्मिक व सामाजिक समस्याओं में प्रार्थना समाज भी एक है। इस संस्था का उदय सन् 1867 में बम्बई में उन्हीं उद्देश्यों को लेकर हुआ, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कलकत्ते में 'ब्रह्मसमाज' की स्थापना हुई थी। एकेश्वरवाद का प्रचार तथा तत्कालीन भारतीय समाज में पाई जाने वाली बुरीतियों को दूर कर उसे स्वस्थ रूप प्रदान करना इस संस्था का अन्यतम उद्देश्य था। 'प्रार्थनासमाज' की स्थापना से पूर्व सन् 1949 में महाराष्ट्र में 'परमहंस समाज' की स्थापना हुई थी, किन्तु इसे वांछित सफलता नहीं मिल सकी। बाद में चलकर श्री केशवचन्द्र सेन के बम्बई आगमन पर इस संस्था तथा इसके नेताओं को बड़ा बल मिला। श्री सेन के व्यक्तित्व एवं ओजस्वी भाषणों का यहाँ के शिक्षित लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अब क्या था, पहले से ही विद्यमान सामाजिक चेतना को सुनिश्चित मार्ग मिल गया, समाज सुधार सम्बन्धी आन्दोलन की गति तेज हो गई। इस नवीन आन्दोलन के फलस्वरूप 'परमहंस समाज', 'प्रार्थनासमाज' के रूप में बदल गई। श्री डी० एन० बनर्जी ने लिखा है

'वस्तुतः प्रार्थना समाज पर केशव चन्द्र सेन के धर्मगुरुत्व की छाप लगी है, क्योंकि उन्होंने ही विचारशील लोगों का ध्यान धर्म की उदार बनाने और उन लोगों में सुधार के लिये उत्साह भरने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो अधरीति रिवाज, जात-पात और पड़ा पुरोहिती में विश्वास रखते थे।'<sup>17</sup>

प्रार्थनासमाज के नेताओं में महादेव गोविंद रानडे, नारायण चंदावरकर, आर० जी० भंडारकर बड़े लोकप्रिय रहे हैं। हिंदू धर्म में आमूल सुधार, अछूतोंद्वारा, जात-पात के सड़न, स्त्रीशिक्षा, विधवा विवाह आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह संस्था विशेष प्रयत्नशील रही। इसने अनेक अनाथालयों, कन्या पाठशालाओं, विधवाश्रमों की स्थापना की। आधुनिक शिक्षा के प्रचार एवं राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में इन संस्थाओं की आशाशील सफलता मिली। यद्यपि क्रियात्मक रूप से हिंदी भाषा के विकास में इसका कोई विशेष योगदान तो नहीं रहा, फिर भी साप्ताहिक प्रवचनों आदि के माध्यम से यत्न-न्तव्व हिंदी का प्रचार अवश्य हुआ। संस्था के प्रमुख नेता महादेव गोविंद रानडे के मजग विचारों का तत्कालीन हिन्दी-साहित्य पर अक्षुण्ण प्रभाव पड़ा।

## आर्यसमाज

उन्नीसवीं शताब्दी में होने वाले धार्मिक व सामाजिक आदोलनों में आर्य समाज का सर्वोपरि स्थान है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती न वैदिक धर्म, सम्प्रदाय एवं संस्कृति के प्रचारार्थ सन 1875 में बंबई में इंग्लिश मसजिद की स्थापना की। इसकी स्थापना से हिंदी को अपूर्व बल मिला। आर्य समाज के पूर्व ब्रह्मसमाज के दो प्रसिद्ध गमाज सुधारक राजा राममोहन राय तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार की दृष्टि से अतीव महत्वपूर्ण कार्य किये थे। किंतु इनका प्रचार क्षेत्र मुख्यतः बंगाल ही रहा। ब्रह्मसमाज के द्वारा जो सामाजिक प्रगति हुई, उसका प्रभाव जन साधारण के जीवन की अपेक्षा शिक्षित समुदाय पर ही अधिक पड़ा। यद्यपि ब्रह्मसमाज ने अंग्रेज भारतीय संपर्क भाषा हिंदी को भी महत्व दिया, फिर भी उसकी अधिकांश कार्यवाही अंग्रेजी में हुआ करती थी। उसका बौद्धिक स्तर भी काफी ऊंचा था। यही कारण था कि उसने प्रचार में वह व्यापकता न आ पायी, जो आगे चलकर आर्य समाज में देखी गयी।

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं में आर्य समाज ही वह सर्वप्रथम संस्था है जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेश एवं स्वराज्य का व्यापक आदोलन किया। उसके द्वारा स्वभाषा के लिये किया गया आदोलन राजभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण बड़ी सिद्ध हुआ है। आर्य समाज का सारा कार्य हिंदी में ही होता था। इसके अनुयायी हिंदी को 'आर्यभाषा' के नाम से पुकारते थे। आर्यसमाज के 28 नियमों में से पाँचवें के अनुसार समाज सदस्यों के लिये 'आर्यभाषा' का ज्ञान अनिवार्य था। दयानंद जी के वैदिक धर्म रक्षा एवं समाज सुधार मंत्रों को भी उपदेश हुआ करते थे, उनका जन सामान्य से सीधा संबंध रहता था तथा उपदेशों की वाणी जन साधारण की वाणी (हिंदी) हुआ करती थी। स्वामी जी की इस व्यावहारिक सूझबूझ का ही यह परिणाम था कि आर्यसमाज को अखिल भारतीय व्यापकता प्राप्त हुई और भारत के छोटे-से-छोटे नगरों, यहाँ तक कि कहीं-कहीं ग्रामीण अंचलों में भी आर्यसमाज की छोटी-बड़ी विविध शाखाएँ स्थापित हो गयीं। प्रातीयता, जातीयता, वर्ग आदि सीमाओं को लाघकर जहाँ कहीं भी आर्यसमाज की स्थापना हुई, वही हिंदी प्रेम उमड़ पड़ा। हजारों नर-नारी इसके सदस्य बन और उन्होंने हिंदी को अपना कठहार बनाया।

आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संगों तथा वार्षिक अधिवेशनों आदि में सारा-सा-सा कार्य हिंदी में ही होता था। हिंदी प्रचार के लिये उसने हिंदी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, हिंदी सम्मेलनों का आयोजन एवं हिंदी माध्यम से कुछ धार्मिक परीक्षाओं का संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये। आर्य समाज द्वारा उत्तर भारत, विशेषतः पंजाब में हिंदी का सर्वप्रथम अधिक व्यापक रूप में

विया गया।<sup>13</sup>

हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने में भी आर्य समाज अग्रणी रहा है। राजकीय विद्यालयों पर निर्भर न रहकर इसने पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार आदि प्रांतों में संबन्धों शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया। इन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम प्रायः हिंदी ही रहती थी, जिससे हिंदी को स्वतंत्र फूलने-फलने का सुअयमर प्राप्त हुआ। इस विषय में श्री इन्द्रविद्यावाचस्पति का कथन है कि :

‘आगे चलकर भी राष्ट्रभाषा-मवर्धन के मैदान में आर्य समाज अग्रणी बना

भी मिल गयी।<sup>14</sup>

आर्य समाज को सबसे अधिक सफलता यदि किसी क्षेत्र में मिली तो वह नारी-शिक्षा-जगत। स्त्रियों को सामाजिक दशा सुधारने तथा उनमें आत्म-गौरव की भावना जगाने के उद्देश्य से आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया और इसके लिये एक व्यापक आंदोलन चलाया।<sup>15</sup> फलस्वरूप समस्त भारत में स्त्री शिक्षा की पक्की नींव पड़ी। स्त्री शिक्षा को सारारूप प्रदान करने के लिये इस संस्था की तरफ से विविध कन्या पाठशालाओं, गुरुकुलों एवं महिला विद्यालयों की स्थापना की गयी। इन शिक्षण संस्थाओं में हिंदी अनिवार्य विषय तो थी ही, साथ ही समस्त विषयों की शिक्षा इसी के माध्यम में दी जाती थी। शिक्षण-संस्थाओं की इस व्यवस्था के फलस्वरूप नारी जगत में हिंदी के विस्तृत प्रचार का अभूतपूर्व कार्य हुआ।

हिंदी प्रचार के क्षेत्र में आर्य समाज द्वारा संपादित पत्र-पत्रिकाओं का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अपने विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आर्य समाज ने हिंदी के शताधिक पत्र-पत्रिकाओं एवं छोटी-मोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन कराया। प्रथमतः इसकी पत्रिकाएँ साप्ताहिक एवं मासिक हुआ करती थी, किंतु बाद में चलकर (बीसवीं शती के प्रथम चरण में) इस संस्था के द्वारा दैनिक हिंदी समाचार पत्र भी प्रकाशित होने लगे। इन समाचार पत्रों एवं पत्र-पत्रिकाओं द्वारा अपेक्षाकृत हिंदी का विशेष प्रचार एवं प्रसार हुआ।<sup>16</sup>

आर्य समाज ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी धर्म-प्रचार के साथ हिंदी का प्रचार किया।<sup>17</sup> विदेशों में आर्य समाज के कार्यों का सबसे व्यापक क्षेत्र अफ्रीका रहा। अफ्रीका के विविध प्रदेशों में आर्य समाज द्वारा हिंदी तथा संस्कृत के अध्ययन के लिये अनेक विद्यालय भी खोले गये। केनिया, टांगानिया, उच्चगायन, ब्रिटिश गायना, फीजी, मारिशस, लंदन आदि में आर्य

समाज ने हिंदी प्रचार का स्तुत्य कार्य किया।

उन्नीसवीं शती के मध्य एक ओर ईसाई पादरियो ने आर्यसमाज से दानुता का साज सजाया था तो दूसरी ओर अपने को सनातनधर्मी कहलाने वाले हिंदू बड़ी कट्टरता के साथ इसका विरोध किया करते थे। फनस्वरूप विविध धर्मावलंबियों से आर्यसमाज के नेताओं का अनसर वाद-विवाद हुआ करता था, जिसमें एक दूसरे के सिद्धांतों के खडन एव अपने सिद्धांतों के मडन की प्रवृत्ति जलपस्क रहा करती थी। कहना न होगा कि यह वाद-विवाद अथवा सास्त्रार्थ हिंदी माध्यम न ही सम्पन्न होता था। अतः खडन-मडन की इस प्रक्रिया से हिंदी-आंदोलन को बढ़ावा ही मिला।

आर्यसमाज के जिन नेताओं ने हिंदी की अमूल्य सेवा की उनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का स्थान सर्वोपरि है। स्वामी जी के अतिरिक्त श्री भीमसेन शर्मा<sup>23</sup>, भाई परमानंद<sup>24</sup>, महारामा हसराम<sup>25</sup>, लाला लाजपत राय<sup>26</sup>, स्वामी धरुदानंद<sup>27</sup>, पंडित पद्मसिंह शर्मा, श्री इंद्र विद्यावाचस्पति का नाम बड़े आदर के साथ लिया जा सकता है। इन सभी नेताओं ने अखिल देशीय स्तर पर भाषा हिंदी के सर्वांगीण विकास के लिये अथक प्रयास किया। हिंदी प्रचार के कार्य में स्वामी

में मंडित है।

### स्वामी दयानंद सरस्वती

आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद (सन 1824-1883 ई०) संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। गुजरात प्रदेश के निवासी होने के नाते स्वामी जी का अपनी मातृभाषा गुजराती पर भी अमाधारण अधिकार था। प्रथमतः स्वामी जी ने मत-प्रचार एव साहित्य का माध्यम संस्कृत थी, किंतु बाद में चलकर ब्रह्म समाज के नेता श्री नेशचंद्र सेन के आग्रह पर स्वामी दयानंद ने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया।<sup>28</sup> स्वामी जी के समय प्रचलित हिंदू धर्म तथा सच्चे वैदिक धर्म के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई थी। इस खाई को पाटकर, हिंदू समाज एव कर्मकांड की विकृतियों को दूर कर एव विस्तृत ठोस पट पर भूमि पर स्वामी जी ने आर्य समाज की नींव डाली। आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचारार्थ अधिल देस का भ्रमण करते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से देस के किसी कोने में आर्यसमाज का संदेश सुनाया जा सकता है। हिंदी के इस सत्य स्वरूप के दर्शन के पश्चात् स्वामी जी ने यह घोषणा

की कि प्रत्येक आर्य समाजी को हिंदी की जानकारी रखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, आर्य समाज का सारा काम हिंदी में होना चाहिए और इसका समस्त साहित्य भी, क्योंकि हिंदी ही 'आर्यभाषा' (अखिल देश की भाषा) है।

वस्तुतः जिन आंतरिक प्रेरणाओं एवं मित्रताओं के सहारे चलकर महात्मा बुद्ध एवं स्वामी महावीर ने संस्कृत के स्थान पर लोकभाषा पालि तथा अर्ध-भागधी को अपनी वाणी का परिधान बनाया, कुछ उसी प्रकार की प्रेरणा, कुछ वैसी ही विचारधारा से अनुप्राणित होकर महर्षि दयानंद ने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम चुना। जिस प्रकार बलनभाचार्य आदि आचार्यों एवं वृष्ण भक्तों द्वारा अपनायी जाने पर संपूर्ण भारत में ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा हुई, उसी प्रकार जन-जागृति तथा आर्य धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद तथा उनके अनुयायियों द्वारा अपनायी जाने पर हिंदी (खड़ी बोली) के सर्वांगीण विकास का पथ प्रदर्शित हुआ।<sup>19</sup> इतना ही नहीं, 'उस परोक्षदर्शी महर्षि ने लोक को उपदेश का साधन बनाकर न केवल अपने मिशन को लोकप्रिय और व्यापक बना दिया, भविष्य में राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनने वाली आर्यभाषा को पुष्टि देकर राष्ट्र के स्वाधीनता-भवन की दृढ़ बुनियाद भी रख दी।'<sup>20</sup> सर्वप्रथम स्वामी जी ने ही देश के समस्त स्वराज्य के इस मूलमंत्र का उद्घोष किया—'बोई कितना ही बरे परनु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है।'<sup>21</sup>

स्वामी जी का हिंदी के प्रति अपूर्व अनुराग था। उनका अद्वितीय वैदिक ज्ञान, प्रबल सुधारवादी ओजस्वी व्यक्तित्व तथा हिंदी के प्रति असाधारण उदारता आदि के द्वारा हिंदी को जो प्रोत्साहन मिला, वह हिंदी भाषा तथा साहित्य के इतिहास में अनुलनीय है। उन्होंने मन, वाणी और कर्म से हिंदी की जो सेवा की, उसमें हिंदी को एक नई गति, एक नई चेतना तथा एक नया स्पंदन व कपन के साथ नव जीवन मिला। उसमें व्यापकता आई और सबसे बढ़कर उसे लोकप्रियता प्राप्त हुई। एक बार एक भक्त द्वारा स्वामी जी के समस्त ग्रंथों का अनुवाद करने की अनुमति मागने पर स्वामी जी के हृद् तंत्री से जो ध्वन्यात्मक प्रवाह फूटा, उससे उनका हिंदी-प्रेम तथा उसके प्रति सजीये हुए सुमधुर स्नेहिल स्वप्न साकार हो उठे। अपने प्रिय भक्त को स्वामी जी ने इन शब्दों से संबोधित किया

'भाई, मेरी आत्मा तो उस दिन को देखने के लिए तरस रही है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा की समझने और बोलने लग जायेंगे। जिन्हें सचमुच मेरे भावों के जानने की इच्छा होगी वे इस आर्य भाषा को सीखना अपना कर्त्तव्य समझेंगे। अनुवाद तो विदेशियों के लिए हुआ करते हैं।'<sup>22</sup>

## थियोसोफिकल सोसाइटी

जिन धार्मिक तथा सामाजिक आंदोलनों का भारतीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, उनमें थियोसोफिकल सोसाइटी एक है। इस सोसाइटी की स्थापना 'विरव-बधुत्व' की भाव शिला पर सन 1875 ई० में अमरीका में हुई। इसके सस्थापक मदाम ब्लाएत्स्की तथा कनैल आनकोट भारतीय दर्शन तथा सस्कृति एवं तत्वात्मीन भारतीय धार्मिक आंदोलनों से विशेष प्रभावित थे। इन्होंने सन 1879 में सोसाइटी का केन्द्रीय कार्यालय बर्बई में स्थापित किया। तत्पश्चात् सन 1888 ई० में सोसाइटी का प्रधान अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय अड्यार (मद्रास) में तथा राष्ट्रीय कार्यालय काशी में स्थापित हुआ। तत्कालीन आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज के इस सन्ध्या के सिद्धांतों, उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली में काफी समानता थी। फिर भी इस सोसाइटी पर आर्य समाज की प्रमुखतः स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ी। इस सोसाइटी ने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया। प्रथमतः इसे भारत में यथेष्ट सफलता न मिली। किंतु आगे चलकर सन 1893 में जय श्रीमती एनीबेसैंट ने इस सन्ध्या के सिद्धांतों का प्रचार-कार्य अपने हाथ में लिया, तब संपूर्ण देश में इसका प्रभाव लक्षित होने लगा। अनेकानेक शिक्षित भारतीय इसकी ओर आकर्षित हुए।

शिक्षा के क्षेत्र में इस सन्ध्या ने स्तुत्य कार्य किए। श्रीमती एनीबेसैंट ने सन 1898 में काशी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। इस शिक्षण मन्ध्या में धार्मिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। इसके पश्चात् सेंट्रल हिंदू कालेज तथा हिंदू बालिका विद्यालय की भी स्थापना की गयी। सोसाइटी ने दक्षिण भारत में भी विविध शिक्षण सन्ध्याओं की स्थापना की। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में सोसाइटी तथा उसके अनुयायियों द्वारा बहुत सी शिक्षण सन्ध्याओं, विद्यालयों एवं कालजों की स्थापना की गई। सोसाइटी की इन शिक्षण सन्ध्याओं में धार्मिक शिक्षा के साथ भारतीयता, भारतीय सस्कृति तथा भारतीय भाषाओं पर विशेष बल दिया जाता था। इससे शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी को पनपने का अच्छा अवसर मिला। सोसाइटी का यह विश्वास था कि भारत अपनी सस्कृति के आधार पर ही उन्नत हो सकता है। इसकी प्रेरणा से मुशिक्षित भारतीय अपनी प्राचीन सन्ध्या तथा सस्कृति को गौरव की दृष्टि से देखने लगे थे। इस सदमं में डा० राधाकृष्णनन का यह वचन द्रष्टव्य है

'ऐसे समय में जब राजनीतिक असफलताओं के कारण सभी ओर अधकार छा गया था और भारत के लोग अपनी सस्कृति के मूल तत्वों में सदेह करने लगे थे, थियोसोफिकल आंदोलन ने उन मूल तत्वों में लोगों की आस्था पुनः दृढ़ करके राष्ट्र की महान सेवा की।'<sup>22</sup>

वियोसोफिकन सोसाइटी का राष्ट्रीय कार्यालय काशी में होने के कारण सोसाइटी आरम्भ में ही शिक्षा और प्रकाशन के काम में हिंदी का यथेष्ट स्थान देती रही। वह अपने सिद्धांतों के प्रचाराय जिस किसी भी साहित्य का प्रकाशन करती थी, वह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी होता था।

सोसाइटी द्वारा हिंदी की ओर मोर्चा हुआ उसका बहुत कुछ श्रेय श्रीमती एनी-वसेण्ट को है। श्रीमती एनी-वसेण्ट भारतीय सभ्यता, दर्शन तथा चिन्तन से विशेष प्रभावित थी। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारत की उन्नति इसके सांस्कृतिक धारणाओं पर ही चलकर की जा सकती है। भारत में उन्हें सच्चा प्रेम था। उनके हृदय में भारतीयता के प्रति गहरी सज्जना थी तथा स्वाधीनता सघर्ष के साथ उनका हार्दिक लगाव था। उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं के साथ राष्ट्र भाषा हिंदी का सदैव ध्यान रखा और समर्थन किया। सन 1918 से 1921 के मध्य उन्होंने गांधीजी के साथ दक्षिण भारत में घूम घूम कर हिंदी का व्यापक प्रचार किया। वे हिंदी प्रचार को राष्ट्रीयता का अभिन्न अंग मानती थी। उनके विचार से सारे देश की एकता के लिए हिंदी का ज्ञान अपेक्षित था। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'नेशन विंदिंग' में हिंदी के प्रति उनके मरस उद्गार इन शब्दों में फूट चके हैं

भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएँ बोली जाती हैं उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सभी भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे ज्यादा है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारत में यात्रा कर सकता है और उस हर जगह हिंदी बोलने वाला मनुष्य मिल सकते हैं। हिंदी सीखने का वाय ऐसा त्याग है जिसे दक्षिण भारत के निवासियों को राष्ट्र की एकता के हित में करना चाहिये।<sup>24</sup>

इतना ही नहीं मद्रास में हुए हिंदी सम्मेलन (सन 1928) का अपना सदेश मजबूत हुए श्रीमती एनी-वसेण्ट ने हिंदी के प्रति अपना पूर्ण विश्वास निम्नांकित शब्दों में प्रकट किया था I do hope to see that Hindi becomes the common language of India and I do think that the teaching of Hindi should be made compulsory in Indian schools instead of the compulsory knowledge of English if you can not have both.<sup>25</sup>

### राजनीतिक समस्याएँ

उत्तरीय शताब्दी में हुए धार्मिक व सामाजिक आन्दोलन के गर्भ में शिक्षित भारतीयों के मध्य राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। इस चेतनागत में अंग्रेजों की शोषण सवधी कृत्नीति ने भी का काम किया। फलस्वरूप राजनीतिक चेतना की जो दीपशिला सवप्रथम बंगाल में प्रज्वलित हुई वह भवक उर्ध्व और आगे



चलकर उसने भारतीय अतस्थल में सलवली मचा दी। समस्त देश सजग हो उठा। इस चेतना के अधुष्ण प्रकाश में उमने 'स्वाधीनता-प्राप्ति' अपना लक्ष्य निर्धारित किया। इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए समयानुबलु एकाधिक राजनीतिक सस्थाओ की स्थापना हुई, जिनमें 'अखिल भारतीय काग्रेस' सर्वोपरि थी। इस सस्था की अपने महान उद्देश्य की पूर्ति में अपूर्व सफलता भी मिली।

काग्रेस के उदय के पूर्व देश में छोटे-बडे कुछ ऐसे सगठन भी थे, जिनका उद्देश्य शिक्षित वर्ग को सगठित करके शासन में सुधार लाना था। इम प्रकार का सबसे प्राचीन सगठन 'ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' था, जिसकी स्थापना सन् 1851 में बलकत्ते में हुई थी। सन् 1876 में कलकत्ते में ही 'इंडियन एसोसिएशन' नामक एक अन्य सस्था की स्थापना हुई। यह सस्था अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय तथा सतर्क थी। इसका उद्देश्य सिर्फ शासन-सुधार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीयता संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गभीरता किंतु काफी स्पष्टता के साथ विचार विनिमय करना तथा उनके व्यावहारिक पक्ष पर सोचना विचारना भी था। इसके प्रमुख नेता श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में सन् 1883 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय चेतना की बाहिनी एक सस्था की स्थापना पर काफी बल दिया गया। सन् 1880 में दादा भाई नौरोजी एवं उनके अनुयायियों के सस्योग से बंबई में 'बंबई एसोसिएशन' नामक एक नवीन सस्था का उदय हुआ। यह सस्था भी 'इंडियन एसोसिएशन' के उद्देश्यों को लेकर उदित हुई थी। इसके पश्चान 'मद्रास नेटिव एसोसिएशन' तथा 'पूना की सार्वजनिक सभा (महाजन सभा) जैसी राजनीतिक सस्थाएं प्रकाश में आयीं। ये सस्थाएं भी अपनी पूर्वजाओं के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों से अनुप्राणित थीं।

अखिल भारतीय काग्रेस के पूर्व उदित होने वाली इन राजनीतिक सस्थाओं का मूल्यांकन करते हुए श्री जे० नटराजन ने लिखा है कि इन सस्थाओं ने ही सन् 1885 में काग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इन्हीं के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उत्तरी-पश्चिमी भारत का सन् 1878-79 में विस्तृत दौरा किया और छ वर्ष बाद एक अखिल भारतीय सस्था के लिए भूमि तैयार की।<sup>99</sup>

### अखिल भारतीय काग्रेस

उपर्युक्त सस्थाओं की स्थापना ही इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि उन्नीसवीं शती के अन्तिम चरण तक आते-आते देश में राष्ट्रीय जागृति गाकार हो उठी थी तथा अखिल भारतीय स्तर पर सगठन विशेष की स्थापना का विचार भारतीयों के मस्तिष्क में दृढ़ हो चुका था। यह सयाग की ही बात कही जाएगी कि इस अमूर्त विचार का मूर्तरूप देने का श्रेय श्री एडन आस्ट्रेलियन ह्यूम नामक एक अंग्रेज सज्जन को मिला। श्री ह्यूम ने सन् 1884 में 'इंडियन नेशनल यूनियन'

नाम से एव राजनीतिक सस्था की स्थापना की, जिसका प्रथमत उद्देश्य भारत मे राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्तियों को मगठित करना था। दिसम्बर 1885 मे इस सस्था का अधिवेशन बम्बई मे हुआ, जिसमे इसका नाम बदलकर 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' कर दिया गया। घोर घोर कांग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि सस्था बन गयी और आगे चलकर तो इसने विशुद्ध रूप से भारत की एक मात्र राजनीतिक सस्था का रूप धारण कर लिया। इस विषय मे डा० शितिकठ मिश्र का कथन द्रष्टव्य है

'सन् 1885 ई० हरिश्चन्द्र की मृत्यु के साल ही कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रताप नारायण मिश्र ने इसे साक्षात् दुर्गा का अवतार माना, क्योंकि देश हितैषी प्रवृत्ति के लोगो की स्नह शक्ति से यह आविर्भूत हुई थी।'<sup>37</sup>

और स्वदेशानुरागी चौधरी प्रेमचन्द ने लिखा

'नीके भारत के दिन आये, नेशनल कांग्रेस अब होय।

आगे भाग राजरूपि आये, लाटरियन छल खोय ॥'<sup>38</sup>

प्रारम्भ मे (सन् 1905 तक) कांग्रेस के नेताओ ने अपने उदारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया तथा अंग्रेजो की न्यायप्रियता मे पूर्ण आस्था दिखायी। किन्तु शासको की दृष्टि मे उनकी उदारता एव आस्था का कुछ भी मूल्य न रहा। फल-स्वरूप बीसवीं शती के प्रथम दशक मे ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन मे नयी प्रवृत्तियो ने जन्म लिया। अब कांग्रेस मे दो दल हो गये—एक नरम और दूसरा गरम। एव का नेतृत्व श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने सम्भाला और दूसरे का श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। उस समय महाराष्ट्र, बंगाल तथा पंजाब आदि प्रदेश उग्र राष्ट्रीय आंदोलन के प्रबल समर्थक सिद्ध हुए। स्वदेशी वस्तुओ के उपयोग और विदेशी के बहिष्कार की भावना प्रबल हो उठी। शिक्षा के क्षेत्र मे राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीयकरण की भावना ने 'स्वराज्य' की अभिलाषा को और उत्कट बना दिया। सन् 1906 से सन् 1918 के बीच कांग्रेस की नीति स्वराज्य के मार्ग पर क्रमशः बदती गयी।

देश मे हो रहे इस राष्ट्रीय आंदोलन से भारत का समस्त वातावरण राष्ट्रीयतामय हो उठा। सर्वत्र देशीदार के साथ राष्ट्रीयता की घूम मच गई। अब कवियो एव साहित्यकारो ने सशक्त हाथो मे लेखनी उठाई और वे देश के अतीत गौरव के साथ मातृभूमि की महानता के गीत गाने लगे। साहित्य ही नहीं, समाज मे भी वीर रम की धारा फूट चली। 'यदि धर्म रक्षा इष्ट है तो मान पर मरते रहो, सडत रहो सकट सहो पर देश दुख हरते रहो' की भावधारा मे राष्ट्र हृदय डूबने और उतरने लगा।

दक्षिणी अफ्रीका से स्वदेश लौटने के बाद गांधी जी ने भी देश की राजनीति मे हाथ बटाया। उन्होने एव और गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और

दूसरी ओर तिलक के स्वराज्य मत का बुलंद आवाज म दोहराया। उन्होंने कहा— 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही नहीं, वसंतव्य भी है।'<sup>9</sup> सन् 1920 में श्री लोकमान्य तिलक के स्वर्गवास के बाद गांधीजी ने देश का नेतृत्व अपने हाथों में लिया—नम्रता से, किंतु दृढ़ता से। सन् 1919 का रोडट ऐक्ट बनाये जाने के विरोध में पंजाब के जलियावाले बाग में नर-नारियों की एक विशाल सभा हुई, जहाँ पर सरकार द्वारा भीषण नरमहार का अमानवीय दृश्य प्रस्तुत किया गया। इस हत्याकांड ने फलस्वरूप देश के बौने-बौने में क्षोभ की सहर दीड गई। गांधी जी की आत्मा चीख पड़ी। उन्होंने अंग्रेजी शासन का 'शैतानी शासन' की सज्ञा दी और उसे उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प लिया। किंतु उनकी कार्य शैली हिंसात्मक नहीं, बल्कि सत्य व अहिंसा के रूप में दुनिया के सामने प्रकट हुई।<sup>10</sup> गांधीजी म गोखले की सौजन्यता व नम्रता थी और तिलक की उग्रता व तीव्रता भी। एक प्रचार से वे दोनों के ही उत्तराधिकारी बने और देश को एक नए मार्ग पर ले चले।

गांधीजी ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध एक अहिंसात्मक युद्ध की घोषणा कर दी। सारे देश म असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन तथा महान् राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर सर्वत्र गांधीजी का प्रभाव छा गया। मब जगह 'सत्याग्रह' जैसे अहिंसात्मक अस्त्र का अमिट प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। सन् 1930 में उमने 'नमक सत्याग्रह' और दंडीकूच का रूप धारण किया। सन् 1940 म 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' और फिर अगस्त सन् 1942 म तो 'भारत छोड़ो' नारे के साथ उस 'खुला बलवा' की सज्ञा मिली। 'बगो या मरो' के मंत्र स भारत की सपूर्ण दिशाएँ गूँज उठी। फलस्वरूप 15 अगस्त सन् 1947 को अंग्रेजी न ही 'यूनियन जैक' को स्वयं उतारकर 'वायम रीगल लाज' पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा पहना दिया। इस प्रकार सर्वप्रथम भारत ने दुनिया के इतिहास म बेमिसाल उदाहरण पेश किया और वह था एक अपूर्व शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध अहिंसक युद्ध द्वारा भारत की स्वाधीनता प्राप्ति।

### अखिल भारतीय कांग्रेस और हिंदी

राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेताओं पर गांधीजी के अप्रतिहत ब्यक्तित्व की अमिट छाप थी। इसलिए कांग्रेस की भाषा नीति गांधी जी की भाषा नीति से सदैव अनुप्राणित रहा करती थी। गांधी जी का हिंदी प्रेम स्वयं हिंदी सीख लेने और दूसरों को हिंदी पढ़ने का परामर्श देने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इनके हिंदी-प्रेम की सीमा सुदूर दक्षिण भारत के अहिंदी भाषी प्रांतों म हिंदी प्रचार तक विस्तृत थी। हिंदी प्रचार एवं अहिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी पढ़ाने की समुचित व्यवस्था करना उनके सार्वजनिक जीवन का स्थायी कार्यक्रम बन चुका था। गांधी

जी के भाषा सबधी इन सैद्धांतिक एवं तदनुसूचित व्यावहारिक पहलुओं का कांग्रेस का प्रभावित होना कम स्वाभाविक न था। फलस्वरूप हिंदी का प्रचार-प्रसार करना देश की राजनीति का अभिन्न अंग बन गया।

जिस समय कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आया, उस समय कांग्रेस में अधिकतर अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगो का ही बोलबाला था। इतना ही नहीं, इस सस्या का प्रायः सभी कार्य अंग्रेजी के माध्यम में ही संपन्न होता था। किंतु गांधी जी के आगमन में अंग्रेजी का जमा हुआ सिक्का उलट गया। भाषा स्थिति ने नया मोड़ लिया। कांग्रेस के अधिवेशनो में हिंदी के प्रयोग जैसे प्रातिहारि प्रस्ताव पर सभी नेताओं ने सहमति प्रकट की। गांधी जी के प्रयत्नो के फलस्वरूप कानपुर में होने वाले कांग्रेस के चालीसवें अधिवेशन (सन् 1925) में हिंदी सबधी निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया

‘कांग्रेस की यह सभा प्रस्ताव पास करती है कि कांग्रेस, अतिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, और क्विंग कमेटी की कार्रवाई आमतौर पर हिंदुस्तानी में चलेगी। अगर कोई घटना हिंदुस्तानी में जानना हो या दूररी आवश्यकता पडने पर अंग्रेजी या प्रांतीय भाषा दस्तमाल की जा सकती है। प्रांतीय कमेटियो की कार्रवाई आमतौर पर प्रांतीय भाषाओं में चलेगी। हिंदुस्तानी भी दस्तमाल की जा सकती है।’

कांग्रेस जैसी राजनीतिक मस्या के द्वारा इस प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय लेना हिंदी के व्यापक प्रचार के लिए एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। अब हिंदी भाषी कार्यकर्त्ता और ऐसे अहिंदी भाषी भी जा हिंदी जानते रहे, मुन्नकठ से हिंदी में भाषण देन लगे। इस मदमें मैं जो सबसे महत्व की बात हुई, वह यह थी कि कांग्रेस के अधिवेशनो का विवरण, जो अभी तक सिर्फ अंग्रेजी में ही तैयार तथा प्रकाशित होता था अब हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होने लगा।

सन् 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन फैजपुर में हुआ। कांग्रेस अधिवेशन के विनाल महप में 28 दिसंबर सन् 1936 को डा० राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ‘राष्ट्रभाषा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी, पुरुषोत्तमदास टंडन, काना साहब कालेलकर, प० जवाहरलाल नेहरू प्रभृति समाज सेवियो ने भाग लिया। सम्मेलन के मध्य सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें यह कहा गया था कि देश का अंतरादेशिक कार्य राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा ही होना उचित तथा हितकर है। अंतरादेशिक कार्यो में अंग्रेजी भाषा का व्यवहार हमारे गौरव के विपरीत और राष्ट्रीय भावा की जागृति तथा उनके प्रचार के लिए हानिकारक है। इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशनो में हिंदी का प्रबल समर्थन होता रहा। कांग्रेस के मंच से इस नीति का कभी भी जाने अज्ञाने विरोध नहीं हुआ। अतः हिंदी की राजनीतिक स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती गई।

आगे चलकर सन् 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस की बहुत बड़ी विजय हुई।

उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्यप्रदेश एवं बर्मा इन छः प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमण्डल बना। इसमें हिंदी को असाधारण बढ़ावा मिला। अब प्रांतीय विधान-सभाओं और राजनीतिक क्षेत्रों में हिंदी को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। पत्र-स्वरूप पुगने हिंदी पत्रों को प्रोत्साहन मिला और विविध नई परिचाए प्रकाशित हुईं। इन प्रांतीय सरकारों ने अपने-अपने प्रांतों के विधानसभों में हिंदी को प्रवेश दिलाया।

राजनीतिक आंदोलन में बसू और मू र्जना गनिष्ठ संबध रहने के कारण हिंदी का प्रभाव तथा प्रचार दोनों दिनों-दिन व्यापक होना गया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने अहिंदी भाषी प्रांतों में इसका गिर्क प्रचार ही नहीं किया, अतितु इस राजनीतिक सस्या के सहयोग में हिंदी की सर्वांगीण उन्नति भी हुई। राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रगति की सक्षिप्त, तितु यद्यप्यं की टोग भूमि पर गतिमीन रूपरेखा खींचते हुए प० तिसोरी दाग वाजोपेयी ने निरता है

'सन् 1901 से 1910 तक जो राष्ट्रभाषा की प्रगति हुई थी, उसमें अत्यधिक प्रेरणा राजनीतिक आन्दोलन से मिली थी। 1910 में 1920 तक फिर हिंदी की प्रगति बड़े वेग से हुई जो उगी जागरण का फल थी। 1921 से 23-24 तक महारमा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चला। इसमें तो राष्ट्रभाषा की नीव पताल तक चली गई और उस नीव पर अन्य प्रागाद की आधी इमारत भी गड़ी हो गई। फिर 1924 में 1930 तक का राष्ट्रभाषा का प्रचार विद्युत वेग से देश में हुआ। 1931-34 के राष्ट्रीय आन्दोलन ने एक बार राष्ट्रभाषा की भावना में दक्षिण भर दी। 1942 से 44 तक जो राष्ट्रीय सघर्ष चला, उसमें राष्ट्रभाषा का प्रवाह अत्यधिक वेगवान हो गया। अत्र तर भारत का कोई भी प्रदेश राष्ट्रभाषा से शून्य न रहा था।'<sup>12</sup>

कांग्रेस के सभी नेताओं ने हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और इसे राजभाषा बनाने की भूमिका तैयार करते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए यथानिश्चि प्रयाग भी किया। कांग्रेस के अहिंदी भाषी नेता भी इस मामले में किसी से पीछे न रहे। इस संबध में नेता सुभाषचन्द्र बोस के निम्नलिखित उद्गार श्रवणीय हैं।

'देश की एतता के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है उसमें अधिक आवश्यक है देश भर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन होना। अगर आज हिंदी भाषा मान ली गई है तो वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांत विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है।'<sup>13</sup>

## राजनीतिक नेता और हिंदी

यह एक निर्विवाद सत्य है कि हिंदी की राजनीतिक स्थिति को मुद्दुब बनाने एवं उसके सर्वांगीण विकास में जो अमूल्य योगदान राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया, उसकी तुलना भारत की किसी भी सस्था चाहे वह धार्मिक व सामाजिक रही हो, या राजनीतिक अथवा साहित्यिक, द्वारा की गई सेवाओं से नहीं की जा सकती। कांग्रेस स इतर हिंदी पर यदि सबसे अधिक ऋण किसी सस्था का है तो वह है आर्य समाज। किंतु आर्य समाज द्वारा हिंदी की जो उन्नति हुई उसका जो विकास हुआ, वह यद्यपि तत्कालीन भारतीय परिवेश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, फिर भी उनमें कांग्रेस द्वारा किए गए हिंदी के प्रचार जैसी न तो व्यापकता देखी जा सकती है, न प्रभावोत्पादकता और न स्थायित्व ही। कांग्रेस एवं उसके नेताओं द्वारा हिंदी के प्रति किया गया त्याग, प्रेम, प्रयास आदि सबका-सब अपना शानी नहीं रखते।

स्वाधीनता सघर्ष के मध्य राष्ट्रीय चेतना की लहर इस बंदर दौड़ गई थी कि कांग्रेसी नेताओं में ऐसा कोई हृदय नहीं था जो उससे प्रभावित न रहा हो। राष्ट्र-गौरव से अनुप्राणित राष्ट्रीय हृदय ने हिंदी पर दया, माया, ममता, अगाध विश्वास ही नहीं अपने जीवन की सारी की मारी मधुरिमा को भी लुटा दिया था। कांग्रेस के नेताओं और उनमें भी विशेष रूप से अहिंदी भाषी नेताओं के द्वारा हिंदी के प्रति किए गए त्याग का हिंदी जगत चिर ऋणी रहेगा। यों तो सभी राजनीतिक नेताओं ने अपने कार्यक्षेत्र में (सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक में भी चाहे जो भी रहा हो) हिंदी को प्रमुख स्थान दिया, अपना अगाध प्रेम समर्पित किया, किंतु इस सबध में गुजराती भाषी महात्मा गांधी की तपस्या, उदारता एवं उनका त्याग व प्रेम अनुपमेय है।

### महात्मा गांधी

गांधी जी के सार्वजनिक जीवन का प्रारंभिक भाग दक्षिणी अफ्रीका में व्यतीत हुआ था। सार्वजनिक जीवन की प्रथम रश्मि की इस बेला में ही उन्होंने स्वराज्य, स्वभाषा जैसे राष्ट्रीय प्रश्नों के सभी पहलुओं का सूदन अवलोकन कर लिया था। इनके प्रति उनकी एक सुदृढ़ धारणा भी बन गई थी। फलस्वरूप स्वदेश लौटने पर जहां एक सुदृढ़ और देश का गांधी के रूप में हम जैसा नीर क्षीर विवेक वाला भारतीय तथा पाश्चात्य सभ्यताओं में निहित गुणों का पारखी, कुशल समाज सुधारक, सफल राजनीतिक, व्यावहारिक आदर्शवादी, महान संगठनकारी तथा सर्वप्रिय जननेता मिला, वही दूसरी ओर गांधी को भारत मा की ममता और अखिलदेशीय संपर्क भाषा हिंदी की आत्मीयता प्राप्त हुई। अब गांधी जी राज-

देखना नामुमकिन है।

परन्तु वस्तु स्थिति तो यह थी कि गांधीजी के समय हिंदी उन सभी तथणा स पूर्ण थी जो राष्ट्रभाषा के लिए धारित है। यदि उसके पहुच के बाहर कोई क्षेत्र था तो वह था राजनीति का। यदि हिंदी के आगे प्रश्नवाचक चिन्त् वहीं लगाया जा सकता था तो वह सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से कार्य करने वाले अभ्यस्त राजकीय कर्मचारियों एवं अंग्रेजी के सहारे परस्पर विचार-विनिमय करने वाले भारतीय नेताओं को लेते हुए। वस्तुतः गांधी जी तथा उनके अनुयायी अन्य राष्ट्रीय नेताओं द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार संबंधी जो कार्य किया जा रहा था, वह हिंदी की इन्हीं राजनीतिक कमियों की पूर्ति का परिचायक था।

गांधी जी के मातृभाषा तथा भारतीय शिक्षा के माध्यम संबंधी विचारों में स्वदेशीपन की सहज अनुभूति एवं भारतीय भाषाओं के प्रति नैसर्गिक लगाव की झलक मिलती है। मातृभाषा के प्रति उनका वह लगाव, उनका वह प्यार इस वाक्य-धारा के रूप में उमड़ पड़ा है

‘‘मरी मातृभाषा में कितनी ही खामिया क्यों न हों, मैं उससे उसी तरह चिपटा रहूँगा, जिस तरह अपनी माँ की छाती से।’’<sup>50</sup>

शिक्षा के माध्यम की चर्चा करते हुए उन्होंने 2 सितंबर, सन् 1921 के ‘हिंदी नव जीवन’ में अपने मत को बड़े सशक्त शब्दों में इस प्रकार रखा

‘‘अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता ही, तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए हमारे लड़के लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूँ और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूँ।’’<sup>51</sup>

एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं ‘‘अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरान्त राष्ट्रभाषा हिंदी के लिये भी स्थान होना चाहिए।’’<sup>52</sup>

### हिंदी का प्रचार प्रसार और गांधी जी

गांधी जी स्वभाषा को स्वदेशाभिमान का आधारभूत तत्व मानते थे। स्वदेशाभिमान को स्थिर रखने के लिए हम हिंदी सीखना आवश्यक है।<sup>53</sup> इस वाक्य को न जाने उन्होंने कितनी बार दोहराया होगा। सिर्फ दोहराया ही नहीं, इसके माध्यम से मात्र दूसरों को हिंदी सीखने का उपदेश ही नहीं दिया, अपितु गुजराती होते हुए भी उन्होंने हिंदी सीखी। सार्वजनिक सभाओं, कांग्रेस की परिपदों आदि में जहाँ कहीं भी उन्हें अवसर मिलता था, वे हिंदी की महत्ता प्रदर्शित करने में नहीं चूकते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि विदेशी भाषा की गुलामी से मुक्त हुए बिना सच्ची आजादी की न तो लड़ाई ही लड़ी जा सकती है और न उसे हासिल ही किया जा सकता है। गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके अनन्य हिंदी

प्रेम का ही यह फल है कि उनसे सम्पर्क म जो कोई भी आया, चाहे वह हिंदी भाषी रहा हो या अंग्रेजी पर पूर्ण अधिकार रखने वाले मराठी भाषी श्री लोकमान्य तिलक जैसा अहिंदी भाषी, सभी न मुक्तकठ से हिंदी का स्वागत किया और साथ ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर उसका प्रचार और प्रसार भी ।

सन् 1917 मे 'गुजरात शिक्षा परिषद' के अधिवेशन के अवसर पर गांधी जी ने अंग्रेजी के समक्ष हिंदी की जो महत्ता प्रदर्शित की, उससे समस्त हिंदी जगत् मे हलचल मच गयी । साथ ही 'हिंदी साहित्य सम्मेलन,' 'नागरी-प्रचारिणी सभा' जैसी सस्थाओं का ध्यान गांधी जी तथा उनके हिंदी प्रेम की ओर सहज ही आकर्षित हुआ । इन सस्थाओं न गुजरात म हिंदी की जलती हुई एक अपूर्व ज्योति देखी । सन् 1918 मे इंदौर मे होने वाले 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' के आठवें अधिवेशन म गांधी जी को सम्मेलन का सभापति चुना गया । सभापति पद स व्याख्यान देते हुए उन्होंने मातृभाषा और मा की समकक्षता प्रदर्शित की तथा श्रोताओं से मातृ-भाषा के प्रति पूर्ण श्रद्धा व आस्था रखने का आग्रह किया । हिंदी के प्रति देश वासियों का क्या कर्तव्य है ? इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा

'आप हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें । हिंदी सब समझते हैं । इसे राष्ट्रभाषा बनाकर हमे अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए ।'<sup>24</sup>

इसी अधिवेशन म गांधी जी ने अहिंदी भाषी क्षेत्रों मे हिंदी प्रचार की व्यापक योजना बनायी और उसे कार्यरूप मे परिणत करने की समुचित व्यवस्था की । गांधी जी के आग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी प्रचार का दायित्व अपने ऊपर ले लिया । फिर भी इस योजना की सफलता के लिए गांधी जी का निर्देशन सर्वदा अपेक्षित रहा । गांधी जी के लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कम महत्व नहीं रखता था । इनका सम्मेलन के साथ मधुर संबध होने से हिंदी आदोलन को बड़ा बल मिला ।

सन् 1918 से 1927 तक दक्षिण म हिंदी प्रचार का कार्य 'सम्मेलन' के माध्यम से गांधी जी के सरक्षण मे होता रहा । सन् 1927 मे गांधी जी के ही मुझाव पर 'दक्षिण भारत मे हिंदी प्रचार सभा' की स्थापना हुई और यह कार्य उनके जिम्मे सुपुंज किया गया । 'हिंदी प्रचार सभा' ने तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम भाषी प्रदेशों मे बड़ी सफलतापूर्वक हिंदी प्रचार का कार्य किया । दक्षिण मे हिंदी प्रचार का कार्य आगे बढ़ता रहा । फिर भी गांधी जी इसकी प्रगति से पूर्ण सतुष्ट न थे । वे इसकी गति को तीव्र मे तीव्रतर और तीव्रतम बनाने की इच्छा रखते थे ।<sup>25</sup> उन्होंने सन् 1935 मे इन कार्य के निरीक्षण तथा आवश्यक सुधार के लिए काका बालेलकर को दक्षिण भारत भेजा, जिमके फलस्वरूप सन् 1936 मे 'हिंदी-प्रचार



समिति' नामक दूसरी सस्था की स्थापना हुई। आगे चलकर सन् 1937 में इस सस्था का नाम 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' पड गया। तब से लेकर आज तक यह समिति अपना कार्य करती चली आ रही है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में किए गए हिंदी प्रचार का मूल्यांकन करते हुए डा० रामविलास शर्मा ने लिखा है 'दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके अनुयायियों-सहयोगियों ने जितना हिंदी प्रचार किया, उतना और किसी नेता, राजनीतिक पार्टी या सांस्कृतिक सस्था ने नहीं किया। इसलिए आज के विभिन्न दलीय नताओं के अग्रेजी प्रेम को देखकर बहना पडता है कि इन सबकी तुलना में गांधी जी देग की जनता के बहुत नजदीक थे।' 56

सन् 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का चौबीसवा अधिवेशन इंदौर में सपन्न हुआ। गांधी जी को इस अधिवेशन का पुन दूसरी बार सभापति चुना गया। सभापति पद से दिए गए अपने अभिभाषण में उन्होंने राष्ट्रीय एवं व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से हिंदी के महत्व की चर्चा की। उन्होंने हिंदी प्रचार एवं उसके पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था का वाग्रस के रचनात्मक कार्य का अभिन्न अंग बतलाते हुए कहा 'मैं हमेशा से यह मानता रहा हू कि हम किसी भी हालत में प्रान्तीय भाषाओं को मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब ता सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रान्तों के पारस्परिक संबंध के लिए हम हिंदी भाषा सीखें। ऐसा कहने में हिंदी के प्रति हमारा कोई पक्षपात प्रकट नहीं होता। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। वह राष्ट्रीय होन लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है, जिसे अधि-सह्यक लोग जानते, बोलते हैं और जो सीखने में मुगम हो, ऐसी भाषा हिंदी ही है, यह बात यह सम्मेलन सन् 1910 से बता रहा है और इमना कोई बजन देने लायक विरोध आज तक सुनने में नहीं आया है। अन्य प्रान्तों में इस बात को स्वीकार कर ही लिया है।' 57

आगे उन्होंने घोषणा की कि 'अग्रेजी का इससे आगे बढ़ना मैं असभव समझता हू, चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए। अगर हिंदुस्तान को सच-मुच एवं राष्ट्र बनना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है, वह किसी दूसरी भाषा को नहीं मिल सकता।' 58

इसी अधिवेशन में हिंदी-हिंदुस्तानी को लेकर गांधी जी तथा सम्मेलन में मत-भेद पैदा हो गया। सन् 1942 से 45 के मध्य मतभेद अपनी इस सीमा तक पहुंच गया कि प० जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि कतिपय नेताओं के साथ गांधी जी को सम्मेलन से नाता तोड़ लेना पडा। और 'हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा' नामक एक नई सस्था की स्थापना करनी पडी।

वस्तुतः गांधी जी की दृष्टि में अखिल भारतीय सपकं भाषा की शक्ति एवं मात्र हिंदी में ही निहित थी। उन्होंने अभिभाषण, प्रचार-प्रसार, साहित्य पत्र-पत्रिकाओं एवं छोटी-बड़ी विविध सस्थाओं के माध्यम से हिंदी की आजीवन सेवा की और पूरे देश की स्वाभाषा से प्रेम करने की प्रेरणा दी। उनका राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने का सुझाव निष्पक्ष तथा राष्ट्रानुकूल था। वे हिंदी को राष्ट्रीय एवम्ता एवं स्वाधीनता की प्राप्ति का साधन मानते थे। उनकी दृष्टि में हिंदी का पठन पाठन अपने-आप एक आदर्श था, साथ ही राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति भी। इस दृष्टि से हिंदी साध्य और साधन दोनों थी। उनके लिए हिंदी प्रेम और देश प्रेम में नाममात्र का भी अन्तर न था।<sup>59</sup>

हिंदी की सेवा करने वाले राजनीतिक नेताओं में श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, विनायक दामोदर सावरकर और बाबा कालेजकर, डा० राजेन्द्र प्रसाद और प० जवाहर लाल नेहरू, विनोबा भावे और सैठ गोविंद दास का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है।<sup>60</sup>

'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे मैं प्राप्त करके रहूंगा' का नारा देने वाले, भारतीय राष्ट्रीयता के दृढ़ स्तम्भ श्री लोकमान्य तिलक भारतीय परंपरा तथा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के उच्च बोर्ड के समर्थक थे, तो स्वदेशीपन की आभा से मंडित कांग्रेस व हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता प० मदन मोहन मालवीय राष्ट्रभाषा व राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक पौषक। देवनागरी को राष्ट्रलिपि तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वालों में तिलक अग्रणी थे तो शिक्षा के क्षेत्र में देशी भाषाओं के प्रबल समर्थकों में मालवीय जी।<sup>61</sup> महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में राष्ट्रभाषा हिंदी की राजनीतिक प्रतिष्ठा तिलक द्वारा हुई, तो हिंदी के प्रसार में अपूर्व योग देने वाली शिक्षण सस्था के रूप में 'बाणी हिंदू विश्वविद्यालय' (सन् 1917) की स्थापना मालवीय जी द्वारा। एक ओर तिलक देवनागरी की उपयोगिता के बड़े समर्थक थे तथा उनकी बाणी हिंदी भाषा के विकास के लिये सदा कर्मशील रही, तो दूसरी ओर मालवीय जी ने अध्यापक, पत्रकार, प्रचारक, सार्वजनिक नेता और साहित्यिकों के आश्रयदाता के रूप में आजीवन हिंदी की अपूर्व सेवा की।

प० मदन मोहन मालवीय के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में राजपि पुरुषोत्तमदास टंडन द्वारा मनसा, वाचा, कर्मणा हिंदी की जो सेवा की गई, वह अप्रतिम है। वे राष्ट्रभाषा के प्रबल प्रहरी, कुशल साहित्यकार, सजग नेता तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्राण थे। उनके द्वारा हिंदी प्रचार व प्रसार को जो गति मिली, वह अमूल्य है।

टंडन जी का हिंदी प्रचार तथा सेवा का प्रमुख क्षेत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन था। वे सम्मेलन के जन्मदाताओं में से थे। मालवीय जी के अन्यतम सहायक के

रूप में उन्होंने सम्मेलन की स्थापना तथा उसके उद्देश्य को कार्यान्वित करने में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। उनका सम्मेलन की हर-एक गतिविधि पर स्पष्ट प्रभाव था। गांधी जी का सम्मेलन के साथ मधुर सबंध इन्हीं की प्रेरणा का फल था। इनके व्यक्तित्व का समुचित मूल्यांकन सेठ गोविंददास के शब्दों में इस प्रकार है 'टडन जी का अंतरंग उस प्रकार का है, जो हिमालय के सदृश अडिग और गंगा के सदृश निर्मल चरित्र का निर्माण करता है। वह उन व्यक्तियों में है, जिनका मारा जीवन किसी न किसी प्रकार की क्रांतिकारी सेवा में व्यतीत हुआ है। इस देश के पराधीन होने के कारण इस सेवा का सर्वोत्कृष्ट और उच्चतम माग था देश को स्वाधीन करने का प्रयत्न। इस प्रयत्न में आवश्यकता थी बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने की आर बड़े से बड़े त्याग करने की। टडन जी ने जीवन-भर यही किया। फिर वह अपने मतो पर इस प्रकार अडिग रहे कि महात्मा गांधी के सदृश नेता वे सामने झुके नहीं।'<sup>62</sup>

गांधी जी और टडन जी में हिंदुस्तानी और हिंदी को लेकर गहरा मतभेद हो गया। फिर भी टडन जी हिंदी और देवनागरी के प्रबल समर्थक बने रहे। गांधीजी के सम्मेलन में त्यागपत्र के वाद भी वे अपने पक्ष तथा नीति पर अडिग रहे।<sup>63</sup> वे हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि के प्रश्न पर विशुद्धता के पक्षपाती थे। सम्मेलन का निरंतर हिंदी प्रचार की ओर प्रवृत्त होना टडन जी की दृढ़ नीति तथा अनवरत परिश्रम का ही परिणाम था। डॉ० ज्ञानवती दरवार के शब्दों में 'हिंदी की सेवा करने वालों और इसके साहित्य की अभिवृद्धि करने वालों की संख्या काफी बड़ी है, किंतु टडन जी का स्थान इस सूची में निराला है। उनके लिए यह कहना कि हिंदी प्रचार अथवा विस्तार में टडन जी न सहायता की हास्यास्पद-सा लगेगा, क्योंकि वह इस शती के प्रथम दशक में इस समस्त आन्दोलन के प्रवर्तकों में से हैं।'<sup>64</sup> वास्तव में टडन जी उस मंच के निर्माता हैं, जिस पर आकर अनेक हिंदी-प्रेमियों ने अपनी-अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार हिंदी की सेवा और उसकी श्रीवृद्धि की है।

हिंदी की सेवा करने वाले अहिंदी भाषी नेताओं में दो का स्थान अत्यंत ऊंचा है, एक विनायक दामोदर सावरकर और दूसरा काका कालेलकर। क्रांतिकारी कारणों से पूर्ण-जीवन वाले सावरकर जी के सार्वजनिक जीवन का मूलाधार राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व रहा है तो राष्ट्रीयता काका साहब के जीवन की अमूल्य मणि रही है। एक उत्साह, साहस तथा वीरता जैसे धीरोचित गुणों का मूर्तिमान स्वरूप रहा है, तो दूसरा दूरदर्शनी साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न विनम्र, औजस्विता तथा अहिंसा जैसे मानवोचित गुणों की निधि। एक का विशेष सबंध हिंदू महासभा जैसी राजनीतिक संस्था से था तो दूसरे का कांग्रेस, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आदि से। एक ने देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि और

संस्कृत गभित हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी है,<sup>55</sup> तो दूसरे ने गांधी जी के सन्ने अनुयायी के रूप में हिंदुस्तानी भाषा व लिपि को। एक के प्रयत्नस्वरूप हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ महाराष्ट्र में हिंदी ने विशेष ख्याति प्राप्त की, तो दूसरे के प्रयास से समस्त दक्षिण भारत और मुख्य रूप से गुजरात में हिंदी-प्रसार को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। एक ने राष्ट्रभाषा हिंदी को हिंदुत्व का प्रतीक माना, तो दूसरे ने राष्ट्र भाषा प्रचार को राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग स्वीकार किया।<sup>56</sup>

महात्मा गांधी के प्रिय शिष्यों में दो का नाम ससम्मान लिया जाता है : प्रथम प० जवाहरलाल नेहरू और द्वितीय देशरत्न डा० राजेंद्र प्रसाद। दोनों भारतीय नेताओं ने जीवनपर्यन्त मातृभूमि और मातृभाषा (हिंदी) की अमूल्य सेवा की है, दोनों का संबंध नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जैसी देश की अधिकांश हिंदी-सेवा संस्थाओं के साथ बड़ा घनिष्ठ रहा है तथा दोनों हिंदुस्तानी के प्रबल समर्थक रहे हैं। राजेंद्र बाबू का तो कथन है कि :

‘हिंदी भी यदि जीती-जागती भाषा होना चाहती है तो उसे अपने शब्दमंडार को बढ़ाना पड़ेगा। बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती और न विदेशी शब्दों को बाहर रखकर वह अपनी उन्नति कर सकती है। हिंदी संस्कृत नहीं है, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, फारसी, ईसाई, सिख वसते हैं और तो भी वह हिंदुस्तान है। उन्नी प्रकार हिंदी में सभी भाषाओं से उत्तम शब्द हम लेंगे तो भी वह हिंदी ही रहेगी।’<sup>57</sup>

‘मेरा दृढ़ मत है कि कोई भी शक्ति अपनी मातृभाषा के द्वारा ही तरक्की कर सकती है। हमारा ध्येय पुरानी भाषाओं को जोरो से चलाना है और उनके द्वारा शिक्षा आदि को भी चलाना चाहिए। लेकिन देश-भर को बाधने के लिए, भारत के भिन्न-भिन्न हिस्से एक दूसरे से संबंधित रहे, इसके लिए हिंदी की जरूरत है।’<sup>58</sup> प० जवाहरलाल नेहरू का यह दृढ़ मत ही न था, बल्कि हिंदी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और उसकी जीवतना के प्रति पूर्ण विश्वास भी था। तभी तो उन्होंने कहा : ‘हिंदी में जान है, वह जीवित भाषा है और मुझे यकीन है कि वह उछलती-कूदती हुई तरक्की का अपना रास्ता खुद बना लेगी।’<sup>59</sup> ‘हजार शब्द कोश भी भाषा में वह जान नहीं डाल सकते, जो उसमें अपने अंदर होती है। जिस भाषा में अपनी शक्ति नहीं होती, वह दूसरों की बार-बार कोशिश से भी नहीं बढ़ती और जिसमें अपनी ताकत होती है, वह खुद व खुद तरक्की कर लेती है।’<sup>60</sup>

वर्तमान भारतीय समाज सुधारकों एवं नेताओं में सत विनोबा भावे एवं सैठ गोविंददास का नाम बड़े उच्च स्वरों में लिया जा सकता है। दोनों ने राष्ट्रभाषा, भूदान, गोरदा, गमाजमुधार आदि विविध क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।

एक ओर 'भारतीय सभृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय तत्व ज्ञान, भारतीय साहित्य, ये सब विनोबा में मानो प्रस्फुटित और पल्लवित हो उठे हैं<sup>70</sup> तो दूसरी ओर हिंदी को 'राजभाषा' का स्थान दिलाने में अप्रणी सैठ गोविंददास ने अन्यतम देशभक्त तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रहरी के रूप में राजनीति तथा साहित्य साधना, इन दोनों क्षेत्रों में महती सफलता प्राप्त की है। गांधी जी के अनुयायी एवं गांधी विचारधारा के साथ हिंदुस्तानी के बट्टर समर्थक सत विनोबा को हिंदी प्रेम गांधी की परंपरा से प्राप्त हुआ है,<sup>71</sup> तो हिंदी के विशुद्ध रूप के प्रति सजग सैठ गोविंददास का हिंदी-प्रेम सहज स्वाभाविक है। हिंदुस्तानी के विरुद्ध सविधान सभा में निकले हुए उनके उद्गार द्रष्टव्य हैं

'हिंदुस्तानी का समर्थन करने वाले उसका समर्थन साम्प्रदायिकता की भावना से करते हैं। जो दश में एक संस्कृति चाहते हैं, वे बना दो लिपियों में लिखी जाने वाली भाषा का समर्थन कैसे करेंगे ?'<sup>72</sup>

एक ओर हिंदी के प्रचार तथा प्रसार में सबसे बड़ा योगदान विनोबा के भूदान आंदोलन का है, तो दूसरी ओर लोक सभा एवं नयी दिल्ली के प्रशासनिक क्षेत्रों में यदा कदा चलने वाली विपरीत हवाओं से हिंदी की रक्षा हेतु की गयी सैठ गोविंद दास की तत्परता का। जहां तक हिंदी का प्रश्न है, विनोबा को महारत्ना गांधी के पूर्ण व्यवहार पक्ष की सलाह दी जा सकती है, तो सैठ गोविंद दास को नई दिल्ली के अनिश्चित वातावरण में हिंदी के प्रहरी की। मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में विनोबा के निम्नांकित विचार कितने मूल्यवान हैं यह सहज अनुमेय है

'शिक्षा मास्त्री सूक्ष्म विचार करें तो उन्हें स्वयं ध्यान में आ जायेगा कि आरंभ से अन्त तक मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम बननी चाहिये। मिके कालेज में यह सुविधा हो कि दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वहां की मातृभाषा में बोलकर हिंदी में बोले तो विद्यार्थी उसे समझ जाय। मेरा तो यह मत है कि जिस तरह मानव दो दो आंखों से देखता है, उसी तरह हर भारतीय को मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों आनी चाहिये।'<sup>73</sup>

## साहित्यिक सस्यायें

### भारतेन्दु मंडल

'जिन भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल' का उद्धोष करने वाले भारतेन्दु के साहित्यिक रगमच पर पदार्पण करते ही हिंदी आंदोलन में एक प्राति की लहर दौड़ गयी, इस बात की चर्चा पीछे के पृष्ठों में कई जगह की जा चुकी है। वस्तुतः इस युग में हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत हुई कि उसने दोस घरातन पर राजनीतिक सामाजिक पर साहित्यिक सभी क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा

के सदस्य म हिंदी आंदोलन अपने पूर्व बेग के साथ गतिशील हुआ। हिंदी को इस प्रकार का सशक्त धरातल प्रदान करने का पूर्ण श्रेय भारतेन्दु और भारतेन्दु मडल के साहित्यकारों को है। यदि भारतेन्दु मडल द्वारा हिंदी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति न की गयी होती, निबंध आलोचना, नाटक, प्रहसन, उपन्यास आदि विविध काव्य विधाओं का प्रणयन न किया गया होता और विविध विषयों से संबंधित ज्ञानवर्द्धिनी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन न हुआ होता, तो अखिल देशीय संपर्क भाषा के रूप में सत्रहवीं वर्ष पूर्व व्यवहृत होने के बावजूद हिंदी को अंग्रेजी का पद दिलाने के लिये किये गये आंदोलन की सफलता अपने आप में अधूरी रहती और शायद स्वतंत्र भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को जो कुछ भी महत्व दिया गया है उससे भी उस वंचित रहना पड़ता।

भारतेन्दु हरिश्चंद्र का साहित्यिक योगदान सर्वविदित है। भारतेन्दु की हिंदी सेवा और उनकी अपूर्व कृतियों के संवर्धन में महा अधिक लिखना आवश्यक नहीं। इस सदन में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हिंदी भाषा के प्रसार में हिंदी साहित्य का स्तर ऊँचा करने में और हिंदी प्रदश की जनता को जगाने में भारतेन्दु जी की पत्रकारिता और निबंध कला न अपनी अपूर्व भूमिका पूरी की।<sup>74</sup> वे आधुनिक युग के प्रथम हिंदी साहित्यकार थे जिनकी निजी रचनाओं एवं प्रेरणा से हिंदी साहित्य की सभी विधाएँ मुखरित हो उठी। उनके व्यक्तित्व में पत्रकार, नाटककार, कवि, आलोचक निबंधकार की सभी विशेषताएँ एक साथ समाहित थीं। उनके विचारों एवं रचनाओं के फलस्वरूप साहित्य में नवयुग का सूत्रपात हुआ और हिंदी साहित्य सृजन के नवीन मार्ग पर चल पड़ा।<sup>75</sup> वस्तुतः हिंदी गद्य का वह काल जिसमें भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र ने और उनके अन्य अनेक समकालीन प्रतिभाशाली लेखकों ने अपनी नवीन मणियों रचनाएँ प्रकाशित की, बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसी समय प्राचीन काल से चली आती हुई परंपरा का अंत हुआ।<sup>76</sup>

भारतेन्दु उच्च कोटि के लेखक और साहित्यकार ही नहीं थे वे सच्चे अर्थों में स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत राष्ट्रीयता के पुजारी और सत्कारीन समाज तथा हिंदी के महान नेता और प्रहरी भी थे। उन्होंने स्वयं राष्ट्रीयता से अनुप्राणित विविध काव्य विधाओं पर लेखनी चलायी और अनेक लेखकों को ऐसा करने के लिये प्रेरणा दी, प्रथम दिया और व्यावहारिक रूप से उन्हें प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं अपनी उदारता और हिंदी प्रेम के कारण वे सभी समकालीन लेखकों और साहित्य संघों के संरक्षक भी कहलाये। उनके नेतृत्व में १० बालकृष्ण भट्ट, १० प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अम्बिकादत्त व्यास, बदरी नारायण चौधरी, श्री निवास दाम, ठाकुर जगमोहन सिंह, दुर्गा प्रसाद मिश्र, सुधाकर द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, वाशी नाथ खत्री, वार्तिक, प्रभाकर, खत्री,

रमाशकर व्यास, तोताराम, राधाकृष्ण आदि ने हिन्दी गद्य को पुष्ट करने में अपूर्व योग दिया। भारतेन्दु मडल के इन साहित्यसेवियों पर भारतेन्दु के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व की अमिट छाप रही है।

‘प० बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने हिन्दी गद्य के निर्माण में वही योग दिया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने दिया था।’<sup>77</sup> एक में सामाजिक नेता के साथ निबन्धकार, आलोचक एवं नाटककार की उच्चकोटि की प्रतिभा के दर्शन होते हैं तो दूसरे का मनमौजी स्वभाव और हिन्दी अनुराग विशेष उल्लेखनीय है। राधाचरण गोस्वामी का तो हिन्दी प्रेम अनूठा रहा है। एक ओर साहित्यिक रगमच से गोस्वामी जी की प्रतिभा उच्चकोटि के नाटककार एवं कवियों के पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रफुटित हुई तो दूसरी ओर मासवीय जी के नेतृत्व में हिन्दी-प्रचार आन्दोलन के सच्चे सैनिक के रूप में। एक ओर विलक्षण साहित्यिक, उत्साही समाज सुधारक और सफल पत्रकार के रूप में अविवादित व्यास का स्थान काफी ऊँचा है तो दूसरी ओर साहित्य-साधना और हिन्दी प्रचार के क्षेत्र में बदरी-नारायण चौधरी का नाम उल्लेखनीय है।

### ‘सरस्वती’ और हिन्दी भाषा का परिमार्जन

‘सरस्वती’ (सन् 1900 ई०) जैसी सर्वांगीण व्यवस्थित पत्रिका के संपादक प० महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण के पूर्व ‘हिन्दी की चतुर्मुखी प्रगति बड़े सतोपप्रद रूप में हो चुकी थी। भारतेन्दु बाबू हरिदत्त अपने साधियों के साथ काव्य के प्रायः सभी अंगों की रचना का सूत्रपात कर चुके थे।’<sup>78</sup> फिर भी साहित्य के क्षेत्र में दो प्रकार की कमियों को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा रहा था। प्रथम, व्याकरणानुमोदित भाषा का अभाव और द्वितीय गद्य पद्य की भाषा की भिन्नता। भारतेन्दु युग में साहित्यकारों का ध्यान व्याकरणसम्मत भाषा की ओर न जाकर विविध विषयों पर ही जमा था। इसलिए साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा भी व्याकरण की दृष्टि से काफी शिथिल रहा करती थी। साथ ही खटकने वाली बात यह भी थी कि गद्य के माध्यम के रूप में तो खड़ी बोली अपना लो गई थी, किन्तु पद्य काव्य की रचना अभी तक ब्रजभाषा में ही की जा रही थी। इस असंगति पर द्विवेदी जी का ध्यान विशेष आकृष्ट हुआ। अब द्विवेदी जी ने इन्हे दूर करने का बीड़ा उठाया और ‘सरस्वती’ के माध्यम से सरसक्त लेखनी द्वारा इन श्रुतियों का परिमार्जन एवं परिष्कार किया।<sup>79</sup>

द्विवेदी जी ‘सरस्वती’ के संपादक के रूप में लोक कल्याण की उदात्त भावना से प्रेरित होकर क्रांति पथ पर अग्रसर हुए और उन्होंने काव्य में ब्रज भाषा की शृंगारिक कविता के विरोध के साथ नवीन काव्य भाषा खड़ी बोली का प्रबल समर्थन किया। उनका ऐसा विश्वास था कि जब तक ब्रज भाषा के परिधान से

कविता मुक्त नहीं होगी, तब तक लोक कल्याणकारी नवीन काव्य का सृजन नहीं हो सकेगा।<sup>10</sup> खड़ी बोली को समान रूप से गद्य और पद्य का माध्यम स्वीकार कराकर साहित्य को समाजव्यापी बनाना उनका मुख्य ध्येय था।<sup>11</sup> उनके विचारों से कवि को सहज और व्याकरणसम्मत भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

द्विवेदी जी ने अपने प्रातिकारी लेखा द्वारा उत्तरोत्तर हिंदी भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाया। उनके 'भाषा और व्याकरण' (सन् 1906) शीर्षक निबंध से हिंदी भाषा में एक नानि हुई। इस लेख में मनी प्राचीन लेखकों की भाषा की आलोचना की गई थी। उन्होंने 'कवि और कविता' (सन् 1907) नामक लेख द्वारा कवियों को भाषा, भाव, छंद और शैली के सबंध में विशेष दृष्टि दी। उनके सतत प्रयास प्रोत्साहन व प्रभाव से हिंदी में एक से एक उच्चकोटि के कवि एवं साहित्यकारों का निर्माण हुआ और उनकी रचनाएं 'सरस्वती' में प्रकाशित हुईं। वस्तुतः व्याकरण सम्मत भाषा के प्रचार एवं खड़ी बोली पद्य के विकास सबंधी देन के प्रति समस्त हिंदी जगत ५० महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके द्वारा संपादित 'सरस्वती' पत्रिका का चिर श्रेणी रहेगा। 'सरस्वती' की व्यापक सेवाओं के सदर में कवि शंकर की निम्नलिखित पंक्तियां द्रष्टव्य हैं

'नूतन निबंध मनभावते विचित्र चित्र, नाना विषयो से वरवानिक बनाती है।  
शंकर प्रतापशील, सज्जन महोदयो के जीवन चरित्र जन-जन को जनाती हैं।  
हिंदी को सुधार गद्य पद्य का प्रचार करें, रूठी ब्रजभाषा को भी सादर अपनाती हैं।  
शानी ग्राहको से महावीरता सरस्वती की, लेख अलबेले अक-अक में गिनाती हैं।'<sup>12</sup>

द्विवेदी जी की छत्रछाया में रहने वाले अथवा उनके आदर्शों पर चलकर साहित्य सजंजा करने वाले कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, हरिऔध, शंकर, लोचन प्रसाद पांडेय, रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा और कामता प्रसाद गुरु आदि का नाम उल्लेखनीय है। मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि का गौरव प्रदान कराने का श्रेय द्विवेदी जी के वाक्यादर्शों और 'सरस्वती' को ही है।

भारतेंदु युग राष्ट्रीय जागरण का युग था, किंतु द्विवेदी जी का युग राष्ट्रीयता के क्षेत्र में कुछ बर दिवाने का युग था। यो तो समय की इस सीमा पर आकर भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता की ध्वनि समा गई थी, किंतु इस ध्वनि से हिंदी साहित्य का कण-कण गुजरित हो उठा। हिंदी की संपूर्ण काव्य विधाएं इसके प्रकाश से आलोकित हो उठीं। 'बिकटमठ', 'रग में भग' (1909) जैसी काव्यकृतियां प्रकाशित हुईं, जिनमें देशप्रेम के साथ राष्ट्र गौरव की भावना बड़े वेग से निकल पड़ी। 'रग में भग' आरंभिक आरुपानक गीतिकाव्य होते हुए भी पूर्णतः सफल है। इसमें प्रसिद्ध हाडा वीर धुमा की कथा है, जिसने मातृभूमि के नकली किले की रक्षा



में आत्मोत्सर्ग कर दिया। इस उत्सर्ग में ऐसा आवरण है, जो अनायास ही लोगों को मुग्ध कर लेता है। इसकी कुछ पवित्रता द्रष्टव्य है

‘तोड़ने दू क्या इसे नकली किला मैं मान के ?  
पूजते हैं भवन क्या प्रभु मूर्ति को जड़ जान के ?  
भात जन उसको भले ही जड़ वहे अज्ञान से।  
देखते भगवान को घीमान उसमें ध्यान से ॥  
हैं न कुछ चित्तोर यह बूदी इसे अब मानिये।  
मातृभूमि पवित्र भेरी पूजनीया जानिये ॥’<sup>82</sup>

आगे चलकर इसी परंपरा पर लाला भगवान दीन ने ‘वीर पचरत्न’ (सन् 1909), सियाराम शरण गुप्त ने ‘मौर्यविजय’ (सन् 1914), श्रीनाथ सिंह ने ‘सती पद्मिनी’ (सन् 1915) और गोकुलचंद्र शर्मा ने ‘प्रणवीर प्रताप’ (सन् 1915) आदि काव्यों का प्रणयन किया। इतना ही नहीं, भारत के अतीत गौरव और वर्तमान की पतित्तावस्था का संशक्त भाषा में मामूली ज्ञानी प्रस्तुत करते हुए मैथिलीशरण गुप्त ने ‘भारत भारती’ की रचना की। इसमें कवि ने एक साथ ही भूत, वर्तमान और भविष्य पर मफन लेखनी चलाई है। कवि का शब्द स्रोत यो फूट चला है ‘हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी?’

राष्ट्र या जन्म भूमि से संबंधित कविताएँ भी प्रचुर मात्रा में लिखी गईं। राष्ट्र के देवी स्वरूप की शांति प्रस्तुत करने वाली कविताओं की प्रतिनिधि रचना मैथिली शरण गुप्त की ‘नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है।’ वाली कविता है, जिस पर बकिम के ‘वदेमातरम्’ की छाप लगी हुई है। इसी परंपरा पर चलकर रूपनारायण, वामता प्रसाद गूर गोपान शरण सिंह, रामनरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडेय, सियारामशरण गुप्त, मनन द्विवेदी आदि ने क्रमशः ‘मातृभूमि’, ‘जन्मभूमि’, ‘मातृभूमि’, ‘जन्मभूमि भारत’, ‘हमारा देश’, ‘जननी’ तथा ‘मातृभूमि’ जैसी कविताएँ लिखीं। वानपुर के साप्ताहिक पत्र ‘प्रताप’ का तो सिद्धांत वाक्य ही था

‘जिसका न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है।

वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है।’

छायावादी कवि प्रसाद की वाणी भी ‘हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रवृद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती’ का आह्वान कर उठी। कवि ‘अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पशुच अज्ञान क्षितिज को मिलता एक सहारा’ का गान सुनने लगा और नर पशु निराला ‘जागो फिर एक बार’, कहकर ललकार उठा।

‘राष्ट्रीय उत्थान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने और प्रचार

करने में कांग्रेस के महान नेताओं ने एक बड़ी सशक्त क्रांति की<sup>81</sup> इसकी चर्चा कांग्रेस की हिंदी-मेवा के मध्य की जा चुकी है। इसी 'सशक्त क्रांति' के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन काल में ही देश में अनेक ऐसी साहित्यिक एवं हिंदी प्रचारक संस्थाओं ने जन्म लिया, जिनका मुख्य उद्देश्य हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करना था (अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इन हिंदी सेवा संस्थाओं के सर्वर्द्धन एवं उन्हें सुदृढ़ बनाने में भरपूर योग दिया। अतः इन संस्थाओं के द्वारा हिंदी आंदोलन में दी गई आहुतियों का मूल्यांकन करना समीचीन है।

### नागरी प्रचारिणी सभा

राष्ट्रलिपि देवनागरी एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के देशव्यापी प्रचार के उद्देश्य से सन् 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना काशी में हुई। प्रारंभ में पं० राम नारायण मिश्र, श्री गोपालदास खत्री तथा बाबू श्याम सुंदर दास आदि इसके सरक्षक रहे। किंतु समय के साथ अनेक गण्यमान व्यक्तियों ने इसकी सदस्यता स्वीकार की। इनमें महामना पं० मदनमोहन मालवीय, श्री अबिकादत्त व्यास, श्री राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक तथा श्री बदरी नारायण चौधरी आदि का नाम उल्लेखनीय है।

प्रारंभ से ही इस संस्था की यह नीति रही कि इसने नारेवाजी, प्रचार तथा आंदोलन संबंधी तडक भडक को न अपना कर ठोस क्रियात्मक कार्यक्रम को अंगीकार किया। इस नीति के फलस्वरूप 'सभा' को हिंदी की प्राचीन अनुपलब्ध हस्तलिखित पुस्तकों की खोज, हिंदी के बृहद् शब्द कोशा के निर्माण, हिंदी भाषा तथा साहित्य के इतिहास-लेखन, साहित्यिक गोष्ठियों के आयोजन तथा अन्य प्रकार के शोधकार्य आदि में आत्मीयता सफलता मिली। 'सभा' के द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप तत्कालीन उत्तरप्रदेशीय सरकार ने सन् 1900 में अदालती कामकाज के लिए फारसी के साथ नागरी को भी मान्यता प्रदान की। इस सफलता से तो 'सभा' को हिंदी प्रेमी जनता का अटूट विश्वास प्राप्त हो गया।

'सभा' के अन्तर्गत एक 'आर्य भाषा पुस्तकालय' है, जिसमें लगभग 40 हजार पुस्तकें तथा चार हजार के आसपास प्राचीन अप्राप्य हस्तलिखित ग्रंथ विद्यमान हैं। हिंदी के अतिरिक्त अन्य प्रादेशिक भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रंथ भी यहां उपलब्ध हैं। हिंदी साहित्य के उच्चस्तरीय शोध तथा अध्ययन के लिए यह पुस्तकालय बड़ा ही लाभदायक है।

'सभा' के पास अपना एक 'हस्तलिखित ग्रंथ खोज विभाग' है, जिसे द्वारा अनुपलब्ध ग्रंथों का अन्वेषण होता आ रहा है। इस कार्य में 'सभा' को कई मान्य विद्वानों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। इसी के फलस्वरूप हिंदी साहित्य का प्रमोद तथा व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत हो गया है। 'सभा' के 'योग विभाग'

द्वारा 'हिंदी शब्द सागर' 'हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली' तथा 'सक्षिप्त शब्द सागर' जैसे अधिभूत कोशों को प्रकाशित किया गया है। इनमें 'हिंदी शब्द सागर' जो एक लाख शब्दों का भण्डार है हिंदी जगत की महान् उपलब्धियों में से एक है।

प्रकाशन व विषय विभाग द्वारा हिंदी की उत्तमोत्तम मौखिक सूचनाओं का प्रकाशन तथा उसकी वित्री आदि का प्रबन्ध होता है। सभा के प्रकाशनों में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' बीसवीं शती की संपूर्ण हिंदी पत्रिकाओं में सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण पत्रिका है। हिंदी ही नहीं, अपितु सभी भारतीय भाषाओं में यह एक अनुपम शोध पत्रिका है।<sup>15</sup> इस पत्रिका ने अनुसंधानकर्ता विद्वानों को यथेष्ट रूप से प्रोत्साहित किया है।

काव्य, नाटक, निबंध, उपन्यास, जीवन चरित्र, राजनीति, दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान और कला आदि विषयों पर 'सभा' ने पचशताधिक ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, साथ ही 'पृथ्वीराज रासो', 'परमाल रासो' तथा 'वीमल देव रासो' आदि अनेक ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाश में लाकर हिंदी-जगत् की बहुत बड़ी सेवा की है।

हिंदी साहित्य की मौलिक तथा उत्तम रचनाओं पर सभा द्वारा अनेक पुरस्कार तथा स्वर्ण व रजत पदक समय-समय पर प्रदान किए जाते हैं। हिंदी के यज्ञस्वी साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा दी गई निधि से सन् 1930 से ही सभा द्वारा सुप्रसिद्ध साहित्यकारों की जयन्तियां एवं पुण्य तिथियां मनायी जाती हैं तथा अधिकारी विद्वानों के व्याख्यानो एवं स्वागत समारोहों की व्यवस्था की जाती है।

सभा द्वारा स्थापित 'सकेत लिपि विद्यालय' में हिंदी सकेत लिपि (शार्ट हैंड) तथा हिंदी टाइप की शिक्षा दी जाती है। अब तो 'सभा' ने दक्षिण भारतीय भाषाओं का एक विद्यालय भी खोल लिया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड एवं मलयालम जैसी भाषाओं की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है।

### हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

हिंदी आदोलन को सक्रिय सहयोग देने वाली हिंदी-नेवी साहित्यिक संस्थाओं में 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' का सर्वोपरि स्थान है। सन् 1910 में नागरी प्रचारिणी सभा की प्रबंध समिति की एक बैठक में बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी तथा नागरी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए देश भर में साहित्यिकों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा, जो सर्व सम्मति से पारित भी हुआ। उसी वर्ष इस प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप भी दिया गया, जिसके फलस्वरूप महामना पं० मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन काशी में संपन्न हुआ। इसी अधिवेशन में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने सरकारी अदालतों में नागरी के प्रचार तथा हिंदी भाषा व साहित्य के व्यापक विकास के लिए वाप-सग्रह की अपील की। कोष सग्रह के लिए एक समिति की स्थापना भी की गई।

फनस्वरूप कुछ ही समय में प्रमुख धन राशि एकत्रित हो गई, जिससे आगे चलकर सम्मेलन की विधिवत स्थापना हुई।

सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन प्रयाग में हुआ, जिसमें टडन जी ने सम्मेलन की सक्षिप्त नियमावली भी उपस्थित की। पहले अस्थायी रूप से सम्मेलन का कार्यालय एब वर्ष के लिए प्रयाग में रहा, जो धीरे-धीरे स्थायी हो गया। आगे चल कर सम्मेलन के विविध अधिवेशन विभिन्न नगरों में भिन्न-भिन्न साहित्यसंविद्यो एव विद्वानो के सभापतित्व में होता रहा, और उन अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों के प्रकाश में सम्मेलन का कार्य व्यापक होता गया।

### हिंदी साहित्य सम्मेलन के उद्देश्य

- (1) हिंदी साहित्य के सब अंगों की पुष्टि और उन्नति का प्रयत्न करना।
- (2) देशव्यापी व्यवहार्य और कार्यों को सुलभ करने के लिए राष्ट्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार बढ़ाने का प्रयास करना।
- (3) नागरी लिपि को मुद्रण-सुलभ और लेखन-सुलभ बनाने की दृष्टि से उसे अधिक विकसित करने का प्रयत्न करना।
- (4) हिंदी भाषा को अधिक सुगम, मनोरम, व्यापक और समृद्ध बनाने के लिए समय-समय पर उसके अभावों को पूरा करना और उसकी शैली और नुटियों के संशोधन का प्रयत्न करना।
- (5) हिंदी भाषी राज्यों में सरकारी विभागों, पाठशालाओं, कालेजों, विश्वविद्यालयों, म्युनिसिपैलिटियों और अन्य संस्थाओं, समाजों, अनसमूहों तथा व्यापार और अदालत के कार्यों में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना।
- (6) हिंदी के ग्रन्थकारों, लेखकों, कवियों, पत्र-सम्पादकों, प्रचारकों को समय-समय पर उत्साहित करने के लिए पारितोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना।
- (7) गारे देश के युवकों में हिंदी अनुराग उत्पन्न करने और बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना।
- (8) हिंदी भाषा द्वारा परमोच्च शिक्षा देने के लिए विद्यापीठ स्थापित करना।
- (9) हिंदी भाषा द्वारा उच्च परीक्षाएँ लेने का प्रवचन करने के लिए एक हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करना।
- (10) जहाँ आवश्यकता समझी जाय, वहाँ पाठशाला, समिति तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना तथा इस प्रकार की वर्तमान संस्थाओं की सहायता करना।

- (11) हिन्दी-साहित्य की वृद्धि के लिए उपयोगी पुस्तकें लिखवाना और प्रकाशित करना ।
- (12) हिन्दी की हस्तलिखित और प्राचीन सामग्री तथा हिन्दी भाषा और साहित्य के निर्माताओं के स्मृति-चिह्नों की खोज करना और इनके तथा सभी प्रकाशित पुस्तकों के संग्रह और रक्षा के निमित्त सम्मेलन की ओर से एक बृहत् संग्रहालय की व्यवस्था करना ।
- (13) हिन्दी भाषा तथा साहित्य संबंधी अनुसंधान का प्रवर्धन करना ।
- (14) उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि और सफलता के लिए जो अन्य उपाय आवश्यक और उपयुक्त समझे जाएं, उन्हें काम में लाना ।<sup>18</sup>

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सम्मेलन द्वारा समय-मसमय पर विविध कार्यक्रम अपनाए गए हैं और आज भी सम्मेलन हिन्दी के सर्वद्वंद्व तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत जागरूक एवं प्रयत्नशील है ।

### परीक्षाएँ

सम्मेलन के चौथे अधिवेशन (सन् 1913) में, जिनके अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद थे, हिन्दी के व्यापक प्रचार की दृष्टि से कुछ हिन्दी परीक्षाओं की व्यवस्था का निर्णय लिया गया । तदनुसार प्रथमा, मध्यमा (विशारद) तथा उत्तमा (साहित्यरत्न) ये तीन परीक्षाएँ सम्मेलन की ओर से प्रारंभ की गईं । ये परीक्षाएँ दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होती गईं और अब हजारों की संख्या में परीक्षार्थी इन्में प्रतिवर्ष बैठते हैं । भारत के अहिन्दी भाषी प्रदेशों तथा विदेशों में भी इन परीक्षाओं के परीक्षा केंद्र हैं । इन परीक्षाओं द्वारा जहाँ हिन्दी पढ़े-लिखे छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है वही हिन्दी साहित्य के प्रति जनसाधारण की रुचि भी बढ़ी है । सम्प्रति सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित परीक्षाएँ ली जाती हैं, जिनको विश्वविद्यालयों, तथा राज्य व केंद्रीय सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त है

प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, आयुर्वेद विशारद, आयुर्वेद रत्न, वृषि विशारद, व्यापार विशारद, शिक्षा विशारद सम्पादन कला विशारद शीघ्रलिपि विशारद मुनीमी, अर्जिनवीसी, उपवेद्य, वैद्य विशारद तथा साहित्य महोपाध्याय ।

### सम्मेलन पत्रिका

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अपनी एक त्रैमासिक पत्रिका है । इस पत्रिका में भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा भाषाओं में संबंधित गवेषणात्मक निबंध प्रकाशित किये जाते हैं । सम्मेलन की ओर से हिन्दी की मौलिक रचनाओं पर समय-मसमय पर विविध पुरस्कार भी दिये जाते हैं । सम्मेलन के प्रकाशनों में हिन्दी भाषा व साहित्य की अभिवृद्धि हुई है, साथ ही विद्वान लेखकों को प्रोत्साहन भी मिला है । सम्मेलन

की भारत के विभिन्न राज्यों में स्थापित अनेक प्रादेशिक शाखाएँ अपने-अपने क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार कार्य में अपना बहुमूल्य योग देती चली आ रही हैं।

### दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास

सन् 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का इंदौर अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। गांधी जी ने इस सम्मेलन में दक्षिण भारत में हिंदी-प्रचार की एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उत्तर भारतीय दक्षिण में जाकर हिंदी-प्रचार का कार्य करें। ऐसी बात पक्की की गई। इस प्रचार कार्य के लिए गांधी जी की अपील पर इंदौर के सेठ हुकुमचंद तथा तत्कालीन नरेश महाराजा मधवतराव होल्कर ने दस-दस हजार की धनराशि प्रदान की। दक्षिण भारत के समाचार पत्रों में छपी एक विज्ञापित के अनुसार मद्रास शहर की 'इंडियन सर्विस लीग' के सदस्यों ने गांधी जी से एक हिंदी प्रचारक भेजने का आग्रह किया। गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास गांधी को पहला हिंदी प्रचारक बनाकर दक्षिण भारत भेजा। इसके बाद तो प० हरिहर शर्मा, स्वामी सत्यदेव, प० शिवराम शर्मा, प० हृषीकेश शर्मा, प० अवध नंदन, प० रामनंद शर्मा, श्री नानेश्वर मिश्र आदि अनेक प्रचारक दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार हेतु जुट गये।

प्रारंभ में यह प्रचार-कार्य हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में चलता रहा। अतः मद्रास में जो कार्यालय खोला गया उसका नाम भी 'हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय, मद्रास' रखा गया। किंतु गांधी जी की यह प्रबल इच्छा थी कि दक्षिण में हिंदी प्रचार का कार्य दक्षिण भारतीयों के द्वारा ही हो। उनकी इच्छा से सन् 1927 में 'हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय, मद्रास' का नाम बदल कर 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास' कर दिया गया। 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' के संस्थापकों में चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज चाहे जो कुछ भी हो, किंतु राजा जी के हिंदी के लिए किये गए प्रारंभिक बहुमूल्य प्रयासों का विनिष्ट स्थान है।

'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' की चार शाखाएँ त्रिचिनापल्ली, (तमिलनाडु), एरनाकुलम (केरल), धारवाड (कर्नाटक) और हैदराबाद (आंध्र) में स्थापित हैं। सभा का मुख्य उद्देश्य, हिंदी प्रचार द्वारा भारत की एकता को सुदृढ़ बनाना, प्रांतीय भाषाओं के सहयोग से हिंदी भाषा का विकास करना, प्रांतों में प्रांतीय भाषाओं तथा अंतर्प्रान्तीय भाषाओं में हिंदी का प्रयोग करना तथा जनता में हिंदी के लिए अनुकूल वातावरण बनाना रहा है।

'सभा' के द्वारा प्राथमिक, माध्यम, राष्ट्रभाषा, प्रवेशिका, विशारद पूर्वार्ध, विशारद उत्तरार्ध, प्रयोग तथा हिंदी प्रचारक, हिंदी की ये आठ परीक्षाएँ संचालित होती हैं। इनमें से पहली तीन प्रारंभिक एवं अंतिम पांच उच्च परीक्षाएँ हैं। इन

परीक्षाओं में लाखों परीक्षार्थी परीक्षा दे चुके हैं। इस समय सभा के लगभग 6 हजार प्रचारकेंद्रों में 10 हजार प्रशिक्षित हिन्दी प्रचारक हिन्दी बसाए चलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभा प्रमाणपत्र, वितरणोत्सव, प्रचारक-सम्मेलन, वाक् प्रतियोगिताएँ, लेखन स्पर्धाएँ, नाट्याभिनय, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी मेलो आदि का भी समय-समय पर आयोजन करती है। 'सभा' के कार्यकलापों पर प्रतिवर्ष लाखों रुपये व्यय होते हैं। 'सभा' से 'हिन्दी प्रचार समाचार' तथा 'दक्षिण भारत' नाम की दो पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। इनमें से पहली मासिक तथा दूसरी द्विमासिक सांस्कृतिक पत्रिका है।

हिन्दी को दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाने, उसका व्यापक प्रचार करने तथा उसे जनता तक पहुँचाने का अधिकांश श्रेय इसी संस्था को है।

### राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

सन् 1936 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 25वाँ अधिवेशन नागपुर में डा० राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के व्यापक प्रचार की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया गया। राजपि पुरुषोत्तम दास टंडन के एक प्रस्ताव के अनुसार दक्षिणोत्तर अहिन्दी भाषी प्रांतों में हिन्दी प्रचार के लिए एक 'हिन्दी प्रचार समिति' गठित की गई। इस समिति की प्रथम बैठक अगस्त 1936 में वर्धा में हुई। सन् 1938 में शिमला में संपन्न हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 27वें अखिल भारतीय अधिवेशन में काका साहब कालेलकर के सुझाव पर 'हिन्दी प्रचार समिति' का नाम बदल कर 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' रख दिया गया। समिति का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ से ही वर्धा में स्थापित है।

दक्षिण भारत के अलावा अन्य अहिन्दी भाषी प्रांतों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार तथा राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना समिति का प्रधान उद्देश्य है। 'एक हृदय हो भारत जननी' समिति का मूलमंत्र रहा है। इसी भावना से ओत-प्रात होकर आज भी समिति अपने उद्देश्य-मार्ग पर आगे बढ़ रही है। इसके द्वारा हिन्दी प्रचार का कार्य भारतीय प्रदेशों के साथ-साथ विदेशों में भी हो रहा है।

प्रारंभ में समिति 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' की परीक्षाएँ चलाती रही। किंतु सन् 1938 से इनमें अपनी परीक्षाएँ प्रारंभ की हैं। समिति के द्वारा निम्नलिखित हिन्दी परीक्षाएँ ली जाती हैं

पाथमिक, प्रारंभिक, प्रवेश, परिचय, राष्ट्रभाषा कोविद, राष्ट्रभाषा रत्न, राष्ट्रभाषा आचार्य, अध्यापन कोविद, आलेखन कोविद, अध्यापन विचारद, वात-चीत, महाजनी प्रवेश तथा प्रांतीय भाषा परीक्षा।

इन परीक्षाओं में राष्ट्रभाषा कोविद, राष्ट्रभाषा रत्न तथा राष्ट्रभाषा आचार्य उपाधि परीक्षाएँ हैं। भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी प्रतिवर्ष परीक्षार्थी इन

परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।

सन् 1938 से समिति ने अपना एक प्रकाशन विभाग भी स्थापित कर लिया है। इसके अंतर्गत अनेक बहुमूल्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। भारत भारती पुस्तकमाला द्वारा समिति ने भारत की प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य हिंदी में प्रकाशित करके भारतीय एकता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। समिति के द्वारा दो मासिक पत्रिकाएँ 'राष्ट्रभाषा' (1943) तथा 'राष्ट्रभारती' (1950)—भी प्रकाशित होती हैं। इनमें 'राष्ट्रभारती' अंतर्प्रान्तीय भारतीय साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका है। समिति की ओर से प्रतिवर्ष विविध स्थानों पर राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इन अवसरों पर 'राष्ट्रभाषा प्रदर्शनियाँ' भी आयोजित की जाती हैं। समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 दिसम्बर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है।

हिंदी प्रचार के कार्य को सुव्यवस्थित बनाने के लिए समिति ने अनेक प्रांतीय समितियों का गठन किया है। ये प्रांतीय समितियाँ केंद्रीय समिति से सबद्ध रहकर उसके कार्य में काफी सहायता पहुँचाती हैं। लका, वर्मा, अफ्रीका, स्याम, जावा, सुमात्रा, मारीशस, अदन, सूडान तथा इंग्लैंड आदि देशों में भी समिति के केंद्र हैं, जहाँ पर हिंदी विद्यालय, पुस्तकालय एवं परीक्षाओं के केंद्र आदि स्थापित हैं।

इन प्रमुख हिंदी-सेवी संस्थाओं के अतिरिक्त हिंदी के बृहद् आंदोलन में न जाने कितनी छोटी-बड़ी संस्थाओं ने जन्म लिया और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी। जानी अनजानी उन हिंदी सेवी संस्थाओं के प्रति यह हिंदी जगत् सदैव ऋणी रहेगा। फिर भी जिन हिंदी सेवी संस्थाओं की रोशनी आज भी सजग है, उनमें निम्नलिखित संस्थाएँ मुख्य हैं

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद (1920), हिंदुस्तानी अकादमी, प्रयाग (1927), महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूना (1937), हिंदी विद्यापीठ, बंबई (1938), हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा (1942), मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्, बंगलूर (1944), महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना (1945), बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना (1947), अखिल भारतीय हिंदी परिषद् (1949) तथा साहित्य अकादमी, नई दिल्ली (1954)।

स्वाधीनता के सदर्न में अपनी भाषा का नारा देने वाली ये सभी संस्थाएँ अतीव महत्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं। 'स्वभाषा' के लिए इन संस्थाओं द्वारा किया गया प्रयास स्तुत्य है। इन संस्थाओं की सबसे बड़ी देन यह है कि इनके द्वारा देश में 'निज भाषा की उन्नति अहै सब उन्नति का मूल है' तथा 'पर-भाषा दामता की सबसे बड़ी निशानी है' जैसी राष्ट्रीय भावना को अकृत्रिम, पल्लविन एवं पुष्पित होने का अवसर प्राप्त हुआ।



## हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी

हिंदी और उर्दू मूलतः एक भाषा रही है।<sup>17</sup> अधिक से अधिक इन्हे एक ही भाषा की दो शैलियाँ कहा जा सकता है। अपभ्रंश काल के पश्चात् नव्य भारतीय आर्य भाषा काल अथवा मुस्लिम शासन काल के मध्य मध्यदेश की जो बोली अखिल भारतीय मपकं भाषा के रूप में अवतरित हुई उमें सर्वप्रथम मात्र 'भाषा' की संज्ञा दी गई।<sup>18</sup> निरुपाधि इस 'भाषा' का हिंदी नाम, जो सबसे पुराना है, मुसलमान साहित्यकारों की ही देन है।<sup>19</sup> इसके बाद समय समय पर इसे हिंदवी, हिंदुई, रेखना, उर्दू हिंदुस्तानी आदि विविध नामों से पुनारा गया।<sup>20</sup> फिर भी अफ़मोस के साथ बहना पड़ता है कि उर्दू साहित्यकारों एवं अंग्रेजों के कूटनीति के वशीभूत हो संप्रदायवादियों ने एक ही जिस्म के दो पहलुओं—हिंदी और उर्दू को काटकर अलग-अलग कर दिया और उन पर ऐसा मजहबी रंग चढ़ा दिया कि फिर वे कभी न जुड़ पाये। हिंदी से उर्दू किस प्रकार अलग की गई, इसके विषय में श्री पद्मसिंह शर्मा की ही ज़ुबानी सुनिये

'उर्दू लेखकों में फारसी और अरबी पढ़े-लिखे विद्वानों की आरंभ ही से अधिकता रही है, इसीलिए उन्होंने उर्दू और फारसी के कठिन शब्दों का व्यवहार ही अधिकांश से नहीं किया, थलिक व्याकरण और पिगल में भी अरबी-फारसी के अस्वाभाविक और अनावश्यक नियमों का अनुकरण किया। यहाँ तक कि वह रस्मों-रिवाज और ऋतुओं आदि के वर्णन में भी फारसी आदि दूसरे देशों के प्राकृतिक दृश्यों का ही समावाधान रहे, उपमान और उदाहरण सब उन्हें वहीं के सूझते रहे। वीरता के उल्लेख में ररतम, पक्षियों में बुतबुल पुष्पों में नरगिस, नदियों में दजला और फरात, पहाड़ों में तूर, प्रेमियों में कंस और फरहाद, सुदरता के आदर्श में यूसुफ, सुतवत्सल पिता के उदाहरण में हजरत याकूफ, उदार दानियों में हातिमताई, न्यायकर्ता में नौशेरवा आदिल इत्यादि—भारत में रहते भी उनकी दृष्टि इन दूर के विदेशी नामों पर पड़ती रही। उन्होंने यहाँ के भीम और अर्जुन, बोधल और मोर, गंगा और जमुना, हिमालय और विंध्याचल, वर्ण और विक्रम आदि अनेक का कभी भूलकर भी वर्णन नहीं किया।

उर्दू लेखकों की इस प्रवृत्ति ने उर्दू को एक नये विदेशी सांचे में ढालकर हिंदी से बलात् पृथक् कर दिया। मजहबी जोश ने भी भाषा के भेद को बढ़ाने में कुछ कम काम नहीं किया। यह लय बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़ी कि उर्दू खालिस हिंदुस्तान के मुसलमानों की मजहबी ज़दान समझी जाने लगी। इसी तरह हिंदी भाषा भी हिंदुओं की। यही भावना एक दूसरे के बर-बिरोध और बहिष्कार का कारण बन गई।<sup>20</sup>

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि भाषा भेद का प्रारंभ उर्दू लेखकों ने किया

और इन्हीं की कृपा से भाषा पर मजहबी रग भी चढा। 'तारीखें नसर उर्दू' के लेखक मौलाना अहसन मारहवी का निम्नलिखित कथन इस बात की प्रामाणिकता में कोई कोर-कसर नहीं रहन देता :

' साथ ही इसके यह खयाल भी लाजमान् करना चाहिये कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही आबाद नहीं हैं, बल्कि उनसे बहुत पहले आरिया (आर्य) आबाद हो चुके हैं। अगर मुसलमान अपने साथ अरबी, फारसी और तुर्की अलफाज लाए हैं तो हम साया अकवाम (पड़ोसी जातियों) के पास भी सस्कृत और दूसरी प्राकृतों मौजूद हैं। उर्दू के जामा जब जिस्म पर भारी भारी लपजो का बार (भार) डालना उमकी असली और फितरी (प्राकृतिक) सूरत को बिगाड देना है। दसवीस बरस से यह बबा एआम फौली है कि खास कदो काविश (जानबूझ बर, प्रयत्नपूर्वक) के साथ गैर मुरब्बिज तरकीबें (अप्रचलित वाक्य विन्यास) और नामूम (गैर मानूम) अरबी व फारसी अलफाज का इस्तेमाल उर्दू इनाफरदाजी (लेखन कला) का ईम्तयाजी निशान (विशेषता सूचक चिह्न) समझा जाता है। मुसलमानों की इस हरकत ने हिंदुओं को भी निचला बैठने नहीं दिया और अब वह भी अपने हातके फुलके बयान का सस्कृत के भारी भरकम शब्दों से भिलाकर गुट्टल करते जाते हैं।<sup>91</sup>

### बीसवीं शताब्दी हिंदी-उर्दू-विवाद

'भारतीय भाषाओं में भेद तो मंदेव रहे हैं, किंतु हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का भेद कुछ विचित्रता लेकर अवतीर्ण हुआ। इन शब्दों का सूत्रपात चाहे कही स हुआ हो, इनकी जन्म कुडली बनाने वालों के टरादे दूषित एवं विस्फोटक थे।'<sup>92</sup> हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी के सदम में डा० सरनाम सिंह शर्मा का यह कथन महत्वपूर्ण है। वस्तुतः भाषा के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता के जन्मदाता एन उसके पोषक अंग्रेज रहे हैं। उन्हीं की यह कृपा थी कि उन्नीसवीं शताब्दी<sup>93</sup> के प्रथम चरण से हिंदी और उर्दू के बीच भेद की जो लाई पड़ी, उसने कभी पटन का नाम नहीं लिया, बल्कि दिनो दिन बढ़ती ही गई और यहां तक बढ़ी कि भारत दो टुकड़ों में बंट गया।

बीसवीं शताब्दी में आकर देश राजनीतिक चेतना से पूर्ण सजग हो उठा तथा स्वाधीनता सघर्ष के बीच अखिल भारतीय सघर्ष भाषा हिंदी की महत्ता भी सर्व-विदित हो उठी। उसके राजभाषा सघर्षी अधिकार के लिए व्यापक आदोलन भी चल पड़ा। इस चूहन् आदोलन के मध्य हिंदी के प्रगति पथ पर उर्दू का प्रयत्न साम्प्रदायिकता के लिबाम में अडक-र पडा हो गया। अंग्रेजों की कूटनीति यहा अपनी साधना में पूर्ण सफल हुई। देश का वातावरण ऐसा दूषित कर दिया गया कि उर्दू मुसलमानों की और हिंदी हिंदुओं की भाषा है, यह विद्वानस बुद्धतर

गांधी जी स्वयं तो संस्कृत तथा फारसी के विसृष्ट शब्दों से रहित सरल-स्वाभाविक भाषा को ही हिंदुस्तानी भाषा मानते थे, किंतु उनके अधिवास मुस्लिम अनुयायी फारसी के जटिल शब्दों का प्रयोग करने में ही अपनी धान समझते थे। दूसरी ओर बहुत से हिंदी नागरी के समर्थक हिंदुस्तानी से असंतुष्ट थे। वे नागरी में लिखित हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में देवना चाहते थे।

गांधी जी की हिंदुस्तानी नीति का देश की तत्कालीन अधिवास हिंदी-सेवी संस्थाओं ने खुले दिल से समर्थन किया। सन् 1935 में 'हिंदी साहित्य सम्मेलन' के 24वें इंदौर-अधिवेशन में सभापति पद से दिये गये भाषण में गांधी जी ने कहा

'हिंदुस्तानी और उर्दू में कोई पंच नहीं है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने पर वह हिंदी और अरबी में लिखी जाने पर वह उर्दू बही जाती है।'<sup>91</sup>

फिर भी भाषा समस्या का कोई सही समाधान न निकल पाया। एक तरफ हिंदुस्तानी से मुसलमान बड़े असंतुष्ट दिखाई पड़े, तो दूसरी तरफ सिर्फ नागरी समर्थक हिंदुओं ने बसबुर इसका विरोध किया। इसी अधिवेशन से गांधी जी तथा सम्मेलन में भी मतभेद प्रारंभ हुआ। अब हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रश्न ने एक नया मोड़ लिया।

### हिंदुस्तानी और हिंदी

सन् 1935 से हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर गांधी जी और सम्मेलन में जो मतभेद पैदा हुआ, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया। सन् 1938 तक आते-आते सम्मेलन की भाषा नीति बिल्बुल स्पष्ट हो गई। उसने राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्र-लिपि के रूप में हिंदी व नागरी को ही अपनाने का निर्णय लिया। एक ओर सम्मेलन के अनेक नेता— सर्वश्री कन्हैयालाल मणिकलाल भुशी, संपूर्णानंद, अमरनाथ झा तथा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन आदि हिंदी व नागरी का खुलकर समर्थन करने लगे और दूसरी ओर शंकर कालेलकर, सेठ जमनादास बजाज, डा० राजेंद्र प्रसाद, प० जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुलकलाम आजाद आदि उच्च राज-नीतिक नेता 'हिंदुस्तानी' के प्रबल समर्थक रहे।

हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सन् 1941 में होने वाले अपने अबोहर (पंजाब) अधिवेशन में हिंदुस्तानी को अपनाने से साफ इन्कार कर दिया। आगे चलकर हिंदी और हिंदुस्तानी के भेद ने ऐसा रूप धारण किया कि गांधी जी को सम्मेलन से संबंध तोड़ लेना पड़ा। इस समय तक हिंदी-हिंदुस्तानी का विवाद केवल हिंदी-भाषी प्रांतों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी छूत हिंदी प्रचारकों को भी लग गई और दक्षिण तथा पश्चिम भारत में काम करने वाले हिंदी प्रचारक भी दो दलों में बंट गये।<sup>92</sup>

राजनीतिक दृष्टि से यद्यपि हिंदुस्तानी शब्द की चर्चा जोरो से चल रही थी, कांग्रेसी नेता 'हिंदुस्तानी' का खूब प्रचार कर रहे थे, फिर भी मुस्लिम लीग का यह आरोप था कि कांग्रेस मुसलमानों पर हिंदुओं की भाषा थोप रही है। लीग कांग्रेस की शिक्षा और भाषा नीति दोनों से असंतुष्ट थी। इस प्रकार हिंदुस्तानी को दोहरा विरोध सहना पड़ रहा था, एक ओर हिंदी का और दूसरी ओर उर्दू का।

सन् 1947 में देश स्वाधीन हो गया। देश की राजनीति ने एक नई दिशा ली। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान बन जाने पर देश में लीग मतावृत्ति का दिन प्रतिदिन ह्रास होता गया। इसी बीच जनवरी सन् 1948 में हिंदुस्तानी के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी चल बसे। अब लोग यह सोचने लगे कि जब मुसलमानों का एक अलग मुल्क बन गया तथा वहाँ उर्दू राजभाषा के तौर पर अपना ली गई, तब तो हिंदी की ही भारत की राजभाषा होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी की अब कोई सार्थकता न रही।

अतः राजभाषा के सदर्भ में हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रश्न को स्वाधीन भारत की संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा ने इस प्रश्न का समाधान क्या और कैसे प्रस्तुत किया? इसकी चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी।

## सदर्भ

- 1 अंग्रेजी नीति की समीक्षा करते हुए सर जॉन शोर ने लिखा है—  
"The fundamental principle of the English had been to make the whole Indian nation subservient in every possible way, to the interest and benefits of themselves"  
'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 250-51 पर अवतरित।
- 2 नोट—इन आंदोलनों की विस्तृत चर्चा इसी अध्याय में आगे की जाएगी।
- 3 "The conquest of Bengal by the English was not only a political revolution but involved a greater revolution in thought and ideas, in religion and society."  
by Ramesh Chandra Dutta  
'हिंदी भाटक उद्भव और विकास', डा० दशरथ ओझा, पृ० 175 पर अवतरित।
- 4 रमेशचंद्र दत्त ने श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को एक पत्र में लिखा था—

“What a wonderful revolution we have seen within the life time of generation ..a wonderful change.”

‘सही बोली का आंदोलन’, पृ० 249 पर अत्रागित ।

5. ‘भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और सविधान’, पृ० 23 ।

6. देश सेवा की दुर्दशा के मूल कारण गुलाबी पर गानि प्रकट करने हुए श्री बानमुकुंद गुप्त ने लिखा—

‘हमारे जाति न बन है, नहीं अर्थ न काम ।

वहाँ दुराई आप मे, हमरी जाति गुलाम ।’

बहुत दिन बीते राम प्रभु, सोये अपना देश ।

मोयत हैं अब बैठे, भाषा, भाजन, भैस ॥’ — स्फुट कविता’, पृ० 16 ।

स्वतंत्रता की देशोन्नति का मूल मानते हुए प० प्रताप नारायण मिश्र ने कहा—

‘सब तजि गहो स्वतंत्रता, नहिं चुप लाते राव ।

राजा परे सो न्याय है, पासा परे सा दाव ॥’

—‘नोकीकिनसतव’, पृ० 3 ।

भारतेन्दु जी ने भारत के प्राचीन शक्तियों का यशगान इन शब्दों में किया—

‘घन-धन भारत के सब क्षत्री, जिनकी गुजस धुजा पहराया ।

मारि-मारि के मनु दिये है, लागन बेर भगाय ।

महानद की पीज गुनत ही, डरे सिवन्दर राय ।

राजा चद्रगुप्त ले आये, सेल्यूस की जाय ॥’

—भा० प्र० द्वि० भा०, पृ० 503 ।

और श्रीधर पाठक की निम्नांकित पक्तियों से स्वाधीनता का स्वर प्रथम बार बेग से निकल पड़ा—

‘जय जयति सदा स्वाधीन हिंद,

जय जयति जयति प्राचीन हिंद,

हिंद अनुपम अगम बन, प्रेम बेल रसपुज,

श्रीधर मन मधुकर फिरत, गुजत नित नव कुज ।’

‘हिंद बचना’ 1885 ई०, पृ० 48 ।

7. ‘हमारा संवैधानिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन’ पृ० 10 ।

8. अंग्रेजों की इस शोषण नीति पर व्यंग करते हुए भारतेन्दु जी ने लिखा है—

‘भीतर-भीतर सब रस चूसे, हसि हसि के तन मन धन मूसे ।

जाहिर यातन मे अतिलेज, क्यो सगि साजन नहि अगरेज ॥’

भारतेन्दु प्रयावली' (नये जमाने की मुखरी), द्वितीय भाग, पृ० 881 ।  
और प्रताप नारायण मिश्र ने कहा है—

'नित हमरी लार्त सहेँ, हिंदू सब धन खोय ।

खुलै न इंग्लिश पालिसी, जन्म मुफल तब होय ॥'

—'प्रतापपीथूप', पृ० 19 ।

9 'सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास', पृ० 2 ।

10 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', वर्ष 63-अंक 2, पृ० 149 ।

11 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल तो भारतेन्दु जी का मूल मन ही था, आग चनकर प० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा—

'माता है जैसी पूज्य सुनो हे भाई ।

भाषा है उसी प्रकार महा मुददायी ।

माता स पूज्य विशेष देस भाषा है ।

मिथ्या यह हमने वचन नहीं भासा है ।'

—'सरस्वती', फरवरी 1905 ।

इतना ही नहीं, श्री गिरिधर शर्मा का कथन है—

'जनम बूधा है तो भी मेरे जान रोगन को,

हिंद व जनम पार्क हिंदी जो न जानी हो ।'

—'सरस्वती', 1908, पृ० 352 ।

12 ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों में दिल्ली के अमिस्टेंट रेजिडेंट सी० टी० मेटकाफ ने 29 अगस्त, सन 1806 को जानगिलक्राइस्ट को लिखे गए एक पत्र में कहा था कि 'भारत का ज़िम भाग में मुझे काम करना पड़ा है, मुझे हर जगह ऐसे लोग मिले हैं, जो हिंदुस्तानी बोल सकते हैं। हिंदुस्तानी एक ऐसी जवान है, जो आमगौर स उपयोगी साबित होती है और मेरी समझ में सत्कार की किसी भी भाषा में उसका व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर होता है।' इसी प्रकार मद्रास के लेफ्टिनेंट टामस रीबन ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों की एक बमेट्री को एक पत्र में लिखा कि 'हिंदुस्तानी सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा तथा भारत की महान मानप्रिय भाषा है।'

दृष्टव्य

'A Vocabulary, Hindustani and English, English and Hindustani'

13 हिंदुस्तानी को मापी जी ने राष्ट्रभाषा बनाया हो, ऐसी बात नहीं है। जो पचीस और साठ हिंदुस्तान भर में घूमते थे, वे हिंदुस्तानी ही बोलते थे।

इस तरह वह सहज ही राष्ट्रभाषा हो चुकी है। उसी को हमने मान्यता दी है।

चिनोबा भावे : 'शांति यात्रा', पृ० 48

14. 'इसके अलावा खड़ी बोली के काव्य में प्रयुक्त न हो सकने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि जिस प्रकार दिल्ली और कन्नौज के अधीश्वरों के पारस्परिक विग्रह के कारण भारत में मुसलमानों का आधिपत्य जमा उसी प्रकार इन स्थानों की भाषाओं—खड़ी बोली और ब्रजभाषा—की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण मुसलमानी हिंदी (उर्दू) को उन्नत होने का अवसर मिला और बाद में उसे राजाश्रय मिल गया। धर्म का आश्रय पकड़कर ब्रजभाषा काव्य की भाषा बनी और राजाश्रय प्राप्त कर 'उर्दू' समृद्धि-शालिनी हुई पर 'खड़ी बोली' केवल लोकाश्रय में रहकर बोलचाल व दैनिक व्यवहार की भाषा ही बनी रह गयी। इसे काव्य भार या राज्य भाषा का गौरव नहीं मिल सका।'—'खड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 57।
15. 'भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा' • डा० ज्ञानवती दरबार, पृ० 49।
16. 'राजाराम मोहनराय स्वयं हिंदी में लिखते थे। उनका धार्मिक तथा सामाजिक कार्य बगला तक सीमित नहीं था। यद्यपि वह फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे, परन्तु वह जानते थे कि बिना हिंदी के कोई भी अंतर प्रांतीय काम नहीं किया जा सकता। अपने विचारों के व्यापक प्रचार के लिये उन्होंने जो पुस्तकें छपवाईं, वे अधिकांश हिंदी में थीं।'  
—'स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के संघर्ष का इतिहास', पृ० 55।
17. "The Prarthana-Samaj is really the seal of Keshab's apostolate, for it was he who drew the attention of thoughtful men to the great need for liberalising religion and for infusing new fervour and reforming zeal into the minds of those accustomed to cast ridden, dogma-ridden, priest-ridden Hinduism"  
—'Indian Nation Builders' : D.N. Banerjee, p 58.
18. द्रष्टव्य : 'आर्य समाज का इतिहास' (प्र० भा०) इन्द्र विद्या वाचस्पति, पृ० 303-4।
19. वही, पृ० 304।
20. स्त्री शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए स्वामी दयानंद ने लिखा है—  
'स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये। क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ? (उत्तर) अवश्य, देखो थोत सूत्रादि में—  
'इम मत्र पत्नी पठेत्' अर्थात् स्त्री यज्ञ में इम मत्र को पढ़ें। जो वेदादि

शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो ब्रज म स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके ? इसलिये जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका बनीं कर हो सके तथा राजकार्य न्यायाधीश-त्वादि गृहाश्रम का कार्य जो पति की स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ।

‘सत्यार्थ प्रकाश’ स्वामी दयानंद सरस्वती, पृ० 45 ।

- 21 ‘उन दिनों अधिकांश व्यक्ति स्वामी जी के धार्मिक दृष्टिकोण समझने और ग्रहण करने के हेतु आर्य समाज के हिंदी पत्रों को पढ़ते और दूसरों में भी प्रचार करते थे । अनेक धर्म प्रेमी अपढ़ लोगो ने हिंदी पढ़ना इसलिये प्रारंभ किया, जिससे वे आर्य समाज के धार्मिक सिद्धांतों को समझ सकें ।’  
—‘हिंदी भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन’ डा० लक्ष्मी-नारायण गुप्त, पृ० 169 ।
- 22 ‘न केवल भारत में, अपितु अफ्रीका, मारीशस, स्याम, ब्रह्म, मलाया तथा यूरोप के देशों में, जहाँ भी आर्य समाज है, वहाँ हिंदी में कार्य, हिंदी में विद्यालय और प्रकाशन भी होते हैं ।’—‘गंगा प्रसाद अभिनंदन ग्रंथ’ ‘हिंदी और आर्य समाज’ प्रकाशवीर शास्त्री), पृ० 293 ।
- 23 श्री इन्द्र विद्या वाचस्पति का शर्मा जी के हिंदी लेखन के विषय में कथन है कि—‘भीमसेन शर्मा संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सुलेखक थे । स्वामी जी के अनेक ग्रंथों के अनुवाद और सशोधन का कार्य करने के कारण वह लेखन कार्य में काफी निपुण हो गये थे ।’  
—‘आर्य समाज का इतिहास’ (प्र० भा०), पृ० 242 ।
- 24 आर्य समाजी और हिंदू महासभा के नेता होने के नाते हिंदी की सेवा भाई परमानंद की राजनीति का आवश्यक अंग थी । शिक्षा तथा सां-जनिक कार्य के क्षेत्रों में हिंदी को यथोचित स्थान दिलाना उनकी नीति रही । —‘भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा’, पृ० 100 ।
- 25 ‘हसराम के त्याग और बलिदान से ही सन् 1885 और 86 में क्रमशः डी० ए० बी० स्कूल व कालेज की स्थापना हो सकी । उनकी व्यक्तित्व आधु-निक पंजाब के इतिहास में अद्वितीय है । गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक मुंशीराम ही ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख हमराज के साथ किया जा सकता है । आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के बाद इन दोनों सज्जनों के नाम ही ऐसे हैं, जिनके बिना आर्य समाज की बल्बना करना अनभव है ।’  
—‘आर्य समाज’ लाला लाजपतराय, पृ० 187 ।
- 26 (अ) 14 दिसम्बर सन् 1923 के ‘हिंदी नव जीवन’ में लाला लाजपतराय



की चर्चा करते हुए गाधी जी ने लिखा है—

‘लाला जी सदा शक्ति चित्त रहते हैं और उन्हें मुसलमानों के उद्देश्य के बारे में बड़ी जका रहती है। लेकिन वह मुसलमानों की दोस्ती सच्चे दिल से चाहते हैं। लाला जी के प्रति मेरा बड़ा आदर भाव है। मैं उन्हें बहादुर, आत्मत्यागी, उदार, सत्यनिष्ठ और ईश्वर से डरने वाला मानता हूँ। उनका स्वदेश प्रेम बड़ा ही शुद्ध है। देश की जितनी और जैसी सेवा उन्होंने की है, उसमें उनकी बराबरी करने वाले बहुत कम हैं।’

—‘मेरे समकालीन’, पृ० 534।

(ब) ‘वाणी, स्वर, इन जन्मसिद्ध विभूतियों को लाला जी ने बहुत यत्नपूर्वक सस्कार किया था। व्याख्यान देने की कला का उन्होंने कलाकारों की भाँति अभ्यास किया था। परिणाम यह था कि वह अपने समय में हिंदुस्तानी के सर्वोत्कृष्ट वक्ता बन गये।’

—‘मैं इनका ऋणी हूँ’ इन्द्र विद्या वाचस्पति, पृ० 56।

- 27 स्वामी श्रद्धानन्द के हिंदी-प्रेम की सराहना करते हुए गाधी जी ने लिखा है—‘स्वामी जी से मेरा पहला परिचय तब हुआ जब वह महात्मा मुशीराम के नाम से प्रसिद्ध थे, वह परिचय भी पत्रों से हुआ। उस समय वह गुरुकुल कागड़ी के प्रधान थे, जो कि उनका सबसे पहला और बड़ा शिक्षा क्षेत्र का काम है। वह सिर्फ पश्चिमी शिक्षा पद्धति से ही सन्तुष्ट न थे। लड़कों में वह वेद शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे और वह पढाते थे हिंदी के जरिये, अंग्रेजी के नहीं।—इस विषय में स्वामी जी ने मुझे जी पत्र भेजा था, वह हिंदी में था। उन्होंने मुझे ‘मेरे प्रिय भाई कहकर लिखा था। इसने मुझे महात्मा मुशीराम का प्रिय बना दिया।’

—‘हिंदी नव जीवन’, 6 जनवरी, 1927।

- 28 ‘यह मानी हुई बात है कि स्वामी जी ने सर्व साधारण में आर्य भाषा में व्याख्यान देना बाबू केशव चंद्र सेन के कहन पर ही प्रारंभ किया था। इससे पूर्व वह संस्कृत में ही व्याख्यान देते थे।’

—इन्द्र विद्या वाचस्पति ‘आर्य समाज का इतिहास’, पृ० 83।

- 29 ‘आर्य समाज के तत्कालीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन के प्रसार के निमित्त जो व्याख्यानों और वक्तृताओं की धूम मची, उससे हिंदी गद्य को बड़ा प्रोत्साहन एवं बल मिला। इस धार्मिक आन्दोलन के कारण सार उत्तरी भारत में हिंदी का प्रसार हुआ। इसका कारण यह था कि आर्य समाज के आदि गुरु स्वामी दयानन्द ने, स्वयं गुजराती होने पर भी, हिंदी को ही सर्वोत्तम अपनाया। इस स्वीकृति का मुख्य कारण हिंदी की व्यापकता थी।’—डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा ‘हिंदी गद्य शैली का विकास’, पृ० 78।

30. आर्य समाज का इतिहास', (प्र० भा०), पृ० 304।
- 31 'मत्स्यार्थ प्रकाश', पृ० 141।
- 32 'नारायण अभिनदन ग्रंथ' पृ० 156 पर अवतरित।
- 33 भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा', पृ० 62 से साभार उद्धृत।
- 34 "Among the various vernaculars that are spoken in the different parts of India, there is one that stands out strongly from the rest, as that which is most widely known It is Hindi. A man who knows Hindi can travel all over India and find every-where Hindi-speaking people .....The learning of Hindi is a sacrifice that southern India might well make to the unification of the Indian nation "
- 'भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा', पृ० 388 पर उद्धृत।
- 35 'हिंदी प्रचारक-मद्रास', अस्विन-कालिक, स० 1985।
- 36 द्रष्टव्य 'हिस्ट्री आफ इंडियन जर्नलिज्म' (भाग दो) पृ० 99।
- 37 'बड़ी बोली का आंदोलन', पृ० 140।
- 38 'श्रीवर्षा बिंदु': चौधरी प्रेमधन, पृ० 41।
- 39 'धर्मयुग'—स्वाधीनता रजत जयन्ती वर्ष, अगस्त 1972, पृ० 10 पर उद्धृत।
- 40 गांधी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात का उद्घोष किया था कि 'मैं भारतमाता के लिये अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हूँ, किंतु सत्य व अहिंसा नहीं।' उसका कारण समझाते हुए उन्होंने कहा—'हिंसापूर्ण उपायों में लिया गया स्वराज्य भी हिंसापूर्ण होगा और वह दुनिया के लिये और खुद भारत के लिये भय का कारण सिद्ध होगा।' 'धर्मयुग'—स्वाधीनता रजत जयन्ती वर्ष, अगस्त 1972, पृ० 10 पर उद्धृत।
41. इस प्रस्ताव के संबंध में टिप्पणी देते हुए गांधी जी ने अपना विचार इन शब्दों में प्रकट किया—'हिंदुस्तानी के उपयोग के बारे में जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह लोकमत को बहुत आगे ले जाने वाला है। हमें अब तब अपना काम-काज ज्यादातर अंग्रेजी में करना पड़ता है, यह निराह्वान प्रतिनिधियों और कांग्रेस की महामिति के ज्यादातर सदस्यों पर होने वाला एक अयाचार ही है। इस बारे में त्रिभुज किन्ही दिन हमें आगिरी फैलाना करना होगा ही। जब होगा होगा तब कुछ बक्त के लिये थोड़ी दिवसों पैदा होंगी, भोजन अमताप भी रहेगा। लेकिन राष्ट्र के विकास के

लिये यह अच्छा ही होगा कि जितनी जल्दी हो सके हम अपना काम हिंदुस्तानी में करने लगे। —'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 25।

42 'राष्ट्रभाषा का इतिहास', पृ० 84-85।

43 'हिंदी आदोलन' (हिंदी और राष्ट्रीय एकता), पृ० 32।

44 द्रष्टव्य 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 3 से 8।

45 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 5।

46 'समाज की सबसे बड़ी सेवा हम पहले अपने आपको बन्धनों से मुक्त करके ही कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि अंग्रेजी भाषा तथा रीतिरिवाजों के अनुकरण से हम और अधिक बन्धनों में पड़े हुए हैं। देश प्रेम और जनता के प्रेम से हमें देशी भाषाओं की ओर निहारना चाहिए। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति होने के लिये अत्यावश्यक है।' —महात्मा गांधी 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 1।

47 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 45।

48 द्रष्टव्य 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 43-44।

49 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 44।

50 'शिक्षा का माध्यम', पृ० 11।

51 वही, पृ० 12।

52 'आत्मवक्ता', पृ० 18।

53 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 46।

54 वही, पृ० 11।

55 एक हिंदी प्रचारक को लिखे हुए पत्र में उनकी इस आकांक्षा का आभास मिलता है—

'जब तक तमिल प्रदेश के प्रतिनिधि सचमुच हिंदी के बारे में सख्त नहीं बनेंगे, तब तक महासभा में से अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि हिंदी के बारे में करीब-करीब खादी के जैसा ही रहा है। वहाँ जितना संभव हो, आदोलन किया करो। आखिर में तो हम लोगों की तपश्चर्या और भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा।'

'हिंदी प्रचारक'—फरवरी, 1929, पृ० 35।

56 'भाषा और समाज', पृ० 414।

57 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी' पृ० 44-45।

58 वही, पृ० 49।

59 गांधी जी ने लिखा है—

'अंग्रेजी ने हम पर जो जादू का असर डाला वह अभी नष्ट नहीं हुआ है। उसके कारण हम हिंदुस्तान की, उसके ध्येय की ओर प्रगति में रोड़े



कोण में कोई मौलिक भेद नहीं। 'किंतु यदि आप मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं और आपकी आत्मा यही बहता है कि सम्मेलन में अलग हो जाऊँ, तो आपके अलग होने की बात पर बहुत खेद होते हुए भी नतमस्तक हा आपके निर्णय को स्वीकार करूँगा।'

—'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', क्रमशः पृ० 173 व 175।

- 64 'भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा', पृ० 213।
- 65 'राष्ट्रभाषा हिंदी का नया स्वरूप' शीर्षक लेख में सावरकर जी ने अपनी इस मान्यता को इन शब्दों में दोहराया है—'संस्कृतनिष्ठ हिंदी को ही हर हालत में राष्ट्रभाषा बनना चाहिये। मुसलमान लोगों को प्रसन्न करने के लिये हिंदी को विकृत करने की आवश्यकता नहीं। हिंदी से संस्कृत शब्दों का बहिष्कार उचित नहीं।' —'वीणा' (इन्दौर), अगस्त, 1937।
- 66 (क) 'हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार करने में अन्य प्रांतों की भाषा के संबंध में कोई अपमान की भावना या ईर्ष्यासु भावना नहीं है। हमें अपनी प्रांतीय भाषाओं से भी उतना ही प्रेम है, जितना कि हिंदी से। ये सब भाषाएँ अपने-अपने क्षेत्र में उन्नत होती रहेंगी। वास्तव में कुछ प्रांतीय भाषाएँ हिंदी भाषा की अपेक्षा अधिक सम्पन्न हैं, परंतु फिर भी हिंदी अतिलिखित हिंदुत्व की राष्ट्रभाषा होने के लिये सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है।' —सावरकर 'हमारी समस्याएँ', पृष्ठ 30।
- (ख) 'हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। वह पक्ष निरपेक्ष है। जिन लोगों को हिंदुस्तान की एकता अभीष्ट है उन्हें राष्ट्र-संगठन आज का युगधर्म-ना मालूम होता है। स्वराज्य जिनके लिये प्राण स्वरूप है ऐसे सब लोग राष्ट्रभाषा प्रचार के आंदोलन में दारोक्त हो सकते हैं।... प्रांतीय भाषा के अभिमानियों को भी इतना ही बहूँगा कि राष्ट्रभाषा के प्रचारक हम लोग हिंदी भाषा-भाषी नहीं हैं।' —काका साहब बालेलकर 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' के सन 1938 के अधिवेशन में दिये गये भाषण से। 'भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा', पृ० 396 पर उद्धृत।
- 67 'साहित्य शिक्षा और संस्कृति', पृ० 57।
- 68 'मन 1936 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' मद्रास के नये भवन का उद्घाटन करते समय दिये गये भाषण से।  
—'हिंदी प्रचारक' (मद्रास), सितम्बर-अक्टूबर, 1936।
- 69 'राजभाषा'—मसदीय हिंदी-परिषद का मासिक—22 मई, मन 1959।
- 70 'विनोबा-स्तवन' प० बालवृष्ण शर्मा, 'नवीन', पृ० 4।
- 71 राष्ट्रभाषा के विषय में विनोबा जी का स्पष्ट मन है कि—'आज राष्ट्र-

भाषा के तौर पर संस्कृत नहीं चलेगी। फिर दूसरी कौन-सी भाषा राष्ट्र-भाषा हो सकती है? आखिर यही तय पाया कि हिंदुस्तानी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि पंद्रह-अस करोड़ लोग उस भाषा को जानते हैं। बंगाली लोग अगर पूछें कि बंगला क्यों राष्ट्रभाषा न हो? क्या उसमें साहित्य की कमी है? मैं कहूंगा बंगला में हिंदुस्तानी से बढ़कर साहित्य है। फिर भी वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। उसका एक ही कारण है कि वह भाषा अधिक लोग नहीं जानते। हिंदुस्तानी को गांधी जी ने राष्ट्रभाषा बनाया हो, ऐसी बात नहीं है। जो फकीर और साधु हिंदुस्तान भर में घूमते थे, वे हिंदुस्तानी ही बोलते थे। इस तरह वह सहज ही राष्ट्रभाषा हो चुकी है। उसी को हमने मान्यता दी है।'

—'शांति यात्रा' पृ० 47-48।

- 72 'सेठ गोविंद दास अभिनदन ग्रंथ', पृ० 66।
- 73 'बन्हेयालाल मणिर लाल मुशी अभिनदन ग्रंथ', पृ० 87।
- 74 'भारतेन्दु हरिश्चंद्र' डा० रामविलास शर्मा, पृ० 73।
- 75 'निश्चय ही भारतेन्दु युग तक आते आते हिंदी गद्य में युगांतर उपस्थित हो गया था और हिंदी नये चाल में ढलने लगी थी।'—डा० रामचंद्र तिवारी 'हिंदी का गद्य साहित्य', पृ० 32।
- 76 'हिंदी गद्य के युग निर्माता' डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, पृ० 7।
- 77 'पद्मी बोनी का आंदोलन', पृ० 103।
78. 'हिंदी गद्य के युग निर्माता', डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, पृ० 49-50।
- 79 'हमारा हिंदी साहित्य प० महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा श्रेणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। 'सरस्वती' के सम्पादन के रूप में उन्होंने जाई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अनुद्धियाँ दिना-दिनांतर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया।'—आचार्य शुरन : 'हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ० 450।
80. 'अभी मिनेगा ब्रजमडलन का मुमुक्त भाषामय वस्त्र एव ही। परीर सगी करके उसे गदा, विराम होगा तुम्हको अवश्य ही। दसीनिये हे भवभूति भाविते, अभी यहा है कविते न आ न ना।'  
—'सरस्वती' ('ह कविते'—आचार्य द्विवेदी) जून सन 1901।
- 81 'गद्य और पद्य की भाषा पृथक्-पृथक् रूप हानी चाहिए। हिंदी ही एन ऐसी भाषा है जिनके गद्य में एव प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार की भाषा निर्णी जाती है। सम्य सम्राज की जो भाषा हो उसी में गद्य-पद्योत्पन्न साहित्य होना चाहिए।'—आचार्य द्विवेदी : 'सरस्वती' ('गद्य-पद्य',

सन 1901 ।

- 82 'सरस्वती' (सरस्वती की महावीरता), सन 1907, पृ० 19 ।
- 83 'सरस्वती' सन 1909, पृ० 555 ।
- 84 'राजपि अभिनदन ग्रन्थ' (डा० राजवली पाण्डेय द्वारा लिखित 'भाषात्मक प्रतिभ्राति' से) । पृ० 680 ।
- 85 पत्रिका के उद्देश्य : '(1) नागरी लिपि और हिन्दी भाषा का संरक्षण तथा प्रचार,  
(2) हिन्दी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन,  
(3) भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान,  
(4) प्राचीन, अर्वाचीनशास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन ।'  
'नागरी प्रचारिणी पत्रिका'—स० 2016, अंक 3-4 ।
- 86 सम्मेलन के उद्देश्य 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' के संतालीसवें वार्षिक विवरण से उद्धृत हैं ।
- 87 'उर्दू और हिन्दी एक ही हैं, इस तरह जैसे सती और पार्वती'—  
'भाषा' डा० राम मनोहर लोहिया, पृ० 8 ।
- 88 'संस्कृत बबिरा कूप जल, भाषा बहता नीर'—कबीर ।  
'का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये साब'—तुलसी ।  
'भाषा निबन्ध मतिमजुलगातनीति'—तुलसी ।  
'भाषा दोलि न जानही, जिनने बुरा के दास'—वेणुप ।  
'दोसिल बयना सब जन मिट्ठा'—विद्यापति ।
- 89 'भाषा के लिये हिन्दी शब्दों के सर्वप्रथम नामकरण का श्रेय मुसलमान लेखकों और कवियों ही को दिया जा सकता है । हिन्दुओं का इसमें जरा हाथ नहीं है । इस बात को सभी आधुनिक इतिहास लेखकों ने स्वीकार कर लिया है ।'  
—परसिंह शर्मा, 'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी' पृ० 14-15 ।
- 90 श्री परसिंह शर्मा ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी' में उर्दू के ही पच्चीसों लेखकों एवं कवियों की उक्तियों के साक्ष्य में बड़ी प्रामाणिकता के साथ यह सिद्ध किया है कि हिन्दी, हिन्दवी, रेस्ता, उर्दू एवं हिन्दुस्तानी आदि एक ही भाषा के विविध नाम हैं ।  
दृष्टव्य 'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी', पृ० 14 से 28 ।
- 91 'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी', पृ० 36-37 ।
- 92 'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी', पृ० 38 से साभार अवतरित ।
- 93 'हिन्दी भाषा की आधुनिक समस्याएँ', पृ० 8 ।
- 94 नोट उन्नीसवीं शताब्दी में हुए हिन्दी-उर्दू-विरोध एवं उनके कारणों का

विस्तृत विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

- 95 गांधी जी ने हिंदी की परिभाषा का स्पष्टीकरण इन शब्दों में किया—  
 'हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्से में मुसलमान और हिंदू एन ही भाषा बोलते हैं। भेद सिर्फ़ पढ़े-लिखने में पैदा किया है।...उत्तरी हिंदुस्तान में जिस भाषा को यहाँ का जन समाज बोलता है, उसे आप चाहे उर्दू वहे, चाहे हिंदी, बात एक ही है। उर्दू लिपि में लिखकर उसे उर्दू नाम से पहचानिये और उन्हीं वाक्यों को नागरी लिपि में लिखकर उसे हिंदी कह लीजिये।'  
 —'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 6।
- 96 'एक दूसरे के विरोध में चलने वाले हिंदी-उर्दू के दो दल बन गये। इधर तो नागरी या हिंदी के प्रचार के प्रयत्न प्रबल हुए और उधर जवान (उर्दू) की तरक्की के लिये अनेक उलमा की अजुमूनों वाम करने लगीं। परिणाम यह हुआ कि कुहली बनाने वालों की मशा पूरी हुई और दोनों के बीच की धार्मिक और राजनीति खाई गहरी होती।  
 डा० सरनाम सिंह धर्मा 'हिंदी भाषा की आधुनिक समस्याएँ', पृ० 8।
- 97 हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, पृ० 1।  
 दोनों उपदलों की प्रतिनिधि भाषा का उदाहरण प० पद्मसिंह धर्मा ने यो दिया है—  
 एक सज्जन विशुद्ध हिंदी के परम पक्षपाती थे। उनके दाहिने पाद के अगूठे में चोट लग गयी थी, कारण पूछने पर बोले—'दक्षिण पाद के अगुच्छ में प्रस्तर के आघात से व्रण हो गया है, उस पर अग्नि-वस्त्र, वेष्टन कर रक्खा है, इससे लाभ की पूर्णतया संभावना है, अन्य प्रकार की अप्राकृत चिकित्सा प्रणाली का मैं विरोधी हूँ।'  
 हजरत जानजाना में सम्यद इशा का एक अर्ज—  
 'इब्नदाये सिन सबा से ता अबायले-रीआन और अबायले-रीआन ने इलल आन इदितायके-मालइ ताक तकविल अतवए-आलिये न यहदे वा, कि सिल्के-तहरीरो-तकरीर में मुत्तजिम हो सके, लिहाजा देवास्ता ओ वसीला हाजिर हुआ हूँ।' (दरिया ए-लताफत)।  
 — हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी' क्रमशः पृ० 13 व 12।
- 98 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी' पृ० 17।  
 प० पद्मसिंह धर्मा ने भी हिंदी हिंदुस्तानी की परिभाषा इन शब्दों में दी है—  
 'विशुद्ध हिंदी और फसीह उर्दू-ए-मुअल्ला की एक दरम्यानी सूरत का नाम हिंदुस्तानी कहा जाता है, जिसमें सकील और गैरमानूम अरबी-फारसी अनफाज और दूरुह तथा दुबोध मस्वुत के बिनाप्ट शब्दों से जहाँ



तक ही राके बचाने की कोशिश की जाती है और इस पर ध्यान रखा जाता है कि नित्त के कारवार में जो शब्द और मुहावरे बोनचान में काम आते हैं वही पोथियो में और अखबारो में बरसे जायें ।'

'प्रारंभ में हिंदी उर्दू एक ही थी, बाद को जब व्याकरण, पिगल, लिपि और शैली भेद आदि के कारण दो भिन्न दिशाओ में पढकर यह एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होने लगी, तो सर्व साधारण के सुभीते, और शिक्षा के विचार से इनका विरोध मिटाकर इन्हें एक करने के लिये भाषा की इन दोनो शाखाओ का सयुक्त नाम 'हिंदुस्तानी' रखा गया ।'

'हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी', क्रमशः पृ० 1-2 व पृ० 151 ।

98 'राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी', पृ० 50 ।

99 'राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी' डा० रामधारी सिंह दिनकर, पृ० 113 ।

## स्वतंत्र भारत : भाषा नीति बनाम राजनीति

15 अगस्त, सन 1947 को स्वाधीनता सघर्ष की अंतिम मजिल तय हुई। इस प्रकार यह सघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति जैसे अपने महान लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण सफल हुआ। स्वाधीनता सघर्ष के कदमों में कदम मिलाते हुए 'निजभाषा' के रूप में चलने वाले हिंदी-आंदोलन को भी समय की इस सीमा पर अपनी मजिल के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच कर पूर्ण विराम लेना चाहिए था, यही न्यायोचित एवं राष्ट्रीयता के अनुकूल होता। किंतु ऐसा कुछ होते देखा नहीं गया। स्वाधीनता प्राप्ति के साथ भाषा नीति को लेकर भारतीय, मुख्यतः अहिंदी भाषी नेताओं की मनोवृत्ति बदनी हुई सी दिखायी पड़ी। स्वाधीनता सघर्ष के मध्य हिंदी के प्रति दिखायी पड़ने वाला उनका जोश ठंडा पड़ने लगा। अब हिंदी-प्रेम को घांटे और नफे की तराजू पर तोला जाना शुरू हुआ। अहिंदी भाषी नेताओं की राष्ट्रीयता प्राप्ति का रूप धारण करने लगी। स्वार्थ साधना में लीन इन नेताओं ने कर्पट-पूर्ण भाषा नीति का ऐसा चक्र चलाया कि हिंदी-आंदोलन की मजिल देखने में तो पड़त, पर न जाने कितने वर्षों के लिए आगे बढ़ गयी। आज भारत को स्वाधीन हुए 25 एवं भारतीय संविधान को लागू हुए 22 वर्ष गुजर रहे हैं, किंतु उस मजिल के मिलने की बेला न आयी।

स्वतंत्रता पूर्व हिंदी का जो आंदोलन चल रहा था, वह आज तक चलता आ रहा है। अंतर यह है कि स्वाधीनता पूर्व राजभाषा के सदर्भ में राष्ट्रभाषा हिंदी का आंदोलन था और आज का आंदोलन सीधे राजभाषा हिंदी का आंदोलन है। उसकी गति काफी तेज थी और इसकी अपेक्षाकृत मधुर है। उस समय अंग्रेजी-नीति के फलस्वरूप हिंदी के मुख्य विरोधी मुसलमान थे और आज अहिंदी भाषी नेतागण हैं। उन समय हिंदी का विरोध मात्र अंग्रेजी में था, यद्यपि उर्दू ने अपने

#### 4 राजभाषा के सदर्भ में हिन्दी-आंदोलन का इतिहास

को मुख्य प्रतिद्वंद्वी साबित किया था और आज भी अंग्रेजी से ही है। उस समय अंग्रेजी की ढाल जबाने उर्दू बनी थी और आज हिंदीतर प्रादेशिक भाषाएँ हैं।

वस्तु स्थिति यह है कि भारतवासियों को यह आजादी भारत को हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान दो टुकड़ों में विभक्त करके दी गई, जो विश्वइतिहास में बेमिसाल है। खैर, दो राष्ट्रों के बन जाने से जहाँ हिंदी-उर्दू-विवाद का अंत हुआ, किसी न किसी तरह हिंदी-हिंदुस्तानी का बखेडा दूर किया जा सके, वही अहिंदी भाषी वरिष्ठ नेताओं ने क्षुद्र स्वार्थ के चक्कर में पड़कर और तो और सुनीति बाबू तथा चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, जो एक समय हिंदी के लिए प्राण तक का दाव लगा देने में जरा भी हिचकिचाते न थे, इसके कट्टर विरोधी बन बैठे।<sup>1</sup> हिंदी को राजभाषा का पद देकर भी, उसकी योग्यता में कमी दिखाकर सन 1965, इच्छानुसार अनन्तकाल तक के लिए अंग्रेजी को राजभाषा का अधिकार सौंप दिया गया। यही वह स्थल है जहाँ राजभाषा हिंदी की समस्या सुलझते सुलझते ऐसी उलझी कि आजतक उलझी ही रह गई। हिंदी के महल में अंग्रेजी स्वशासन काल की तरह राजरानी बनी हुई है और हिंदी, दासी।

संविधान सभा की स्थापना से लेकर आजतक जब-जब भी राजभाषा हिंदी को उससे मौलिक अधिकार दिलाने के लिए सरकारी या गैर सरकारी तौर पर बात उठाई गई है, या कोई आंदोलन किया गया है, तब-तब दक्षिण भारत से उसका खुलेआम जमकर विरोध हुआ है, प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजी को पनाह देने के वास्ते हिंदी विरोधी-आंदोलन किए गए हैं और काफी मात्रा में राष्ट्र को भौतिक क्षति पहुँचाई गई है। अब मन में सबसे स्वाभाविक सवाल जो उठता है, वह यह कि आखिरकार दक्षिण भारत द्वारा अंग्रेजी की कालत करने अथवा अंग्रेजी की आड़ में शिकार खेलने का वास्तविक मतलब क्या है? वस्तुतः रहस्य तो यह है कि दक्षिण वाले सोचते हैं कि अंग्रेजी के राजभाषा बने रहने पर अखिल भारतीय नौकरियाँ सर्वाधिक मात्रा में हमें सुलभ होती रहेगी और इस प्रकार समूचे भारत पर हमारा सिकका जमा रहेगा। अगर अंग्रेजी हटती है तो अवश्य ही हिंदी वह स्थान लेगी और तब निश्चित ही इस क्षेत्र में हिंदी वाले बाजी मार ले जाएंगे और हम अहिंदी भाषी पीछे छूट जाएंगे। दक्षिणतर अहिंदी भाषी प्रांतों की आंतरिक मनोवृत्ति भी कुछ-कुछ ऐसी ही है। चूँकि इस समय हिंदी का सशक्त व समर्थ विरोधी दक्षिण भारत है, इसलिए बंगाल जैसे प्रांत बेखारे कान में तेल डाले बैठे हैं, अन्यथा ये भी अपनी चालों से बाज न आते। तात्पर्य यह कि अंग्रेजी के खिसकने पर अहिंदी भाषियों के पाव तले की जमीन के खिसकने का भय है और यही भय राजभाषा के क्षेत्र में फैले हुए सभी वित्ठाओं की जड़ है।

### संविधान सभा की स्थापना और भाषा-समस्या

भारत की राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी। इस मिशन ने सन 1946 की अपनी योजना के बीच भारत के लिए संविधान तैयार करने के उद्देश्य से एक 'संविधान-सभा' की स्थापना की। जुलाई, सन 1946 में 'संविधान सभा' के सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के 205, मुस्लिम लीग के 73 एवं 18 स्वतंत्र सदस्य चुने गए। मुस्लिम लीग के सदस्य अपने लिए अलहद मुल्क की माग पर अड़े हुए थे। अतः वे असहयोग की नीयत से संविधान सभा को सहयोग देने से साफ इन्कार कर गए।

9 दिसम्बर, सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 11 दिसम्बर की बैठक में राजेन्द्र बाबू सभा के स्थाई अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए संविधान सभा द्वारा अनेक समितियों की स्थापना की गई। इनमें सबसे प्रमुख प्रारूप समिति थी। इस समिति ने अथक प्रयास के बाद 21 फरवरी, सन 1948 को संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। अंततोगत्वा 26 नवंबर, सन 1949 को सभा द्वारा काट-छाट कर उसे अंतिम रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार से निर्मित भारत का यह संविधान स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी, सन 1950 से लागू हुआ। इसी संविधान सभा में राजभाषा का प्रश्न भी उपस्थित हुआ था।

भारत लगभग डेढ़-पौने दो सौ वर्षों तक अंग्रेजी का गुलाम रहा। इस दौरान यहा की राजभाषा अंग्रेजी रही। देश के शासन संबंधी कागज-पत्र कानून इत्यादि सभी अंग्रेजी में ही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ सभी स्वदेशी नेताओं ने महसूस किया कि राजभाषा अंग्रेजी का स्थान किसी स्वदेशी भाषा को दिया जाय। इस विषय में यह स्पष्ट था कि हिंदी के अलावा अन्य कोई भी भारतीय भाषा इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। फिर भी संविधान सभा में राजभाषा के सिलसिले में हिंदी को लेकर काफी वादविवाद, उछल-कूद, धर-पकड़ होती रही। अंततोगत्वा जब किसी तरह प्रायः सभी सदस्य हिंदी के लिए राजी हुए भी तो 'राजभाषा' के नामकरण पर पुनः मतभेद शुरू हुआ। इस मतभेद का कारण हिंदी और हिंदुस्तानी था।

स्वाधीनता संघर्ष के जमाने में ही राजनीतिक स्तर पर हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर गहरा मतभेद था। अब संविधान सभा में भी इसकी पुनरावृत्ति हुई। सभा के सामने यह सवाल उठा कि देश की राजभाषा को 'हिंदी' और 'हिंदुस्तानी' में से कौन सी संज्ञा दी जाए ?

इस प्रश्न के पीछे मुख्यतः दो भावनाएं काम कर रही थी। कुछ नेताओं का

विचार था कि भारत-विभाजन अथवा पाकिस्तान-निर्माण के बाद देश के लिए 'उर्दू' का महत्व स्वतः कम हो गया है, इसलिए हिंदी तथा उर्दू की मिली-जुली शैली के रूप में 'हिंदुस्तानी' की कोई सार्थकता अब न रही। दूसरी ओर कुछ नेताओं के अनुसार गांधी जी द्वारा समर्थित तथा प्रचारित शब्द 'हिंदुस्तानी' ही देश की राजभाषा के लिए उपयुक्त था।

इस मत का फल यह हुआ कि सविधान सभा में भी हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर स्पष्ट दो दल हो गए। एक का प्रतिनिधित्व राजीव पुरुषोत्तमदास टंडन तथा सेठ गोविंददास कर रहे थे और दूसरे का गांधी जी के परम अनुयायी, देश के वरिष्ठ नेतागण। इन दोनों दलों में राजभाषा के नामकरण पर काफी वाद विवाद चलता रहा, गर्मागर्म बहस होती रही।

हिंदी के समर्थकों का यह दावा था कि हिंदुस्तानी जैसी किसी भी भाषा का देश में अस्तित्व ही नहीं है। इससे मात्र बोलचाल का काम चलाया जा सकता है, यह हमारे विधि विधान, राज काज का काम करने में बिल्कुल असमर्थ है। इस मत का प्रबल समर्थन श्री घनश्यामसिंह गुप्त ने 9 नवंबर, सन 1948 की सविधान सभा की एक बैठक में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया था। उसी दिन 'हिंदुस्तानी' के कट्टर समर्थक श्री मोटूरि सत्यनारायण ने उपर्युक्त मत का खंडन करते हुए मतर्क यह सिद्ध किया था कि देश में हिंदुस्तानी भाषा का पूर्ण अस्तित्व है तथा वही एक मात्र देश की राजभाषा हो सकती है।<sup>2</sup> इस प्रकार यह विवाद एक लंबे अर्से तक चलता रहा।

अहिंदी भाषी प्रदेशों के बहुत से प्रतिनिधि भी हिंदुस्तानी के विपक्ष में थे। चूंकि उनकी भाषाओं में संस्कृत के उत्तम शब्दों का प्रयोग बहुलता से होता है, इसलिए उन्हें देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही मान्य थी। उदाहरणार्थ मैसूर के श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति राव ने 9 नवंबर, सन 1948 की सविधान सभा की एक बैठक में यह घोषणा की थी कि—'हमें देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी ही राजभाषा के रूप में मान्य है।'<sup>3</sup> दूसरी ओर हिंदुस्तानी को भी प्रबल समर्थन प्राप्त था। मद्रास के पोकर साहब बहादुर जैसे व्यक्ति का भी कथन था कि चूंकि 'हिंदुस्तानी' शब्द गांधी जी द्वारा समर्थित रहा है, इसलिए गांधी जी की स्मृति को स्मरण रखने के लिए हिंदुस्तानी को ही राजभाषा के रूप में मान्य करना चाहिए।'<sup>4</sup>

सविधान सभा के अंतिम प्रश्न पर भी गहरा मतभेद था। राजीव पुरुषोत्तमदास टंडन, सेठ गोविंददास आदि नागरी अक्षरों के प्रबल समर्थक थे, तो दूसरी ओर जवाहर साल नेहरू के प्रतिनिधित्व में एक दल ऐसा भी था जो अरबी-रोमन अक्षरों का हिमायती था। इन नेताओं का दावा था कि अरबी अक्षरों की आठवीं शताब्दी में भारत में ही अरब गए थे, जो वहां से आगे बढ़कर रोमन अक्षरों में बदल गए, रोमन अक्षरों, अंतर्राष्ट्रीय अक्षर हैं, इसलिए इन्हें ही देश की राजभाषा के साथ

राजलिपि में स्थान मिलना चाहिए ।

सविधान सभा के बाहर का भारतीय वातावरण हिंदी के अनुकूल था । बाहर भी हिंदी का प्रबल समर्थन हो रहा था । कुछ कांग्रेसी नेताओं ने यहाँ तक धमकी दी थी कि यदि सविधान सभा में हिंदी के विरुद्ध कुछ भी निर्णय लिया गया, तो वे कांग्रेस तथा सविधान सभा दोनों का त्याग कर देंगे । 6 तथा 7 अगस्त, सन 1949 को 'राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिपद' का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ । उसमें अनेक अहिंदी भाषी नेताओं तथा विद्वानों ने भी खुले दिल स हिंदी का समर्थन किया तथा पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को ही देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जावे । 'परिपद' के इम फैमले का सविधान सभा पर बड़ा गहरा असर पड़ा ।

अगस्त सन 1949 में ही राजस्थान तथा मध्य प्रांत की सरकारों ने भी हिंदी का खुलेआम समर्थन किया । देश की अनेक साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थाएँ तो पहले से ही हिंदी के लिये कटिबद्ध थीं । अतः सविधान सभा में 11, 12, 13 तथा 14 दिसम्बर सन 1949 को इस प्रश्न पर काफी वाद विवाद हुआ, सभा के सामने कई विकल्प रते गये । राजपि टंडन, सेठ गोविंददास, डा० राजेंद्र प्रसाद प्रभृति नेताओं ने हिंदी तथा नागरी के समर्थन में पूरा जोर लगाया । अततो गत्वा पर्याप्त विचार विमर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय (रोमन) अक्षरों के साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया । फिर भी आग लगी की लगी ही रह गयी । और वह यह कि हिंदी को लिखित रूप में राजभाषा स्वीकार करने के बावजूद सविधान सभा द्वारा ही 15 वर्षों के लिये फिर से अंग्रेजी को राजसिंहासन पर बिठा दिया गया । बचन देकर भी हिंदी का राज्याभिषेक नहीं किया गया । हिंदी से कहा गया क्या ? कि तुम्हारी शकल अभी अच्छी नहीं, तुम्हारे पास रूप का वह वैभव नहीं, तुम्हारे कपड़े-लत्ते साफ सुधरे नहीं, तुम में सौंदर्य का वह आकर्षण नहीं जिससे समुद्र तटवासी तुम पर रीझ सकें । अतः राजरानी अंग्रेजी के पास रहकर पहले सब कुछ हासिल करो, नाज-नखरे के साथ रहना सीखो फिर तुम्हें समुद्र तटवासियों की अनुमति से राजसिंहासन पर बिठा दिया जायगा । हा सुन लो, रूप मवारने के लिये 15 वर्ष का समय दिया जा रहा है और वह इम घंटे पर कि यदि परीक्षण अवधि में पूर्ण योग्य साबित न हुई, पूरे नाज-नखरे के साथ द्रविड लोगो को मोहित करने में जरा सी भी चूक हो गयी, तो परीक्षण काल बढ़ना ही रहेगा ।

राजनीति के मध्य इम कलुषित भाषा नीति के प्रयोग का नतीजा यह निकना कि हिंदी और अहिंदी भाषियों के बीच कलह का बीज अंकुरित हो गया, जो विरोध के रूप में दिन-प्रतिदिन पल्लवित पुष्पित होकर बढ़ता ही चला जा रहा

है। साथ ही देश की भाषा समस्या भी जटिलता के पक्ष में घसनी जा रही है।

संविधान की राजभाषा-संबंधी अनुच्छेद तथा धाराएँ

संघ की राजभाषा

343 (1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अक्षरों का रूप भारतीय अक्षरों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्षों की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले यह प्रयोग की जाती थी।

परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा का तथा भारतीय अक्षरों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पंद्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा—

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा

(ख) अक्षरों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसे विधि में उल्लेखित हो।

राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति

344 (1) राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में पांच वर्षों की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्षों की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा, जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का आदेश परिभाषित करेगा।

(2) राष्ट्रपति को—

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों में सब या किसी के लिए हिंदी भाषा के लिए उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों के,

- (ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा वे,
- (घ) सभ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अर्कों के रूप में,
- (ङ) सभ की राजभाषा तथा सभ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे के बीच संचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा।
- (3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशों को करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोक सेवाओं के बारे में अहिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।
- (4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी, जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो कि क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
- (5) खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना समिति का कर्तव्य होगा।
- (6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उसे सार प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा।

### राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

345 अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में स सब या किसी के लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकेगा—

परंतु जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा इसे अन्यथा उपबन्धन न करे तब तक राज्य के भीतर उन राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए संविधान के प्रारंभ से ठीक



11) विपक्षों ने यह प्रयोग की जाती थी।

राजभाषा अधिनियम, 1963

12) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और सदन के बीच में संचार के लिए राजभाषा

अधिनियम 1963 में राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और सदन के बीच में संचार के लिए राजभाषा होगी, परंतु यदि दो राज्यों या अधिक राज्यों को संलग्न करने के लिए राजकीय के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी, तो ऐसे संचार के लिए वह भाषा हिन्दी भाषा के बीच में प्रयुक्त होगी।

अधिनियम 1963 के विषय में मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति का समझौता हो जाए कि हिन्दी किसी राज्य के साथ सिमुदाय का संयोजन अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाएगी। मंत्रालय ने यह निर्देश दे रखा कि ऐसी भाषा की उस राज्य में सर्वत्र की जाएगी अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसे कि वह निर्दिष्ट करता है राजकीय अभिज्ञात की जाएगी।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधायकों, आदि में प्रयोग की जाती वाली भाषा

अधिनियम 1963 के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधन करे, तब तक

उच्चतम न्यायालय में तब तक प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब संसद के कार्यवाहियों, आदि में प्रयुक्त भाषा होगी।

13) अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत

(अ) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में पुनः स्वीकृत किए जाएँ, उन्हें सर्वोच्च प्राधिकृत

संसद के अध्यक्ष द्वारा संसद के सचिवों को प्रेषित किया जाएगा। अधिनियम, संसद द्वारा या राज्य को विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक तथा जो संसद द्वारा राज्यपाल या राज प्रमुख को प्रेषित किए जाएँ, उन संसदों प्राधिकृत पाठ, तथा

(ब) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस अधिनियम के अधीन, संसद द्वारा संसद के अध्यक्षों के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन स्वीकृत किए जाएँ। उन संसदों प्राधिकृत पाठ, अथवा भाषा में स्वीकृत किए जाएँ।



भारत के प्रतिनिधि को जारी किए जाने वाले वागजात ।

अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के प्रयोग को प्रमत्त बढ़ाने के लिए दिए गए मुझाव के अनुसार सन् 1955 में ही भारत सरकार की एक अतर-विभागीय बैठक हुई, जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को अपन कुछ वामों के लिए हिंदी के प्रयोग की सलाह दी गयी । इस संबध में 8 दिसंबर, सन् 1955 को गृहमंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को निम्न-लिखित मुझाव दिए गए थे

(1) जनता से जो पत्रादि हिंदी में मिलें, उनके उत्तर जहातक संभव हो, हिंदी में ही दिए जायें । उनकी भाषा सरल होनी चाहिए ।

(2) प्रशासनिक रिपोर्टों, सरकारी पत्रिकाओं, ससद को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों आदि को, यथासंभव अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित किया जाए ।

(3) सरकारी संकल्पों, विधायी अधिनियमों आदि को, यथासंभव अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया जाए । किंतु इन पर यह बात स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए कि अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा ।

(4) जिन राज्य सरकारों ने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में मान लिया है उनके साथ पत्रव्यवहार अंग्रेजी में किया जाए, परंतु यदि संभव हो तो भारत सरकार द्वारा भेजे गए सभी पत्रादि के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए ताकि सांविधानिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ।

स्पष्ट है कि हिंदी के संबध में मात्र औपचारिकता निभाई गई है । इसे हिंदी के प्रसार में भारतीय नेताओं द्वारा उठाए गए ठोस कदम की सजा नहीं दी जा सकती । जहां तक इन मुझावों के व्यावहारिक पक्ष का संबध है, इन मुझावों में ही 'यथासंभव' शब्द ऐसा छिद्र रहा, जिससे सरकारी कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग रूपी जल को बड़ी आसानी से भूमि पर गिरा देने में पूरी सफलता हासिल हुई ।

### राजभाषा आयोग, सन् 1955

भारतीय मविधान के अनुच्छेद 344 खड (1) के अनुसार सविधान लागू होने के पांच साल बाद राष्ट्रपति को एक राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया था । तदनुसार 7 जून, सन् 1955 को राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया । बंबई राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री धालगंगाधर खैर इस आयोग के अध्यक्ष तथा विभिन्न राज्यों के 20 प्रतिनिधि इसके सदस्य थे । इस आयोग की पहली बैठक 15 जुलाई सन् 1955 को हुई । इसने अनिकर्षिकारी और कर्षिकारी व्यक्तियों, प्रतिनिधियों, संस्थाओं आदि संभेंट

की। अततोगत्वा सविधान के अनुच्छेद 344 खड (1), (2) और (3) के द्वारा दिए गए अधिकार और कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपना एक विस्तृत प्रतिवेदन जुलाई मन् 1956 में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में मुख्य रूप से राजभाषा संबंधी निम्नलिखित सुझाव<sup>9</sup> दिए गए थे

(1) भारत के संपूर्ण जनतांत्रिक आधार को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार करना संभव नहीं तथा भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम के प्रदत्त पर विचार किया जा सकता है। विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है, परंतु शिक्षा, प्रशासन, सांस्कृतिक जीवन एवं दैनिक कार्यक्रमों में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है।

(2) यद्यपि साहित्यिक दृष्टि से भारत की सभी भाषाएँ समृद्ध हैं, फिर भी अधिक लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने के कारण हिंदी समस्त भारत के लिए एक सुस्पष्ट भाषा-माध्यम है।

(3) पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में स्पष्टता, अर्थ की शुद्धता, सरलता, पाण्डित्यपूर्ण भाषा का त्याग एवं अधिवाचिक देशज और लोकप्रिय शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार छोटे ढेर फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए।

(4) 14 वर्षों की उम्र तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का उचित ज्ञान प्राप्त कराया जाए ताकि प्रत्येक नागरिक सांस्कृतिक जीवन की गतिविधियों और सरकार की कार्यवाहियों को समझ सके।

(5) सारे देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिंदी का शिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए। हिंदी-भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य किया जाना आयोग को सन्तुष्ट नहीं है।

(6) शिक्षा के माध्यम के रूप में विषय और शिक्षण की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालय आपस में परामर्श करके निर्णय करें कि भिन्न भिन्न अभ्यासक्रमों के लिए किस माध्यम को स्वीकार किया जाए। परंतु फिर भी सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि हिंदी माध्यम में जो विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठना चाहें, उनके लिए व उचित प्रबंध करें।

(7) वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में सब विद्यार्थी एक भाषिक धर्म के हों तो उसी भाषा के माध्यम में शिक्षा दी जाए और यदि विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रों के हों तो हिंदी भाषा को ही सामान्य माध्यम के रूप में अपनाया जाए।

(8) प्रशासनिक तंत्र में संचालित सरकारी प्रकाशनों के हिंदी अनुवाद की

भाषा में अधिकाधिक एकरूपता रखी जाए और देखरेख सबधी सारा कार्य केन्द्रीय सरकार के एक अभिकरण की सौंप दिया जाए।

(9) प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए हिंदी का निश्चित अवधि में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियम लागू किए जाए और ऐसा न करने वाले को दंडित किया जाए तथा निर्धारित स्तर से अधिक ज्ञान प्राप्त करने पर कर्मचारियों को पुरस्कार आदि देकर प्रोत्साहित किया जाए।

(10) जनता से सीधा संपर्क रखने वाले विभागों और संगठनों के आंतरिक कार्य में हिंदी और जनता में व्यवहार हेतु क्षेत्रीय भाषा काम में लाई जाए। ऐसे विभागों में भर्तों के लिए क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान के साथ साथ हिंदी की योग्यता का स्तर भी निर्धारित किया जाए और बाद में विभागीय प्रशिक्षण द्वारा हिंदी की योग्यता बढ़ाई जाए।

(11) भारत सरकार के सांविधिक प्रशासन अधिक से अधिक हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जाए और हिंदी की प्रगति के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जाए।

(12) राज्य और संघ सरकार के अधिकारियों के लिए किसी स्तर का हिंदी का ज्ञान अनिवार्य किया जाए और उसके लिए उन्हें अधिकाधिक पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाए।

(13) समस्त एक विधान मण्डलों की कार्यवाहियों की सफलता की दृष्टि से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं दोनों का व्यवहार होना चाहिए और विशिष्ट परिस्थितियों में अंग्रेजी को भी मान्यता दी जानी चाहिए। स्वीकृत सरकारी कानून हिंदी में ही होने चाहिए, परंतु जनता की सुविधा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उनके अनुवाद प्रकाशित किए जाने चाहिए और माध्यम पूर्ण रूप से बदल जाने पर देश के संपूर्ण सांविधिक ग्रंथ हिंदी भाषा में समुपलब्ध होने चाहिए।

(14) देश में न्याय देश की ही भाषा में किया जाय, इसके लिए यह आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की समस्त कार्यवाही तथा अभिलेखों, निणयों और आदेशों के आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद भी साथ में रखे जाए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार वकीलों और अधिवक्ताओं को भी अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं को काम में लाने की छूट होनी चाहिए। विशेष न्यायालयों के निर्णय यदि एक क्षेत्र तक सीमित न हों तो वे निर्णय और आदेश मूल रूप में हिंदी में ही लिखे जाने चाहिए।

(15) प्रतियोगिता-परीक्षाओं का माध्यम सुसंगत होना चाहिए। अखिल भारतीय एक केन्द्रीय सेवाओं के हेतु कर्मचारियों के लिए हिंदी की योग्यता रखना आवश्यक किया जाए। अतः परीक्षाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्नपत्र रखा जाए,

परन्तु अहिंदी भाषी विद्यार्थियों की सुविधाओं की दृष्टि से उगता स्तर अनि साधारण रहे। हिंदी भाषी विद्यार्थियों से दत्त भाषाओं से संबंधित विषयों पर वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाने के लिए एक प्रश्नपत्र रखा जाए, जिनमें समानता बनी रहे। अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ वैकल्पिक रूप से हिंदी को भी माध्यम के रूप में अपनाया जाए और क्षीप्रतिशीघ्र ऐसा वातावरण बनाया जाए कि अंग्रेजी इन प्रतियोगिता-परीक्षाओं का माध्यम न रहे। साथ ही राज्यों के लोग मेवा आयोगों को भी चाहिए कि वे इन परीक्षाओं में हिंदी भाषी उम्मीदवारों को भी प्रोत्साहन दें।

(16) हिंदी के विनाम एक प्रचार की दृष्टि में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार स्वैच्छित हिंदी संस्थाओं के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए तथा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करें।

(17) भारत सरकार की सब भाषाओं के लिए यदि एक लिपि रखने का प्रश्न हो तो इसके लिए देवनागरी लिपि ही सर्वथा उपयुक्त होगी। रोमन लिपि को स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं होगा। देवनागरी लिपि के सुधार के लिए भी सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

(18) हिंदी एक क्षेत्रीय भाषाओं की राजदरवाजी तथा अभिव्यक्ति के मानकीकरण के लिए सरकार को चाहिए कि वह भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को इस दृष्टि से सुविधाएं प्रदान करें और इसके लिए हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार देने वाली संस्थाओं के निर्माण करने का प्रयत्न करें।

(19) राजभाषा हिंदी के गहन उन्नयन एवं विकास तथा उसके उचित अधीक्षण का उत्तरदायित्व विशेष रूप में केन्द्रीय सरकार की एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए। सब भाषा हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए 'भारतीय भाषाओं की राष्ट्रीय अकादमी' की यदि स्थापना की जाए तो अति हितकर होगा।

(20) भारत के भाषागत एवं सांस्कृतिक ढांचे में गहरी समानता लाने तथा भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए बहुभाषिता के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया जाए तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माध्यमिक एवं विद्वद्विद्यालयीय शिक्षा पद्धति में समुचित व्यवस्था की जाए।\*

स्पष्ट है कि आयोग की यह सिफारिश तत्कालीन वातावरण में राजभाषा हिंदी के सदर्भ में एक महत्वपूर्ण टांग कदम थी। वास्तव में सरकार ने इस सिफारिश पर अमल किया होता तो 63 वर्ष पूर्व की गयी भूल के आसू पोंछे गए होते, देश की जनता का बहुत बड़ा फायदा हुआ होता, सन् 1950 की गतिविधि पुनः न दोहराई गई होती और यह दुर्दिन देखने की नौबत न आयी होती। किंतु राजनीतिक नेताओं ने भाषा नीति के सधर्म में राजनीति के दरम्यान क्या क्या गुल खिलाया, इसकी चर्चा आगे होगी।

### संसदीय राजभाषा समिति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 खड (4) और (5) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को एक संसदीय समिति का गठन किया गया और तत्कालीन गृहमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत इसके अध्यक्ष चुने गए। इस समिति की पहली बैठक 16 नवम्बर, सन् 1957 को हुई और लगातार 26 बैठकों के पश्चात् समिति ने अपना अंतिम निर्णय लिया। तदनुकूल 8 फरवरी सन् 1959 को समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की, जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे—

(1) सरकारी पदों और नौकरियों के लिए इस समय जो अंग्रेजी की शिक्षा का स्तर निर्धारित है, संक्रमण की अवस्थाओं में हिंदी ज्ञान का स्तर यदि कुछ कम भी हो तो चल सकता है।

(2) निर्धारित समय में कर्मचारियों द्वारा निर्धारित हिंदी का ज्ञान प्राप्त न करने पर उनको दंडित किया जाना असंगत होगा।

(3) मध्य सरकार के प्रशासन में जहाँ भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के विकास की आवश्यकता न हो तथा विदेशों से संबन्ध बनाए रखने के लिए अनिश्चित काल तक अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(4) 45 वर्ष की ऊपर की आयु वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण से छूट दी जानी चाहिए।

(5) मध्य सरकार द्वारा ऐसी योजना बनाई जाए, जिससे हिंदी का राजभाषा के रूप में अधिकाधिक प्रयोग एवं विकास किया जा सके।

(6) सरकार एवं मंत्रालयों के प्रकाशनों में रोमन अक्षरों के साथ-साथ देवनागरी अक्षरों को प्रयुक्त करने के बारे में मध्य सरकार की मूलभूत समान नीति होनी चाहिए।

(7) संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों में पारित होने वाले विधेयकों की भाषा तथा जब तक अंग्रेजी का स्थान हिंदी न ले ले, तब तक संसद में विधि निर्माण का कार्य अंग्रेजी में होता रहे। कानूनों के हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद दिए जाए तथा संभव हो तो विभिन्न राज्यों की राजभाषाओं में भी उनके अनुवाद की व्यवस्था की जाए।

(8) राज्यों की विधान सभाओं, अपने राज्यों की राजभाषाओं में विधि निर्माण कार्य कर सकती हैं, परन्तु संविधान के 348 अनुच्छेद के अनुसार कानूनों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में प्रकाशित करना आवश्यक है। यदि कानून का मूल-पाठ अन्यभाषा में है तो माध्य में हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

(9) राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालयों में राज्य की राजभाषा अथवा हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले निर्णयों, अभिलेखों और आदेशों को अंग्रेजी में ही होना चाहिए तथा दूसरी भाषाओं में दिए जाने वाले निर्णयों, दिक्रियो एव आदेशों का अंग्रेजी अनुवाद साथ में रहना चाहिए।

(10) हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान न्यायाधीशों के लिए उपयुक्त हो सकता है परंतु उनके लिए भाषा सवधी परीक्षाएँ निर्धारित करना उचित नहीं है।

(11) सांविधिक प्रथा के अनुवाद तथा वानूनी पारिभाषिक शब्दावली आदि के निर्माण की उचित योजना बनाने तथा संपूर्ण कार्य की व्यवस्था करने के लिए भारत में विभिन्न भाषा-भाषी विधि विशारदों के स्थायी आयोग का उच्च स्तरीय समिति का निर्माण किया जाना चाहिए।

(12) अधिल भारतीय तथा उच्च स्तरीय केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को चलने दिया जाए तथा कुछ समय बाद हिंदी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। तदनन्तर हिंदी और अंग्रेजी दोनों को वैकल्पिक माध्यम के रूप में चलने दिया जाए। इन परीक्षाओं में दो भाषा प्रश्नपत्र—(एक हिंदी का और दूसरा हिंदी के अतिरिक्त अन्य आधुनिक भारतीय भाषा का परीक्षार्थी की इच्छा पर) अनिवार्य रूप से रहें। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रशासन की भाषा रहने तक अंग्रेजी का एक प्रश्नपत्र भी अनिवार्य होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम के रूप में स्वीकृत करने के पक्ष में भी विचार किया जाना चाहिए।

(13) सन 1965 तक भारत सरकार के राजकाज की प्रधान भाषा अंग्रेजी रहे और इस अवधि में हिंदी गौण राजभाषा रहे। सन 1965 के बाद हिंदी प्रधान राजभाषा रहे तथा अंग्रेजी का सह राजभाषा का स्थान दिया जाए। ससद अपने अधिनियम द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग के लिए जो सीमाएँ क्षेत्र निर्धारित करती तब तक आवश्यकतानुसार उसका प्रयोग जारी रहे।

स्पष्ट है कि समिति ने 'राजभाषा आयोग' की सिफारिशों को दृष्टि से ओझल एवं राष्ट्र की बहुमूल्य जनता की हार्दिकता का बहुत बड़ा अन्याय कर संवैधानिक अराष्ट्रीय निर्णय लें, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का जबरदस्त पक्ष लिया।

वास्तविकता तो यह है कि भारतीय संविधान के लागू होने (1950) से लेकर सन 1955 तक भारत की सरकार ने राजभाषा के क्षेत्र में कोई ऐसा कदम नहीं रखा, जिन गति अथवा प्रगति की सजा दी जा सके। भारतीय धामु महल प्रायः शान्त था। हा, वास्तविक हिंदी प्रेमी व हिंदी भाषी क्षेत्र की जागरूक जनता, निम्न हिंदी में लगाव था, इसमें कुछ कुछ उदात्त-सी दोग रही थी और हिंदी के



लिए हृदय में बहुत बड़ी-बड़ी तमन्नाएँ सजोएँ हुए थीं। दूसरी ओर अहिंदी भाषी, प्रायः दक्षिण भारतीय नेता राजभाषा की गतिविधि को घड़े गौर से देख रहे थे। उन्हें सन् 1955 में बैठने वाले राजभाषा आयोग के प्रति बहुत बड़ी आशंका पूर्व में ही थी। अतः उन्होंने कुमत्र पढ़कर तदनुकूल दक्षिण भारत जैसे अहिंदी भाषी प्रदेश में कुमत्र गाड़ दिया और धीरे-धीरे कानाफूसी के जरिए वहाँ की निरीह जनता को हिंदी के खिलाफ बरगलाना शुरू किया।

जुलाई, सन् 1956 में राजभाषा आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश पेश की। राजभाषा आयोग द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के प्रकाशित होने पर जहाँ एक ओर हिंदी प्रेमी जनता व नेता की हृदय-बलिका, जो ग्रीष्म के प्रचंड ताप से सुरक्षा रही थी, इस वाञ्छित दृष्टि से कुछ समय के लिए खिल उठी, वही हिंदी के वास्ते कसम खाने वाले, पर अंग्रेजी के लिए सकल्प रखने वाले अराष्ट्रीय तत्वों के पुतले कूटनीतिज्ञ नेता बौखला उठे और दक्षिण भारतीय हिंदी-द्वेषी नेताओं को तो इस प्रतिवेदन में पूर्व की हुई अपनी आशंका ही साकार होती-सी दीख पड़ी।

अब हिंदी के राज्याभिषेक की इस शहनाई को सुनकर अनेक मथराएँ उठ खड़ी हुईं। प्रथम, इन्होंने दक्षिण भारत के वायुमंडल को विक्षुब्ध बना डाला, जिससे वहाँ पर हिंदी की कसकर खिलाफत होने लगी, हिंदी के विरोध में आंदोलन, प्रदर्शन, तोड़ फोड़ आदि धुरु धुरु हुए। गुमराह किए गए ये प्रदर्शनकारी इस मत का प्रतिपादन करते फिरते थे कि जनवरी सन् 1965 में हिंदी को राजभाषा बनाने से अहिंदी भाषी राज्यों का बहुत बड़ा अहित होगा और निकट भविष्य में तो हम लोग ऐसी बल्पना ही नहीं कर सकते। द्वितीय, इन मथराओं में मिलकर दिल्ली के राजनीतिक वातावरण को ठंडा कर डाला। इसमें इनकी बहुत बड़ी मदद उन राजकीय कर्मचारियों, अमलों ने की, जो ब्रिटिश शासनकाल से ही अंग्रेजी में काम करने के आदी हो गए थे तथा जिन्हें 'बर मरे या कन्या, सिर्फ दक्षिणा से मतलब' था।

सन् 1955 के बाद हिंदी के प्रति बिगड़ते हुए भारतीय (अहिंदी भाषी क्षेत्रों, मुख्यतः दक्षिण भारत और बहुत कुछ दिल्ली के) वातावरण को देख, हिंदी प्रेमियों और जागृत हिंदी भाषी जनता के हृदय में वेदना फूट पड़ी, अन्तःकरण में हिंदी-आंदोलन की उमंगें उठने लगी तथा हिंदी विद्वेषियों के साथ अंग्रेजी के प्रति आश्रय सजग हो उठा। हिंदी हितैषियों की ये प्रतिक्रियाएँ बड़ी ही स्वाभाविक थी, क्योंकि हिंदी विरोधी यदि दक्षिण भारतीय भाषाओं—तामिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम अथवा अन्य अहिंदी भारतीय भाषाओं में से किसी के लिए इस प्रकार की दूषित भाषा नीति, आंदोलन आदि से सबधित खुला आचरण करते, तो बात कुछ हद तक जुदा होती। किंतु अंग्रेजी को स्वतंत्र भारत के सिंहासन पर बिठाने के लिए ये सब तूल-तडाम मचाना, छल छद्मों का सहारा लेना, कूटनीति का

प्रयोग करना, इत्यादि हिंदी भक्तों के आक्रोश का सबल आलवन व उद्दीपन था ।

हा, तो कहना यह है कि अब उत्तर भारत से भी राजभाषा हिंदी का आदोलन स्वतंत्रता पूर्व की तरह पुन चल पडा, जिसके अगुआ डा० राम मनोहर लोहिया, सेठ गोविंद दास थे और दक्षिण भारत में तो हिंदी विरोधी आदोलन पहले से ही चल रहा था । इस प्रकार हिंदी के समर्थन एवं विरोध सबधी उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के ये दोनों आदोलन एक दूसरे के समानांतर चलते रहे । इनमें हिंदी-विरोधी आदोलन का रुख अपेक्षाकृत काफी उग्र रहा करता था । इनकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं, घात-प्रतिघात, उग्रता नम्रता आदि को समय-समय पर यथा सन 1963, 65, 67 में देखा गया ।

बीसवीं शताब्दी के इस छठे दशक के राजभाषा हिंदी आदोलन के सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रवक्ता डा० लोहिया थे । लोहिया जी ने सर्वत्र दौड़-घूम कर हिंदी के प्रति एक विशाल जनमत तैयार किया और अपने अनुयायियों के सहयोग से हिंदी आदोलन को आगे बढ़ाया । मन् 1957 के आते-आते भाषा-नीति को भलीभाँति पहचानने वाले डा० लोहिया ने अनुभव किया कि राजभाषा हिंदी के आदोलन की रफ्तार तेज करने से 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' की कहावत की सार्थकता के अतिरिक्त कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है क्योंकि उत्तरभारत में हिंदी आदोलन ज्यो-ज्यो उमड़ता जा रहा है, त्यो-त्यो दूनी और चौगुनी शक्ति से दक्षिण वाले इसका विरोध करत जा रहे हैं । जिस विदेशी भाषा के खिलाफ यह आदोलन चलाया जा रहा है, उसकी ढाँच अन्य प्रादेशिक भाषाएँ बनी हुई हैं । इस-लिए ऐसी नीति का सहारा लेना मुनासिब होगा, ताकि ये ढाल सीधे अंग्रेजी की रक्षा या उसकी हिफाजत न कर सकें ।

अब डा० लोहिया ने अपना पेंतरा बदला तथा 'अंग्रेजी हटाना हिंदी लाना नहीं', जैसी नीति को अस्तिप्यार किया और आगे चलकर मार्च सन 1958 तक तो 'अंग्रेजी हटाओ आदोलन' का ऐसा शखनाद फूँका कि कितने अंग्रेजी भक्तों के बान बहरे हो गए । उनकी अंग्रेजी के कायम रखने की कपट-नीति का पर्दाफाश होने लगा । डा० लोहिया ने कहा—

'अंग्रेजी को धीमे धीमे हटाओ नीति—जिसे हिंद सरकार ने अपनाया है, अंग्रेजी को सदैव कायम रखने वाली नीति से भी ज्यादा भयकर कायम हो रही है ।...

इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर और वर्तमान शाव-येंच व मदे प्रचार और राष्ट्रीय हित को देखते हुए हमारे आदोलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अंग्रेजी को हटाना, न कि हिंदी को प्रतिष्ठा करना । समय आने पर अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी की प्रतिष्ठा होकर रहेगी । किंतु यदि किसी इलाके में या अखिल भारतीय स्तर पर मराठी व बंगला की ही प्रतिष्ठा हो जाए, तो उसमें हम आनाकानी नहीं करनी चाहिए ।'<sup>10</sup>

स्पष्ट है कि लोहिया जी की यह भाषा-नीति बड़ी ही स्वस्थ, भाषा-ममस्या की मूलप्राही तथा उसके समाधान की अबूक दवा थी। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भी यह स्पृहणीय है, हां, यह दूसरी बात है कि राजनीति के दौरान इनके दक्षिण में भी समाजवादी पार्टी को बढ़ने का अवकाश मिला और विरोध की मभावना कम हुई।

### सघ राजभाषा के सवध में राष्ट्रपति का आदेश 1960

ससदीय राजभाषा की समिति की रिपोर्ट पर भारतीय मविधान के अनुच्छेद 344 खड (6) द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सघ की राजभाषा के सवध में 27 अप्रैल 1960 को एक आदेश जारी किया, जिसमें निम्न-लिखित प्रमुख निर्देश दिए गए थे—

(1) अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भरती के लिए परीक्षा का माध्यम अभी अंग्रेजी बनी रहे और कुछ समय बाद हिंदी वैकल्पिक माध्यम के रूप में अपना ली जाए। बाद में किसी प्रकार की नियत कोटा-प्रणाली अपनाए बिना परीक्षा के माध्यम के रूप में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने की व्यवहार्यता की जाए।

(2) प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही परीक्षा की माध्यम रहे।

(3) निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण एवं समन्वय का प्रयत्न किया जाए तथा इसके लिए शिक्षा मंत्रालय आवश्यक व्यवस्था करते हुए एक आयोग का निर्माण करे।

(4) सभी प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद किया जाए तथा उसमें एकरूपता हो। असाविधिक अनुवाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाए और साविधिक अनुवाद विधि मंत्रालय करे।

(5) शिक्षा मंत्रालय हिंदी प्रचार की व्यवस्था करे और इस कार्य में लगी गैर सरकारी संस्थाओं की भी सहायता करे।

(6) केंद्रीय सरकार विभागों के स्थानीय कार्यालय अपने आंतरिक कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करें और जनता के व्यवहार में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किया जाए। कर्मचारियों की भरती तथा विकेंद्रीकरण आदि में इस आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए।

(7) ससदीय अधिनियम और विधेयक अंग्रेजी में बनते रहें, किंतु उनका प्राधिकृत हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। यह विधि मंत्रालय का उत्तरदायित्व होगा।

(8) उच्चतम न्यायालय की भाषा अतः हिंदी होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के निर्णयों आज्ञापितियों और आदेशों के प्रयोजनों के लिए हिंदी और राज्यों की राजभाषाओं का प्रयोग विवक्षित किया जा सकेगा। इस गवध में विधि मन्त्रालय को आवश्यक कारवाई करनी चाहिए।

(9) तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और कामगारभारित कर्मचारियों को छोड़कर उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाशालीन प्रशिक्षण अनिवार्य बना दिया जाए, जिनकी आयु 1-1-61 को 45 वर्ष से कम हो। गृह मन्त्रालय टक्कों और आयुलिपिकों को हिंदी टक्का तथा आयुलिखन में प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रवृत्त करे।

(10) एक मानक विधि शब्द बोल बनाने, हिंदी में कानून बनाने और कानूनी शब्दावली के निर्माण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कानून के विशेषज्ञों का एक स्थाई आयोग स्थापित किया जाए।

बहना न होगा कि अंग्रेजी के अनुचर सरकारी कर्मचारियों तथा हिंदी-विरोधी नेताओं की कृपा से सभी के सभी आदेश, निर्देश एवं कार्यक्रम आदि लिखे के लिखे ही रह गए। इनका दशमाश भी व्यावहारिक घरातल पर उतरते हुए न देखा गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजी के इन हिमायतियों की कार्यकुशलता एवं दक्षिण (मद्रास) के हिंदी-विरोधी उग्र प्रचारों तथा उसके द्वारा दी गई चेतावनियों के फलस्वरूप भारत सरकार ने भी राजभाषा से संबंधित शिक्षित नीति का अनुसरण किया और संविधान के अनुच्छेद 344 खड (1) के द्वारा संविधान के प्रारंभ होने से दस वर्ष बाद जो दूसरे भाषा आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी, उसका भी पालन नहीं किया गया, जबकि नियमानुसार सन 1960 में राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे राजभाषा आयोग का गठन किया जाना चाहिए था।

### राजभाषा अधिनियम, 1963

संविधान के अनुच्छेद 343 खड (1) में यह व्यवस्था दी गई है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा खड (2) में यह व्यवस्था है कि संविधान लागू होने से पंद्रह वर्ष की अवधि तक राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के लागू होने के पंद्रह वर्ष बाद यानी 26 जनवरी, सन् 1965 में सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का प्रयोग प्रारंभ होना चाहिए था। किंतु इस व्यवस्था को लागू न होने का तथा सन 1965 के बाद भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग को बनाए रखने के उद्देश्य से 'राजभाषा अधिनियम, 1963' बनाया गया। इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 343 खड (3) के अधीन कहा जा सकता है।

'राजभाषा अधिनियम, 1963' से सवधित विधेयक 13 अप्रैल सन 1963 को लोकसभा तथा 3 मई सन 1963 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और क्रमश 25 अप्रैल व 7 मई को पारित हुआ। तत्पश्चात् राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर वह 'राजभाषा अधिनियम, 1963' के रूप में लागू हुआ।

इस अधिनियम के मुख्य उपबन्धों के अनुसार ससद तथा राज्यों की विधान सभाओं की सभी कार्यवाहियों की भाषा क्रमश हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएँ होगी और उनका प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद देना होगा।

इस अधिनियम की धारा तीन के अनुसार सविधान के लागू होने से 15 वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का सभी राज्यों में सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग जारी रहेगा।

धारा चार में ऐसी व्यवस्था की गई है कि धारा तीन के लागू होने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति के 10 वर्षों बाद 30 सदस्यों की एक ऐसी समिति हिंदी की प्रगति की जाँच करेगी, जिसकी नियुक्ति ससद के प्रस्ताव द्वारा होगी। समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों की राय ली जाएगी तथा उसे ससद के समक्ष भी विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तदनुकूल राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे।

सन 1965 के बाद किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से अंग्रेजी के साथ हिंदी अथवा राज्य की अन्य किसी भाषा को राजभाषा का स्थान दे सकता है।

इस अधिनियम की धारा पाँच के अनुसार ससद में सभी विधेयक अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ प्रस्तुत किए जाएंगे और दोनों प्रामाणिक माने जाएंगे।

बातें बड़ी साफ हैं और वह यह कि 'राजभाषा अधिनियम, 1963' ने रहीं-सहीं कसर भी पूरी कर दी। अब अंग्रेजी को 'यावत् जीवेत् सुख जीवेत्' के सिद्धांतानुसार जब तक चाहे, तबतक के लिए स्वेच्छया सुखपूर्वक निष्कटक राज्य करने का पूरा का पूरा अवसर मिल गया। नतीजा यह निकला कि आज भी अंग्रेजी राजरानी वन स्वाधीन भारत का उपभोग कर रही है और हिंदी अपने घर से ही बहिष्कृत है।

सोचते होंगे कि शायद इस अधिनियम के बनने के बाद कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, बात ऐसी नहीं है। हिंदी प्रेमिया ने, 'अंग्रेजी हटाओ आदोलन' में तूफानी गति ला दी, आकाश-पानाल एक कर डाला, नितु मद्दमा गांधी के बतए हुए राम्ते पर चन्वर—सत्याग्रह और अहिंसा पर। पर भारतीय सरकार के बात पर जू तक नहीं रेंगी और वह—

‘जगत की सतरातर चीत्वार  
 बेघनी बधिर ! तुम्हारे बान !  
 अथु क्षोनो की अगणित धार  
 सीचती उर पाषाण ।’<sup>11</sup>

को बरितायें करती हुई ‘निष्पूर परिवर्तन’ के समान अडिग रही । जानते हैं क्यों ? जब-जब भी भारत में अंग्रेजी के विरुद्ध कोई आंदोलन चलता है, तब-तब अंग्रेजी के गुलाम मुद्दीभर नेताओं के इशारे पर नाचने वाले दक्षिण के प्रतिनिध्यावादियों की हिंसात्मक-अहिंसात्मक दोनों प्रकार की तमाम प्रतिनिय्याए प्रचंड रूप धारण करने लगती हैं और हमारी दिल्ली की सरकार परनि लगती है । होता यह है कि हमारी बातों को दूध की मखनो की तरह निगानकर फेंक दिया जाता है और उनके (दक्षिण वाली के) प्वात पर सरकार के सभी धार्यक्रम फिट किए जाते हैं । आगे चलकर ‘राजभाषा संशोधन अधिनियम, 1967’ बनाया गया, जिसे ‘राजभाषा अधिनियम, 1963’ का मनोघिन स्वरूप नहीं, बल्कि उसकी पुनरावृत्ति कहना ही समीचीन होगा ।

### राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967

राजभाषा (संशोधन) विधेयक लोकसभा में 27 नवम्बर सन् 1967 को प्रस्तुत किया गया, जिसे तमाम विरोधो, आंदोलनो, सत्याग्रहो आदि के बावजूद लोकसभा ने 16 दिसम्बर, सन 1967 को पारित कर दिया । लोकसभा द्वारा पारित इस विधेयन को राजसभा ने 22 दिसंबर सन 1967 को पारित किया और तत्पश्चात् 8 जनवरी, सन 1968 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त हो गई । इस अधिनियम का लोकसभा द्वारा पारित रूप मुख्यतः इस प्रकार है—

(1) यह अधिनियम राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967, कहा जा सकेगा ।

(2) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 के लिए निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात्—

(3) सविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के समाप्त हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत तारीख को और से—

(क) सब से उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए वह उस दिन से पूर्व प्रयोग में लाई जाती थी तथा,

(ख) ससद में कामकाज के व्यवहार के लिए प्रयोग में बनी रह सकेगी ।

साथ ही यह (संशोधन) विधेयक निम्नलिखित तथ्यों से अनुप्राणित रहा है—

(1) हिंदी के विनास व प्रसार तथा केंद्र के विभिन्न कामकाज में उसके उत्तरो-

स्तर बढ़ते हुए प्रयोग में तेजी लाने के लिए केंद्रीय सरकार अधिकार गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करे और उसे लागू करे।

(2) इन कार्यक्रमों एवं उनके परिणामस्वरूप प्राप्त प्रगति से संबंधित लेख-जोखे की रिपोर्ट सरकार हर वर्ष ससद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करे।

(3) राज्य सरकारों के सहयोग से भारत की प्रमुख पंद्रह भाषाओं के गमन्वित विकास के लिए सरकार एक कार्यक्रम बनाए और उसे लागू करे ताकि उन भाषाओं का तेजी से विकास हो सके और वे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रभावशाली माध्यम बन सकें।

(4) राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार त्रिभाषा फार्मूला को लागू करने के लिए समुचित व्यवस्था करे।

(5) केन्द्रीय सेवाओं में ऐंग्लो सदाओं तथा ऐमे पदों को छाड़कर, जिनके लिए केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी या दोनों का उच्चस्तरीय ज्ञान अनिवार्य है, अन्य नियुक्तियों या पदों के लिए ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव करे, जिन्हें हिंदी या अंग्रेजी का अनिवार्य ज्ञान हो।

(6) केन्द्रीय लोक सेवा आयोग से कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श करने के बाद सरकार आयोग की परीक्षाओं तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं अंग्रेजी तथा सविधान के अष्टम अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं में आयोजित करने की व्यवस्था करे।

### राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1967 और हिन्दी आन्दोलन

यद्यपि भारतीय सविधान ने हिंदी को केन्द्रीय सरकार की राजभाषा स्वीकार किया है फिर भी कई गैर हिंदी भाषी प्रदेशों और हिंदी व अहिंदी भाषी कुशल राजनीतिक नेताओं के उत्कृष्ट विरोध के कारण इसे वह स्थान नहीं दिया जा सका। तमिलनाडु में इस विषय को लेकर हिंसक घटनाएँ घटी, उपद्रव हुए, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह निबला कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू को यह आश्वासन देना पड़ा था कि जब तक एक भी राज्य अंग्रेजी कायम रखने के पक्ष में है तब तक उसे कायम रखा जायेगा।<sup>12</sup> नेहरू जी का यह आश्वासन सामयिक रूप से विद्रोह को दबाने में समर्थ हुआ था अवश्य किंतु इस राजभाषा की समस्या और अधिक उलझ गई थी।

वस्तुतः 'राजभाषा' (संशोधन) विधेयक 1967 को ससद में लाने का रहस्य तो अंग्रेजीपरस्त नेताओं की अनन्तकाल तक अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखने की मशा रही है। किंतु इसका जिम्मेदार मद्रास की द्रविड मुनेत्र कपगम सरकार के सतत हिंदी विरोध व मध्य नेहरू जी के उपर्युक्त आश्वासन का टट्टराया गया और यह कहा गया कि अहिंदी भाषी प्रदेशों मुख्यतः मद्रास की मांग पर नेहरू जी

द्वारा दिये गये आश्वासन का वातनी रूप देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है।

उपर्युक्त विधेयक को लोक सभा में पेश होने से पहले वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य सेठ गोविंद दास के निवाग स्थान पर कांग्रेसी और गैरकांग्रेसी हिंदी ममर्थकों की एक बैठक हुई, जिसमें 47 कांग्रेसी सदस्यों ने यह घोषणा की कि उन्होंने भाषा-विधेयक का विरोध करने का अंतिम निश्चय कर लिया है। किंतु कुछ दिन बाद ही जब विधेयक लोकसभा में पेश होने के लिए आया तो उनमें से केवल एक कांग्रेसी सदस्य सेठ गोविंददास ने विधेयक पेश करने का विरोध करने का माहस किया।<sup>12</sup> विधेयक पेश होने से पहले इस बात का भी आभास मिला था कि कांग्रेस के कई सदस्य हिंदी भाषा के प्रश्न पर कांग्रेस तक को छोड़ने का तैयार होंगे। किंतु मत पचने पर जो दृश्य दिखायी दिया, वह तो कुछ दूसरा ही था। इतना ही नहीं, इस बात का भ्रम फैलाने के लिए कि कांग्रेस हिंदी का विरोध नहीं करती और सिद्धान्त हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में है एकाधिक कांग्रेसी सदस्यों का हिंदी के पक्ष में बोलने से, साथ ही कुछ निश्चय मुझाव पेश करने की भी माजिश की गयी थी।

कांग्रेसी सदस्यों के पूर्ण आश्वासन में सरकार का इस बात का निश्चय हो चला था कि भाषा विधेयक जिस रूप में पेश किया गया है, उसी रूप में पारित हो जायेगा। इसी बीच कुछ मसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि उन्हें इस बात का आश्वासन दिया जाये कि एक निश्चित अवधि में एकमात्र हिंदी का राजभाषा बनाया जायेगा। किंतु दक्षिण के द्रमुक और स्वतंत्र पार्टी के अतिरिक्त कुछ अन्य हिंदी विरोधी सदस्यों ने प्रधानमंत्री को इस बात की धमकी दी कि यदि वर्तमान विधेयक में कोई संशोधन किया गया, तो देश के लिये खतरनाक होगा। हिंदी विरोधियों का यह दावा था कि यदि हिंदी को अहिंदी प्रदेशों पर लादा गया तो देश की एकता खतर में पड़ जायेगी। मसद सदस्य निर्मलचंद चटर्जी के अनुसार 'बहु दिन भारत के लिये दुर्भाग्य का दिन होगा जिस दिन सदन में वर्तमान विधेयक में इस प्रकार का संशोधन किया जायेगा।'<sup>13</sup>

हिंदी विरोधियों का यह तर्क कि अहिंदी प्रांतों में आम जनता हिंदी पढ़ना नहीं चाहती, अपन आप में भयकर असत्य को छिपाय हुए है। इस विधेयक के आने के कुछ दिन पहले आंध्र के मुख्यमंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी और मंगूर के मुख्यमंत्री निर्जलगुप्पा इसकी सफाई दे चुके हैं। इन वरिष्ठ नेताओं के अनुसार केन्द्र ने अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार और विकास के लिये उतना काम नहीं किया, जितना उम करना चाहिए था। इनकी मांग थी कि इस कार्य के लिये केन्द्र का अर्ध धन देना चाहिए। हा, यह बात अलग है कि उन्होंने भी वर्तमान विधेयक का ममर्थन किया, क्योंकि यह उनकी राजनीति का सवाल था। इतना ही नहीं,



कुछ सप्ताह सदन की इस मांग पर भी केन्द्रिय सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया कि हिंदी प्रदेश को अंग्रेजी प्रयोग करने पर मजबूर न किया जाये। वस्तुतः तटस्थ दृष्टि से देखा जाय तो ज्ञात होगा कि हिंदी और अंग्रेजी का एक लम्बे अर्से संचलता आता हुआ यह सघर्ष भाषा का नहीं, बल्कि पूर्वी मध्यता और पश्चिमी मध्यता का झगडा है यह स्वतंत्र दिमाग और गुलाम दिमाग का सघर्ष है, यह प्रगतिवाद और प्रतिनिध्यावाद की लड़ाई है और सबके मूल में जा चीज है, वह यह कि यह सघर्ष आम जनता और न्यस्त स्वार्थों का है। हिंदी का विरोध करने वाले वे सब लोग हैं जो यह समझते हैं कि अंग्रेजी के द्वारा अधिसूचना अपठ जनता पर बड़े आराम के साथ शासन किया जा सकता है।

हा तो कहना यह है कि एक तरफ हिंदी विरोधी यह विधेयक प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन के नाम पर लोक सभा में 27 नवम्बर, सन 1967 को पेश किया गया और दूसरी तरफ इसकी तीव्र प्रतिधिया नगर व्याप गयी बात सुनीछी, छुअत चढी जनु सब तन विछी' के समान समस्त हिंदी प्रदेश में गूज उठी। इस अवसर पर उत्तर भारत में विधेयक विरोधी हिंदी का जो आंदोलन चल पडा वह अपने इतिहास में बेजोड है। उसकी एक-एक गति, एक एक तान और एक एक लय अतुलनीय है।

इस व्यापक आंदोलन की पतवार नाशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सभाली। 28 नवंबर सन 1967 को भाषा-विधेयक के विरुद्ध छात्रों ने जो आंदोलन धाराणसी में शुरू किया, वह देखते देखते पूरे प्रदेश में फैल गया। धाराणसी में छात्रों की उत्तेजना इतनी भयंकर हो गयी कि सरकार को कर्पूर लगाना पडा। कई बार छात्रों पर लाठी प्रहार किया गया और दर्जनों बार अश्रुगैस के गोले छोडे गये। इतना ही नहीं, निर्मम पुलिस ने छात्रों की भीड पर गोलिया भी चलायी। धाराणसी की सड़कें खून से लाल हो उठी और जिला जेल हजारों नवायतुकों से भर गया। फिर भी हर जगह छात्रों का झुंड सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करता रहा। तीन दिनों के भीतर-भीतर अंग्रेजी विरोध की चिनगारी सारे राज्य में छिटक गयी। दुकानों और कारों तथा मोटरों पर लगे अंग्रेजी के नाम पट्टों पर कोलतार पोतने का सिलसिला शुरू हुआ।

धाराणसी के इस आंदोलन का प्रभाव लखनऊ और इलाहाबाद में भी पडा। इलाहाबाद के छात्रों ने काले त्रिल्ले लगाये और आंदोलन को आगे बढ़ाया। लखनऊ में छात्रों और पुलिस के बीच बीसों बार सघर्ष हुए। दो डाकखाने जला दिये गये। छात्रों की फुकार भरती हुई कुछ भीड ने आकाशवाणी भवन पर भी हमला करने की कोशिश की। यहां के छात्रों ने व्यापक पैमाने पर हड़ताल करने का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप 30 नवम्बर को अधिसूचना दुकानें बंद रही। नगर में एक हिंदी सभा भी गठित की गयी, जिसमें नगर के विभिन्न दलों के स्वयं

सेवक एवं छात्र सम्मिलित थे।<sup>15</sup>

वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ के अतिरिक्त आदोलन गोरखपुर में भी फैल गया। यहाँ पर रेलगाड़ी के दो डिब्बे जला दिये गये। गौडा, आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, बलिया आदि अनेक जनपदों में निरंतर प्रदर्शन और हड़तालें होती रहीं। एक ओर ससद सदस्य श्री राजनारायण ने लखनऊ दिल्ली मेल गाड़ी को घटो रोके रखा और दूसरी ओर उत्तरप्रदेशीय संयुक्त मोर्चे की सरकार के कई मंत्रियों ने हिंदी आदोलन का समर्थन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चरणसिंह से मांग की कि 'वह केन्द्र को बता दें कि उत्तर प्रदेश भाषा-विधेयक का पुरजोर विरोध करता है। यदि विधेयक पारित हुआ, तो संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन होने की आशंका है।'<sup>16</sup> तत्कालीन उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त ने भी आदोलन का समर्थन करते हुए छात्रों को 'अपने विचार शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करना चाहिए' का सदेश दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री चरण सिंह ने छात्रों से अपना आदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की अपील की। फिर भी आदोलनकारी छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के साथ-साथ वातावरण निरंतर तनावपूर्ण होता गया और छात्र नेताओं को घोषणा करती पड़ी कि वे अपना आदोलन तब तक चलाते रहेंगे, जब तक कि केन्द्र भाषा संबंधी काले विधेयक को वापस नहीं कर लेता।

बिहार के विभिन्न नगरों में आदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर, हर जगह एक ही तरह के दृश्य दिखायी पड़ रहे थे, यथा अंग्रेजी विरोधी नारे लगाती हुई भीड़, अंग्रेजी नामपट्टों पर तारकोन पोतत हुए चेहरे पुलिस से मुठभेड़ करता हुआ छात्र-समूह। पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की एक सभा हुई, जिसमें तत्कालीन लोकनिर्माण मंत्री भोलाप्रसादसिंह, सहकारिता मंत्री रामदेव महतो, विधानमंडल के अध्यक्ष धनिकलाल मंडल और जनसंघ के नेता ठाकुर प्रसाद ने केन्द्र की इस भाषा नीति की कटु आलोचना की। पाच सौ छात्रों ने सर्वोदयी नेता श्री जयप्रकाश नारायण के निवास स्थान को घेर लिया और उनके विरुद्ध नारे लगाये गये, कारण यह कि उन्होंने वर्तमान विधेयक के समर्थन में हाथ बढ़ाया था। मुंगेर में 'अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन' बुनाया गया, जिसमें सरकार की इस भाषा नीति की कटु आलोचना के साथ निम्नलिखित परस्ताव पारित किये गये

'लोकतंत्र मात्र भाषा में ही चल सकता है। साथ ही देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति के लिये आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग तत्काल समाप्त हो। मसदीय प्रणाली तथा मात्रमत के विरुद्ध भारतीय संविधान का उल्लंघन कर प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों का झूठा बहाना बनाकर विधेयक लाना देश के साथ विश्वासघात है। अधिवेशन केंद्रीय सरकार से मांग करता है कि वह

प्रस्तावित राजभाषा विधेयक वापस ले और तब राष्ट्रीय भाषा नीति का अनुमरण करे, जिससे मुताबिक सत्रिपान द्वारा निम्नलिखित भाषा नीति तारकर हम से तत्काल लागू की जा सके। सभी प्रादेशिक भाषाएँ, जिनमें हिंदी भी शामिल है, अपने-अपने राज्यों में शिक्षा का माध्यम बन जायें। देश के सुवर्गों और मुसायों की प्रतिभा के विराय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अंग्रेजी की अनिवार्य पडाई तत्काल बंद करके उसे ऐच्छित बनाया जावे। मुगेर का यह अधिेशन यह स्पष्ट मन व्यक्त करता है कि अंग्रेजी हटाने के पीछे हिंदी लादन की मना नही है। अधिेशन में हिंदी भाषी जनता से आग्रह करता है कि वह अपनी-अपनी राज्य सरकारों को क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने के लिय मजबूर करे।”

दिल्ली महानगर में कई दिनों से वातावरण काफी उमनेजनापूर्ण था। लोक सभा में जनसंधी सदस्य बहवाहू ने विधेयक की प्रति जलायी। विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शन करते रहे। जगह-जगह आम सभाएँ की गयी, दुसाने बंद रहीं और जुमूस निवाले गये। छात्रों और पुलिस में मुठभेड होती रही, घर-घरड का सिल-मिला जारी रहा। अंग्रेजी विरोधी आंदोलन में हिम्मा लेने में जब कुछ छात्रों ने उदासीनता दितायी, तो 500 छात्राएँ नामने आ गयी। उन्हें कुछ छात्रों को व्यग्य में चूडिया भेंट की और कहा कि यदि वे गिरफ्तार छात्रों की रिहा कराने और आंदोलन में हिम्मा लेने में असमर्थ हैं तो उन्हें चूडिया पहन कर घर बैठ जाना चाहिये। छात्राओं ने उपनृतपति कार्यालय से सामने नारे लगाते हुए प्रोपणा की कि वे अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व सुद करेंगी। इतना ही नहीं, हिंदी माहित्य सम्मेलन ने दगल मैदान में एक सभा आयोजित की, जिसमें 20 फीट का अंग्रेजी का पुतला जलाया गया। सभा में उपस्थित पांच हजार लोगो ने प्रतिज्ञा की कि वे अपना सपर्यं तब तक जारी रखेंगे, जब तक सरकार विधेयक को वापस नही ले लेती।

भोपाल में जगह-जगह पर सभाएँ हुईं। शिक्षा सस्थाएँ बंद रहीं। अंग्रेजी नामपट्टी पर बोलतार पीतने का समारोह मनाया जाता रहा। खालियर में पूर्ण हडताल थी। छात्रों ने अंग्रेजी पोस्टरो में आग लगायी। एक माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने अंग्रेजी का बहिष्कार किया और दूसरे में अंग्रेजी के पर्चे जलाये गये। नागपुर और इंदौर में आंदोलन का बाजार गर्म था और विधेयक की गतिया जलायी गयी। रामपुर से लेकर रीवा, जबलपुर और विदिशा में निरंतर आंदोलन व प्रदर्शन हाता रहा।

राजस्थान में भी अंग्रेजी के पूम महल को जलाने का समारोह जोरो पर था। जयपुर नगर में अंग्रेजी विरोधी जनता ने विगल जुलूम निवाला। भीड सडको पर अंग्रेजी विरोधी नाचों में मस्त थी। यही स्थिति बमोपेश राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी थी। हरियाणा राज्य भी इस मामले में किसी से पीडे न था। यहा भी अंग्रेजी के

स महल को जलाने का सिनसिला शुरू था, आदोलन, प्रदर्शन व हड़ताल होती ही। सोनीपत में अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर जाने वाली गाड़ी पर पत्थरबाजी की और आदोलन की वामबाय बनाने की हर कोशिश की गयी।

केन्द्रीय भाषा नीति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए हिंदी व कुछ साहित्यकारों ने अपनी उपाधिया लौटाने की घोषणा की। हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, गाखनलाल चतुर्वेदी, वृन्दावनलाल वर्मा, पत्रकार अक्षयकुमार जैन, गोपालप्रसाद व्यास, और सठ गोविंददास ने अपनी पद्यभूषण और पद्यधी उपाधिया लौटा देने की घोषणा की। हिंदी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भी घोषणा की कि 'यदि वन्द अपनी भाषा नीति नहीं बदलता, तो वे केन्द्रीय सरकार के हिंदी परामर्शदाता पद से त्यागपत्र दे देंगे। हा, यह दूसरी बात है कि इलाहाबाद के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किये जाने के फलस्वरूप 'ग्राम्या' के कवि का ऐसी घोषणा करनी पड़ी है। उपाधियों से विभूषित अन्य साहित्यकारों के इस रुच्य का भी कुछ ऐसा ही रहस्य रहा है।

हा, तो कहना यह है कि इन तमाम प्रकार के आदोलन, प्रदर्शन एवं विरोध के बावजूद लोकसभा ने राजभाषा संबंधी इन विधेयकों को नाना विवादों के मध्य 16 दिसंबर, सन 1967 को पारित कर दिया। अब राज्य सभा की घंटी आयी। राज्य सभा में भी विधेयक पर काफी बहस होती रही। बहस के दौरान भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री एम० सी० चागला ने भी विधेयक का जोरदार शब्दात्मक समर्थन किया और कहा कि 'दोनों स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों का आश्वासनों को कानूनी रूप दे दिया है। जब तक राजभाषा के रूप में हिंदी-अंग्रेजी का स्थान नहीं ले लेती, तब तक अंग्रेजी का अहिष्कार सततनाक होगा।' 1) द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम के श्री बी० वी० रामास्वामी और हिंदी विरोधी तमाम नेताओं ने भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री ए० नेहरू के आश्वासन की दुहाई देते हुए विधेयक का जमकर समर्थन किया और सरकार के इस कार्य पर प्रमत्तता व्यक्त की। नतीजा यह निकला कि भारी बहुमत के साथ राज्य सभा से यह विधेयक 22 दिसम्बर, सन 1967 को पारित हो गया।

इस प्रकार स्वर्गीय नेहरू के आश्वासन की दुहाई देकर सदन के दोनों सदनों में राजभाषा हिंदी की निर्मम हत्या की गयी और इस सत्य को आँखों की ओट कर दिया गया कि एक दफा नहीं, न जाने कितनी दफा नेहरू जी ने जनता का यह आश्वासन दिया था कि पंजाब का विभाजन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि नेहरू के आश्वासन का ही सवाल था, तो पंजाब विभाजन के समय नेहरू जी के आश्वासन पट्टा चले गये थे? आन्तरिक उत्तराधिकारी सरकार ने पंजाब का विभाजन क्यों किया? यह प्रश्न अपने आप में महत्त्वपूर्ण व विचारणीय है।

विधेयक विशाल बहुमत से पारित हुआ, इसमें सदेह नहीं। किंतु वह अपने पीछे अनेक प्रश्न चिह्नों को छोड़ता गया है। ये प्रश्न चिह्न समय के साथ धूमिल न होकर स्पष्ट होते जा रहे हैं और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि विधादास्पद विधेयक के पास होने के बावजूद विवाद अपनी जगह पर है। यह तो रहा सन 1967 के हिंदी आंदोलन का एक पहलू, विषय की स्पष्टता के लिये दूसरे पहलू पर बनते-बिगड़ते चित्रों की झंझार भी द्रष्टव्य है।

### दक्षिण भारत और हिंदी

जहाँ पर संस्कृत के एक स एक दिग्गज आचार्यों ने जन्म लिया, जहाँ के लोग मध्यदेशीय संस्कृति एवं भाषाओं के प्रति आदि से जिज्ञासु रहे, और जहाँ पर सर्व-प्रथम खड़ी बोली साहित्य और शासन का माध्यम बन दक्खिनी नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी दक्षिण भारत को हिंदी का विरोधी कहा जाता है। किंतु यह कथन अपने आप में पर्याप्त भ्रमपूर्ण है, न तो समस्त दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध होता है और न वहाँ की आम जनता ही हिंदी-विरोधी है। विरोध होता है मद्रास में और हिंदी विरोधी भावनाओं को अपनी राजनीतिक पूँजी समझते हैं दक्षिण के मुठ्ठी भर राजनीतिक नेता। वस्तुतः जिस प्रदेश में गांधी जी ने 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार मञ्च' की स्थापना की, जहाँ हिंदी न पढ़ने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राजगोपालाचार्य ने लोगों को जेल तक भजा, वही स सर्वप्रथम यह स्वर सुनायी पड़ा कि हिंदी प्रचार देश के साथ विश्वासघात है और स्वतंत्र पार्टी के आधार उसी राजा जी ने घोषणा की कि 'राजभाषा अगर हो सकती है तो अंग्रेजी हिंदी नहीं।'<sup>19</sup>

मुख्यतः समस्त दक्षिण भारत में मद्रास की द्रविड़ मुन्नेत्र कण्ठम नामक संस्था ही हिंदी की विरोधी है और उसके इस इच्छा पर दक्षिण की स्वतंत्र पार्टी का सहयोग भी सदा उभर मिलता रहा है। सठ गोविंद दाम के शब्दों में 'इस संस्था का इतिहास राष्ट्रद्रोह का इतिहास है। पहले से ही मद्रास का यह दल अलग राष्ट्र की मांग करता रहा है। आज भाषा को लेकर यह दल भारत से अलग होने की घमबिया देता है, '<sup>20</sup> द्रविड़ मुन्नेत्र कण्ठम के चुनाव घोषणा पत्र में हिंदी-विरोध को मंदैव महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। सन 1967 के आम चुनाव के सरगर्मी के बीच द्रमुक के सदर्म में 'दिनमान' का कथन है कि 'द्रविड़ मुन्नेत्र कण्ठम के चुनाव घोषणा पत्र में जिन बातों का आश्वासन दिया गया है, उनमें जनता के हितों का ध्यान रखना और लोकतंत्र की नींव पक्की करना सम्मिलित है। इनके अलावा हिंदी के महत्व का विरोध करते रहने का उनका वादा बदस्तूर कायम है।'<sup>21</sup>

वहना न हागा कि अपनी ममसामयिक सफ़न नीतियों के फलस्वरूप सन 1967 के आम चुनावों में द्रमुक ने कांग्रेस के समक्ष बहुत बड़ी विजय प्राप्त की और सर्वप्रथम कांग्रेस के खिलाफ मद्रास में एक दलीय सरकार का निर्माण किया। अपने

शासन के प्रारम्भिक दिनों में यह अपनी मूकता से हिंदी विरोध से दूर रहने वाले दृष्टिकोण का परिचय देती हुई सी दिखायी पड़ी। किंतु इसी बीच राज्य के मुख्य मंत्री अन्नादौरे दिल्ली खाना हुए और वहाँ जाकर उन्होंने केन्द्रीय सरकार से राज्य मद्रास के कृषि-विकास के लिये प्रचुर आर्थिक सहायता की माग की। किंतु तत्कालीन उप प्रधान मंत्री व वित्तमंत्री मोरारजी देसाई ने इस सदर्भ में केन्द्रीय सरकार की असमर्थता प्रकट की। नतीजा यह निकला कि मुख्य मंत्री अन्नादौरे की सभी आशाओं पर पानी फिर गया और उन्हें खाली हाथ मद्रास वापस आना पड़ा। अब 'झगडा किसी में और गुस्सा किसी पर' के अनुसार बात फिर हिंदी पर आ गयी।

द्रमुक सरकार के नेताओं ने, जिनका एकमात्र उद्देश्य हिंदी का विरोध करना ही रहा है, कहा कि 'जो सरकार नहरू के आश्वासनों को पूरा नहीं कर सकती, उससे हम और क्या उम्मीद रख सकते हैं?'<sup>22</sup> और मुख्य मंत्री अन्नादौरे ने कुछ 'दुखी मन भरे' की मुद्रा में 'कौन घों पाटि पड़ी है लला, मन लेन पै देन छटाक नहीं' के तर्ज पर कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्र हमेशा ही अपनी बान मनवाते रहे हैं और अहिंदी भाषी क्षेत्र हमेशा से ही झुकते आ रहे हैं। सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है और अब हमारी वह सीमा समाप्त हो चुकी है। आगे मुख्यमंत्री अन्नादौरे ने अपनी सरकार की नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि, 'यह ठीक है कि द्रमुक सरकार की 'स्वतंत्र द्रविड नाड' की कोई माग नहीं है पर यह भी सही है कि हमारी सरकार केन्द्र का ज़रूरत से ज्यादा हस्तक्षेप और कुछ मामले में, जैसा कि भाषा के मामले पर, केन्द्र की मरमाती बरदाश्त नहीं कर सकती। केन्द्रीय सरकार को एक न एक दिन हम स्वायत्तता का अधिकार देना ही होगा'<sup>23</sup> इसी जगह में मद्रास में पुन हिंदी विरोध का सत्रिय मिलनित्रा शुरू होता है।

जहाँ तक राजा गोपालाचार्य का, जिन्हें बूढ़ा जवान विद्रोही कहा जाता रहा है, सवाल है, उन्होंने भी जलती आग में हाथ सँकना शुरू किया। अब वे अंग्रेजी जुवान का पहले से भी ऊँची आवाज में यशोगान करने लगे। उनकी निगाह में इस जुवान में माहित्य है विज्ञान है और इस देश को विकसित करने के लिये जो कुछ चाहिये, वह सब कुछ है। उन्होंने दक्षिण भारत के छात्रों से कहा तब कभी कि वे इस प्रश्न को लेकर केन्द्र का विरोध करें और वे अब लठें, जागें, और तय तरु रुचने का नाम न लें, जब तक उन्हें अपनी मजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जहाँ तक सतुलित विचार वाले व्यक्तियों का संबंध रहा है, उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इस मामले में अल्दबाजी में काम न लें।<sup>24</sup>

सन् 1967 के नवम्बर तक आते आते भाषायी राजनीति में नए दौर में द्रमुक ने एक नया पासा फेंका। इसके अनुसार उसने भाषा को ही चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा अस्त्र बनाया। इस पासे के अमोघ चाल के सामने तमिलनाडु के मारे राज-

600 से अधिक छात्रों ने नीलगिरि-एक्सप्रेस गाड़ी को कोई आध घंटे तक रोके रखा। उस गाड़ी पर लिखे हिंदी अक्षरों को मिटाकर हिंदी विरोधी नारे लिखे गए और उसके बाद वही जाकर गाड़ी आगे रवाना हुई। यह सब होता रहा और राज्य की पुलिस मजे से देखती रही। पुलिस ने इतना कष्ट जरूर किया कि काफी देर बाद आर० रामास्वामी को गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी देर बाद जमानत पर रिहा भी कर दिया।

मद्रास के इन मनचले छात्रों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज जलाने एवं राष्ट्रीय गीत का अपमान किए जाने या फिर उनके द्वारा आए दिन स्वतंत्र तमिलनाडु की आवाज बुलंद करने के समाचारों से संपूर्ण देशवासियों का दुखी होना अति स्वाभाविक था। लोग इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि मद्रास राज्य में जितनी भी असोभन और अनहोनी घटनाएँ घट रही हैं, उन सबके लिए द्रविड़ मुन्नेत्र क्यमम सरकार ही जिम्मेदार है। बात जब सीमा का अतिक्रमण करने लगी तो राज्य के मुख्यमंत्री अन्नादोरे और श्री राजगोपालाचार्य ने एक समुक्त वक्तव्य देकर भडके हुए छात्रों से शान्त रहने की अपील की और कहा कि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज जलाने या स्वतंत्र तमिलनाडु के नारे बुलंद करने जैसे निर्दोष कार्यों से कोसों दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से न तो भाषा-समस्या का ही कोई सम्मानजनक हल निकलेगा और न हम किसी नतीजे पर ही पहुंच पायेंगे। आगे इन नेताओं ने छात्रों को यह विश्वास दिलाया कि दोनों नेता अपने इरादों और अपने वायदों के पक्के हैं। उन्हें छात्रों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान है, यानी वे ऐसा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे कि छात्रों का अहित हो। साथ ही उन वक्तव्य में यह भी कहा गया था कि हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपनी कोशिशों में तभी कामयाबी हासिल हो सकती है, जबकि राज्य में काफी समय तक द्रमुक सरकार बनी रहे। किंतु कहना न होगा कि इन अपीलों का मद्रास के छात्रों पर कोई प्रभाव पड़ते न देखा गया।

3 मार्च, सन् 1968 को 'दिनमान' में इन घटनाओं की आलोचना करते हुए लिखा गया है कि 'अन्नादोरे यह कहा करते थे कि सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है। अब उन्हें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि सहन-शक्ति की एक सीमा होती है। कहीं पथराव, वही हिंदी विरोधी आन्दोलन, रेलगाड़ियों को जलाना, मोरारजी देसाई को मद्रास आने से मना करना, एन० सी० सी० को बद करने की घोषणा करना, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, फिर पृथक होने की धमकी देना और अब राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर तमिषक्म् ध्वज। आखिर सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है। न जाने कब तक द्रमुक सरकार उत्तर भारतीयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रहेगी।' 28

और हिंदी विद्यापीठ देवघर, बिहार के तत्कालीन कुलपति डा० लक्ष्मी

नारायण सुधाशु ने कहा कि 'सरकार की दुर्बलता, उपेक्षा और मद्रास नीति के कारण हिंदी की दुर्गति हो रही है। भारत की सरकार नपुंसक है। मद्रास द्वारा हिंदी विरोध के अवसर पर राष्ट्रीय झंडा तब जला दिया गया और यह सरकार चुपचाप बैठी रह गई। अन्नादौरे की गीदड धमकी पर सरकार बाप जाती है। सविधान द्वारा घोषित राजभाषा को न मानने वाले लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, किंतु हमारी कायर सरकार चुप बैठी है। यह सरकार उपद्रव की भाषा समझती है, आंदोलन की भाषा समझती है। हमें इस सरकार को आंदोलनों से झुकाना पड़ेगा।' 29

सन् 1967 के राजभाषा विधेयक के पारित होने के बाद मद्रास की यह प्रतिक्रिया हुई कि द्रमुक सरकार ने भाषानीति के सदम में त्रिभाषा फार्मूले के स्थान पर द्विभाषा फार्मूला<sup>30</sup> स्वीकार कर मद्रास से हिंदी को निर्वासित कर दिया। पूरे तमिलनाडु में द्विभाषा प्रणाली की घोषणा के साथ हिंदी, संस्कृत और उर्दू की पढाई एक साथ समाप्त कर दी गई। हिंदी प्रचारक तो पहले से ही बदनाम थे। संस्कृत-शिक्षा के बायल अब यहां के ब्राह्मण भी न रहे। केवल मुसलमानों द्वारा उर्दू को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्न जारी थे। भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कामराज और तत्कालीन तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम की धारणा भी द्विभाषा फार्मूले के पक्ष में ही थी। वस्तुतः ये दोनों नेता दक्षिण में अंग्रेजी के और उत्तर में हिंदी के समर्थन की बातें करके हमेशा भाषा क्षेत्र में दोहरी नीति से काम लेते आ रहे हैं।

इतना ही नहीं, मद्रुरों की हिंदी विरोधी छाल परिपद् ने खुते शब्दों में यह ऐलान किया कि यदि केन्द्र ने राज्य विधान सभा द्वारा प्रस्तावित द्विभाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं किया तो हम स्वतंत्र तमिलनाडु का नारा बुलंद कर देंगे। दूसरी तरफ निरुचिरापल्ली के विद्यार्थियों ने तमिलनाडु को स्वतंत्र देश बनाने के लिए धार्मिक आंदोलन का निरन्वय किया। कोयंबटूर में उपराष्ट्रपति को भी तमिलनाडु को स्वाधीन करने का स्मरण पत्र दिया गया। राज्य में इस प्रकार के अनर्थकारी अराष्ट्रीय दृश्य उपस्थित होते रहे और मद्रास की सरकार व पुलिस शान्त होकर समाशा देखती रही।

हिंदी विरोधी आंदोलन का असर आन्ध्र में भी रहा। पर वाम्त्विकता यह थी कि आन्ध्र प्रदेश के आंदोलन वहां के निवासियों द्वारा नहीं किये गये थे। उनके मूल सूत्रधार द्रमुक के मतवाले थे। जिन दिनों हिंदीविरोधी आंदोलन मद्रास में उग्र हो रहा था, उन दिनों आन्ध्र के अलावा केरल और मैसूर बिलकुल शांत थे। पर जैसे ही मद्रास का आंदोलन घीमा पड़ा, आंदोलन की आग मैसूर की राजधानी बेंगलूर और आन्ध्र प्रदेश के मद्रास की सीमा से लगे हुए जिलों नेल्लोर और चित्तूर में भड़क उठी। सान्ध्य यह कि तमिलनाडु में अपने प्रारंभिक उद्देश्यों की



पूति कर चुकने के बाद हिंदी विरोधी-आंदोलन के बढम क्रमशः आन्ध्र और मैसूर की ओर बढने लगे। तंताली (आंध्र) में भाषण करते हुए मद्रास के मुख्यमंत्री अन्नादोरे ने राजा जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की ओर अधिक जोर पड़ाने की सलाह दी और कहा कि देश की कोई भी भाषा राजभाषा के पद पर आसीन होने योग्य नहीं है और अंग्रेजी इस काम की पूरा कर सकती है। आंध्र के ही तमिल बहुसंख्यक जिले चित्तूर में उन्ही के निर्देशन के कारण आंदोलन का जोर रहा।

किंतु जहां तक मैसूर जैसे शांत प्रदेश में भाषा की लेकर अचानक ज्वालामुखी को फूटने का प्रश्न है, जिसके अनुसार बंगलौर में छात्रों ने राज्य के मुख्यमंत्री निजलिगप्पा की कार पर भी पथराव किया, स्वतः मुख्यमंत्री के लिये भी आश्चर्य का विषय था। भाषा के इस विस्फोट को लेकर 'दिनमान' के प्रतिनिधि और मैसूर के मुख्यमंत्री निजलिगप्पा व उनके विश्वासपात्र सहयोगी रामकृष्ण हेगडे से जो बातचीत हुई, उससे पता चला कि मैसूर में भाषा संबंधी उपद्रव मुनियोजित थे और उनके पीछे द्रमुक का हाथ था। श्री हेगडे ने बताया कि मैसूर की सीमा पार कर मद्रास से द्रमुक के कार्यकर्ताओं और छात्रों के कुछ जत्थे चले आये और उन्होंने प्रदेश में जगह जगह विद्यार्थियों को उकसाना शुरू किया। छात्रों को यह कहकर बरगलाया गया कि हिंदी के विरोध में समूचे दक्षिण भारत का फायदा है क्योंकि अगर हिंदी को स्वीकार कर लिया गया तो दक्षिण भारत के लोग केन्द्रीय नौकरियों में पिछड़ जायेंगे। द्रमुक ने हिंदी विरोध को अंग्रेजी में परिणत करते हुए मैसूर के छात्रों को कुछ समय के लिये अस्तव्यस्त कर दिया। श्री हेगडे ने कहा कि यह मजेदार बात है कि ये उपद्रव मद्रास की ओर पडने वाली सीमा में ही हुए, कर्नाटक की तरफ का प्रदेश शांत रहा।<sup>11</sup> स्पष्ट है कि एक प्रदेश की आग दूसरे प्रदेश में लगाई गई थी।

वस्तुतः हिंदी-अंग्रेजी का सारा झगडा भारत सरकार की नौकरियों का है। यदि जनसंख्या के हिसाब से केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में प्रदेशवार पदों की संख्या निर्धारित कर दी जाय, तो हिंदी और अंग्रेजी की लड़ाई बहुत हद तक समाप्त हो सकती है। तमिलनाडु में अंग्रेजी की सेना शिव की बारात जैसी है। उसमें वे लोग भी हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते। उसमें वे लोग भी रहे हैं, जिन्होंने तमिलनाडु में कभी हिंदी जबर्दस्ती पढवाई थी। उसमें वे जन भी हैं जो अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ेंगे और वे लोग भी हैं जो हिंदी बखूबी जानते हैं। आखिरकार मद्रास का यह अंग्रेजी-प्रेम कैसा और क्यों? यह अपने अपने आप में विचारणीय है।

जहां तक सरकार का प्रश्न है, राजभाषा के बारे में सरकार के विचार शुरू से में ही लोक विरोधी रहे हैं। उनमें लगातार अंग्रेजी को आगे बढ़ाया है और दूसरी ओर हिंदी के मामले को इस तरह सामने रखा है कि हिंदी भी केवल कुछ सुविधा

प्राप्त वर्गों की भाषा वन और देश का जनसमुदाय उससे वंचित रहे। राजभाषा विषेद्रक समस्या का हल नहीं, बल्कि स्वयं एक समस्या था। हा, इतना जरूर हुआ कि उससे प्रतिप्रिया स्वरूप हिंदी के अनेक सरकार-जीवी लेखकों और बुद्धि-जीवियों को अलकरण छोड़ना पड़ा और कांग्रेस विरोधी पार्टियों को अपने संगठन का उम्दा परिचय देने का अवसर मिला। उत्तरप्रदेश में जहाँ कि जनसघ बागो मार ले गया था, राजभाषा के मवाल को अपना सवाल बनाकर सयुक्त मोसलिस्ट पार्टी ने अपनी जड़ें कुछ और गहरी कर ली। ठीक इसी तरह तमिलनाडु में द्रविड मुनेत्र कपगम, जो सत्ता प्राप्त कर चुका था, एक बार फिर सड़कों पर आया और उत्तर दक्षिण की धुरी जो कि स्थिर हो चली थी, पुन डोलने लगी।

राजभाषा (सशोधन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये 6 जुलाई सन 1968 को गृह मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों एवं विभागों को निम्नांकित अनुदेश जारी किये गये -

(1) जिन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र व्यवहार के लिये हिंदी को अपना लिया है, उनके साथ सभी प्रकार के पत्र व्यवहार के लिये यथा सम्भव हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए प्रयत्न किये जायें।

(2) कर्मचारियों को टिप्पण और आलेखन के लिये हिंदी अथवा अंग्रेजी के प्रयोग करने की स्वतंत्रता है और दूसरी भाषा में उसका अनुवाद उस कर्मचारी को नहीं करना है।

आगे चलकर निम्नलिखित दो अनुदेश और जारी किये गये :

(1) हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवापत्रिकाओं में सभी प्रविष्टियाँ हिंदी में हों।

(2) जनता के प्रयोग में आने वाले फार्म हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में छपवाये जायें।

इन अनुदेशों के सदर में गृहमंत्रालय द्वारा निम्नांकित व्यवस्थाएँ भी की गयी हैं

(1) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में सयुक्त सचिव के स्तर के एक अधिकारी को, विशेषतः प्रशासन से संबंधित अधिकारी को सघ के सरकारी प्रयोजनों के लिये हिंदी के सबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के कार्यान्वयन के सुनिश्चन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(2) संबंधित मंत्रालयों/विभागों में हिंदी के प्रयोग के सबंध में हुई प्रगति का पुनर्निरीक्षण करने के लिए भारत सरकार के हिंदी सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है। गृह, शिक्षा, विधि, मूचना और प्रसारण, विदेश व रेल के सयुक्त सचिव तथा डाक व तार बोर्ड के सदस्य इस समिति के सदस्य

हैं। साथ ही एक तिमाही प्रगति की रिपोर्टें भी निर्धारित की गई हैं, ताकि गृह मंत्रालय राजभाषा (सशोधन) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की देखभाल कर सके।

इसके अतिरिक्त आज तक सघ एवं राज्य सरकारों तथा उनके विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा हिंदी की अभिवृद्धि एवं प्रसार तथाव्यथित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं, जिन्हें देखने से ऐसा लगता है कि हिंदी के सदर्भ में काफी प्रगतिशील कदम उठाये गए हैं, किंतु वास्तविकता कुछ दूसरी है। वस्तुतः आज भी राजभाषा हिंदी की सांविधानिक स्थिति 26 जनवरी, सन् 1950 की-सी बनी हुई है।

हिंदी की अभिवृद्धि एवं प्रसार में सघ एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों के अलावा गैर सरकारी माध्यम के रूप में हिंदी सस्थान, भारतीय विश्व-विद्यालयों, चलचित्र, ममाचार पत्र, रेडियो, पत्र पत्रिकाएँ, साहित्य वाणिज्य, व्यवसाय आदि ऐसे सशक्त साधन हैं, जिनके द्वारा इस दिशा में पर्याप्त सफलता मिली है। हिंदी का सर्वांगीण विकास हुआ है। फिर भी हिंदी की ये सारी उपलब्धियाँ जहाँ की तहाँ धरी पड़ी हैं और आज भी राजभाषा हिंदी की समस्या अघर में लटकी हुई है।

अब बात आकर राजभाषा समस्या पर रुकती है। राजभाषा की तो नहीं, किंतु राष्ट्रभाषा की समस्या पर विद्वानों ने मोटी-मोटी पोथियाँ लिख डाली हैं, जिन में राष्ट्रभाषा हिन्दी से सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दावली, व्याकरण, वर्तनी, लिपि आदि की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है और यथासंभव उत्तका समाधान भी प्रस्तुत किया गया है। परंतु ध्यान से देखा जाय, तो मालूम होगा कि अखिल भारतीय सपकं भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा हिंदी की कोई समस्या नहीं है, बल्कि पहले की अपेक्षा आज हिंदी के जरिये समूचे राष्ट्र में विचार सपकं का कार्य और आसान हो गया है। भाषा को लेकर वर्तमान भारत में मात्र एक समस्या है राजभाषा की, जो देशव्यापी है। इससे प्रभावित सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि भारत की सभी प्रादेशिक भाषाएँ हैं। अंग्रेजी जबतक देश के शासन में हिस्सा घटाती रहेगी, तबतक भारतीय भाषाओं को लेकर चाहे जितनी भी उन्नत पारिभाषिक शब्दावली गड़ी जाय, तत्संबंधी व्याकरण चाहे जितना भी सरल किया जाय, लिपि और वर्तनी को सुधार कर चाहे पूर्ण वैज्ञानिक ही क्यों न बना लिया जाय, राजभाषा की समस्या ज्यों की-त्यों बनी रहेगी। कारण यह है कि राजभाषा-समस्या के मूल में शासन के मध्य अंग्रेजी प्रयोग की प्रवृत्ति है, न कि भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली की असमृद्धता, व्याकरण की कठिनता, वर्तनी व लिपि की वैज्ञानिकता आदि।

इसे हिंदी की नहीं, बल्कि सपूर्ण राष्ट्र का दुर्भाग्य कहना चाहिये कि हिंदी न केवल अहिंदी भाषा बल्कि अपने प्रदेशों में भी एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में गत

अनेक वर्षों से सामने रखी जाती रही है। यहां तक कि जब देश स्वाधीन हो रहा था, तब भी हिंदी राजनीतिक घटघरो में लड़ी की गयी थी और जब संविधान सभा में राजभाषा का प्रश्न उठा, तब भी राजनीतिक दलतंत्र का एक मोहरा हिंदी बनायी गयी और राजनीतिक वर्णधारो ने बजाय यह निर्णय लेने के कि अमुक राजभाषा हो, तथा उसने पठन पाठन की व्यवस्था सारे देश में अमुक तिथि तक हो जाये, निर्णय यह किया कि प्रस्तावित राजभाषा का स्वरूप इस प्रकार हो और पन्द्रह वर्षों के बाद वह राजभाषा हो जाये। परिणाम यह हुआ कि राजभाषा हिंदी के व्यवहार का प्रश्न ओट में चला गया, जिसके निर्माण का काम ऊपर आ गया। निर्माण का आधार भी विचित्र, अंग्रेजी को नजर में रखकर हिंदी शब्दों की गठारें शुरू हुईं, पाणिनि जैसे महान भाषा वैज्ञानिक की जन्मभूमि में भाषा के साथ अनाचार प्रारंभ हुआ। इस काम में लाखों रुपये खर्च हुए और इसे भी इतने इतमीनान से किया जाता रहा कि हिंदी भाषा के विरुद्ध भाति-भाति के आक्रोश को बढ़ावा मिला, भाषा को नौकरी तक सीमित रखने वाली या भाषा को मजहब से जोड़ने वाली सर्वांग प्रवृत्तियों को साजिस करने का खासा मौका मिला।

वस्तुतः आज की राजभाषा समस्या को देखते हुए तुर्की के महान मुक्तिदाता कर्मात्मता का वह दृढ़ निश्चय ध्यान में आता है, जिसका परिचय उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के अवसर पर दिया था। कमालपाशा ने स्वराज्य प्राप्त करने पर प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों और सहयोगियों से राजभाषा के रूप में तुर्कीभाषा को स्थान दिलाने के सबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा और जब इन सहयोगियों ने तुर्की की राजभाषा के रूप में विकसित होने के लिए 10 वर्ष का समय निर्धारित करने की मांग की, तो उन्होंने यह घोषणा की कि 'आप लोग यह समझ लें कि' बल सुबह 10 बजे पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं और उस समय से तुर्की राजभाषा घोषित की जाती है।' 'इस निर्णय से विदेशी भाषा के छोड़े से जानकार धुब्ध हुए, लेकिन अधिवाश जनता ने यह निर्णय सर आखो पर ले लिया, जिससे विरोधियों ने भी उक्त निर्णय के अनुगार कार्य करना शुरू किया। यदि हमारे देश के कर्णधारो ने भी भारतीय भाषाओ के सद्बन्ध में इसी प्रकार का स्पष्ट निर्णय स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही ले लिया होता, तो आज राजभाषा की कोई समस्या न होती और केन्द्रीय राजभाषा हिंदी के साथ अन्य प्रादेशिक राजभाषाए अपने अपने क्षेत्र में वाञ्छित महत्ता प्राप्त कर चुकी होती।

अब से भी चेता जा सकता है और प्रशासनिक क्षेत्र में भारतीय भाषाओ को उनका प्राप्य दिलाया जा सकता है। आज भाषा को लेकर जिस प्रातीयता की भावना उभर रही है या अन्य भारतीय भाषाओ के साथ हिंदी के बैमनस्य की जो बात चलायी जा रही है, वह अपने-आप में अराष्ट्रीय और अस्वस्थ दृष्टि का परिचायक है। ऐसे महदेश में अनेक भाषाया की स्थिति स्वाभाविक है, किंतु

उनमें से प्रत्येक भाषा एक वीणा के ऐसे सघे तार के समान रहकर ही सार्वकता पाती है, जो रागिनी की सपूर्णता के लिए ही अपनी झंकार से भिन्न है। सभी भारतीय भाषाएँ प्रणम्य हैं। सभी ने अपनी वितना और भावना की उपलब्धियों से राष्ट्र-जीवन को समृद्ध किया है।<sup>33</sup> ये उद्गार हैं हिंदी की वरिष्ठ कवियत्री महादेवी वर्मा के, जिन्हें उन्होंने 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' के तत्वावधान में आयोजित पाचवें अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष पद से व्यवहृत किया है। महादेवी के शब्दों में भाषाओं की भिन्नताएँ समष्टि गति की निरंतरता बनाये रखने का लक्ष्य रखती हैं। उसे खण्डित करने का नहीं।

स्पष्ट है कि परस्पर भिन्न होते हुए भी सभी भारतीय भाषाएँ राष्ट्रीयता की पोषक हैं, आंतरिक दृष्टि से उनमें साम्य है। वे एक दूसरे की सहयोगी हैं, विरोधी नहीं। अब आवश्यकता है समस्त देशवासियों के अंतःकरण में ऐसी चेतना जगाने की, जिससे अखिल भारतीय स्तर पर सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि सभी प्रादेशिक भाषाओं को लेकर एक व्यापक आंदोलन चलाया जा सके, जिसका एकमात्र उद्देश्य ही सभी प्रादेशिक भाषाओं को उन-उन प्रदेशों में राजभाषा का पद दिलाना। यह एक ऐसा तरीका होगा, जिससे आगे सभी प्रादेशिक सरकारों को झुकना पड़ेगा और प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा का ओहदा देना पड़ेगा। इस तरह से अंग्रेजी अपने आप प्रदासनिष्ठ क्षेत्रों से बहिष्कृत हो जायेगी और प्रादेशिक स्तर पर स्वदेशी भाषाओं का अधिपत्य कायम होगा। रही बात केन्द्रीय राजभाषा की, उसकी समस्या भी प्रादेशिक राजभाषा की समस्या मुलजाने एवं समूचे राष्ट्र में प्रशासनिक क्षेत्र से अंग्रेजी के बहिष्कृत होने के साथ साथ जनतांत्रिक प्रणाली पर अपने आप मुलज जायेगी। अन्यथा वर्तमान भारतीय वातावरण में राजभाषा के सद्म में सिर्फ हिंदी को लेकर उतरना खतरे से खाली न होगा।

## सद्म

- 1 'एक समुक्त एकीकृत भारत की एक भारतीय राष्ट्रभाषा होनी चाहिए जो देश की एकता का ज्वलत प्रतीक हो, और हिंदी ही ऐसी एकमात्र भाषा है जो इस पद पर आरूढ़ हो सकती है' का उद्धोष करने वाले मुनील बाबू के उस विमर्श-टिप्पण (नोट आफ डिमेंट) को, जो राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन में सलमन है तथा जिसमें अंग्रेजी के समक्ष हिंदी की अयोग्यता बड़ी सफाई के साथ पेश की गई है, देखकर तो दातो तले अगुली दबानी पड़ती है।

दृष्टव्य : 'राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान' 'प्रो० देवेंद्रनाथ शर्मा, पृ० 157 व 163 से 166।

एक समय था जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' के बरिष्ठ सदस्यों एवं हिंदी के परम हितैषियों में से एक थे, परंतु अब तो उनका रंग भी बदलता हुआ नजर आ रहा था। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी प्रचारार्थ दक्षिण भारत का दौरा करते हुए राजा जी की वाणी जिन शब्दों के मध्य मुखरित हुआ करती थी, उमके दो-एक नमूने द्रष्टव्य हैं - 'राजनीतिक, मासकृतिक, सामाजिक तथा व्यापारिक सभी दृष्टियों से हिंदी दक्षिण भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग होनी चाहिए। दक्षिण भारत के लिए संभव नहीं कि वह आने वाले स्वराज्य में मताधिकार से वंचित रहे। सभी दक्षिण वालों को हिंदी सीखनी चाहिए, वयो कि अगर भारत में किसी भी प्रकार की जनतांत्रिक सरकार बनेगी, तो हिंदी ही एकमात्र राजकीय भाषा हो सकेगी।'

(Hindi should be a necessary part of the South Indian School curriculum from the political, social and commercial points of view, South India could not afford to be disfranchised in the coming Swaraj They should all learn Hindi, which alone could be the state language, if India should have any form of democratic Government )  
हिंदी-प्रचारकर्ता' मार्च, सन् 1929, पृ० 70।

'हिंदी भाषी भारत की राजभाषा है, हमें अभी से उसे जरूर सीख लेना चाहिए।'

(Hindi will be the State language of coming India and we must learn it from now )

'हिंदू' 4 फरवरी, सन् 1929।

2 पूर्ण जानकारी के लिए द्रष्टव्य

'Constituent Assembly Debates', Vol VII p 358-383

3 'Constituent Assembly Debates', Vol VII, p 382 83

4 वही, पृ० 362 63।

5 सविधान सभा में अपनाई गई भाषा नीति का पर्दाफाश करते हुए डा० राम मनोहर लोहिया ने लिखा है

'अंग्रेजी राज्य के मतम होने पर भाषा का सवाल उग्र रूप से उठा। अगर मध्यदेशियों में शिवाजी या सुभाष बोस जैसा बडप्पन होता, तो अंग्रेजी हटाने और हिंदी चलाने के लिए समय सीमा की बात कभी सोची या

स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्नीस सौ पचास में उन्नीस सौ पसठ की सीमा बाधना महान मूर्खता और महान क्षुद्रता थी। जो कोई उस समय के शक्तिशाली राजपुरुष थे, अच्छी तरह देना रहे थे कि समय के प्रवाह से अंग्रेजी का मामला सुधरेगा, और हिन्दी का बिगड़ेगा। बसम और सबल्प की लड़ाई थी। बसम खाते थे हिन्दी के लिए और सबल्प रहता था अंग्रेजी चलाने रहने के लिए। ऐसी हालत में बसम खाली रस्मी और ऊपरी रह जाती है। सब काम बसम से उलटा होता रहता है। \* समय सीमा बाधने की जरूरत हुई, एक, इसलिए कि हिन्दी को समृद्ध बनाना है, दो, इसलिए कि इसे तटदेश की स्वीकृति, प्रचार इत्यादि के जरिए दिलाना है।

असमृद्धता सापेक्ष शब्द है—जर्मन, रूसी अथवा अंग्रेजी की तुलना में असमृद्धता। जाहिर है कि कित्तावो और पारिभाषिक शब्दों की संख्या और व्यापकता से यदि समृद्धता तोली जाती है, तब तो जितने अर्थों में हिन्दी कुछ बढ़ेगी, उतने में अंग्रेजी और बढ़ चुकी होगी। तब इसका कोई अर्थ न होगा। हिन्दी के दुश्मन इस तर्क का अनतकाल तब इस्तेमाल करते रहेंगे और हिन्दी के दोस्त कोई उत्तर न दे सकेंगे।'

'भाषा' डा० राम मनोहर लोहिया, भूमिका, पृ० 9-10।

6 भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भाषाएँ—

1 असमिया, 2 उडिया, 3 उर्दू, 4 कन्नड़, 5 बड़मीरी, 6 गुजराती, 7 तमिल, 8 तेलगू, 9 पंजाबी, 10 बंगला, 11 मराठी, 12 मलयालम, 13 संस्कृत, 14 हिन्दी।

7 'भारत का संविधान', पृ० 200-205।

8 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, 'रजत जयन्ती ग्रंथ' से साभार उद्धृत।

9 याद रहे कि राजभाषा आयोग के इसी प्रतिवेदन में सलमन डा० सुनीति कुमार चटर्जी का वह विमति टिप्पण (नोट आफ डिसेंट) भी था, जिसमें अंग्रेजी के सम्मुख हिन्दी की अयोग्यता सिद्ध करने का असफल प्रयास किया गया है तथा जो हिन्दी विरोधियों के लिए तब से आज तक हिन्दी के विरोध में दिए गए तर्कों के लिए रामायण बना हुआ है। यह दूसरी बात है कि प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा की दृष्टि में, जो वस्तुतः तथ्य अन्वेषणीय हैं, 'वह पूरा टिप्पण हेतुवाभासों और विरोधाभासों का पिटारा है।'

विशेष जानकारी के लिए दृष्टव्य 'राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्याएँ और समाधान', प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, पृ० 163-166।

क्रमशः

'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 'रजत जयन्ती ग्रंथ' से साभार उद्धृत।

10 'भाषा' डा० राम मनोहर लोहिया, पृ० 23।

- 11 'आधुनिक कवि' (भाग-2) श्री सुमित्रानन्दन पंत, पृ० 30 ।
- 12 'दिनमान', 14 मई सन् 1967, पृ० 26 ।
- 13 द्रष्टव्य • 'दिनमान', 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 17 ।
- 14 'दिनमान', 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 17 ।
- 15 'हिंदी सेना के सैनिक छात्रों के आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो संकेत मिले हैं उनसे आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भाषा संबंधी वैद्रीय नीति के विरोध में यह आंदोलन अगले कुछ दिनों में बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में फैल जायेगा। सखनऊ के छात्र संगठन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का घेराव करें और लोक सभा के सामने प्रदर्शन करें।' 'दिनमान' 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 19 ।
- 16 'दिनमान' 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 17 ।
- 17 'दिनमान' 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 19 ।
- 18 'दिनमान' 31 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 14 ।
- 19 द्रष्टव्य दिनमान, 31 दिसम्बर, सन् 1972, पृ० 48 ।
- 20 'दिनमान', 3 मार्च, सन् 1968, पृ० 41 ।
- 21 'दिनमान', 13 जनवरी, सन् 1967, पृ० 22 ।
- 22 'दिनमान', 18 जून, सन् 1967, पृ० 22 ।
- 23 'दिनमान', 9 जुलाई, सन् 1967, पृ० 20 ।
- 24 द्रष्टव्य दिनमान', 3 सितंबर, सन् 1967, पृ० 21 ।
- 25 द्रष्टव्य 'दिनमान', 19 नवंबर, सन् 1967, पृ० 21 ।
- 26 दिनमान', 31 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 20 ।
- 27 यह नया ध्वज सफेद रंग का था और उस पर लालरंग में बड़े-बड़े अक्षरों में तमिपकम् (तमिलनाडु) लिखा हुआ था ।
- 28 'दिनमान', 3 मार्च, सन् 1968, पृ० 20 ।
- 29 दिनमान', 3 मार्च, सन् 1968, पृ० 42 ।
- 30 इसी बीच द्वितीय विश्व तमिल सम्मेलन के अवसर पर राजागोपालाचार्य ने द्विभाषा फार्मूले की व्याख्या भी कर डाली और कहा कि -  
'तमिलनाडु में इस फार्मूले का अर्थ तमिल और अंग्रेजी है, मैसूर में बन्नड और अंग्रेजी, उत्तर प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी, द्विभाषा फार्मूले का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी कदापि नहीं है। मेरी योजनाओं में हिंदी का कोई स्थान नहीं है।' इस पर टिप्पणी करते हुए दिनमान ने लिखा 'राजागोपालाचारी का यह बयान काफी एक्नरफा और तानाशाही स्वैयं



स्वीकारी न जाती। उन्नीस सौ पचास म उन्नीस सौ पेंसठ की सीमा वाधना महान मूर्खता और महान धुद्रता थी। जो कोई उम समय के शक्तिशाली राजपुरुष थे, अच्छी तरह देख रहे थे कि समय के प्रवाह से अग्रेजी का मामला सुधरेगा, और हिंदी का बिगडेगा। कसम और सकल्प की लड़ाई थी। कसम खाते थे हिंदी के लिए और सकल्प रहता था अग्रेजी चलाते रहने के लिए। ऐसी हालत मे कसम खाली रस्मी और ऊपरी रह जाती है। सब काम कसम स उलटा होता रहता है। 'समय सीमा वाधने की जरूरत हुई, एक, इसलिए कि हिंदी को समृद्ध बनाना है, दो, इसलिए कि इसे तटदेश की स्वीकृति, प्रचार इत्यादि के जरिए दिलाना है।

असमृद्धता सापेक्ष शब्द है—जर्मन, रूसी अथवा अग्रेजी की तुलना मे असमृद्धता। जाहिर है कि किताबों और पारिभाषिक शब्दों की सख्या और व्यापकता से यदि समृद्धता तोली जाती है, तब तो जितने असें मे हिंदी कुछ बढ़ेगी, उतने म अग्रेजी और बढ़ चुकी होगी। तब इसका कोई अत न होगा। हिंदी के दुश्मन इस तर्क का अनतकाल तक इस्तेमाल करते रहेगे और हिंदी के दोस्त कोई उत्तर न दे सकेंगे।'

'भाषा' डा० राम मनोहर लोहिया, भूमिका, पृ० 9-10।

6 भारतीय सविधान की अष्टम अनुसूची म उल्लिखित भाषाए—

1 असमिया, 2 उडिया, 3 उर्दू, 4 कन्नड, 5 कश्मीरी, 6 गुजराती, 7 तमिल, 8 तेलगू, 9 पंजाबी, 10 बंगला, 11 मराठी, 12 मलयालम, 13 मस्कृत, 14 हिंदी।

7 'भारत का सविधान', पृ० 200-205।

8 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा रजत जयन्ती ग्रंथ से साभार उद्धृत।

9 याद रहे कि राजभाषा आयोग के इसी प्रतिवेदन म सलग्न डा० सुनीति कुमार चटर्जी का वह विमति टिप्पण (नोट आफ डिसेंट) भी था, जिसम अग्रेजी के सम्मूल हिंदी की अयोग्यता सिद्ध करने का असफल प्रयास किया गया है तथा जो हिंदी विरोधियों के लिए तब से आज तक हिंदी के विरोध मे दिए गए तर्कों के लिए रामायण बना हुआ है। यह दूसरी बात है कि प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा की दृष्टि मे, जो वस्तुतः तथ्य अन्वेषणीय हैं 'वह पूरा टिप्पण हेत्वाभासों और विरोधाभासों का पिटाग है।'

विशेष जानकारी के लिए दृष्टव्य 'राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याए और समाधान', प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा, पृ० 163-166।

क्रमशः

'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा रजत जयन्ती ग्रंथ' मे साभार उद्धृत।

10 'भाषा' डा० राम मनोहर लोहिया, पृ० 23।

- 11 'आधुनिक कवि' (भाग-2) . श्री सुमित्रानन्दन पन्त, पृ० 30 ।
- 12 'दिनमान', 14 मई सन् 1967, पृ० 26 ।
- 13 द्रष्टव्य . 'दिनमान', 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 17 ।
- 14 'दिनमान', 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 17 ।
- 15 'हिंदी सेना के सैनिक छात्रों के आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो संकेत मिले हैं उनके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भाषा संबंधी केंद्रीय नीति के विरोध में यह आंदोलन अगले कुछ दिनों में बिहार, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में फैल जायेगा। लखनऊ के छात्र संघटन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का घेराव करें और लोक सभा के सामने प्रदर्शन करें।' 'दिनमान' 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 19 ।
- 16 'दिनमान' 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 17 ।
- 17 'दिनमान' 10 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 19 ।
- 18 'दिनमान' 31 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 14 ।
- 19 द्रष्टव्य दिनमान, 31 दिसम्बर, सन् 1972, पृ० 48 ।
- 20 'दिनमान', 3 मार्च, सन् 1968, पृ० 41 ।
- 21 'दिनमान', 13 जनवरी, सन् 1967, पृ० 22 ।
- 22 'दिनमान', 18 जून, सन् 1967, पृ० 22 ।
- 23 दिनमान', 9 जुलाई, सन् 1967, पृ० 20 ।
- 24 द्रष्टव्य दिनमान', 3 मिनवर, सन् 1967, पृ० 21 ।
- 25 द्रष्टव्य . 'दिनमान', 19 नवंबर, सन् 1967, पृ० 21 ।
- 26 दिनमान', 31 दिसम्बर, सन् 1967, पृ० 20 ।
- 27 यह नया ध्वज सफेद रंग का था और उस पर लालरंग में बड़े-बड़े अक्षरों में तमिषकम् (तमिलनाडु) लिखा हुआ था ।
- 28 'दिनमान', 3 मार्च, सन् 1968, पृ० 20 ।
- 29 दिनमान , 3 मार्च, सन् 1968, पृ० 42 ।
- 30 इसी बीच द्वितीय विश्व तमिल सम्मेलन के अवसर पर राजागोपालाचारी ने द्विभाषा फार्मूले की व्याख्या भी कर डाली और कहा कि-  
'तमिलनाडु में इस फार्मूले का अर्थ तमिल और अंग्रेजी है, मसूर में बंगाल और अंग्रेजी, उत्तर प्रदेश में हिंदी और अंग्रेजी, द्विभाषा फार्मूले का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी कदापि नहीं है। मेरी योजनाओं में हिंदी का कोई स्थान नहीं है।' इस पर टिप्पणी करते हुए दिनमान ने लिखा 'राजागोपालाचारी का यह बयान काफी एक्तरफा और तानाशाही स्वरूप

वाला है । मद्रास वालो के इस रवैये से केवल भारतवासी ही नहीं, बल्कि कुछ विदेशी भी काफी परेशान है ।',  
'दिनमान', 14 जनवरी, सन 1968, पृ० 20 ।

31 द्रष्टव्य

'दिनमान', 10 मार्च, सन 1968, पृ० 20 ।

32 'दिनमान', 7 जनवरी, सन 1968, पृ० 3 ।

33 'दिनमान', 7 मई, सन, 1967, पृ० 14-15 ।

## संदर्भ-ग्रंथ सूची

### हिंदी

- 1 अपभ्रंश काव्यपरंपरा और विद्यापति—डा० अनादित पंत, प्रथम संस्करण, सवत 2026 ।
- 2 अपभ्रंश भाषा का अध्ययन—डा० वीरेन्द्र श्रीवास्तव, संस्करण सन् 1965
- 3 आत्मकथा—महात्मागांधी, नवमी बार, सन् 1948
- 4 आधुनिक कवि (भाग 2)—श्री सुमित्रानन्दन पंत, ग्यारहवीं आवृत्ति, सन् 1964
- 5 आधुनिक हिंदी साहित्य—डा० लक्ष्मीसागर वाष्णोय, प्रथम संस्करण, सन् 1954
- 6 आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका—डा० लक्ष्मी सागर वाष्णोय, प्रथम संस्करण, सन् 1952
- 7 आर्य समाज का इतिहास—इन्द्र विद्यावाचस्पति, प्रथम संस्करण, सन् 1957
- 8 इतिहास तिमिर नाशक (भाग एक)—राजा शिवप्रसाद, संस्करण, सन् 1883
- 9 कचहरी की भाषा और लिपि—आचार्य चंद्रबली पांडेय, प्रथम संस्करण, सवत 2000
- 10 कामायनी—जयशंकर प्रसाद, त्रयोदश आवृत्ति, सवत 2024
- 11 केशव ग्रथावली (खण्ड 1)—स० प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संस्करण

सन् 1954

- 12 खड़ी बोली का आंदोलन—डा० शितिकठ मिश्र, प्रथम संस्करण, सन् 2013
- 13 खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास—ब्रजरत्न दास, द्वितीय संस्करण, सन् 2009 ।
- 14 गंगा प्रसाद अभिनदन ग्रंथ—प्रेमचंद्र शर्मा, उत्तर प्रदेश, प्रथम संस्करण, सन् 1959
- 15 गांधी-वाणी—रामनाथ 'सुमन', चौथी बार, सन् 1952
- 16 गुजरात के हिंदी गौरव ग्रंथ—डा० अवाशकर नागर, संस्करण सन् 1965 ।
- 17 गोविंद दास सेठ अभिनदन ग्रंथ—गोविंददास जयती समारोह समिति, नई दिल्ली
- 18 दक्खिनी हिंदी—डा० बाबूराम सक्सेना, प्रथम संस्करण, सन् 1952
- 19 दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार—आंदोलन का समीक्षात्मक इतिहास—पी० के० वेशवन नायर, प्रथम संस्करण सन् 1963
- 20 नाथ संप्रदाय—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्वितीय संस्करण, सन् 1966
21. नारायण अभिनदन ग्रंथ—सांख्यिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, संस्करण सन् 1945
- 22 फोर्ट विलियम कालेज—डा० लक्ष्मीसागर वाण्येय, संस्करण, सन् 2004
- 23 वगला पर हिंदी का प्रभाव—डा० ब्रह्मानंद, प्रथम, संस्करण, सन् 1962
- 24 बिहार में हिंदुस्तानी—आचार्य चंद्रावली पांडेय, प्रथम संस्करण, सन् 1996
- 25 बुद्धकालीन भारतीय भूगोल—डा० भरत सिंह उपाध्याय, प्रथम संस्करण, स० 2018
- 26 भारत का भाषा सर्वेक्षण—जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन, प्रथम संस्करण, सन् 1959
27. भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान—सत्यवैतु विद्यालवार, प्रथम संस्करण, सन् 1958
- 28 भारत का संविधान—भारत सरकार प्रेस
- 29 भारत की भाषाएँ और भाषा संबंधी समस्याएँ—डा० मुनीति कुमार चटर्जी, द्वितीय संस्करण, सन् 1957

- 30 भारत की राष्ट्रीय संस्कृति—डा० आबिद हुसन, प्रथम आवृत्ति, सवत् 2015
- 31 भारत में मुगल साम्राज्य—डा० एस० आर० शर्मा, प्रथम संस्करण
- 32 भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास—श्री जगदीश प्रसाद कौशिक, मस्करण सन् 1969
- 33 भारतीय आर्यभाषा और हिंदी—डा० सुनीति कुमार चन्नी, तृतीय संस्करण सन् 1963
- 34 भारतीय इतिहास का उन्मीलन—जयचंद्र विद्यालकार, पाचवा मस्करण, सन् 1956।
- 35 भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा—डा० ज्ञानवती दरवार, प्रथम संस्करण सन् 1961
- 36 भारतीय सिद्धा का इतिहास—पी० वी० जौहरी, पी० डी० पाठक, द्वितीय संस्करण सन् 1962
- 37 भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास—मत्यकेतु विद्यालकार, प्रथम संस्करण सन् 1953
- 38 भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास—इंद्रविद्या वाचस्पति, संस्करण सन् 1960
- 39 भारतेन्दु प्रथावती (द्वितीय भाग)—स० चारुल दाम, संस्करण सन् 1931
- 40 भारतेन्दु हृदिचंद्र—डा० राम विलास शर्मा, द्वितीय संस्करण, सन् 1966
- 41 भाषा—डा० राममनाहर लोहिया, प्रथम संस्करण, सन् 1965
- 42 भाषा और समाज—डा० रामविलास शर्मा, पहला संस्करण, सन् 1961
- 43 भाषा—रहस्य (प्र० मा०)—डा० श्यामसुन्दर दाम, और श्री पद्म-नारायण आचार्य, तृतीय संस्करण, सन् 2013
- 44 भाषा विज्ञान—डा० भोवानथ तिवारी प्रथम संस्करण, सन् 1965
- 45 भाषा विज्ञान—डा० श्यामसुन्दर दास, सप्तम संस्करण, सन् 2009
- 46 भाषा विज्ञान की भूमिका—श्री० देवेन्द्रनाथ शर्मा, प्रथम संस्करण, सन् 1966
47. भाषा विज्ञान के सिद्धांत—म० डा० रामेश्वरदास अय्यंगर, प्रथम संस्करण सन् 1969
- 48 भाषा विज्ञान पर भाषण—ए०० मेक्समूलरके० ए००, अनुवादक— डा० हेमचंद्र जागी, प्रथम संस्करण, सन् 1964

- 49 भाषा शास्त्र की रूपरेखा—डा० उदय नारायण तिवारी, प्रथम संस्करण, स० 2020
- 50 भूगोल हस्तामलक—राजा शिवप्रसाद, संस्करण, सन् 1859
51. मध्यदेश और उसकी संस्कृति—डा० धीरेन्द्र वर्मा, संस्करण, सन् 1954
- 52 मराठी का नवीन इतिहास (प्रथम खण्ड)—गोविंद सखाराम सर देसाई, द्वितीय संस्करण, सन् 1963
- 53 महाव्रगपालि—स० भिक्षु जगदीश काश्यप, संस्करण, सन् 1956
- 54 मुगलकालीन भारत—डा० ए० एल० श्रीरस्तन, प्रथम संस्करण, सन् 1953
- 55 मुग्शी अभिनदन ग्रन्थ—राजकमल—प्रकाशन दिल्ली, सन् 1957
- 56 मेरे समकालीन—महात्मा गांधी, प्रथम संस्करण सन् 1951
- 57 मैं इनका ऋणी हूँ—इन्द्र विद्यावाचस्पति, प्रथम संस्करण, सन् 1957
- 58 रजत जयंती ग्रन्थ—बम्बई हिंदी विद्यापीठ, प्रथम संस्करण, सन् 1963
- 59 रजत जयंती ग्रन्थ—राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, प्रथम संस्करण, सन् 1962
- 60 राजर्षि (पुरषोत्तमदास टडन) अभिनदन ग्रन्थ, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दिल्ली, सन् 1960
- 61 राजस्थानी भाषा—डा० सुनीति कुमार घटर्जी, संस्करण सन् 1949
- 62 राष्ट्रभारती (हिंदी का मिशन)—वाका साहब कालेलकर, प्रथम संस्करण, 1967
- 63 राष्ट्रभाषा आन्दोलन और गांधी जी—डा० रामधारी सिंह 'दिनकर' संस्करण सन् 1968
- 64 राष्ट्रभाषा का इतिहास—प० किशोरीदास वाजपेयी, प्रथम संस्करण, स० 2007
- 65 राष्ट्रभाषा का सवाल—प० जवाहरलाल नेहरू, प्रथम संस्करण सन् 1949
- 66 राष्ट्रभाषा की समस्याएँ—आचार्य नददुलारे वाजपेयी, द्वितीय संस्करण, 1962
- 67 राष्ट्रभाषा की समस्या—डा० रामविलास शर्मा, प्रथम संस्करण, सन् 1965
68. राष्ट्रभाषा पर विचार—आचार्य चंद्रबली पाडेय, परिवर्द्धित संस्करण, स० 2008

- 69 राष्ट्रभाषा—हिंदी—स० धेमेन्द्र मुमन, प्रथम संस्करण, सन् 1948
- 70 राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान—प्रो० देवेन्द्र नाथ शर्मा  
प्रथम संस्करण, सन् 1965
- 71 राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी—महात्मा गांधी, चौथी बार, सन् 1956
- 72 विनय विटक—अनुवादक महापंडित रात्रल साठुत्यायन, प्रथम  
संस्करण, 1935
- 73 विनोबास्तवन—ग० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', प्रथम संस्करण, सवत  
2010
- 74 शिक्षा का माध्यम—महात्मा गांधी, प्रथम संस्करण, सन् 1954
- 75 गाति यात्रा—विनोबा भावे, द्वितीय संस्करण, सन् 1955
- 76 सक्षिप्त कांग्रेस का इतिहास—डा० वी० पट्टाभिसीतारामय्या, प्रथम  
संस्करण सन् 1958
- 77 सत्यार्थे प्रकाश—स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्नीसवीं, बार, सवत  
2003
- 78 संपूर्ण गांधी वाङ्मय—महात्मा गांधी, प्रथम संस्करण, सन् 1958
- 79 सामान्य भाषा विज्ञान—डा० बाबू राम सक्सेना, प्रथम संस्करण,  
स० 2023
- 80 साहित्य, शिक्षा और संस्कृति—डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रथम संस्करण,  
सन् 1952
- 81 मूर पूर्वं ब्रजभाषा और उसका साहित्य—डा० शिव प्रसाद सिंह,  
द्वितीय संस्करण, सन् 1964
- 82 स्मृतिवर्ण—मेठ गोविंद दास, संस्करण सन् 1959
- 83 स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के सपने का इतिहास—राम गोपाल, प्रथम  
संस्करण
- 84 स्वयंबोध उर्दू—राजा शिवप्रसाद, संस्करण, सन् 1861
- 85 हमारा संवैधानिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन—पी० एन०  
आनंद, एस० एम० बंसिरठ, प्रथम संस्करण, सन् 1966
- 86 हिंदी आंदोलन—डा० लक्ष्मीबाई वर्मा, प्रथम संस्करण, सन् 1964
- 87 हिंदी उद्भव, विकास और रूप—डा० हरदेव बाहरी, द्वितीय  
संस्करण, 1969
- 88 हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी—प० पद्मगिह शर्मा, तृतीय संस्करण,  
1951
- 89 हिंदी का गद्य साहित्य,—डा० रामचन्द्र तिवारी, द्वितीय संस्करण सन्  
1968



- 90 हिंदी का ब्यावहारिक रूप—डा० विनयमोहन शर्मा, सस्करण सन् 1968
- 91 हिंदी की गद्य शैली का विकास—डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, परिवर्द्धित सस्करण सवत् 2012
- 92 हिंदी के विकास म अपभ्रंश का योग—डा० नामवर सिंह, चतुर्थ सस्करण, 1965
- 93 हिंदी को मराठी सतो की देन—डा० विनय मोहन शर्मा, प्रथम सस्करण, 1957
- 94 हिंदी गद्य के युग निर्माता—डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा द्वितीय सस्करण, 1958
- 95 हिंदी पर फारसी का प्रभाव—प० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, द्वितीय सस्करण, सवत् 2006
- 96 हिंदी भाषा—डा० श्यामसुंदर दास, सस्करण, सन् 1957
- 97 हिंदी भाषा और लिपि—डा० धीरेन्द्र वर्मा, तेरहवां सस्करण सन 1966
- 98 हिंदी भाषा और साहित्य को आर्यं समाज की देन—डा० लक्ष्मी नारायण गुप्त, प्रथम सस्करण, सवत् 2018
- 99 हिंदी भाषा का इतिहास—डा० धीरेन्द्र वर्मा, सप्तम् सस्करण, 1962
- 100 हिंदी भाषा का उद्गम और विकास—डा० उदय नारायण तिवारी प्रथम सस्करण, सवत् 2012
- 101 हिंदी भाषा की आधुनिक समस्याएँ—डा० सरनाम सिंह शर्मा सस्करण, 1964
- 102 हिंदी भाषा की उत्पत्ति—आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सस्करण, 1919
- 103 हिंदी व्याकरण—राजा शिवप्रसाद, सस्करण, सन् 1875
- 104 हिंदी-साहित्य (प्रथम खण्ड)—स० डा० धीरेन्द्र वर्मा, प्रथम सस्करण 1962
- 105 हिंदी साहित्य—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, सस्करण, सन् 1952
- 106 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डा० रामकुमार वर्मा, प्रथम सस्करण, सन् 1938
- 107 हिंदी साहित्य का इतिहास—डा० लक्ष्मी सागर वाण्येय, छठा सस्करण, सन् 1964
- 108 हिंदी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, तेरहवा सस्करण, सवत् 2008

- 109 हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास (प्रथम भाग)—स० डा० राजवली पाण्डेय, प्रथम संस्करण, सवत् 2014
- 110 हिंदी साहित्य की भूमिका—डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी, आठवीं आवृत्ति, सन् 1969

### वैदिक एव संस्कृत

- 1 ऋषवेद
- 2 ऐतरेय ब्राह्मण
- 3 ऋग्वेद
- 4 छान्दोग्योपनिषद्
- 5 शतपथ ब्राह्मण
- 6 अष्टाध्यायी—महर्षि पाणिनि
- 7 काव्य मीमांसा—राजशेखर
- 8 काव्यादर्श—आचार्य दण्डी
- 9 नाट्यशास्त्र—आचार्य भरत
- 10 मनुस्मृति—मनु
- 11 महाभाष्यम्—आचार्य पतञ्जलि
- 12 वाक्यपदीयम्—आचार्य मूर्तहरि

### अंग्रेजी

- 1 Biographical Studies in Modern Indian Education—H V Hampton, 1947
- 2 Court Character and Primary Education—Pandit Madan Mohan Malviya, 1897
- 3 Geography of Early Buddhism—Dr Vimal Chandra Laha, 1932
- 4 Gujrat and its Literature—K M Munshi, 1954
- 5 History of Brajbuli Literature—Dr Sumar Sen, 1935
- 6 History of Indian Journalism—J Natrajan
- 7 Indian Nation Builders—D N Banerjee
- 8 Linguistic Affairs of India—Ram Gopal, 1966
- 9 Memorandum Court Character—Saiva Prasad, 1868
- 10 On the Indo Aryan Vernaculars—G A Grierson

- 11 Origin and Development of Bengali Language—  
Dr S K Chatterji, 1926
- 12 What is Hindi—Dr A Hamid, 1956

पत्र-पत्रिकाएँ एव प्रतिवेदन

- 1 दिनमान
- 2 धर्मयुग
- 3 नागरी प्रचारिणी
- 4 भारत जीवन
- 5 राजभाषा
- 6 वीणा
- 7 सम्मेलन
- 8 सरस्वती
- 9 साहित्य
- 10 हिंदी नवजीवन
- 11 हिंदी प्रचारक
- 12 हिंदू
- 13 हरिश्चन्द्र मंगजीन और हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका
- 14 Journal of the Department of Letters of Calcutta University
- 15 Journal Royal Asiatic Society of Bengal
- 16 Constituent Assembly Debates, Vol VII
- 17 Report of the Official Language Commission, 1956

